भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
(राजस्व विभाग–अप्रत्यक्ष कर–सीमाशुल्क)
2018 की संख्या 16

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
(राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)
2018 की संख्या-16

.....को लोकसभा एवं राज्यसभा के पटल पर रखी गई

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	iii
अध्याय 1: भारत में आईसीडी और सीएफएस: एक विहंगावलोकन	1
अध्याय 2: लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड व लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली	17
अध्याय 3: अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी) और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) की स्थापना की प्रक्रियाएं	21
अध्याय 4 : कंटेनरीकृत कार्गो में व्यापार को सुविधाजनक करने में आईसीडी तथा सीएफएस की प्रभावकारिता	43
अध्याय 5: आईसीडी और सीएफएस के परिचालन के लिए नियामक संरचना	57
शब्दावली	99
परिशिष्ट	101
विवरणियां	111

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 'अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है।

इस प्रतिवेदन में दर्शाये गए उदाहरण 2017-18 की अवधि के दौरान की गई नमूना जांच लेखापरीक्षा के दौरान देखें गए हैं तथा इसमें 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के संव्यवहार शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग (डीओआर), वाणिज्य विभाग और इनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारी सार

एक इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी)/कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) ड्राई पोर्ट भी कहलाते हैं जो सीमाशुल्क के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की स्थिति के साथ मल्टीमॉडल लोजिस्टिक्स केन्द्र हैं। वे रेल अथवा सड़क से एक बंदरगाह से जुड़े हुए हैं और निर्यात और आयात कार्गो के लिए एक पोतांतरण केन्द्र के रूप में कार्य करते है। इसके पोतांतरण केन्द्र होने के अतिरिक्तवे आयात/निर्यात हेतू लदे हुए एवं खाली कंटेनरों का प्रबंधन एवं भण्डारण, गोदाम, अस्थाई प्रवेश, पुन: निर्यात के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। आईसीडी सामान्य रूप से सर्विसिंग पोर्ट से दूर देश के आन्तरिक स्थानों पर स्थित होता है। दूसरी ओर, सीएफएस, सर्विसिंग पोर्ट के पास स्थित ऑफ डॉक सुविधा है, जो कार्गो तथा सीमाशुल्क संबंधी गतिविधियों को पोर्ट क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित करके पोर्ट में भीड़ कम करने में सहायक है। आईसीडी और सीएफएस आयात और निर्यात के लिए कंटेनरयुक्त कार्गो के आवागमन के लिए अति आवश्यक लोजिस्टिक्स अवसंरचना उपलब्ध कराते हैं और इस प्रकार व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते है।

वाणिज्य विभाग के डाटा के अनुसार, मार्च 2017 तक देश में 129 आईसीडी थे। इनमें महाराष्ट्र में अधिकतम आईसीडी (13) है, उसके बाद उत्तर प्रदेश (11), तमिलनाडु (10), गुजरात (9) और हरियाणा (8) है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आईसीडी तुगलकाबाद भारत का सबसे बड़ा आईसीडी है जो 44 हैक्टेयर भूमि तक फैला हुआ है। सुदूर उत्तरी राज्य जम्मू और कश्मीर में कोई भी आईसीडी नहीं है और सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच केवल एक आईसीडी असम में है।

देश में 168 सीएफएस थे जिनमें से तमिलनाडु में सबसे अधिक संख्या (50) है उसके बाद महाराष्ट्र में (48) और राजस्थान में (24) है।

2016-17 में देश में कुल 80 सक्रिय आईसीडी के माध्यम से कुल ₹ 4.27 लाख करोड़ के आयात और निर्यात का प्रबंधन किया गया था, जिसमें से देश की शीर्ष पांच आईसीडी नामत:, आईसीडी तुगलकाबाद (दिल्ली), आईसीडी वाइटफिल्ड बैंगलुरू, आईसीडी साबरमती गुजरात, आईसीडी तुतीकोरिन तमिलनाडू और आईसीडी गढ़ी हरसरू हरियाणा में कुल ₹ 1.94 लाख करोड़ मूल्य के कारोबार (कुल कारोबार का लगभग 46 प्रतिशत) का प्रबंधन किया गया था।

वि.व 13 और वि.व 15 के बीच आईसीडी के माध्यम से आयात की वार्षिक वृद्धि 16-17 प्रतिशत के बीच थी, परन्तु वि.व 16 में 0.6 प्रतिशत की गिरावट हुई और वि.व 17 के दौरान केवल 1.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी। आईसीडी से निर्यात में वि.व 13 और वि.व 14 के बीच 27.5 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई परन्तु वि.व 15 में 8.2 प्रतिशत, वि.व 16 में 3 प्रतिशत और वि.व 17 में 4.3 प्रतिशत तक कम हो गई।

2016-17 के दौरान, आईसीडी के माध्यम से आयात की शीर्ष मदें मशीनरी और इलैक्ट्रिकल उपकरण, बेस मेटल प्लास्टिक और रबड़, कैमिकल, टेक्सटाईल और लकड़ी लुगदी और रेशेदार सेल्यूलोसिस सामग्री थी। आईसीडी के माध्यम से निर्यात की शीर्ष मदों में टेक्सटाईल, कैमिकल उत्पाद, मशीनरी और इलैक्ट्रिकल उपकरण बेस मेटल वाहन और संबद्ध यातायात उपकरण और कृषि उत्पाद शामिल थे। आईसीडी के माध्यम से भारतीय आयात का चीन सबसे बड़ा स्रोत था, उसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया, जबकि आईसीडी के माध्यम से भारतीय निर्यात के लिए मुख्य गन्तव्य देश यूएसए, यूएई और यूके थे।

आईसीडी और सीएफएस की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी कि आईसीडी एवं सीएएफएस कार्गो के कंटेनरीकृत आवागमन के माध्यम से भारत के विदेशी व्यापार को किस सीमा तक सरल करने मे सक्षम हैं। लेखापरीक्षा उद्देश्य निम्नलिखित थे:

i. आईसीडी और सीएफएस की स्थापना तथा समापन की प्रक्रियाओं की जांच करना।

ii. व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कंटेनरीकृत कार्गों प्रबंधन तथा सीमाशुल्क निकासी सुविधाएं उपलब्ध कराने में आईसीडी और सीएफएस के निष्पादन का निर्धारण करना, और

iii. आईसीडी और सीएफएस के परिचालन के लिए विनियामक तंत्र की जांच करना।

नमूना जांच के लिए चयनित नमूनों में 35 सीमाशुल्क कमिश्नरियों के तहत कुल 85 आईसीडी/सीएफएस शामिल थे, जिनमें 44 आईसीडी (38 कार्यशील तथा 6 बंद/अकार्यशील) तथा 41 सीएफएस थे। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 तक की पांच वर्षीय समयावधि के संव्यवहारों को कवर किया गया था।

रिपोर्ट को पांच अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय । आईसीडी/सीएफएस सेक्टर का एक विंहगावलोकन प्रस्तुत करता है। अध्याय ॥ निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिए प्रयुक्त लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, नमूना चयन पद्धति और मापदंड का वर्णन करता है। अध्याय ॥।, ।V और V में निष्पादन प्रतिवेदन के तीनों उद्देश्य में से प्रत्येक का पालन करते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष, परिणाम और सिफारिशें शामिल है।

इस रिपोर्ट में उप-पैराग्राफ सहित अठाईस लेखापरीक्षा पैराग्राफ और 8 सिफारिशें शामिल है। निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹ 573.21 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है।

वाणिज्य विभाग (डीओसी) से (जनवरी 2018) और राजस्व विभाग (डीओआर) से (फरवरी 2018) में प्राप्त प्रतिक्रियाओं को उपयुक्त स्थान पर शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गए है।

अध्याय 3- अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी) और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) की स्थापना की प्रक्रियाएं

आईसीडी और सीएफएस की स्थापना के लिए रूपरेखा का अभाव

अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) और एयर फ्रेट स्टेशनों (एएफएस) की स्थापना करने के लिए एक ही स्थान पर प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए 1992 में एक अन्तर-मंत्रालय समिति (आईएससी) गठित की गई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिशानिर्देश, 1992 आईसीडी और सीएफएस की स्थापना के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करते है। लेखापरीक्षा ने देखा कि वाणिज्य विभाग (डीओसी) की वेबसाइट पर दिशानिर्देशों के दो सेट उपलब्ध हैं और उनमें से किसी में भी अधिसूचना या ज्ञापन उल्लिखित नहीं है जिसके माध्यम से उनको औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। वाणिज्य विभाग ने बताया कि दिशानिर्देश सितम्बर 2017 में संशोधित किये गये थे लेकिन भूलवश उनकी वेबसाइट से पूर्व दिशानिर्देश नहीं हटाये गये थे। इसके अतिरिक्त वाणिज्य विभाग ने कहा कि अलग से अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आईएमसी की शर्तों के संदर्भ के अंतर्गत बनाये गये हैं। तथापि, दिशानिर्देशों की किसी भी औपचारिक अधिसूचना के संदर्भ के बिना, लेखापरीक्षा पता नहीं लगा सकी कि दोनों में से

कौन सा दिशानिर्देश औपचारिक था और संशोधित दिशानिर्देश किस दिन से लागू हुये।

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा दिशानिर्देश, अनुमोदन देते समय अनुपालन किये जाने वाले विभिन्न चरणों की चेकलिस्ट निर्धारित करते हैं जो अधिक प्रक्रियात्मक प्रवृति के हैं, और सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिये कोई भी नीति दस्तावेज या रूपरेखा नहीं है जो प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिये आईएमसी सदस्यों की सहायता करे।

इसके अतिरिक्त अनुमोदन प्रक्रिया के बाद आईएमसी या उसके मूल मंत्रालय के लिय कोई भी भूमिका और उत्तरदायित्व परिभाषित न करते हुए इस क्षेत्र को अविनियमित छोड़ दिया गया है।

(पैरा 3.1)

मूल डाटा उपलब्ध न होना और आईसीडी तथा सीएफएस की संख्या और स्थिति पर विश्वसनीय डाटा का अभाव

आईसीडी और सीएफएस की स्थापना और संचालन से संबंधित मूल डाटा, जैसे उनकी संख्या, स्थान, संचालनात्मक स्थिति (अर्थात क्रियाशील या बंद), संस्थापित क्षमता, संचालन क्षमता के संदर्भ में निष्पादन आदि डीओसी के पास उपलबध नहीं था, जो नोडल मंत्रालय था जिसके अंतर्गत आईएमसी कार्यशील था।

आईएमसी की स्थापना से पूर्व और बाद में स्थापित आईसीडी की संख्या के व्यापक डाटा के लिये लेखापरीक्षा के अनुरोध पर, डीओसी ने आईसीडी और सीएफएस की सूची उपलब्ध कराई जो 1992 में आईएमसी की स्थापना के बाद क्रियाशील हुये थे और कहा कि उनके पास उस वर्ष से पूर्व का डाटा उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) वर्तमान में सीबीआईसी[#] ने लेखापरीक्षा को कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया। इसलिये लेखापरीक्षा ने स्थानीय सीमाशुल्क कार्यालयों से उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्रियाशील आईसीडी और सीएफएस के विवरण हेतु संपर्क किया और क्रियाशील आईसीडी/सीएफएस के डीओसी द्वारा अनुरक्षित डाटा और स्थानीय कमिश्नरियों के माध्यम से एकत्र डाटा के बीच काफी विसंगतियां देखीं। लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान स्थिति की गलत रिपोर्टिंग और अद्यतित न किये जाने के कम से कम 27 मामले देखे।

[#]सीबीईसी का नाम वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 160 के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड के रूप में बदल दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि कार्यरत क्रियाशील/ बंद आईसीडी/ सीएफएस की संख्या पर डाटा के एकल विश्वसनीय स्रोत का अभाव है।

(पैरा 3.2)

सृजित एवं प्रयुक्त क्षमता का आकलन किये बिना नये आईसीडी और सीएफएस का अनुमोदन

सृजित एवं प्रयुक्त क्षमता का आकलन किये बिना आईएमसी द्वारा नये आईसीडी और सीएफएस अनुमोदित किये गये थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांच किये गये लगभग 40 *प्रतिशत* आईसीडी और सीएफएस अपनी संस्थापित क्षमता के आधे से भी कम का कार्य कर रहे थे और अन्य एक तिहाई अपनी क्षमता से 50-70 *प्रतिशत* के बीच कार्य कर रहें थे। कोलकाता पोर्ट से जुडे पांच सीएफएस में, यद्यपि, उनकी संयुक्त कार्गो संचालन क्षमता का केवल 74 *प्रतिशत* क्षमता का उपयोग किया गया था, एक नये सीएफएस को कार्य शुरू करने की अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि जैसे ही नया सीएफएस क्रियाशील हुआ, मौजूदा सीएफएस में से एक की संचालन मात्रा लगभग उसी अनुपात से काफी कम हुई जितनी नये सीएसएफ की संचालन मात्रा में वृद्धि हुई। जेएनपीटी मुंबई में, 2012 में, पोर्ट से जुडे 27 सीएफएस में से 13 में उपयोगिता क्षमता 60-65 के बीच बताई गई थी, जबकि चेन्नै पोर्ट में 29 सीएफएस में से 16 में लगभग 56 प्रतिशत थी। आईएमसी ने 2012-17 के दौरान महाराष्ट्र में दस नये सीएफएस और चेन्नै में छह सहित तमिलनाडु में बारह नये आईसीडी अनुमोदित किये।

डीओसी ने कहा कि आईएमसी द्वारा प्राप्त प्रस्ताव निजी डेवलपर्स से प्राप्त करोबार प्रस्ताव हैं जिनकी व्यवहार्यता अनुमानित यातायात मात्रा पर निर्भर करती है।

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ क्षेत्रों और देश के मुख्य पोर्ट क्षेत्रों में और उसके आस-पास आईसीडी और सीएफएस की तीव्र वृद्धि हुई है और निर्माण क्षमता के कम उपयोग का एक मुख्य कारण आस-पास के इलाके मे कई आईसीडी/ सीएफएस की स्थापना है। इसके कारण सीमाशुल्क विभाग के संसाधनों का भी जरूरत से ज्यादा उपयोग हुआ।

(पैरा 3.3)

लेखापरीक्षा ने आईसीडी और सीएफएस परियोजनाओं के अनुमोदन और संचालन में विलंब के अन्य मामलों, न्यूनतम भूमि क्षेत्र आवश्यकता पूर्ण किये बिना क्रियाशील आईसीडी और आईएमसी से अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व डिवेलपर द्वारा किये गये भारी निवेश के मामलों को इंगित किया।

(पैरा 3.4, 3.5, 3.6)

अध्याय 4 - कंटेनरीकृत कार्गो में व्यापार को सुविधाजनक करने में आईसीडी तथा सीएफएस की प्रभावकारिता

पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना क्रियाशील आईसीडी

आईसीडी और सीएफएस का संचालन करने वाले अभिरक्षक सीमाशुल्क क्षेत्र में कार्गो का प्रबंधन विनियम (एचसीसीएआर) 2009 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अपने संबंधित परिसर पर संचालित आयात/ निर्यात माल के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचा और सुरक्षा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार हैं। नमूना जांच किये गये आईसीडी में, लेखापरीक्षा ने देखा कि आईसीडी कोट्टायम में कंटेनरों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिये क्रेन और उठान कार्य के लिए रीचस्टेकर जैसे मूल संचालन उपकरण उपलब्ध नहीं थे। यद्यपि आईसीडी प्रतिवर्ष 9000 टीईयूज[1] का प्रबंधन करने के लिए प्रस्तावित थी तथापि 2012-17 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान केवल 9159 टीईयू को प्रबंधित किया गया था। केवल 25 निर्यातको ने लेखापरीक्षा के समय तक आईसीडी सुविधाओं का लाभ उठाया था।

आईसीडी वरना गोवा में, लेखापरीक्षा ने देखा कि एचसीसीएआर 2009 के तहत न्यूनतम अवसरंचना आवश्यकताओं को न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकता के उल्लंघन सहित पूरा नहीं किया गया था। आईसीडी के तहत अधिसूचित क्षेत्र 1.2 हेक्टेयर था जो आईसीडी के लिए 4 हेक्टेयर की न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकता से बहुत कम था।

(पैरा 4.1)

खतरनाक वस्तुओं के संग्रहण के लिए निर्दिष्ट सीमांकित क्षेत्र तथा स्थान की अनुपलब्धता

एचसीसीएआर 2009 यह अनुबंधित करता है कि आयातित तथा निर्यातित माल की उत्तराई तथा संग्रहण के लिए अलग क्षेत्र का सीमांकन करना तथा माल के धूम्रीकरण के लिए पृथक स्थान उपलब्ध कराना अभिरक्षक की जिम्मेदारी है। खतरनाक माल के प्रहस्तन तथा संग्रहण के संदर्भ में सरंक्षक द्वारा खतरनाक मलबा (प्रबंधन, प्रहस्तन, ट्रांस बाउंड्री) नियमावली 2008 तथा अन्य संबंधित सरकारी प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने इन प्रावधानों के उल्लंघन के कई मामले देखे जहां आईसीडी/ सीएफएस ने न तो एचसीसीएआर 2009 के अनुसार सीमांकित क्षेत्र प्रदान किए थे न ही खतरनाक माल के प्रबंधन के लिए पृथक क्षेत्र उपलब्ध कराया था।

(पैरा 4.2, 4.3)

[1]बीस फुट के समान यूनिट (टीईयू) कार्गो क्षमता को निर्दिष्ट करती है।

ईडीआई कनेक्टिविटी में व्यवधान

भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) 1.5 विभाग के साथ-साथ आयातको/ निर्यातकों दोनों द्वारा प्रयुक्त सीमाशुल्क कार्य प्रवाह के स्वचलीकरण के लिए सीमाशुल्क का एकीकृत सॉफ्टवेयर है। ईडीआई कनेक्टिविटी आयात तथा निर्यात की शीघ्र निकासी की सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थानीय कनेक्टिविटी अवरोधके लिए कोई लॉग बुक अनुरक्षित नहीं की गई थी तथा कई आईसीडी में बार-बार नेटवर्क कीखराबी थी। महानिदेशक (प्रणाली) ने ईडीआई डाउनटाइम के विस्तार पर सूचना सांझा नहीं की।

(पैरा 4.4)

अध्याय 5 - आईसीडी और सीएफएस के परिचालन के लिए नियामक संरचना

निर्यात तथा आयात कार्गो के आवागमन की उचित मॉनीटरिंग का अभाव

सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में निर्यात ट्रांसशिपमेंट मॉड्यूल (ईटीएम) सीमाशुल्क तथा पोर्ट प्राधिकरणों, आईसीडी तथा शिपमेंट लाइनों के बीच इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के विनिमय के माध्यम से कंटेनर आवागमन की इलेक्ट्रॉनिक मॉनीटरिंग की अनुमति देता है। कंटेनर की ट्रांसशिपमेंट में लगे सभी कैरियर (शिपिंग लाइन/ आईसीडी/ अन्य कैरियर) को आईसीईएस में निर्यात ट्रांसशिपमेंट परमिट के लिए आवेदन के साथ एक बांड/ बैंक गारंटी पंजीकृत करना अनिवार्य है जो निर्यात कार्गो के साथ कंटेनर को आईसीडी से गेटवे पोर्ट तक ट्रांसशिप होने की अनुमति देता है। जैसे ही एक्सपोर्ट जनरल मैनिफैस्ट दर्ज किया जाता है अर्थात कार्गो जाने के लिए तैयार होता है तो बांड जिसे प्रारम्भ में डेबिट किया गया था, स्वत: ही क्रेडिट हो जाता है। मैन्यूअल प्रणाली में, आयातित कार्गो के लिए लैंडिग प्रमाणपत्रों तथा निर्यातित कार्गो के लिए हस्तातंरण प्रतियों के मिलान के माध्यम से मॉनीटरिंग की जाती है। कार्गो की मॉनीटरिंग माल तथा कंटेनरों की चोरी, हेराफेरी से बचने में सहायता करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि नोएडा, कानपुर, बोलपुर, चैन्नै पोर्ट एवं कोलकाता पोर्ट कमिश्नरियों के तहत नमूना जांच किए गए आईसीडी में ईटीएम का संचालन नहीं था। नौ कमिश्नरी जहां मॉनीटरिंग की मैन्यूअल प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा था, में निर्यात के लिए शिपिंग बिलों की हस्तांतरण प्रतियां निर्यात के 90 दिनों के पश्चात भी प्राप्त नहीं हुई थी।

आयात साइड पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांच किए गए आईसीडी तथा सीएफएस में आयात ट्रांसशिपमेंट मॉडयूल (आईटीएम) तकनीकी गड़बड़ के कारण कार्यशील नहीं थे। आईसीईएस के माध्यम से कंटेनरो का उनके वास्तविक गन्तव्य स्थल तक पता लगाना संभव नहीं था।

(पैरा 5.1.1)

अनिकासित कार्गो का लंबन

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए 85 आईसीडी/ सीएफएस से संग्रहित किए गए अनिकासित कंटेनरों पर डाटा में यह देखा गया कि 31 मार्च 2017 तक 1.17 लाख वर्ग मीटर के कुल संग्रहण क्षेत्र पर कंटेनर निपटान हेतु लंबित थे। इनमें से 3397 कंटेनर (57 प्रतिशत) 3 वर्षो से अधिक समय से निपटान हेतु लंबित थे। अनिकासित कार्गो के विश्लेषण से पता चला कि लम्बन प्रमुख रूप से सीमाशुल्क द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्रों को जारी करने में विलम्ब, संयंत्र कोरांटीन तथा प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों जैसी भागीदार एजेंसियों से मंजूरी प्रमाणपत्रों में विलम्ब, कार्गो के निपटान के लिए क्रियान्वयन आदेशों में विलम्ब तथा कंटेनरों के पुन: निर्यात में विलम्ब की वजह से था।

अनिकासित कंटेनरों के बीच लेखापरीक्षा ने खतरनाक अपशिष्ट जैसे मेटल स्कार्प, नगरपालिका अपशिष्ट, पुराने टायर तथा पुरानी युद्ध सामग्री के 469 कंटेनर, खाद्य मद जैसे खराब होने वाले माल के 262 कंटेनर तथा टीक/टीम्बर लॉग के 86 कंटेनर पाए।

(पैरा 5.2)

खतरनाक अपशिष्ट की डम्पिंग

विदेश व्यापार नीति की प्रक्रियाओं की हस्तपुस्तिका 2009-14 मेटल स्कार्प तथा अपशिष्ट के आयात को विनियमित करती है। पुराने तथा खराब रैग, पीईटी बॉटल तथा अपशिष्ट के आयात को आईटीसी के शेड्यूल Iके तहत आयात नीति के अनुसार विनियमित किया जाता है। हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांस बाउंड्री आवागमन) नियमावली 2008 मेटल स्क्रैप और पुराने रबर टायरों के आयात को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति के और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमति प्रमाणपत्र के अंतर्गत विनियमित करता है।

नमूना जांच किऐ गऐ 85 आईसीडी में लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2017 तक हानिकारक अपशिष्ट के 469 कंटेनर एक से सतरह वर्ष की अवधि

तक बिना निपटान के पड़े थें। इनमें राजस्थान में तीन आईसीडी में जीवित बम, युद्ध सामग्री स्क्रैप, मुंबई सीमाशुल्क ज़ोन II के अंतर्गत एक सीएफएस में पुराने टायर, धातु स्क्रैप और हानिकारक रसायन के 92 कंटेनर, आईसीडी तुगलकाबाद में हानिकारक कार्गो के 15 कंटेनर और आईसीडी मुरादाबाद में मिश्रित अपशिष्ट के 50 कंटेनर शामिल थे।

कुछ नमूना मामलों के विस्तृत विश्लेषण से लेखापरीक्षा को पता चला कि हानिकारक अपशिष्ट के आयात के लिए कार्य प्रणाली में बिना आवश्यक दस्तावेजों के कार्गो का आयात, हाई सी सेल्स के माध्यम से म्यूनिसिपल अपशिष्ट का आयात और कार्गो की गलत उद्घघोषणा के द्वारा म्यूनिसिपल अपशिष्ट का आयात शामिल है।

इस तथ्य के अतिरिक्त कि ये आयात निर्धारित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में शिथिलता के कारण संभव हो पाऐ थे, लेखापरीक्षा ने देखा कि हानिकारक अपशिष्ट के साथ कंटेनरों के पुन: आयात के लिए स्पष्ट प्रक्रिया के अभाव के कारण ऐसे कंटेनर बिना निपटान ही पड़े रहे।

(पैरा 5.3)

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत आयातकों को अनुचित लाभ

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत एक आयातक घरेलू निकासी के लिए माल का निर्धारण होने अथवा गोदाम में माल के जमा होने से पहले कुछ परिस्थितियों में आयातित माल का स्वामित्व त्याग सकता है। नमूना जांच किये गए आईसीडी और सीएफएस के मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च, 2017 तक आगम पत्र दर्जकरने के बाद आयातकों द्वारा 838 कंटेनर अपसर्जित कर दिऐ गये। अपसर्जित कार्गो के ऐसे मामलों की संवीक्षा से पता चला कि कुछ आयातक नियमित रूप से कार्गो अपसर्जित कर रहे थे जबकि वे उसी प्रकार की वस्तुओं का आयात कर रहे थे। लेखापरीक्षा को ऐसे कोई रिकॉर्डड कारण नहीं मिले जिसके कारण आयातक उच्च मूल्य की वस्तुओं का ऐच्छिक अपसर्जन करे। आयातित वस्तुओं में पवनचक्की के पुर्जे, स्टील कॉइल, रबर टायर आदि थे।

(पैरा 5.4)

आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा

इस विषय के अतंर्गत दस उप-पैराग्राफों में लेखापरीक्षा ने आईसीडी और सीएफएस के नियामक तंत्र में कमजोर आतंरिक नियंत्रण दर्शाने वाले मुद्दों की रिपोर्ट की है। इन मुद्दे में अभिरक्षकों द्वारा बॉन्ड/ बैक गारंटी तथा बीमा

कार्यान्वयन में कमी, लागत वसूली प्रभार की कमी, कार्गो की चोरी और उठाईगीरी, आगम पत्र और शिपिंग बिलों की मैनुअल फाईलिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थानीय जोखिम प्रबंधन समितियां (एलआरएम), जैसाकि सीबीईसी के 2007 के परिपत्र के अंतर्गत अपेक्षित है, न्यूनतम 12 आईसीडी में जहां से डाटा प्राप्त हुआ था, स्थानीय जोखिम प्रबंधन समितियां स्थापित नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने पश्च अनुपालना लेखापरीक्षा (पीसीए) विंग स्थापित न किया जाना, पीसीए लेखापरीक्षा के लिए चयनित दस्तावेजों की लंबित संवीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव जैसी कमियां देखी।

(पैरा 5.8.1 से 5.8.10)

निष्कर्ष

आईसीडी और सीएफएस स्थापित करने के लिए डीओसी के वर्तमान दिशानिर्देश मंजूरी प्रदान करते समय अनुपालन करने हेतु चरणों की जांच सूची निर्धारित करते है, जो कि प्रक्रियात्मक प्रकृति के है, और कोई नीति दस्तावेजया तंत्र नहीं है जो सिद्धान्त एवं उद्देश्य निर्धारित करें जो प्रस्तावों का मूल्यांकन करने में आईएमसी सदस्यों की सहायता कर सकता है। आईसीडी/ सीएफएस सेक्टर के लिए सर्वोच्च नियामक और मॉनीटरिंग निकाय होने की बजाए, आईएमसी की भूमिका एक बार स्थापित होने के पश्चात आईसीडी और सीएफएस के निष्पादन को मॉनीटर करने के उत्तरदायित्व के बिना ही केवल स्वीकृति प्रदान करने वाले विनियामक तक सीमित है। डीओसी, जो कि एक नोडल मंत्रालय है, में आईसीडी और सीएफएस पर जानकारी और डाटा की कमी होने के कारण संस्वीकरण प्रदान करने से पूर्व आईएमसी द्वारा देश में कंटेनर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए उपलब्ध अवसंरचना सुविधाओं पर समग्र दृष्टि रखने में बाधा उत्पन्न होती है। क्षमता आवश्यकता के वृहत परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने के बजाए मामले से मामले के आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

आईसीडी के ऐसे मामले जो स्थापित किये जा चुके है लेकिन आवश्यक अवसंरचना की कमी के कारण क्रियात्मक नहीं है सृजित क्षमता के अपव्यय को दर्शाता है। ईडीआई कनेक्टिविटी, जो कि निर्यात/ आयात कार्गो के शीघ्र निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, की अनवरत मॉनीटर करने की आवश्यकता है। यद्यपि, लेखापरीक्षा को नमूना जांच की गई किसी आईसीडी और सीएफएस में ईडीआई डाउनटाईम पर अनुरक्षित डाटा देखने को नहीं

मिला जो कि ईडीआई के कार्यचालन की मॉनीटरिंग की प्रभावकारिता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

अनिकासित कार्गो कंटेनरों के विश्लेषण से ऐसे अनेक मुद्दों का पता चला जो कंटेनरीकृत कार्गों के प्रबंधन को रूग्ण कर रहे थे। कंटेनरों के निपटान में आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में विलंब समस्या का एक छोर है जबकि, हानिकारक अपशिष्ट सामग्री के साथ डंप किए जा रहे कंटेनरों के अनेक उदाहरणों के कारण समस्या कई गुणा बढ़ गई है। विनियमों में कमी के कारण डंप किए गऐ अपशिष्ट से निपटने में सरकार की प्रतिक्रिया बहुत अवरोध उत्पन्न कर रही है जैसे सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 23(2) के अंतर्गत कंटेनरों के अपसर्जन का प्रावधान जो कि कुछ आयातकों द्वारा नियमित रूप से प्रयोग किया जाता रहा है और डंप किऐ जा चुके निगम अपशिष्ट के निपटान हेतु वर्तमान विनियमों में स्पष्टता की कमी। नियामक तंत्र के उल्लंघन के अन्य मामलों के बीच कई आईसीडी और सीएफएस केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना हानिकारक कार्गों का प्रबंधन करते पाये गये थे।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र अनुपस्थित था क्योंकि बांड्स, बैंक गारंटियों और बीमा में गिरावट की घटनायें देखी गई। ईडीआई प्रणाली के बावजूद, आगम बिलों और शिपिंग बिलों की दस्ती फाइलिंग प्रचलित थी। पश्च अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यों और आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी से लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आईसीडी और सीएफएस की सम्पूर्ण अनुपालन व्यवस्था कमजोर थी।

सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा निष्कर्षों और परिणामों को देखते हुए लेखापरीक्षा सिफारिश करती है:

1. *यह सिफारिश की जाती है कि सरकार एक मजबूत ढॉचा प्रदान करने के लिए एक नीति स्तरीय दस्तावेज बनाए जो अनुमोदन प्रक्रिया के साथ-साथ निगरानी एवं विनियामक तंत्र को भी व्यापक तरीके से परिभाषित करे। ऐसा तंत्र केवल सीमाशुल्क नियमों पर आधारित नहीं हो सकता क्योंकि यह मूल रूप से सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए तथा वस्तुओं के सीमापार आवागमन से संबंधित विधि है और जो सूखे पत्तन क्षेत्र की निगरानी और विनियमन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।*

2. *डीओसी द्वारा आईसीडी और सीएफएस पर एक वेबसाइट बनाई जाए जहां सभी हितधारकों द्वारा आईसीडी और सीएफएस के प्रचालनों पर तात्कालिक सूचना और अद्यतित डाटाबेस तक अभिगम संभव हो।*

3. *सीबीईसी सीसीएसपीज द्वारा एचसीसीएआर की शर्तों के उल्लंघन के लिए इसके अन्तर्गत दंड संबंधी खण्ड लाने पर विचार करे।*

4. *सीबीईसी सभी ईडीआई स्थलों पर एक डाउनटाइम डाटाबेस प्रणाली बनाने और सीसीएसपीज के निष्पादन मापक के रूप में इस सूचना को सार्वजनिक रूप से साझा करने के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर विचार करे।*

5. *सीबीईसी, आईसीईएस में उतराई प्रमाण पत्र सूचना डालकर बांड को स्वचालित रूप से पुन: क्रेडिट करने के लिए आईसीईएस में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर सकती है। बोर्ड अभिरक्षक रिपोर्टों पर निर्भर रहने की बजाए गैर निकासी वाले कार्गो/ कंटेनर्स की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र बनाने पर भी विचार कर सकता है।*

6. *सीमापार व्यापार के माध्यम से भारत में खतरनाक अपशिष्ट की बडे पैमाने पर डंपिंग को रोकने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण चूककर्ता आयातकों और शिपिंग लाइनों के विरूद्ध उपयुक्त विधिक कार्रवाई के लिए सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत शास्तियां लगाने के अलावा खतरनाक सामग्री (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमापार आवागमन) नियमावली 2008 अथवा किसी अन्य भारतीय कानून का सहारा ले सकते है। सीबीईसी इस संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को तत्संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।*

7. *सीबीईसी प्रक्रियाओं में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए पर्यावरण एवं जहाजरानी जैसे अन्य तत्संबंधी मंत्रालयों के साथ सलाह करके खतरनाक अपशिष्ट के पुनर्निर्यात के लिए प्रक्रियायें बनाये।*

8. *नियमित रूप से जानबूझ कर कार्गो छोड़ने के लिए धारा 23 के प्रावधानों का अनुचित लाभ लेने वाले आयातकों के जोखिम से निपटने के लिए बोर्ड प्रावधान की समीक्षा करे, ताकि कार्गो छोड़ना केवल दुर्लभतम मामले मे ही अनुमत किया जाए।*

अध्याय 1

भारत में आईसीडी और सीएफएस: एक विहंगावलोकन

अन्तरदेशीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी) और कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) को ड्राई पोर्ट भी कहा जाता है चूंकि वे इन स्थानों पर माल के आयात एवं निर्यात से संबंधित सभी सीमाशुल्क औपचारिकताएं संभालते है। एक मल्टीमॉडल यातायात लोजिस्टिक्स प्रणाली में, आईसीडी और सीएफएस लाजिस्टिक श्रृंखला में हब के तौर पर कार्य करते है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक अन्तरदेशीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी) /कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) को स्थाई प्रतिष्ठापन के साथ सार्वजनिक प्राधिकरण की स्थिति वाली सामान्य उपभोक्ता सुविधा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सीमा शुल्क तथा माल को घरेलू उपयोग, भण्डारण, अस्थाई प्रवेश, पुन: निर्यात, अग्रेषण एवं एकमुश्त निर्यात के लिए अस्थाई भण्डारण हेतू निकासी के लिए सक्षम अन्य एजेन्सियों के साथ सीमाशुल्क के नियंत्रण के अन्तर्गत लाए गए लदे हुए एवं खाली आयात/निर्यात कंटेनरों के प्रबंधन एवं अस्थाई भण्डारण के लिए सेवाएं प्रस्तुत करते हैं। ऐसे स्टेशनों से कार्गों का वाहनान्तरण भी हो सकता है।

1.1 आईसीडी और सीएफएस के बीच अंतर

आईसीडी और सीएफएस थोक में माल वाले कार्गों के कन्टेनरीकरण एवं इसके विपरीत के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। अधिकतर आईसीडी संबंधित गेटवे पोर्ट से रेल द्वारा जुड़े होते है, और यह आईसीडी और सीएफएस के बीच एक मुख्य अंतर है। सीएफएस विशिष्ट रूप से पोर्ट के निकटवर्ती या बहुत समीप होते है और अक्सर रेल कनेक्टिविटी नहीं होती है।

एक आईसीडी सामान्य तौर पर गेटवे पोर्ट से दूर देश के आंतरिक भागों (पोर्ट टाउन के बाहर) में स्थित होता है। दूसरी ओर, सीएफएस सर्विसिंग पोर्ट के पास स्थित एक ऑफ डॉक सुविधा है जो कि कार्गो और सीमाशुल्क से संबधित गतिविधियों को पत्तन क्षेत्र के बाहर करके भीड़ कम करने में सहायता करता है। सीएफएस से मुख्य तौर पर एक पत्तन के निकटवर्ती भीतरी प्रदेश में

प्रारंभ/ समाप्त होने वाले थोक कार्गो को सम्भालने की अपेक्षा की जाती है और आंतरिक स्थानों से रेल जनित यातायात की भी व्यवस्था कर सकता है।

1.2 आईसीडी और सीएफएस के कार्य

आईसीडी या सीएफएस के मुख्य कार्यों का निम्न रूप से सार प्रस्तुत किया गया है:

क कार्गो की प्राप्ति और प्रेषण/ वितरण।

ख कन्टेनरों की स्टफिंग एवं स्ट्रिपिंग।

ग सर्विंग पोर्ट से तथा उन तक रेल/ रोड द्वारा पारगमन परिचालन

घ सीमाशुल्क निकासी।

ङ एलसीएल कार्गो का समेकन और पृथक्करण।

च कार्गो और कन्टेनरों का अस्थायी भण्डारण।

छ कन्टेनर इकाइयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत।

आईसीडी और सीएफएस का एक विहंगावलोकन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

1.3 अन्तरदेशीय कन्टेनर डिपो

1.3.1 आईसीडी का भौगोलिक वितरण और संव्यवहारों की मात्रा

वाणिज्यिक विभाग (डीओसी) द्वारा अनुरक्षित डाटा के अनुसार मार्च 2017 तक **(परिशिष्ट I)** देश में 129 आईसीडी थे। सीबीईसी (अब सीबीआईसी) द्वारा प्रदान किए गए डाटा के अनुसार देश में 80 सक्रिय आईसीडी थे। 1992 में आईसीडी के संस्थापन के लिए डीओसी को नोडल एजेंसी बनाए जाने से पूर्व स्थापित आईसीडी इसमें शामिल है।

सक्रिय आईसीडी पर सीबीईसी डाटा के अनुसार, राज्यवार वितरण दर्शाता है कि महाराष्ट्र क्षेत्र में आईसीडी की अधिकतम संख्या (13) है, उसके बाद उत्तर प्रदेश (11), तमिलनाडु (10), हरियाणा (9) और गुजरात (8) हैं। दिल्ली में भारत का सबसे बडा आईसीडी है, जिसका नाम आईसीडी तुगलकाबाद है। उत्तरी राज्य जम्मू व कश्मीर में कोई आईसीडी नहीं है और अमीनगांव, असम में केवल एक आईसीडी है जो कि संपूर्ण उत्तर पूर्व की आवश्यकताऐं पूरी करता है।

संव्यवहारों की मात्रा के संदर्भ में, (आयात के आगम पत्र और निर्यात के लिए शिपिंग बिल) आईसीडी द्वारा व्यापार की सबसे अधिक मात्रा दिल्ली

(22 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (16 प्रतिशत), तमिलनाडु (14 प्रतिशत), कर्नाटक (10 प्रतिशत), गुजरात (8.5 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (7 प्रतिशत) में थी। इन छह राज्यों ने मिलकर भारत के कुल आईसीडी संव्यवहार की मात्रा का 78 प्रतिशत कारोबार किया।

चित्र 1: आईसीडी का भौगोलिक वितरण एवं संव्यवहारों की मात्रा

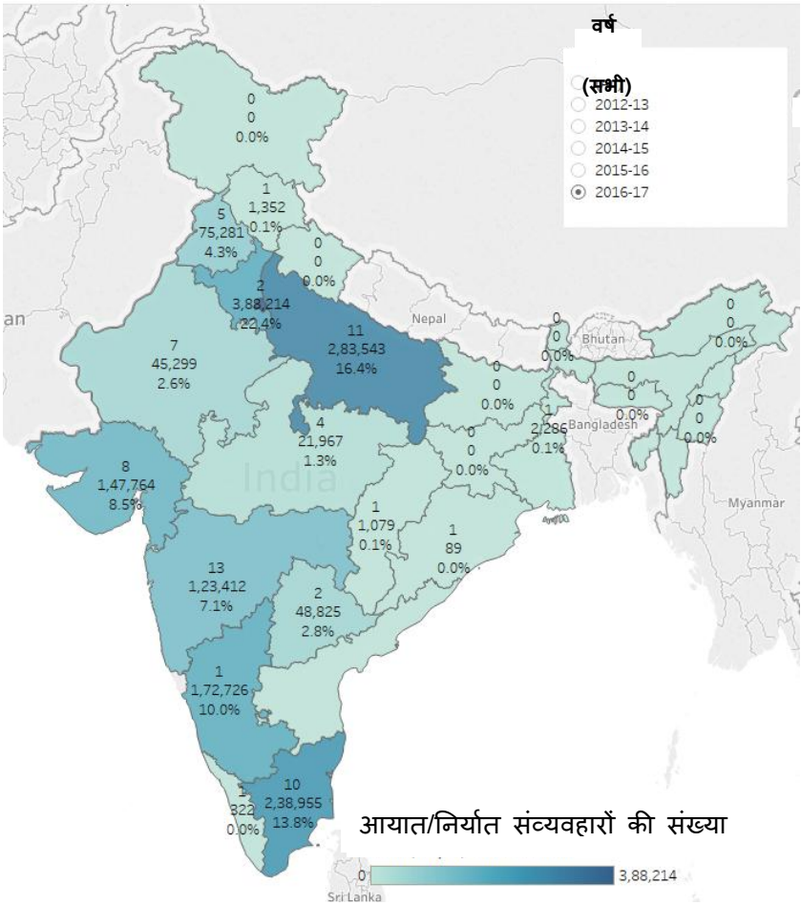

स्रोत: 80 कार्यशील आईसीडी के लिए डीजी (सिस्टम), सीबीईसी से प्राप्त 2012-13 से 2016-17 तक का आईसीडी संव्यवहार डाटा

1.3.2 आईसीडी के माध्यम से प्रबंधित आयात और निर्यात के मूल्य

2016-17 में देश में 80 सक्रिय आईसीडी जिन्होंनेरू 4,27,404 करोड़ का आयात और निर्यात प्रबंधित किया था, में से दस आईसीडी ऐसे थे जिनसे कुल व्यापार मूल्य का 61.2 प्रतिशत व्यापार किया था। इन दस में पांच आईसीडी ऐसे थे जहां से ₹ 1,94,485 करोड़ (45.5 प्रतिशत) का निर्यात तथा आयात किया गया था। ये आईसीडी तुगलकाबाद, दिल्ली (19.8 प्रतिशत), आईसीडी व्हाइटफील्ड, बैंगलुरू (7.4 प्रतिशत), आईसीडी साबरमती (7 प्रतिशत), आईसीडी तूतीकोरीन (5.8 प्रतिशत) और आईसीडी गढ़ी हरसरू, गुड़गांव (5.6 प्रतिशत) थे।

चित्र 2: आयात और निर्यात 2016-17 के मूल्य के अनुसार शीर्ष 10 आईसीडी

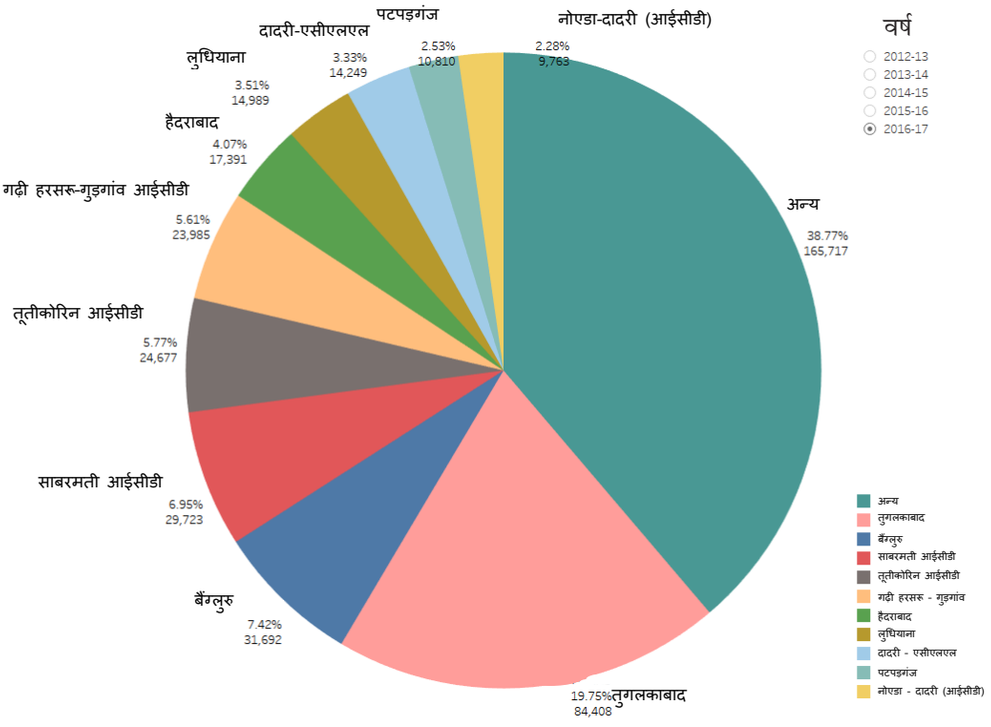

स्रोत: 80 कार्यशील आईसीडी के लिए डीजी (सिस्टम), सीबीईसी से प्राप्त 2012-13 से 2016-17 तक का आईसीडी संव्यवहार डाटा

(अधिकतम मूल्य का व्यापार प्रबंधित करने वाले शीर्ष दस आईसीडी की वर्षवार स्थिति को एक वर्ष विशेष का चयन करके इंटरैक्टिव ग्राफ में देखा जा सकता है)

1.3.3 आईसीडी के माध्यम से आयात तथा निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति

पूर्ण रूपये के संदर्भ में, आईसीडी के माध्यम से वर्ष दर वर्ष आयात का मूल्य वि.व. 2013 में ₹ 117,455 करोड़ से वि.व. 2017 में ₹ 162,469 करोड़ तक बढ़ा। वृद्धि प्रवृत्ति ने दर्शाया कि आयात में वि.व. 2014 तथा वि.व. 2015 में लगभग 16 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई परन्तु वि.व. 2016 से कमी होना प्रारम्भ हो गया। वि.व. 2016 के दौरान वार्षिक वृद्धि दर महज 0.6 प्रतिशत थी तथा वि.व. 2017 के दौरान मामूली रूप से 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आईसीडी के माध्यम से निर्यात मूल्य वि.व. 2013 में ₹ 190,249 करोड़ से वि.व. 2017 में ₹ 264,935 करोड़ तक बढ़ा। वार्षिक वृद्धि दर वि.व. 2014 के दौरान 27.5 प्रतिशत थी परन्तु वि.व. 2015 के दौरान 8.2 प्रतिशत तक कम हुई, जो वि.व 2016 में और 31 प्रतिशत तक कम हुई जिसके बाद वि.व 2017 में 4.2 प्रतिशत की हल्की सी वृद्धि के साथ प्रवृति में बदलाव आया। नीचे दिया गया ग्राफ आईसीडी के माध्यम से आयातो तथा निर्यातो में वृद्धि की अखिल भारतीय प्रवृति को दर्शाता है।

चित्र 3: आईसीडी के माध्यम से आयात एवं निर्यात के मूल्य में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

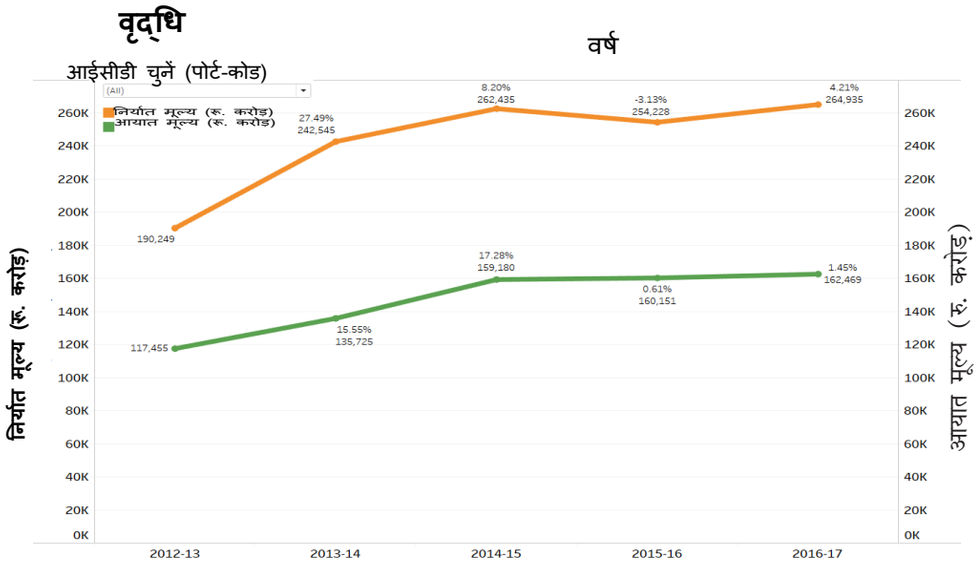

स्रोत: डीजी (सिस्टम), सीबीईसी से प्राप्त 80 कार्यशील आईसीडी का 2012-13 से 2016-17 तक का आईसीडी सव्यंवहार डाटा

(व्यक्तिगत आईसीडी के माध्यम से आयातों तथा निर्यातों के मूल्य में वृद्धि की वर्ष-दर-वर्ष प्रवृत्ति को एक विशिष्ट आईसीडी पोर्ट कोड का चयन करके इंटरैक्टिव ग्राफ में देखा जा सकता है)

1.3.4 आईसीडी द्वारा प्रबंधित किए गए ट्रैफिक की मात्रा (टीईयू में) में वृद्धि की प्रवृत्ति

लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 38[2] कार्यात्मक आईसीडी में से 37 **(परिशिष्ट 1ए)** का टीईयू में वार्षिक रूप से प्रबंधित कार्गो की मात्रा का डाटा उपलब्ध था जिससे यह देखा जा सकता है कि इन 37 आईसीडी द्वारा प्रबंधित टीईयू में वि.व. 2013 में 13.41 लाख से वि.व. 2017 में 15.96 लाख, चार वर्षीय अवधि में 17.5 प्रतिशत तक की वृद्धि की।

यह देखा गया है कि आईसीडी द्वारा प्रबंधित कंटेनरीकृत ट्रैफिक की मात्रा ने वि.व. 2015 तक वृद्धि प्रवृत्ति दर्शाई जिसके बाद वि.व. 2016 में 2.2 प्रतिशत की कमी हुई थी। टीईयू मात्राओं में कमी प्रमुख रूप से 2014-15 से 2015-16 के बीच प्रबंधित निर्यात टीईयू में कमी के कारण थी। वि.व. 2017 में वृद्धि पुन: 4.2 प्रतिशत तक बढ़ी।

चित्र 4: 37 लेखापरीक्षित आईसीडी में व्यापार की मात्रा (टीईयू में) में वर्ष दर वर्ष वृद्धि

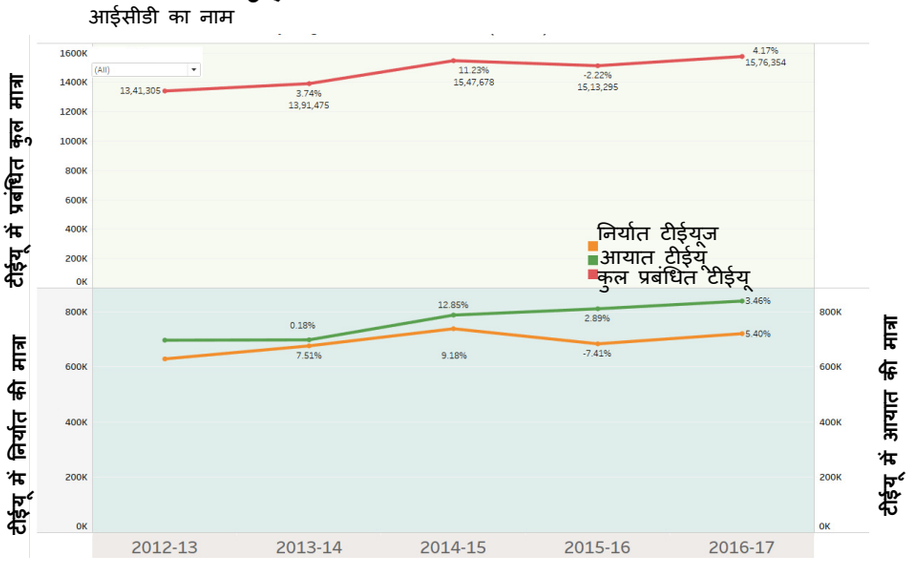

स्रोत: लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 38 कार्यशील आईसीडी में से 37 से उपलब्ध डाटा

[2]लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 44 आईसीडी के कुल नमूने में से लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 38 आईसीडी कार्यशील थे तथा शेष 6 बन्द/अकार्यशील थे।

(व्यक्तिगत आईसीडी के माध्यम से टीईयू में यातायात की मात्रा में वृद्धि की वर्ष-दर-वर्ष प्रवृत्ति को एक विशिष्ट आईसीडी नाम का चयन करके इंटरैक्टिव ग्राफ में देखा जा सकता है)

1.3.5 आईसीडी के माध्यम से आयात तथा निर्यात का उपयोगी-वस्तु प्रोफाइल

2012-2017 तक की समयावधि में आयात तथा निर्यात के संव्यवहार डाटा का विश्लेषण आईसीडी के माध्यम से किए गए आयात तथा निर्यात का उपयोगी-वस्तु प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए किया गया था। उपयोगी वस्तु प्रोफाइल भारतीय व्यापार वर्गीकरण: हार्मोनाइज्ड सिस्टम (आईटीसी-एचएस) के इक्कीस सेक्शनों तथा कस्टम टैरिफ शेड्यूल के समान सेक्शनों में वर्णित उत्पाद श्रेणियों पर आधारित है।

1.3.5 (i) आयात की वस्तु प्रोफाइल

वि.व. 2013 से वि.व. 2017 तक मुख्य उत्पाद श्रेणियाँ (i) मकैनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरण और उनके पुर्जे (26.4 प्रतिशत) (ii) बेस मेटल जैसे लोहा, कॉपर, निकेल आदि और उनके उत्पाद (21.3 प्रतिशत) (iii) प्लास्टिक, रबड़ और उसके उत्पाद (13.67 प्रतिशत) (iv) रसायन, उर्वरक, दवाईयाँ, साबुन, प्रसाधन सामग्री इत्यादि (7.7 प्रतिशत) (v) वस्त्र और वस्त्र उत्पाद (5.6 प्रतिशत) आदि को आईसीडी के माध्यम से आयात (मूल्य के अनुसार) किया गया था। आयातों का वस्तु प्रोफाइल वि.वर्ष 2015 और 2016 के अतिरिक्त 2013-2017 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान अधिकांश वैसा ही बना रहा, जब उत्पाद श्रेणी ''रत्न और आभूषण, मंहगी धातुएं, सिक्के, मोती आदि'' का भारी आयात देखा गया और यह इन दो वर्षों में आयातित सर्वोच्च पाँच उत्पाद श्रेणियों मे से एक था।

चित्र 5:आसीडी के माध्यम से उपयोगी वस्तु प्रोफाइल

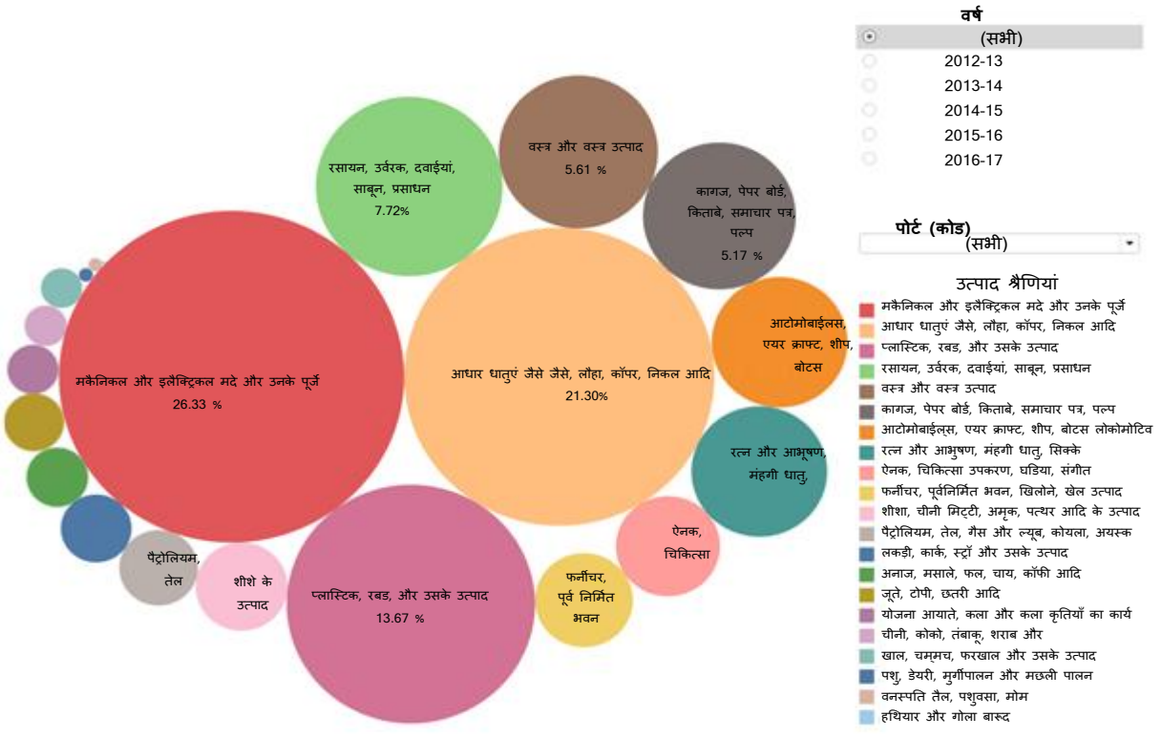

स्रोत: डीजी (सिस्टम), सीबीईसी से प्राप्त 80 कार्यशील आईसीडी के लिए 2012-13 से 2016-17 तक आईसीडी संव्यवहार डाटा प्राप्त किया गया।

(विशेष आईसीडी पोर्ट कोड और वर्ष का चयन करके व्यक्तिगत आईसीडी के माध्यम से आयातों के वर्ष-वार उपयोगी वस्तु प्रोफाइल को इंटरैक्टिव ग्राफ में देखा जा सकता है)

1.3.5 (ii) निर्यात की वस्तु प्रोफाइल

वि.व. 2013 से वि.व. 2017 के दौरान आईसीडी से निर्यातित मुख्य उत्पाद श्रेणियाँ) (मूल्य अनुसार) (i) वस्त्र और वस्त्र उत्पाद (24 प्रतिशत), (ii) रसायन, उरर्वक, दवाईयां, साबुन, प्रसाधन सामग्री आदि (12.5 प्रतिशत) (iii) मकैनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरण और उनके पुर्जे (12.3 प्रतिशत), (iv) बेस मेटल जैसे लोहा, कॉपर, निकल, आदि और उसके उत्पाद (12.1 प्रतिशत) (v) अनाज, मसाले, फल, चाय, काफी आदि (10.1 प्रतिशत) (vi) आटोमोबाईल्स, एयरक्राफ्ट, जलयान, बोट, लोकोमोटिव आदि (7 प्रतिशत) को आईसीडी के माध्यम से निर्यात (मूल्य-वार) किया गया था। 2012-17 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान वस्त्र और वस्त्र उत्पाद श्रेणी का सबसे अधिक

निर्यात किया गया। इस उत्पाद श्रेणी का निर्यात मूल्य वि.वर्ष 2013 में ₹ 37,601 करोड़ से वि.वर्ष 2017 में ₹ 77,691 करोड़ हो गया जो दुगुने से भी अधिक था जिससे आईसीडी के माध्मय से कुल निर्यात के उनके भाग में 19.7 प्रतिशत से 29.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ, उत्पाद श्रेणी, 'अनाज, मसाले, फल, चाय, काफी आदि' वि.वर्ष 2013 और वि.वर्ष 2014 में दूसरी सबसे बड़ी उत्पाद श्रेणी थी जो वि.वर्ष 2015 में पांचवी सबसे बड़ी उत्पाद श्रेणी बन गई और आगे 2016 और 2017 में छठे स्थान पर आ गई। इस उत्पाद श्रेणी की निर्यात कीमत इस पांच वर्ष अवधि के दौरान ₹ 31,252 करोड़ से ₹ 16,620 तक कम हो गई।

चित्र 6: आईसीडी के माध्मय से निर्यातों की उपयोगी वस्तु प्रोफाईल

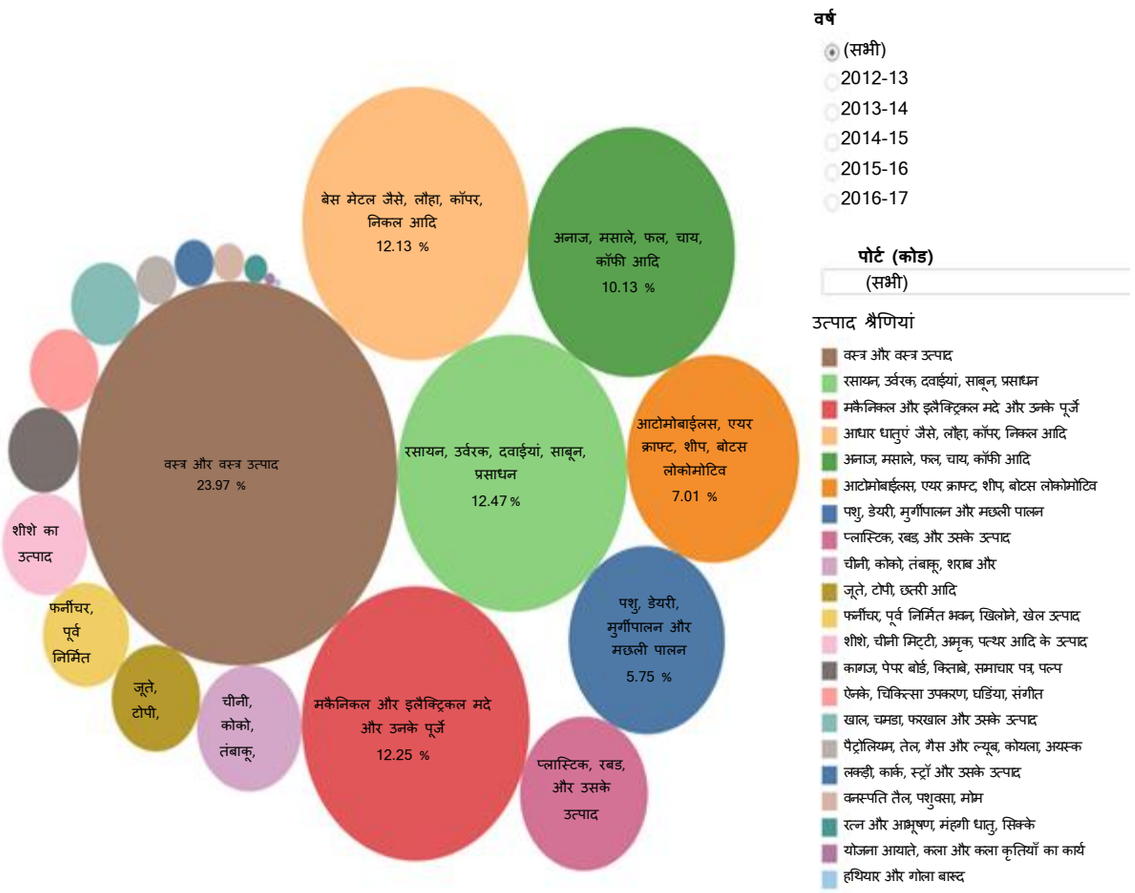

स्रोत: डीजी (सिस्टम) से प्राप्त 80 कार्यशील आईसीडी के लिए 2012-13 से 2016-17 तक आईसीडी संव्यवहार डाटा

(पृथक आईसीडीज के माध्यम से निर्यातों का वर्ष-वार वस्तु प्रोफाईल विशेष आईसीडी पोर्ट कोड तथा वर्ष के चयन द्वारा इंटरएक्टिव ग्राफ में देखा जा सकता है)

1.3.6 आईसीडी के माध्यम से हुए आयातों का मूल देश

जैसा कि चित्र 7 में देखा गया, 2016-17 में, आईसीडी के माध्यम से भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत चीन रहा (34 प्रतिशत), जिसके बाद जापान (8.6 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (5.7 प्रतिशत), यूएसए और थाईलैंड़ (दोनों 5.1 प्रतिशत) और यह प्रवृति पिछले 5 वर्षो से वैसी ही रही है।

चित्र 7: भारत द्वारा किए गए आयातों के मूल देश

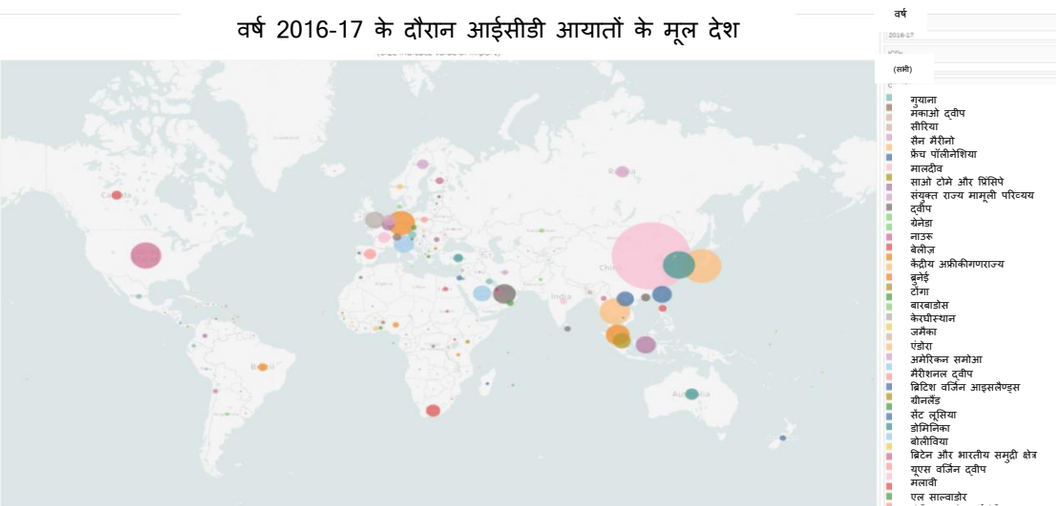

स्रोत: डीजी (सिस्टम) से प्राप्त 80 कार्यशील आईसीडी के लिए 2012-13 से 2016-17 तक आईसीडी संव्यवहार डाटा

(पृथक आईसीडीज के माध्यम से निर्यातों का वर्ष-वार वस्तु प्रोफाईल विशेष आईसीडी पोर्ट कोड तथा वर्ष के चयन द्वारा इंटरएक्टिव ग्राफ में देखा जा सकता है। बुलबुलों का आकार आयातों का मूल्य दर्शाता है।)

चित्र 8 में आईसीडी के माध्यम से आयातित विभिन्न उत्पाद श्रैणियों का देश-वार प्रोफाईल दर्शाया गया है। यह देखा गया कि वर्ष 2016-17 में, चीन सभी मैकेनिकल तथा इलैक्ट्रिकल माल, मूल धातु, रसायन तथा उर्वरक, टेक्सटाईल उत्पाद, प्लास्टिक और रबड़ उत्पाद के आयात का सबसे बडा स्रोत था। यूएसए कागज तथा कागज उत्पाद का सबसे बड़ा स्रोत था और जापान आटोमोबाईल तथा उसके पुर्जो के आयात का सबसे बड़ा स्रोत था।

चित्र 8: आईसीडी से आयातित विभिन्न उत्पादों के मूल देश

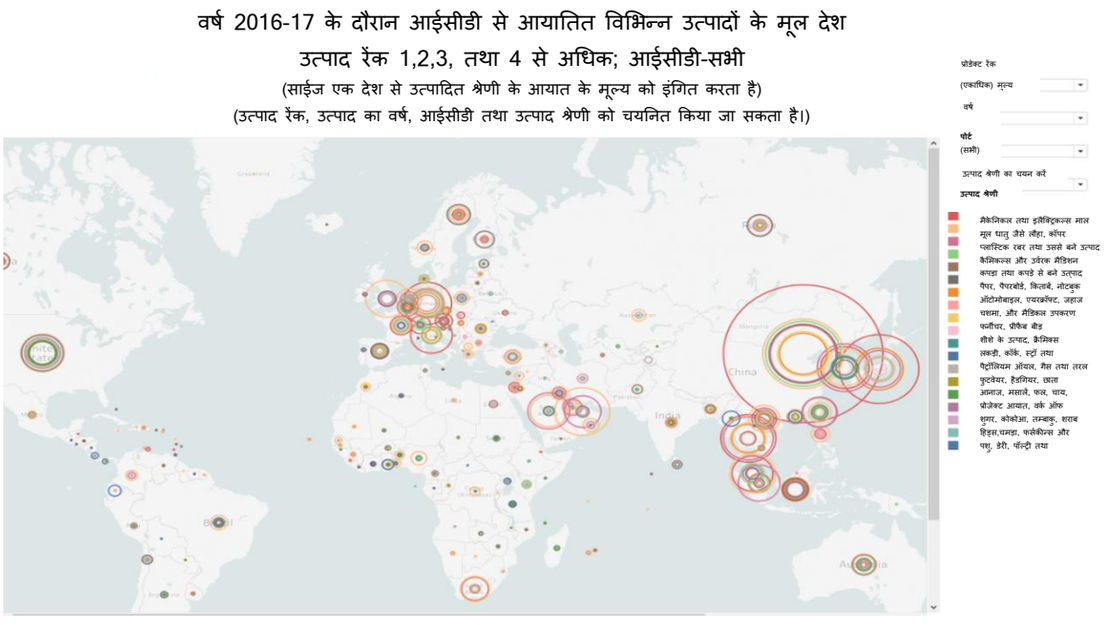

स्रोत: डीजी (सिस्टम) से प्राप्त 80 कार्यशील आईसीडी के लिए 2012-13 से 2016-17 तक आईसीडी संव्यवहार डाटा

(विभिन्न आईसीडी से आयात के मूल देश की वर्षवार प्रवृति को नीचे दिए गए इन्टरेक्टिव ग्राफ में देखा जा सकता है। बुलबुले का आकार आयात के मूल्य को इंगित करता है।)

1.3.7 आईसीडी से निर्यातों का गंतव्य

जैसा कि चित्र 9 में देखा गया 2016-17 में, आईसीडी से भारत से निर्यात के लिए मुख्य गंतव्य देश यूएसए (17.6 प्रतिशत), यूएई (10.8 प्रतिशत), यूके (5.6 प्रतिशत), कोलम्बियां (4.6 प्रतिशत) तथा जर्मनी (4 प्रतिशत) थे।

चित्र 9: भारत से आईसीडी निर्यात के गंतव्य देश

वर्ष 2016-17 के दौरान आईसीडी निर्यात के लिए गंतव्य देश
आईसीडी: सभी (स्केल का आकार निर्यात मूल्य को इंगित करता है)

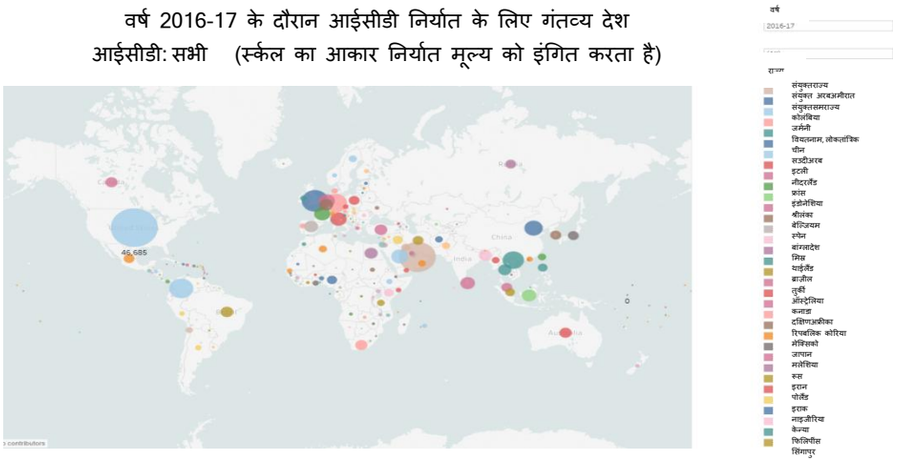

स्रोत: डीजी (सिस्टम) से प्राप्त 80 कार्यशील आईसीडी के लिए 2012-13 से 2016-17 तक आईसीडी संव्यवहार डाटा

(विभिन्न आईसीडी से वर्ष वार निर्यात को विशिष्ट वर्ष एवं आईसीडी पोर्ट कोड का चयन करते हुए इन्ट्रैक्टिव ग्राफ में देखा जा सकता है।)

इसके अलावा, चित्र 10 आइसीडी से निर्यातित विभिन्न उत्पाद श्रेणियों का देशवार प्रोफाईल दर्शाती है। यह देखा जाता है कि वर्ष 2016-17 में, यूएसए को मुख्य निर्यात रसायन तथा उर्वरक, मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रिकल माल, बेस मेटल, ऑटोमोबाइल तथा अनाज, मसालें, फल, चाय कॉफी आदि का था जबकि यूएई कपड़े तथा कपड़ा उत्पादों के लिए मुख्य निर्यात गंतव्य था।

चित्र 10: विभिन्न उत्पादों के आईसीडी निर्यात के गंतव्य देश

वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न उत्पादों के आईसीडी निर्यातों के लिए गंतव्य देशउत्पाद रेंक- 1,2,3, तथा 4 अधिकृ आईसीडी: सभी

(परिधि का आकार उत्पादों की मात्रा दर्शाता है)
(उत्पाद रेंक निर्यात वर्ष, आईसीडी और उत्पाद श्रेणियों को चयनित किया जा सकता है)

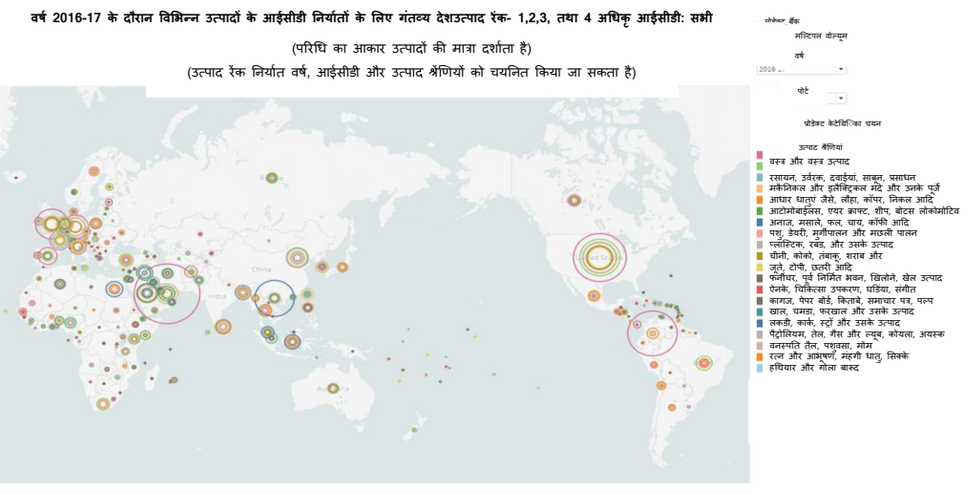

स्रोत:- डीजी (सिस्टम) से प्राप्त 80 कार्याशील आईसीडी के लिए 2012-13 से 2016-17 तक का आईसीडी संव्यवहार डाटा

(विभिन्न आईसीडी के माध्यम से वर्ष-वार निर्यातो को विशेष वर्ष और आईसीडी पोर्ट कोड का चयन करके इंटरैक्टिव ग्राफ में देखा जा सकता है)।

1.4 कंटेनर फ्रेट स्टेशन

वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा रखे गये डाटा के अनुसार, मार्च 2017 **(परिशिष्ट।)** को देश में 168 सीएफएस थे। सीबीइसी ने लेखापरीक्षा के लिए इन सीएफएस का संक्षिप्त डाटा उपलब्ध कराया।

1.4.1 सीएफएस का भौगोलिक वितरण

वर्ष 2016-17 के लिए सीबीईसी डाटा के अनुसार, तमिलनाडु में सीएफएस (50) की अधिकतम संख्या थी जिसके बाद 43 और 24 सीएफएस के साथ क्रमश: महाराष्ट्र और गुजरात थे। सीएफएस पर सीबीईसी के संक्षिप्त डाटा के अनुसार, आयात और निर्यात संव्यवहार (42.6 प्रतिशत) की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र में थीजिसके बाद तमिलनाडु (21.9 प्रतिशत) और दिल्ली (14 प्रतिशत) हैं। तथापि, चूंकि दिल्ली में कोई सीएफएस नहीं है इसलिए प्रतीत होता है कि डाटा वायुयान फ्रेटस्टेशन से संबंधित हो सकता है।

चित्र 11: सीएफएस का भौगोलिक वितरण और उनकी संव्यवहार मात्रा

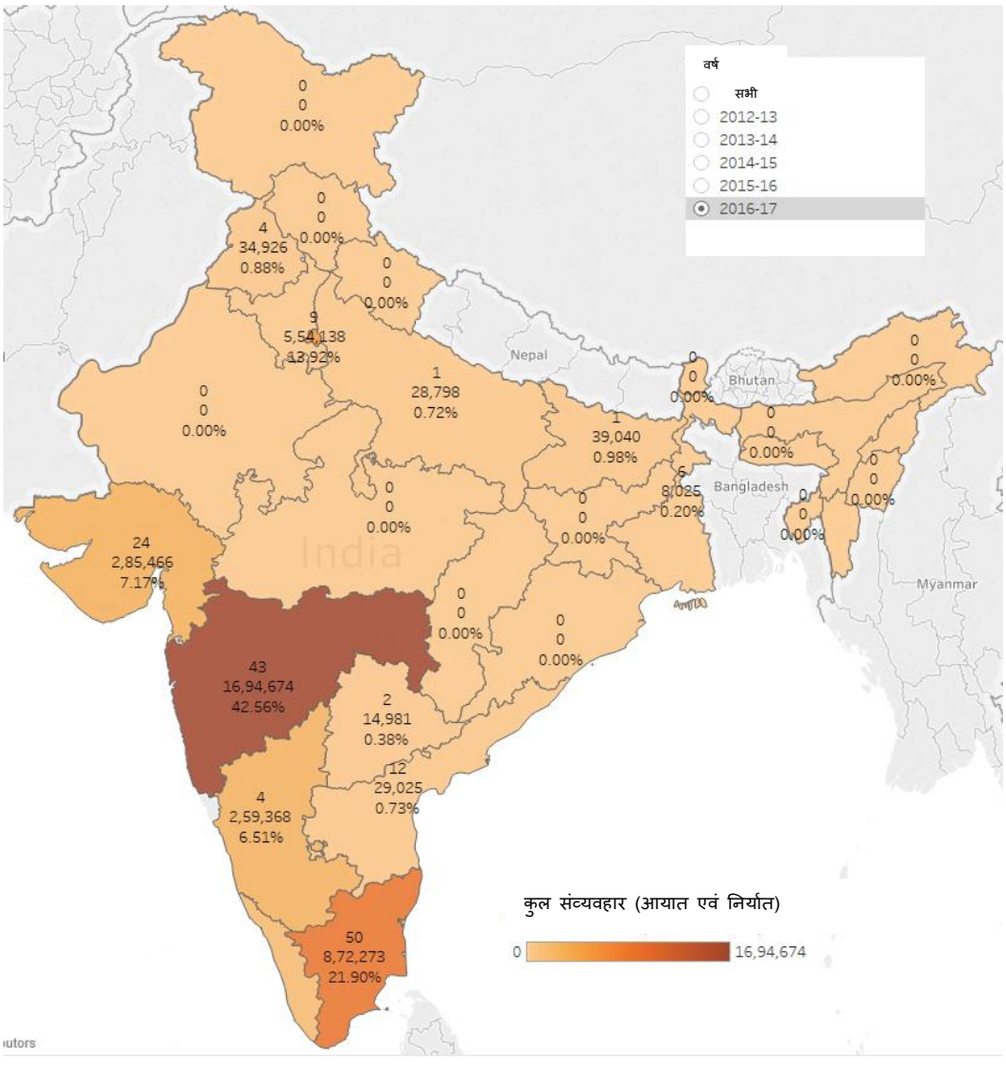

स्रोत: डीजी (सिस्टम) सीबीईसी से प्राप्त 168 सीएफएस के लिए 2012-13 से 2016-17 तक संक्षिप्त संव्यवहार डाटा

1.4.2 मुख्य पोर्टों की तुलना में सीएफएस द्वारा आयात और निर्यात का मूल्य

सीएफएस मुख्य पोर्टों की ऑफ-डॉक सुविधा के रूप में कार्य करते हैं और उनका कार्य कार्गो और सीमाशुल्क संबंधित गतिविधियों को पत्तन क्षेत्र के बाहर कर मुख्य पत्तन की भीड़ कम करना है। सीएफएस से मुख्य पत्तन के समीपवर्ती समुद्र तट में प्रारंभ/समाप्त होने वाले थोक कार्गों को सम्भालने की अपेक्षा की जाती है तथा ये आन्तरिक स्थानों से आने जाने वाले रेल जनित यातायात को भी सम्भाल सकते हैं।

मुख्य पोर्टों की तुलना में सीएफएस द्वारा किए गए आयात का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि मुख्य पोर्टों के माध्यम से किए गए आयात सम्बन्धित सीएफएस में किए गए आयातों से कहीं अधिक है। दूसरी तरफ सीएफएस के माध्यम से किये गए निर्यातों का मूल्य मुख्य पोर्टों के माध्यम से किए गये निर्यात की तुलना में काफी अधिक है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि निर्यात की जाने वाली कन्साइनमैंटों को संभालने के लिए सीएफएस पसंदीदा गतंव्य है जबकि सीएफएस द्वारा किए गए आयात की तुलना में मुख्य पत्तनों के माध्यम से आयातों का बढ़ाना जारी है।

चित्र 12: मुख्य पोर्ट की तुलना में सीएफएस द्वारा आयात और निर्यात का मूल्य

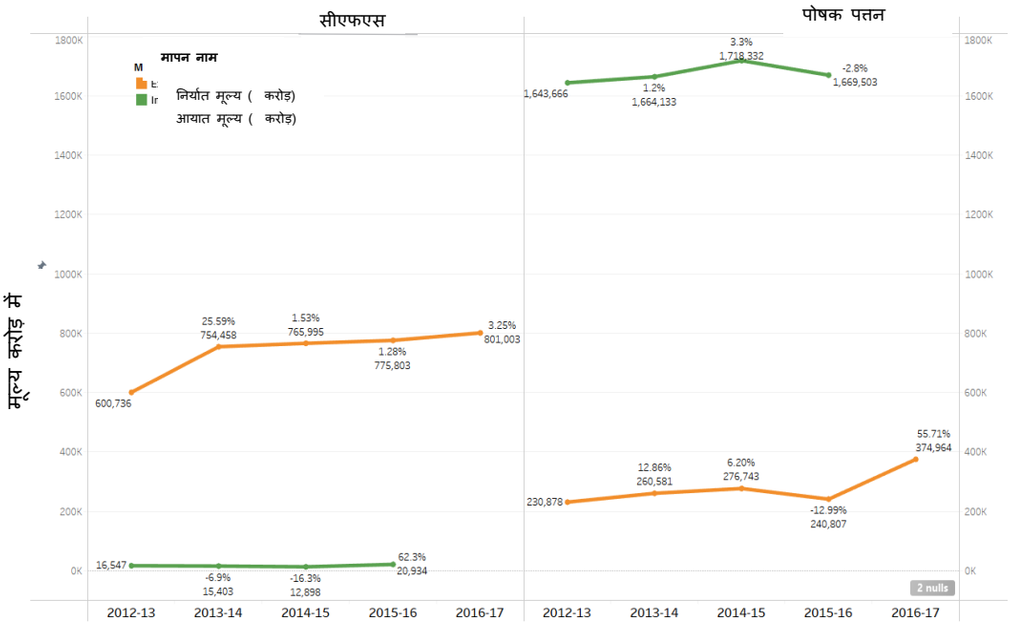

स्रोत: डीजी (सिस्टम), सीबीईसी से प्राप्त 2012-13 से 2016-17 तक सीएफएस संव्यवहारों का संक्षिप्त डाटा

1.4.3 सीएफएस द्वारा व्यवस्थित टीइयू में यातायात की मात्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति

वार्षिक रूप से व्यवस्थित कार्गो के परिमाण (टीइयू में) पर लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई 41 सीएफएस में से, 40 सीएफएस **(परिशिष्ट 1ख)** से डाटा संग्रहीत किया गया था। सीएफएस द्वारा व्यवस्थित टीईयू वि.व 2013 में 14.68 लाख से बढ़ कर चार वर्ष की अवधि में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वि.व. 2017 में 17.98 लाख हो गये। तथापि, विगत वर्ष की अपेक्षा

वि.व. 2017 में 2.5 प्रतिशत तक यातायात की कुल मात्रा में कुल कमी के संबंध में आयातित टीइयू मात्रा में मामूली कमी के साथ-साथ टीइयू के रूप में निर्यात मात्रा में 8.8 प्रतिशत की तीव्र कमी आई थी।

चित्र 13: 40 लेखापरिक्षित सीएफएस में व्यापार की मात्रा (टीइयू में) में वर्ष दर वर्ष वृद्धि

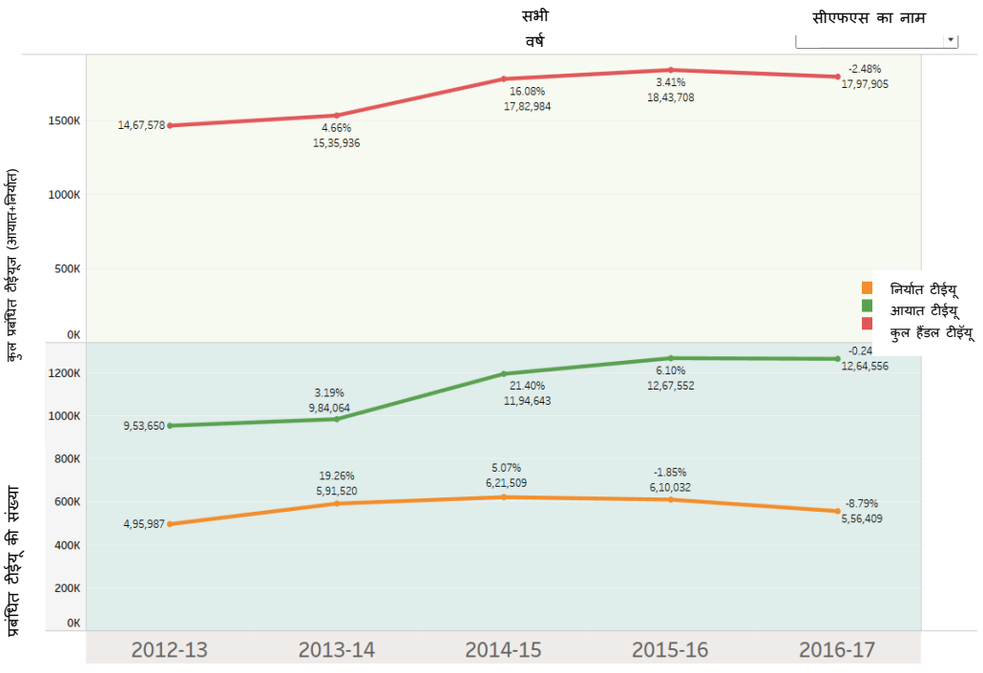

स्रोत: लेखापरीक्षा में 40 क्रियाशील सीएफएस की नमूना जांच से एकत्र किया गया डाटा

(अलग-अलग सीएफएस के माध्यम से टीईयू में यातायात की मात्रा में वृद्धि की वर्ष दर वर्ष प्रवृत्ति को विशेष सीएफएस नाम का चयन करते हुए दर्शाए गए ग्राफ में देखा जा सकता है।)

अध्याय - 2

लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड तथा लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

आईसीडी तथा सीएफएस के कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा को उस सीमा का निर्धारण करने के लिए इस उद्देश्य के साथ लिया गया था जिसके लिए कार्गो के कंटेनरीकृत आवागमन के माध्यम से आईसीडी तथा सीएफएस भारत के विदेश व्यापार को सुविधाजनक बनाने के योग्य है। लेखापरीक्षा उद्देश्य निम्नलिखित थे:

आईसीडी तथा सीएफएस की स्थापना तथा समापन की प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए: लेखापरीक्षा ने यह जांच की कि क्या प्रक्रियाएं वर्णित नीतियों के अनुरूप थी तथा क्या प्रक्रियाएं नीति उद्देश्यों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाती है। लेखापरीक्षा ने इस उद्देश्य के साथ नीति को लागू करने के लिए स्थापित तंत्र की जांच भी यह निर्धारण करने के लिए की कि क्या तंत्र सरकारी नीतियों में परिकल्पित रूप में आईसीडी तथा सीएफएस के माध्यम से सम्भार तन्त्र अवसंरचना के सृजन में सहायता कर रहे थे।

व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कंटेनरीकृत कार्गो प्रबंधन तथा सीमाशुल्क निकासी सुविधाएं प्रदान करने में आईसीडी तथा सीएफएस के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए: लेखापरीक्षा ने यह जांच की कि क्या आईसीडी तथा सीएफएस सीमाशुल्क कार्गो के संबंधित प्रबंधन के विभिन्न विनियमों तथा अधिसूचनाओं में वर्णित अनुसार कार्गो प्रबंधन अवसरंचना प्रदान करने तथा माल की सुरक्षा करने में सक्षम थे।

आईसीडी तथा सीएफएस के परिचालन के लिए विनियामक ढ़ांचे की जांच करने के लिए: लेखापरीक्षा ने यह जांच की कि क्या ढ़ांचे का अनुपालन किया जा रहा है, क्या ये सरकारी राजस्वों का सरंक्षण करने के लिए पर्याप्त थे तथा क्या आन्तरिक लेखापरीक्षा सहित एक उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र था जो अनुपालन को बढ़ावा देता है, दुरूपयोग से बचाता है तथा मॉनीटरिंग और आईसीडी तथा सीएफएस के परिचालन में सम्मिलित सीमा शुल्क तथा अन्य संबंधित इकाइयों के बीच समन्वय को बढ़ाता है।

2.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, नमूना, लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली तथा लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.2.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र: निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 तक की पांच वर्षीय अवधि के सव्यवहारों को कवर किया गया। लेखापरीक्षा में सम्बंधित मंत्रालयों तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को कवर किया जिसमें वाणिज्य मंत्रालय तथा राजस्व विभाग/ सीबीईसी, सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों तथा आईसीडी तथा सीएफएस के अभिरक्षक सम्मिलित किए गए।

2.2.2 नमूना: लेखापरीक्षा में इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए 103 कमिश्नरियों में से 35 कमिश्नरियों के तहत 44 आईसीडी (38 कार्यशील तथा 6 बंद/ अकार्यशील) तथा 41 सीएफएस का चयन किया गया **(परिशिष्ट II)**।

(i) आईसीडी का चयन - एक दो स्तरीय चयन कार्यप्रणाली अपनाई गई।

प्रथम स्तर पर- आईसीडी के लिए डाटा[3] जैसे निर्यात एवं आयात का मूल्य तथा मात्रा, आईसीडी का उपयोग करने वाले आयातकों, निर्यातकों की संख्या तथा उत्पाद प्रोफाईल का उपयोग करके एक अखिल भारतीय जोखिम मैट्रिक्स बनाई गई। जोखिम भारित स्कोर पर आधारित अखिल भारतीय रैंकिंग को परिभाषित किया गया। जोखिम भारित सूची में शीर्ष छ: आईसीडी[4] का चयन लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य रूप से किया गया।

द्वितीय स्तर पर- 3-6 तथा 3 से कम के बीच जोखिम भारित स्कोर वाले आईसीडी की क्षेत्रीय कार्यालय वार सूची को संकलित किया गया। डाटा पुन: प्रस्तुतीकरण के लिए डाटा विश्लेषक तथा टैबल्यू सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके, प्रत्येक आईसीडी के लिए आईसीडी वार जोखिम प्रोफाइल बनाया गया।

अधिकतम 3 आईसीडी तक प्रत्येक क्षेत्रीय (लेखापरीक्षा) कार्यालयों के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत कम से कम 50 *प्रतिशत* आईसीडी का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त तथा जहां पर भी लागू हो, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चयनित नमूने में कम से कम एक आईसीडी शामिल था जिसे लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बन्द किया गया था तथा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम से कम एक नया आईसीडी ढ़ांचा था।

---

[3]आईसीईएस तथा डीजीएफटी से प्राप्त 2012-13 का आयात तथा निर्यात डाटा

[4]आईसीडी तुगलकाबाद, लुधियाना, व्हाईटफील्ड बैंगलोर, साबरमती, पड़पड़गंज तथा तूतीकोरिन

(ii) सीएफएस का चयन- चूंकि सीएफएस के माध्यम से प्रबंधित आयात तथा निर्यात मात्रा/ मूल्य का अखिल भारतीय डाटा उपलब्ध नहीं था, अत: नीचे दिए मानदण्ड के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले 50 *प्रतिशत* सीएफएस का चयन किया।

- चयन का मानदण्ड प्रबंध किए गए कार्गो की मात्रा/ मूल्य, चोरी, उठाईगीरी, भ्रष्टाचार के प्रमुख जोखिम, प्रबंध किए गए कार्गो की प्रकृति विशेष रूप से यदि खतरनाक तथा संवेदनशील वस्तुओं को प्रबंधित किया जाता हो, को दर्शाने वाली पिछली लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा अन्य सुसंगत सूचना पर आधारित था।
- लेखापरीक्षा के लिए चयनित आईसीडी से सम्बधित सभी सीएफएस का चयन अनिवार्य रूप से किया गया।
- लेखापरीक्षा के लिए चयनित कुल नमूना आकार 6 प्रति कार्यालय से अधिक नहीं था।

2.2.3 लेखापरीक्षा कार्य-प्रणाली: इस लेखापरीक्षा को भारत के सीएजी द्वारा यथा निर्धारित निष्पादन लेखापरीक्षा मानकों तथा दिशा-निर्देशों का उपयोग करके किया गया है।

उपरोक्त अनुसार नमूने के चयन में तथा अध्याय 1 में सूचित अनुसार डाटा से आने वाली प्रमुख प्रवृतियों पर रिपोर्ट के लिए डाटा विश्लेषण को परिनियोजित किया गया।

लेखापरीक्षा कार्य-प्रणाली में फाइलों की डैस्क समीक्षा, डाटा का संग्रहण तथा डाटा विश्लेषण, आगम बिल (बीई)/ लदान बिल (एसबी) आधारित संव्यवहारों की नमूना जांच, आईसीडी तथा सीएफएस के परिसरों की सरसरी तथा भौतिक जांच, सूचना आधारित प्रश्नावली तथा 2012-13 से 2016-17 तक की 5 वर्षों की अवधि के लिए उपयोगकर्त्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं का सर्वेक्षण सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों तथा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की चर्चा करने के लिए 7 जुलाई 2017 को राजस्व विभाग (डीओआर) (सीबीईसी), वाणिज्यिक विभाग (डीओसी), कान्कॉर तथा आईसीडी तुगलकाबाद से सीमाशुल्क अधिकारियों के

साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस आयोजित की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर 7 फरवरी 2018 को आयोजित एग्जिट कान्फ्रेंस में डीओआर तथा डीओसी के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

2.2.4 मानदण्ड: लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनिमय 1975, परियोजना आयात विनियम, 1986, सीबीईसी की विधि नियम पुस्तक, सीबीईसी की सीमाशुल्क नियम पुस्तक, आयातित माल के पोतांतरण की शर्तें विनियम 1995, सीमाशुल्क क्षेत्र में कार्गो का प्रबंधंन विनियमावली 2009, खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबंधंन तथा ट्रांस-बाउंड्री आवागमन) नियमावली, 2016 के सुसंगत प्रावधानों तथा सीबीईसी के परिपत्रों और अधिसूचनाओं जिन्हें समय-समय पर जारी किया गया तथा जो निष्कर्षो के बेंचमार्क के लिए मानदण्ड के रूप में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू थे, का उपयोग किया।

अध्याय-3

अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी) और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) की स्थापना की प्रक्रियाएं

मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के दिशानिर्देश, 1992, आईसीडी और सीएफएस को स्थापित करने की शर्तें निर्धारित करते है। इसमें आईसीडी या सीएफएस को स्थापित करने के लिए सुदृढ़ आर्थिक औचित्य प्रदान करने के लिए अनिवार्य एक पूर्व सर्वेक्षण, कन्टेनर्स, कार्गो और अन्य वाहनों को सहज आवागमन प्रदान करने के लिए भूमि, डिजाईन और आईसीडी और सीएफएस की स्थापना का उचित प्रावधान, विद्युत सुविधाएं और जोखिम सामग्री के भंडारण सहित भंडारण शामिल है।

एमओसीआई के दिशा निर्देश आईसीडी और सीएफएस की स्थापना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और उसकी स्थापना के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते है।

अवर सचिव (अवसंरचना), वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक अन्तर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के रूप में एक समन्वय तंत्र आईसीडी और सीएफएस के कार्यचालन की निगरानी और अनुमोदन प्रक्रिया की देख रेख के लिए स्थापित की गयी है। इसमें राजस्व विभाग, जहाजरानी मंत्रालय, रेल मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय से प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति नए आईसीडी/ सीएफसी की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र उद्यम दोनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करती है।

लेखापरीक्षा, मंत्रालय स्तरीय फाइलों और पत्राचारों की जांच द्वारा देश में अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी) और कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना के लिए मौजूदा संरचना, यदि कोई हो, और परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया की पर्याप्तता के वर्तमान ढांचे की जांच करता है। लेखापरीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ यह जांच भी की गई कि क्या कोई आवश्यकता/ प्रभाव विश्लेषण किया गया है, क्या नोडल विभाग द्वारा आईसीडी/ सीएफएस की कार्य पद्धति और परिचालन स्थिति पर डाटा संग्रहीत किया गया और अद्यतित किया गया है।

3.1 आईसीडी/ सीएफएस को स्थापित करने के लिए तंत्र का रूपरेखा का अभाव

वाणिज्य विभाग (डीओसी) आईसीडी, सीएफएस और वायु मालभाड़ा स्टेशन (एएफएस) से संबंधित अवसंरचना विकास को समर्थित करने के लिए एक नोडल विभाग है, और यह अंतर विभागीय मुददों के प्रस्तावों का समन्वय करता है। आईएमसी को आईसीडी, सीएफएस और एएफएस की स्थापना के प्रस्तावों हेतु एकल विंडो मंजूरी के रूप में कार्य करने के लिए मार्च 1992 में वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा गठित किया गया था।

आईएमसी के विचारार्थ विषय में नये आईसीडी/ सीएफएस के अनुमोदन के लिए मापदंड और दिशा-निर्देश निर्दिष्ट करना शामिल है। आईएमसी द्वारा प्रस्तावों के अनुमोदन और डीओसी द्वारा आशय पत्र (एलओआई) जारी करने के बाद, एक बार आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण हो जाने पर आईसीडी/ सीएफएस/ एएफएस को कार्यात्मक बनाने के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा आवश्यक अनुमतियां, ईडीआई नोडस और सीमा शुल्क कर्मचारी प्रदान किये जाते है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईसीडी/ सीएफएस/ एएफएस की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों के दो सेट डीओसी की वेबसाईट पर उपलब्ध थे। तथापि, किसी भी दिशानिर्देशों में अधिसूचना या ज्ञापन का उल्लेख नहीं है जिसके माध्यम से उन्हें औपचारिक रूप दिया गया या जिस तिथि से ये प्रभावी हुए।

डीओसी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2018) कि संशोधित दिशा निर्देश अपलोड करते समय, एनआईसी द्वारा वेबसाइट से पुराने दिशानिर्देशों को गलती से नहीं हटाया गया। 19 सितम्बर 2017 को आयोजित आईएमसी बैठक जिसमें संशोधित दिशानिर्देश अपनाए गए थे, के कार्यवृत वाला कार्यालयी ज्ञापन (ओएम) विभागीय वेबसाइट commerce.gov.in पर पृथक रूप से उपलब्ध था। उन्होंने यह भी कहा कि दिशानिर्देश बनाने के लिए पृथक अधिसूचना अथवा ज्ञापन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इन्हें आईएमसी के संदर्भ के अनुसार बनाया गया है।

यद्यपि डीओसी ने कहा कि पृथक अधिसूचना की आवश्यकता नहीं थी, तथापि उनका जवाब आईसीडी/ सीएफएस की स्थापना, कार्यकारिणी तथा

मॉनीटरिंग के उद्देश्य तथा प्रयोजन को वर्णित करने वाले तंत्र के अभाव के मूल मामले को संबोधित नहीं करता।

मौजूदा दिशा-निर्देशों में अनुमोदन देते समय अनुसरित होने वाले उपायों की जांचसूची वर्णित की गई जो अधिक प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं तथा इसमें उन सिद्धांतों तथा उद्देश्यों का वर्णन करने वाला कोई नीति दस्तावेज अथवा कार्यढ़ांचा नहीं है जोकि प्रस्तावों का मूल्यांकन करने में आईएमसी सदस्यों की सहायता करेगा।

इसके अलावा, सेक्टर को अनियमित छोड़ते हुए आईएमसी अथवा इसके संविधानी मंत्रालयों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया से अधिक कोई भूमिका तथा उत्तरदायित्व वर्णित नहीं किए गए है।

लेखापरीक्षा उन कानूनों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती है जोकि मेजर तथा नॉन मेजर पोर्टों तथा भूमि पोर्टों से संबंधित है जो ऐसे पोर्टों की स्थापना के लिए तंत्र का प्रावधान करते हैं, एक प्रशासनिक ढ़ॉचे का निर्धारण करते है तथा एक नियामक तंत्र उपलब्ध कराते हैं।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने देखा कि वेबपेज(http://commerce.nic.in/trade/national_tpa_guidelines.asp और www.commerce.nic.in) पर दिशा निर्देशों के दो सेट उपलब्ध थे जो इस सूचना के संबंध में किसी अधिसूचना अथवा ज्ञापन के बिना थे कि दोनों में से कौन सा सेट किस तिथि से लागू हुआ है।

3.2 देश में आईसीडी और सीएफएस की संख्या और स्थिति पर विश्वसनीय आंकडों की कमी

देश में आईसीडी और सीएफएस को स्थापित करने के लिए नोडल ऐजेन्सी होते हुए, डीओसी को आईसीडी और सीएफएस के परिचालन और स्थापना से संबंधित सभी मूल आंकडों जैसे कि उनकी संख्या, स्थान, परिचालन स्थिति, (अर्थात क्रियाशील या बन्द) संस्थापित क्षमता, परिचालन क्षमता के अनुसार निष्पादन आदि का संग्राहक होना अपेक्षित है। परियोजना क्षेत्र में मौजूदा आईसीडी/ सीएफएस की संख्या और निष्पादन के संदर्भ में प्रस्तावित आईसीडी/ सीएफएस योजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए यह डाटा

अनिवार्य है और इसलिए ये योजना अनुमोदन प्रक्रिया में आईएमसी के लिए बहुमूल्य इनपुट के रूप में सेवा कर सकते है।

डीओसी को 1992 में आईएमसी की स्थापना से पहले और बाद में स्थापित किए गए आईसीडी और सीएफएस पर डाटा उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया था (जुलाई 2017)। डीओसी ने आईएमसी की स्थापना के बाद क्रियाशील होने वाले 236 आईसीडी और सीएफएस की एक सूची उपलब्ध कराई और बताया (जुलाई 2017) कि 1992 से पहले स्थापित आईसीडी और सीएफएस का डाटा उनके पास नहीं है लेकिन सीबीईसी के पास ऐसा डाटा हो सकता है। सीबीईसी से उपरोक्त आंकडे उपलब्ध कराने हेतु निवेदन (जुलाई 2017) किया गया था, लेकिन अभीतक (फरवरी 2018) कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई है।

1992 में आईएमसी के सृजन से पूर्व स्थापित किए गए सहित देश में कार्यकारी आईसीडी तथा सीएफएस की संख्या के संदर्भ में व्यापक डाटा संग्रहित करने के प्रयास में, लेखापरीक्षा ने इटंरनेट[5] पर सार्वजनिक हित में उपलब्ध सूचना सहित सूचना के अन्य स्रोतों की सहायता ली। यह पाया गया कि इस सूचना में आईसीडी/ सीएफएस का केवल पश्च 1992 डाटा निहित था तथा इस प्रकार यह अपूर्ण था।

इसलिए, लेखापरीक्षा ने स्थानीय सीमा शुल्क कार्यालयों से उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न आईसीडी और सीएफएस के विवरण हेतु संपर्क किया, जिसकी 30 जून 2017 को डीओसी के आंकडों के साथ तुलना में कई विसंगतियों का पता चला जो निम्न तालिका के रूप में है:

[5]लोकसभा अनस्टेरड प्रश्न संख्या 1843(एच) दिनांक 28-11-16 एवं 1271(एच) दिनांक 24-07-17 के प्रति डीओसी प्रतिक्रिया।

तालिका 1

आईसीडी और सीएफएस की स्थिति के संबंध में डाटा में विसंगतियां

आईसीडी/सीएफएस	डीओसी के अनुसार स्थिति	स्थानीय सीमाशुल्क कमिश्नरियों के अनुसार स्थिति	रिपोर्ट का संदर्भ विवरण सं.
आईसीडी (9): पवारखेडा (कृभको-हजीरा) सूरत, देसूर, मैथीलाकाम, भदोही, जीपीआईएल मंडीगोबिन्दगढ़, पीएसडब्ल्यूसी भटिंडा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी **सीएफएस (6):** विक्रम लोजिस्टिक हसन; विक्रम लोजिस्टिक कारवार, सी टेक सर्विसेज; ईर्नाकुलम; कोनकोर वेलिंगटन आईसलेंड; कोच्ची; पीएसीई अरूर	क्रियाशील	अक्रियाशील	1
आईसीडी (3): सूरजपुर; वाराणसी; उदयपुर **सीएफएस (1):** सीडब्ल्यू; हल्दिया	क्रियाशील	बन्द	2
आईसीडी (8): दीघी; नासिक; वालूज; औरंगाबाद; वेरना; गोवा; कोट्टायम; जीवीआईएल मंडीगोबिन्दगढ़, पीएसडब्ल्यूसी भटिंडा	सीएफएस	आईसीडी	3

स्रोत: स्थानीय सीमाशुल्क आयुक्तालयों द्वारा प्रस्तुत डाटा

डीओसी द्वारा अनुरक्षित आंकडों से, 1992 के बाद स्थापित आईसीडी और सीएफएस के संबंध में यह देखा गया कि, गलत रिपोर्टिंग तथा स्थिति के गैर-अद्यतन के कम से कम 27 मामले थे **(विवरण 1, 2 और 3)**। इसके अलावा एमओसीआई की वेबसाईट (www.imcdryports. commerce. gov.in/ home. php) पर यथा प्रदर्शितआईसीडी/ सीएफएस की राज्यवार गिनती चित्रित करने वाले मानचित्र में नागालैंड में आठ क्रियाशील आईसीडी दर्शाए गए हैं, हालांकि क्षेत्राधिकार सीमाशुल्क कमिश्नरी (शिलांग) के अनुसार वहां ऐसी कोई इकाई मौजूद नहीं है। इसके अलावा क्षेत्राधिकार सीमाशुल्क द्वारा आईसीडी के रूप में आठ इकाई बताई गई हैं लेकिन उन्हें डीओसी के आंकडो में सीएफएस के रूप में सूचित किया जा रहा है।

लेक्षापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि डीओसी के दिशानिर्देश आईसीडी और सीएफएस से तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) भेजने की अपेक्षा करते है, ऐसी कोई तिमाही प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा नमूना जांच के दौरान 85 में से केवल चार[6] आईसीडी/ सीएफएस डीओसी को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेज रहे थे।

[6]आईसीडी दादरी; सीएफएस सीएमए सीजीएम लोजिस्टिक पार्क दादरी; सीएफएस सेन्चुरी प्लाई; जेजेपी; कोलकाता और सीएफएस सेन्चुरी प्लाई; सोनाई कोलकाता

हालांकि डीओसी ने बताया है कि उन्होंने डिवलपर्स के यातायात विवरण सीधे डीओसी को उपलब्ध करवाने के लिए अनुस्मारक भेजे है, डीओसी की फाइलों में ऐसे कोई अनुस्मारक पाए नहीं गए।

इस प्रकार, यह देखा गया कि देश में आईसीडी और सीएफएस की स्थापना और क्रियाशीलता से सम्बंधित नोडल मंत्रालय,के पास देश में क्रियाशील आईसीडी और सीएफएस की संख्या और स्थिति पर विश्वसनीय डाटा नहीं है।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2018) में कहा कि विभाग आईसीडी/ सीएफएस/ एएफएस का डाटाबेस अनुरक्षित करता है जिसके लिए आईएमसी ने सुविधा बनाने तथा सीमाशुल्क प्राधिकरणों के तहत परिचालन करने के लिए एलओआई प्रदान की है। आईएमसी के संदर्भ के अनुसार, आईसीडी अथवा सीएफएस द्वारा अपना परिचालन प्रारम्भ करने के पश्चात आईएमसी की कोई भूमिका नहीं होती तथा इसे सीमाशुल्क अधिनियम तथा सीमा शुल्क क्षेत्र विनियम में कार्गो की हैंडलिंग (एचसीसीएआर) 2009 के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है। परिचालनात्मक डाटा सीमाशुल्क के पास उपलब्ध है जिसके क्षेत्राधिकार के तहत आईसीडी/ सीएफएस परिचालन करता है तथा जब भी आवश्यक हो वह यहीं उसकी स्वयं की सतर्कता के पश्चात् आईएमसी को प्रदान करता है।

उसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा प्रदर्शित विसंगतियों के संदर्भ में डीओसी ने कहा कि यह डीओसी तथा सीमाशुल्क और डीओसी के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त डाटा के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा शब्द ''कार्यशील'' का गलत अर्थ लेने की वजह से है। यह कहा गया कि लेखापरीक्षा अवलोकन के संदर्भ में, इसे अर्थ स्पष्ट करने के लिए ''एफ = परिचालन आरम्भ किए गए'' के रूप में संशोधित किया गया है। डीओसी ने यह भी सूचित किया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के मद्देनजर आईसीडी/ सीएफएस/ एएफएस से संबंधित डाटा स्पष्टीकरण और अद्यतन के लिए सीबीईसी को भेज दिया गया है और उनसे सूचना की प्राप्ति पर इसे अद्यतित कर दिया जाएगा। नागालैण्ड में आईसीडी के गलत चित्रण के संदर्भ में डीओसी ने बताया कि ऑनलाइन मॉडयूल पर मैप का विकास किया जा रहा था और उक्त को यथोचित सुधार के पश्चात् विकसित कर दिया गया।

डीओसी की यह प्रतिक्रिया स्वीकार्य नहीं है कि आईसीडी/ सीएफएस द्वारा प्रचालन शुरू होने के पश्चात् आईएमसी की कोई भूमिका नहीं हैं। आईसीडी/ सीएफएस अनुमोदनों हेतु नोडल एजेंसी होने के नाते, उनसे देश में उन सभी आईसीडी और सीएफएस पर व्यापक डाटाबेस के संरक्षक होने की अपेक्षा की जाती है जो अनुमोदित है, कार्यरत है और जो बन्द भी हो चुके है। सीमाशुल्क अधिनियम और सीमाशुल्क क्षेत्र विनियमावली में कार्गो की हैंडलिंग के प्रावधान आईसीडी/ सीएफएस के प्रचालनों को मॉनीटर करने के लिए स्वयं पर्याप्त नहीं हो सकते क्योंकि यह इन यूनिटों की परिचालनात्मक निष्पादन की मॉनीटरिंग की बजाय सरकारी राजस्व और सीमाशुल्क नियंत्रणों की सुरक्षा के लिए हैं।

आईसीडी की ''कार्यशील'' स्थिति से ''परिचालन आरम्भ'' में आशोधन के संबंध में डीओसी की प्रतिक्रिया व्याख्यात्मक मुद्दों का समाधान कर सकती है, फिर भी यह इस समस्या का समाधान नहीं करती कि कई कार्यकारी/परिचालित/बन्द आईसीडी तथा सीएफएस पर डाटा के एकमात्र विश्वसनीय स्रोत की कमी है। यद्यपि डीओसी आईसीडी/सीएफएस द्वारा प्रस्तुति हेतु अपेक्षित क्यूपीआर से देश में आईसीडी/सीएफएस की कार्यात्मक स्थिति पर डाटा रखरखाव की स्थिति में था फिर भी इसने उनसे डाटा की प्रस्तुति और संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय नहीं किए। इसके अलावा लेखापरीक्षा नागालैण्ड में आईसीडी की स्थिति के संबंध में उत्तर की जांच नहीं कर सका, क्योंकि यूआरएल जिसमें अद्यतित मानचित्र अपलोड किया गया था, को उपलब्ध नहीं कराया गया है (फरवरी 2018)।

3.3 सृजित और प्रयुक्त क्षमता निर्धारण के बिना नए आईसीडी और सीएफएस की स्थापना के लिए अनुमोदन

आईसीडी और सीएफएस की स्थापना कन्टेनरीकृत कार्गो के प्रहस्तन के लिए अवसंरचना के निर्माण और पत्तनों में भीड़ कम करने में सहायता करने और आयातकों और निर्यातकों के दरवाजे तक सीमाशुल्क निकासी की सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त देश के विदेश व्यापार को सुगम करती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीओसी अनुमोदन प्रदान करने के लिए आईसीडी और सीएफएस की संस्थापित क्षमता पर कोई डाटा नहीं मांगता है। आईसीडी और

सीएफएस की स्थापना के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र से यह देखा जाता है कि यह सूचना योजना डिवलपर्स से नहीं मांगी जाती है और उनके लिए केवल उस क्षेत्र के आयात/निर्यात यातायात तथ्यों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है जहां वे स्थापित किये जा रहे है।

चूंकि मंत्रालय स्तर पर सृजित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता पर डाटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा के लिए चयनित आईसीडी और सीएफएस से यह सूचना एकत्रित करने की मांग की है। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 85 आईसीडी और सीएफएस में से केवल 51 ऐसे आईसीडी तथा सीएफएस पर क्षमता उपयोग डाटा लेखापरीक्षा के लिए स्थानीय कमिश्नरियों द्वारा उपलब्ध कराए गये थे **(विवरण 4)** जो कि नीचे चित्रित है:

चित्र 14

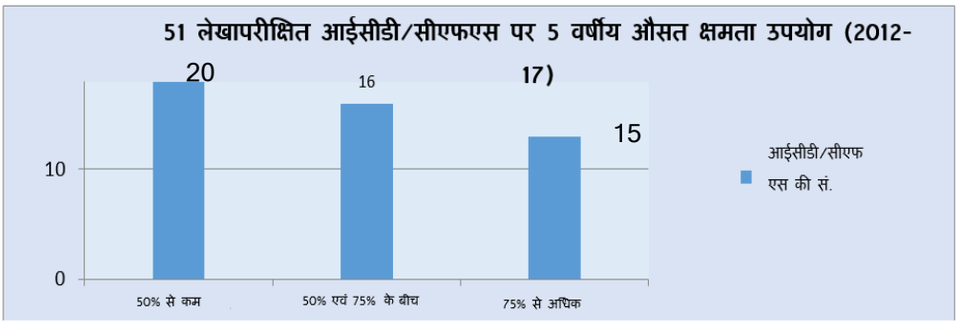

स्रोत: स्थानीय सीमाशुल्क कमिश्नरी द्वारा प्रस्तुत डाटा

(i) यह देखा गया कि करीब चालीस *प्रतिशत* आईसीडी और सीएफएस अपनी स्थापित क्षमता के आधे से भी कम पर परिचालन कर रहे थे, और अन्य एक तिहाई अपनी क्षमता के 50 से 75 *प्रतिशत* के मध्य परिचालन कर रहे थे। महाराष्ट्र में लेखापरीक्षित दस इकाईयों में से, केवल नौ इकाईयों (चार आईसीडी और पांच सीएफएस) के लिए क्षमता उपयोग डाटा उपलब्ध था, जो यह दर्शाता है कि एक (आईसीडी बूटीबोरी) अक्रियाशील हो गई थी, सात कम उपयोगी[7] थी और केवल एक (नवकार कारपोरेशन सीएफएस) अपनी संस्थापित क्षमता से अधिक कार्यकर रही थी (104 *प्रतिशत*)। पूणे में, चार आईसीडी (तालेगांव, दिघी, चींचवाड और पिम्परी) 50 किमी. के त्रिज्या के भीतर कार्य

[7]आईसीडी मुलुन्द, मुम्बई, आईसीडी तालेगांव, पूणे: आईसीडी अजनी, नागपुर: कान्टीनेन्टल वेयरहाउसिंग (न्हावा शेवा) लि. सीडब्ल्यूसी लोजिस्टिक पार्क (हिन्द टर्मिनल्स) यूनाइटिड लीनियर ऐजेन्सी ऑफ इंडियालि. पंजाब स्टेट कंटेनर एण्ड वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्रोणगिरि,

कर रहीं थी और इनमें से श्रेष्ठ निष्पादन आईसीडी, तालेगांव, का था जो केवल 31.73 *प्रतिशत* (औसत 5 वर्ष) के क्षमता उपयोग के साथ कार्य कर रहीं थी जबकि अन्य तीन का क्षमता उपयोग 7 *प्रतिशत* से भी कम था (आईसीडी दिघी-6.21 *प्रतिशत*, आईसीडी चिंचवाड़ 6.64 *प्रतिशत*, आईसीडी पिम्परी -3.46 *प्रतिशत*)। इस कम क्षमता उपयोग के बावजूद भम्बोली, चकन, पूणे पर एक और आईसीडी की स्थापना के लिए नवम्बर 2016 में एपीएम टर्मिनल्स प्रा.लि. को एलओआई दिया गया था।

(ii) इसी प्रकार, यह देखा गया कि यद्यपि कोलकाता पोर्ट सेलगे हुए पांच सीएफएस का क्षमता उपयोग 2016-17 के दौरान उनकी संयुक्त प्रहस्तन क्षमता का केवल 73.5 *प्रतिशत* था (2.74 लाख टीईयू में से 2.01) **(विवरण-5)** परन्तु मार्च 2017 से एक नये सीएफएस[8], में परिचालन आरम्भ करने की अनुमति दी गई थी। नये सीएफएस के परिचालन होने के तुरन्त बाद, मौजूदा सीएफएस, अर्थात सीडब्ल्यूसी, कोलकाता द्वारा प्रहस्तित मात्राओं में नए सीएफएस द्वारा प्रहस्तित मात्राओं के लगभग समान अनुपात में गिरावट आई। निम्न तालिका नये सीएफएस में परिचालन होने के बाद दो सीएफएस की तुलनात्मक मात्राओं को दर्शाती है:

तालिका 2

कोलकाता पोर्ट से लगे सीएफएस का क्षमता उपयोग

माह	सीडब्ल्यूसी सीएफएस कोलकाता द्वारा प्रहस्तित कार्गो (टीईयू)	नये सीएफएस द्वारा प्रहस्तित कार्गो (टीईयू)
जनवरी 2017	5,287	परिचालन नहीं
फरवरी 2017	5,167	परिचालन नहीं
मार्च 2017	5,503	परिचालन नहीं
अप्रैल 2017	1,559	2,875
मई 2017	845	5,012
जून 2017	203	6,435
जुलाई 2017	12	6,768

स्रोत: स्थानीय सीमाशुल्क कमिश्नरी द्वारा प्रस्तुत आंकडे

इस प्रकार, मौजूदा सीएफएस, जहां प्रहस्तन क्षमता का पहले ही कम उपयोग किया गया था, के समीप अन्य सीएफएस की स्थापना से गेटवे पोर्ट पर भीड़

[8]फोनेक्स लोजिस्टिक प्रा. लि. कोलकाता

कम करने का अतिरिक्त लाभ उपलब्ध नहीं हो सका। दूसरी ओर, इसके कारण मौजूदा और उच्च निष्पादन सीएफएस से कारोबार एक नई सीएफएस में विस्थापित हो गया, इसलिए उसके व्यापार को बुरे तरीके से प्रभावित किया। इसके बाद यह देखा गया कि पोर्ट पर एक और सीएफएस की स्थापना के लिए अक्टूबर 2016 में अन्य एलओआई जारी[9] किया गया जिसके कारण कोलकाता पोर्ट पर सीएफएस में और वृद्धि हुई।

(iii) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के अन्तर्गत हल्दिया डोक कोम्पलेक्स (एचडीसी) में लेखापरीक्षा ने देखा कि एचडीसी की स्थापित क्षमता (2.5 लाख टीईयू) थी जबकि इसकी मौजूदा कार्गो हैंडलिंग मांग 1.36 लाख टीइयू थी और 2017-18 के लिए अनुमानित भावी कार्गो हैंडलिंग मांग 1.5 लाख टीइयू तक थी। 2016-17 के दौरान स्वयं पोर्ट के पास इसकी अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता के कारण इससे लगे चार सीएफएस का क्षमता उपयोग केवल 15.5 *प्रतिशत* था।

(iv) जेएनपीटी मुम्बई में,जेएनपीटी मुम्बई के आसपास 27 सीएफएस में से 13 में क्षमता उपयोग[10] 2012 में 60-65 *प्रतिशत* के बीच होना सूचित किया गया था जबकि चैन्नै पोर्ट में 2012 में 29 सीएफएस में से 16 में क्षमता उपयोग 56 *प्रतिशत* के बीच होना सूचित किया गया था। आईएमसी ने 2012-17 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में दस और तमिलनाडु में बारह और आईसीडी/सीएफएस (चैन्नै में छः सहित) स्थापित करने का अनुमोदन किया इसके परिणामस्वरूप इन राज्यों में आईसीडी/सीएफएस का और प्रसार हुआ।

जहां पहले ही कम उपयोग ईकाईयां मौजूद थी, वही आईसीडी/सीएफएस स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए अनुमोदनों की संख्या और उपरोक्त क्षमता उपयोग सांख्यिकीय यह दर्शाती है कि ऐसे अनुमोदन बिना उपयुक्त आवश्यकता और/या प्रभाव विश्लेषण के प्रदान किये गये थे और परिणामस्वरूप मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हल्दिया और पुणे जैसे क्षेत्रों में कम निष्पादन वाले आईसीडी/सीएफएस का प्रसार हुआ था।

---

[9]ट्रांस वर्ल्ड टर्मिनलस प्रा.लि

[10]डीओसी द्वारा स्थापित ग्रांट थोर्नटोन द्वारा ''देश में आईसीडी/सीएफएसकी वर्तमान स्थिति, उनकी क्षमता और अड़चनों पर व्यापक अध्ययन'' पर 2012 की रिपोर्ट।

अनुमोदन प्रक्रिया की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि यद्यपि आईएमसी निर्धारित एमओसी दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क आयुक्त और संबंधित पोर्ट प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों के आधार पर अनुमोदनों की जांच एवं संस्वीकृत करती है।ये दिशा निर्देश न तो यह मानदंड निर्धारित कर रहे है कि पोर्ट/न्यायक्षेत्र सीमाशुल्कि प्राधिकारी को अपनी टिप्पणियां देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए न ही यह कि आईएमसी को आईसीडी/सीएफएस की स्थापना हेतु प्रस्तावों की जांच हेतु क्या मानदंड ध्यान रखने चाहिए। इसके अतिरिक्त, जैसा कि उपर यह बताया गया है, कि निर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र में परियोजना क्षेत्र में पहले से ही स्थित आईसीडी/सीएफएम की मौजूदा और वास्तविक क्षमता उपयोगिता पर किसी डाटा की मांग नहीं की जाती यद्यपि, यह प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता पर सुविज्ञ निर्णय पर पहुँचने के लिए यह आवश्यक सूचना है। परिणामस्वरूप, महत्वपूर्ण पहलू जैसे कि, पोर्ट और संबंधित सीएफएस की मौजूदा क्षमता, मौजूदा आईसीडी/सीएफएस की क्षमता उपयोगिता, परियोजना क्षेत्र में भावी क्षमता आवश्यकताएं, पोर्ट क्षेत्र में यातायात भीड़ की सीमा और परियोजना के लिए सहायक सड़के, क्षेत्र में मौजूदा इकाईयों के सामने आने वाली बाधाऐं आदि की अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक रूप से जांच नहीं की गई है और दिशा-निर्देशों में केवल निर्दिष्ट प्रचलित आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर अनुमोदन प्रदान किये गये हैं।

अपने उत्तर (जनवरी 2018) में डीओसी ने कहा कि आवेदक अपने आवेदन में फेसीलिटी तक कंटेनर संचालन के लिए यातायात अनुमान और उपलब्ध क्षेत्र को दर्शातें हैं। डीओसी द्वारा आवेदन को संबंधित नोडल मंत्रालयों और सीबीइसी को भेजा जाता है, जो अपने दृष्टिकोण से उपयुक्त तत्वरता से कार्य करते है। सीबीइसी डाटा प्राप्त करता है और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से सृजित भौतिक आधारभूत ढांचे का सत्यापन कराता है। एक बार नोडल मंत्रालयों/सीबीईसी से सभी इनपुट प्राप्त हो जाने के पश्चात, उक्त को आईएमसी को भेजा जाता है जिन्हें इन सभी मंत्रालयों/सीबीइसी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, डीओआर, आईएमसी का एक सदस्य, सभी कार्यशील फेसीलिटिज के प्रचालन के निरीक्षण हेतु नियामक प्राधिकारी हैं और प्रस्ताव के अग्रिम प्रचालन के चरण पर, यह अपने क्षेत्रीय संगठनों द्वारा प्रस्ताव की व्यवहार्यता, आवश्यकता और प्रभाव विश्लेषण की जांच करता है। 19 सितम्बर 2017 को हुई आईएमसी की बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी को प्रोत्साहित करने और चेन्नै और मुंबई पोर्ट पर ड्राई पोर्ट सुविधा के अधिक भराव के मद्देनजर, सीएफएस की स्थापना हेतु प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किये जाएगें।

एग्जिट बैठक के दौरान, डीओसी अधिकारियों ने कहा कि आईएमसी द्वारा प्राप्त किये गये प्रस्ताव निजी विकासकर्त्ताओं की कारोबार प्राथमिकताएं हैं, जिसके लिए भूमि उन्होंने स्वयं अधिगृहित की है। इस संभावना के साथ विकासकर्त्ताओं द्वारा निवेश किया गया है कि प्रस्तावित मात्रा पर व्यापार करना व्यवहार्य होगा और उनकी सफलता उनके द्वारा प्रयोग की गई प्रौद्योगिकी और प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता पर आधारित है।

विकासकर्त्ता की कारोबार व्यवहायर्ता के संदर्भ में यातायात संभावनाओं को ध्यान में रखने के संबंध में डीओसी की प्रतिक्रिया स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईएमसी को यूनिट की व्यवहार्यता के निर्धारण के लिए विकासकर्ता द्वारा किये गये यातायात अनुमानों के साथ प्रस्तावित इकाई के समीप मौजूदा संस्थापित क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। एमओसी दिशा निर्देशों में प्रस्तावों की व्यवहार्यता के निर्धारण के लिए कोई मानदंड नहीं दिये गये हैं न ही उन्होंने प्रस्तावित इकाई की आवश्यकता या प्रभाव विश्लेषण करने के लिए किसी एजेन्सी को कोई अधिदेश दिये हैं। इसलिए पोर्ट प्राधिकारियों या सीमा शुल्क द्वारा प्रस्तावों की व्यवहार्यता के निर्धारण हेतु अपनाई गई निर्धारण प्रक्रिया में कोई समानता नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के अंतर्गत आनेवाली अवधि के दौरानअधिक क्षमता के आधार पर मना करने के कोई मामले नहीं देखे गए। भावी अनुमोदन रोकने का निर्णय सितम्बर 2017 में ही लिया गया है।

यद्यपि डीओसी ने कहा कि आईएमसी द्वारा प्राप्त किये गये प्रस्ताव निजी विकासकर्ता, जिन्होंने कारोबार प्रस्ताव की व्यवहार्यता को आकलन किया है,

की कारोबार पहल हैं, तथ्य यह है कि इसके कारण देश के मुख्य पत्तन क्षेत्रों में और कुछ क्षेत्रों के आस-पास आईसीडी और सीएफएस का प्रसार हुआ। जैसाकि उपरोक्त पैराग्राफ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, सृजित क्षमता के कम उपयोग के मुख्य कारणों में से एक कारण एक दूसरे के नजदीक अनेक आईसीडी/सीएफएस की स्थापना करना है। इसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क विभाग के संसाधनों का अधिक दोहन भी हुआ क्योंकि प्रत्येक आईसीडी और सीएफएस में सीमा शुल्क स्टाफ तैनात किया जाता है और इडीआई बैंडविड्थ और लैंडस्पेस जैसे संसाधनों को प्रत्येक आईसीडी और सीएफएस को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है।

3.4 आईसीडी और सीएफएस परियोजनाओं के अनुमोदन और परिचालन में विलंब

आईसीडी और सीएफएस स्थापित करने के दिशानिर्देशों के भाग सी के पैरा 5 के अनुसार, प्रस्ताव की प्राप्ति पर डीओसी 30 दिनों के भीतर सीमाशुल्क के क्षेत्राधिकारी कमिश्नर और अन्य संबंधित एजेन्सियों से टिप्पण प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करेगा और सामान्य परिस्थितियों में प्रस्ताव की प्राप्ति के छ: हफ्ते के भीतर आईएमसी का निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के भाग सी के पैरा 7 के अनुसार आवेदक द्वारा आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर बुनियादी ढांचा स्थापित करना अपेक्षित है। डीओसीआवेदक द्वारा दिये गये औचित्यों को ध्यान में रखते हुए छ: माह के समय विस्तार की मंजूरी दे सकता है। उसके बाद, छ: माह की आगामी (अन्तिम) अवधि के विस्तार के विचार के लिए आईएमसी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आईएमसी विस्तार पर विचार कर सकता है अथवा स्वीकृत अनुमोदनकोवापस ले सकता है। इस प्रकार दिशानिर्देश आईसीडी/सीएफएस स्थापित करने के लिए दो वर्ष की अधिकतम अनुमोदन अवधि निर्धारित करते है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान (2012-17), डीओसी ने आईसीडी/सीएफएस स्थापित करने के लिए 94 प्रस्ताव प्राप्त किये थे। मार्च 2017 को एक प्रस्ताव निरस्त किया गया था और 71 प्रस्तावों को आईएमसी द्वारा

अनुमोदित किया गया था जबकि शेष 22 प्रस्तावों पर आईएमसी का निर्णय लम्बित था।

2012-17 के दौरान अनुमोदित 71 मामलों में से 40 मामलों की लेखापरीक्षा ने नमूना जांच की और देखा कि 35 मामलों में **(विवरण 6)** डीओसी ने छः हफ्ते की निर्धारित अवधि से अधिक 3 से 35 माह की देरी से डेवलपर्स को आशय पत्र जारी किये थे।विलंब मुख्य रूप से सीबीईसी और एमओएस से टिप्पणियों के देरी से प्रस्तुतीकरण के कारण थे। सीबीईसी और एमओएस द्वारा टिप्पणियों के देरी से प्रस्तुतीकरण का काल विश्लेषण निम्न प्रकार है:

चित्र 15

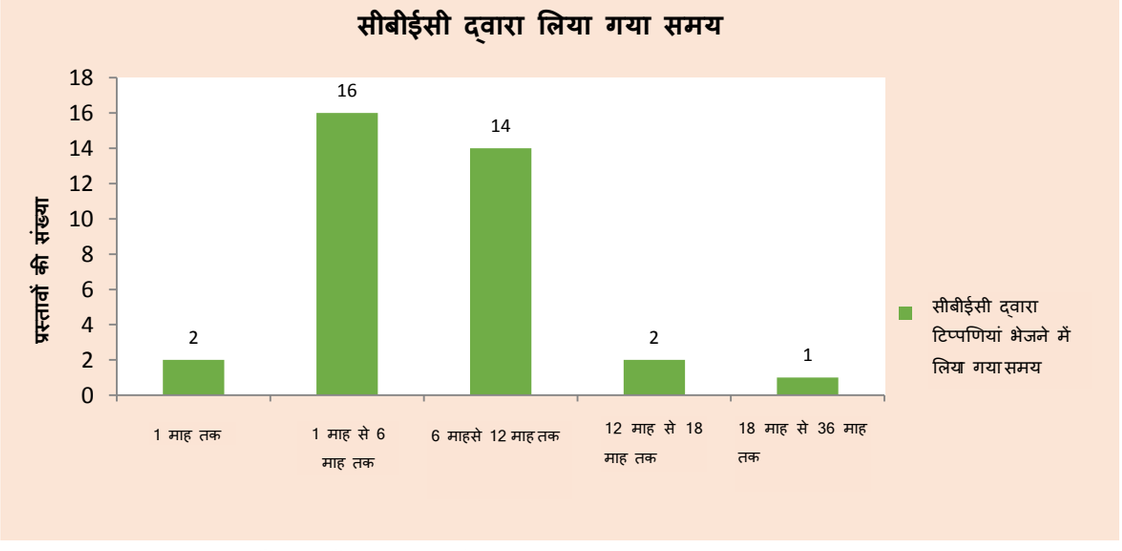

स्रोत: वाणिज्य विभाग दस्तावेज

चित्र 16

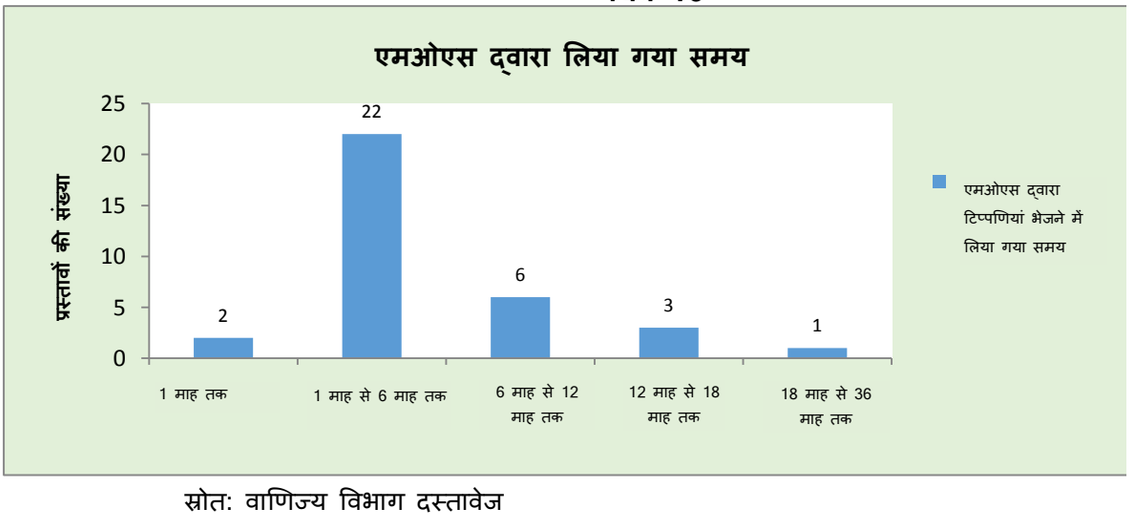

स्रोत: वाणिज्य विभाग दस्तावेज

यह भी देखा गया कि 31 मार्च 2017 तक आईएमसी निर्णय के लिए प्रतीक्षारत शेष 22 प्रस्तावों में से 16 में **(विवरण-7)**, छः हफ्ते की निर्धारित अवधि से अधिक पांच हफ्ते से लेकर 125 हफ्ते तक विलंब था जो सीबीईसी/एमओएस/एमओआर से टिप्पणियों की अप्राप्ति के कारण था।

बताए जाने पर, (अगस्त 2017) डीओसी ने बताया (सितम्बर 2017) कि सीबीईसी की टिप्पणियाँ प्राप्त होने में अत्यधिक देरी आईएमसी के लिए चिंता का विषय रहा है तथा कि 22 लंबित प्रस्ताव अगली आईएमसी बैठक के लिए कार्यसूची में शामिल किये गये थे।

इसके अलावा, डीओसी द्वारा प्रस्तुत किये गए (31 मार्च 2017) **(विवरण 8)** 51 कार्यान्वयन अधीन प्रस्तावों पर डाटा से यह देखा गया था कि 12 परियोजनाएं **(विवरण 9)** संबंधित डेवलपर के अनुरोध पर आईएमसी द्वारा मंजूर किये गए कई विस्तारों के साथ अनुमोदन की तिथि से ढ़ाई वर्ष से ग्यारह वर्षों की अवधि तक अकार्यशील रहे। यह देखा गया कि इन बारह मामलों में से नौ[11] में अकार्यशील होने के लिए दर्ज कारण सीमा शुल्क द्वारा कुछ सुविधाओं की अनुपलब्धता, जैसे कि ईडीआई कनेक्टविटी तथा सीमा शुल्क स्टॉफ की तैनाती अथवा सीमा शुल्क अधिसूचना जारी न करना था।

अपने उत्तर (जनवरी 2018) में डीओसी ने कहा कि आईएमसी के सचिव के रूप में डीओसी, एक पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर इसे टिप्पणियों हेतु आईएमसी के सभी सदस्यों को भेजता है जो अपने क्षेत्रीय संगठनों से इनपुट प्राप्त करते है। विनिर्दिष्ट समयसीमा में टिप्पणियां प्राप्त करने के प्रयास किये गये है ताकि आईएमसी अपना निर्णय ले सके। आईएमसी बैठक में मंत्रालय से टिप्पणियों में विलम्ब की समीक्षा भी की गई। डीओसी ने ध्यानपूर्वक कार्य करते हुए अपनी टिप्पणियों के तीव्र रूप से प्रस्तुतीकरण के लिए सदस्यों को नियमित रूप से अनुस्मारक भी भेजे हैं। परियोजना को आरंभ करने में कई कारणों से विलम्ब होता है। कुछ मामलों में सीमाशुल्क अधिसूचनाओं, सीमाशुल्क स्टाफ की तैनाती, इडीआई संस्थापन आदि के कारण और कुछ मामलों में, विकासकर्ता द्वारा आकस्मिक वित्तीय बाधाओं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जोकि विकासकर्ता के नियंत्रण से बाहर है। तथापि, अतिरिक्त समय प्रदान करने से पहले, आईएमसी ऐसे विलम्ब के

[11]विवरण-10 की क्र. सं. 1 से 9

कारणों को सावधानी पूर्वक देखती है और तब सुविचार करती है कि क्या एलओआई का विस्तार प्रदान करना चाहिए।

डीओसी का उत्तर इस तथ्य को सुदृढ़ बनाता है कि आईएमसी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने तथा परियोजना कार्यान्वयन, दोनो चरणों में, विलम्ब आईसीडी/सीएफएस की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा प्रस्तावों की शीघ्रतम मंजूरी उपलब्ध कराने के लिए एक एकल-विंडो प्लेटफार्म के रूप में आईएमसी के अस्तित्व के उद्देश्य की पूर्ति में बाधक हैं। इसके अतिरिक्त, इन मामलों में आईएमसी द्वारा अनुमत कई विस्तारों को ध्यान में रखते हुए, आईसीडी/सीएफएस के प्रचालन के लिए दो वर्ष की अधिकतम समय सीमा का प्रावधान, जैसे कि दिशानिर्देशों में निर्धारित है, महत्व खो चुका है।

3.5 अपेक्षित न्यूनतम भूमि क्षेत्र को पूरा किये बिना आईसीडी प्रचालन

आईसीडी/सीएफएस की स्थापना पर दिशानिर्देशों के पैरा 4 के अनुसार, एक सीएफएस के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र एक हेक्टेयर है तथा आईसीडी के लिए चार हेक्टेयर है। तथापि, प्रौद्योगिकीय अद्यतन एवं ऐसे विचलन को उचित सिद्ध करने वाली विशिष्ट विशेषताओं पर विचार करने पर कम क्षेत्र वाले प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि ये छूट आईएमसी अथवा नोडल विभाग, डीओसी के देय अनुमोदन के बिना स्थानीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमत की गई जैसी कि नीचे व्याख्या की गई है।

मैसर्स केएलपीएल, कानपुर को 6.07 हेक्टेयर के एक क्षेत्र पर आईसीडी पनकी, कानपुर की स्थापना के लिए एक आशय पत्र (जून 2010) की मंजूरी दी गई थी तथा इस क्षेत्र को सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारी कमिश्नर द्वारा अगस्त 2010 में सीमा शुल्क क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था। तथापि, आईसीडी के सीमा शुल्क के क्षेत्र को एक पूर्व अधिसूचित सीमा शुल्क क्षेत्र अधिसूचना रद्द करने हेतू नियत प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना, अप्रैल 2011 में कस्टम केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर कमिश्नरी, कानपुर के द्वारा जारी एक 'शुद्धि पत्र' द्वारा 1.62 हेक्टेयर तक कम कर दिया गया था जो एक आईसीडी के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र से काफी कम है। संरक्षक द्वारा यह पुष्टि की गयी थी कि केवल 1.62 हेक्टेर भूमि सीमा शुल्क

प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई थी तथा शेष 4.45 हेक्टेयर निजी इस्तेमाल में उपयोग की जा रही थी, जैसे कि खाली कंटेनरों का भण्डारण, घरेलू प्रबंधन आदि। लेखापरीक्षा ने देखा कि आईसीडी, पनकी में निर्यात कार्गों की भराई एवं सीलिंग के लिए लिए गए समय में 2013-14 में 8 दिनों से 2016-17 में 22 दिनों तक की वृद्धि हुई।

उसी तरह से, वेरना इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज-II बी गोवा में सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) द्वारा प्रचालित सीएफएस के मामले में, इसे 2.32 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नर द्वारा वर्ष 2001 में एक आईसीडी के रूप में अधिसूचित किया गया था, यद्यपि इसने आईसीडी के लिए भूमि आवश्यकता को पूरा नही किया। इसके अलावा, अगस्त 2003 में आईसीडी के कार्य के लिए केवल 1.24 हेक्टेयर क्षेत्र को छोड़ते हुए 1.07 हेक्टेयर का क्षेत्र अधिसूचित नही किया गया था जो 4 हेक्टेयर के न्यूनतम अपेक्षित क्षेत्र से काफी कम था। अपेक्षित भूमि की शर्त से छूट के लिए औचित्य तथा आईएमसी अनुमोदन रिकार्ड में उपलब्ध नही था।

एक और न्यूनतम भूमि शर्तों को पूरा किये बिना आईसीडी/सीएफएस प्रचालन के ऐसे उदाहरण संदेह सृजित करते हैं कि क्या ये आईसीडी अपेक्षित आधारभूत सेवाएं तथा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के योग्य हैं, वहीं दूसरी ओर, ऐसे उदाहरण यह भी दर्शाते हैं कि आईसीडी तथा सीएफएस के लिए न्यूनतम भूमि आवश्कताओं के मानदंड की समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2018) में बताया कि डीओआर द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया जा सकता है।

डीओआर ने अपने उत्तर (फरवरी 2018) में बताया कि संबंधित क्षेत्रीय संगठन से तथ्यात्मक रिर्पोट प्राप्त की जा रही है।

3.6 आईएमसी अनुमोदन की मंजूरी से पूर्व किया गया निवेश

आईसीडी/सीएफएस स्थापित करने के दिशानिर्देशों के भाग सी के पैरा 6 के अनुसार, एक प्रस्ताव की स्वीकृति पर प्रार्थी को एक आशय पत्र जारी किया

जाएगा जो आधारभूत अवसंरचा को सृजित करने के लिए कदम उठाने के लिए विकासक को सक्षम करेगा।

दो मामलों में यह देखा गया कि विकासक ने आशय पत्र जारी होने से पूर्व ही आधारभूत अवसंरचना के निर्माण में निवेश किया था। वैष्णो कंटेनर टर्मिनल ने तारापुर, थाने, महाराष्ट्र में आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन करने (मई 2012) के समय अपेक्षित आधारभूत अवसंरचना का आधे से अधिक काम पूरा किया था। जबकि दिसंबर 2012 में आशय पत्र मंजूर किया गया था वही आईसीडी ने अगस्त 2014 से काम करना आरंभ किया था। एक दूसरे मामलें में, एलसीएल लोजिस्टिक्श (इंडिया) प्रा. लि. हल्दिया को अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा 12 दिसंबर 2012 को आशय पत्र की मंजूरी के 24 दिनों के अन्दर कोलकाता (बंदरगाह) कमीश्नरी सार्वजनिक सूचना सं. 44/2012 दिनांक 6 दिसंबर 2012 के अनुसार हल्दिया, पं. बंगाल को सीएफएस के रूप में कार्य आरंभ करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

सीएफएस एलसीएल लोजिस्टिक्स, हल्दिया द्वारा संचालित ट्रैफिक की औसत मात्रा दिसंबर 2012 में इसके आरंभ होने से इसकी वार्षिक संस्थापित प्रबंधन क्षमता का 15 *प्रतिशत* रही। जैसा कि पूर्व (पैरा 3.2) में देखा गया, इस सीएफएस पर ट्रैफिक की कम मात्रा हल्दिया डॉक कॉम्पलेक्स (एचडीसी) के पास उपलब्ध अधिशेष कंटेनरीकृत कार्गों हैंडलिंग क्षमता के कारण है जो सीएफएस के लिए गेटवे पोर्ट के रूप में कार्य करता है। यह कारक इस सीएफएस स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय आईएमसी द्वारा ध्यान में नही रखा गया प्रतीत होता है।

ये उदाहरण दर्शाते है कि यह संभावना हो सकती है कि परियोजना की व्यवहार्यता अथवा आवश्यकता जैसे महत्वों की अपेक्षा आशय पत्र जारी करने से पूर्व किये गए निवेश अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए थे जिसके कारण आईएमसी का अनुमोदन प्रदान किया गया। चूंकि एक आईसीडी अथवा एक सीएफएस को कब और कैसे स्थापित किया जाना चाहिए, के लिए कोई नीति नहीं है, इसलिए आईएमसी से अनुमोदन प्राप्त किये बिना इस प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए डेवलपर्स पर कोई रोक नहीं है। डीओसी के दिशानिर्देश इस विषय पर मूक है।

आईएमसी ने अपनी बैठकों (मार्च 2017) के कार्यवृत्त में उल्लेख किया कि कई मामलों में, डेवलपर्स ने आशय पत्र जारी करने से पूर्व निवेश करना तथा अवसंरचना कार्य का निर्माण आरंभ किया था। इसके अलावा, डीओआर ने मई 2017 में बताया कि विद्यमान नीति में, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावों की जांच परियोजना विकासक द्वारा पर्याप्त निवेश किये जाने के बाद होती ही है जिसने अनुमोदन को एक निर्विवादित तथ्य बना दिया है।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2018) कि दिशानिर्देशों में इस सीमा तक बदलाव किऐ गऐ हैं कि एक प्रस्ताव के अनुमोदन पर जहां भी आवश्यक होगा शर्तों के साथ आवेदक को एलओआई जारी किया जाऐगा। एलओआई जारी होने से पूर्व अवसंरचना के विकास में किया गया किसी भी प्रकार का निवेश संबंधित विकासक के जोखिम पर होगा और क्षेत्राधिकारी सीमाशुल्क आयुक्त का 'सैद्धांतिक' संस्वीकरण प्राप्त करने से पूर्व निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष

आईसीडी और सीएफएस स्थापित करने के लिए डीओसी के वर्तमान दिशा-निर्देश संस्वीकरण प्रदान करते समय अनुपालित किऐ जाने वाले चेक लिस्ट निर्धारित करते हैं जो अधिक प्रक्रियागत प्रकृति के है और सिद्धांत और उद्देश्य निर्धारित करने हेतु ऐसे कोई उच्च स्तरीय नीति दस्तावेज या ढांचा नहीं है जो आईएमसी सदस्यों को प्रस्ताव का मूल्यांकन करने में मदद करे। इसके अतिरिक्त, आईएमसी या उसके घटक मंत्रालयों के लिए संस्वीकृति प्रक्रिया के अतिरिक्त कोई भूमिका और जिम्मेदारी प्रदान नहीं की गई है जिससे यह क्षेत्र अनियमित रह जाता है। इस प्रकार आईसीडी तथा सीएफएस क्षेत्र के लिए सर्वोच्च नियामक तथा मॉनीटरिंग निकाय होने की बजाय उसकी भूमिका एक बार स्थापित हो जाने पर आईसीडी और सीएफएस के निष्पादन को मॉनीटर करने के लिए बिना किसी जिम्मेदारी के अनुमोदन देने वाले निकाय तक सीमित है।

डीओसी जो कि एक नोडल मंत्रालय है, में आईसीडी तथा सीएफएस पर डाटा और सूचना का अभाव देश में कंटेनर ट्रैफिक का प्रबंध करने के लिए उपलब्ध अवसंरचना सुविधाओं पर आईएमसी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने से पहले

एक समग्र दृष्टिकोण बनाने को भी रोकता है। अनुमोदन क्षमता की आवश्यकता के व्यापक परिप्रेक्ष्य की तुलना में प्रत्येक मामले के आधार पर प्रदान किये गए।

लेखापरीक्षा द्वारा संग्रहीत सांख्यिकी से भी पता चलता है कि कंटेनर कार्गो के प्रहस्तन के लिए सृजित क्षमता का सतत रूप से कम उपयोग हुआ है जिसका एक कारण इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि आईएमसी अनुमोदन क्षेत्र में विद्यमान क्षमता पर पर्याप्त विचार किये बिना मामलों के आधार पर नए आईसीडी तथा आईसीडी के लिए अनुमोदन प्रदान किये जा रहे है।

आईएमसी के घटक मंत्रालयों से टिप्पणियों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण आईसीडी एवं सीएफएस की स्थापना के लिए प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करने में विलम्ब ने प्रस्तावों की शीघ्रतम मंजूरी तथा आईसीडी/सीएफएस की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक एकल-विंडों प्लेटफार्म के रूप में आईएमसी के अस्तित्त्व के मूल उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया है।

सिफारिशें

1. यह सिफारिश की जाती है कि सरकार सुदृढ़ तंत्र उपलब्ध कराने के लिए नीति स्तरीय दस्तावेज तैयार करे जो अनुमोदन प्रक्रिया के साथ-साथ मॉनीटरिंग और नियामक तंत्र को व्याप्त रूप से परिभाषित करे। ऐसा तंत्र केवल सीमाशुल्क कानून पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि यह कानून प्राथमिक रूप से सरकारी राजस्व की सुरक्षा और वस्तुओं के सीमा पर आवागमन को नियमित करता है और शुष्क बंदरगाह क्षेत्र की मॉनीटरिंग और विनियम की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता।

राजस्व विभाग ने आईसीडी तथा सीएफएस स्थापित करने के संबंध में अपने उत्तर (फरवरी 2018) में कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के पूर्व सीमा शुल्क की भूमिका सिफारिशकर्ता प्रकृति की है। एक बार वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आईसीडी और सीएफएस स्थापित करने का प्रशासनिक आदेश देने के पश्चात, ऐसे आईसीडी और सीएफएस सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाऐ विनियमों की शर्तों से विनियमित क्षेत्र है। देश में शुष्क बदंरगाहों के लिऐ कानून के संबंध में, आईएमसी के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय उचित कार्रवाई कर सकता है।

एग्जिट बैठक के दौरान, डीओसी के प्रतिनिधियों ने बताया कि देश में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट लॉजीस्टिक स्थापित करने के लिए सरकार की नीति की परिधि में आईसीडी/सीएफएस का मुद्दा कवर किया जा सकता है।

2. यह सिफारिश की जाती है कि डीओसी द्वारा आईसीडी तथा सीएफएस पर एक वेबसाइट बनाई जाए जहाँ आईसीडी तथा सीएफएस के प्रचालन पर अद्यतित डाटाबेस तथा वास्तविक समय जानकारी तक सभी पणधारकों द्वारा पहुंच बनाई जा सके।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2018) में बताया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विकसित वेबसाईट पर शुष्क बदंरगाहों के अनुमोदनों पर वास्तविक समय जानकारी उपलब्ध है।

यह उत्तर इस लेखापरीक्षा आपत्ति का समाधान नहीं करता कि वर्तमान में सूचना का कोई स्त्रोत अथवा नोडल एजेन्सी नहीं है जो देश में आईसीडी/सीएफएस की वास्तविक संख्या, स्थान और क्रियान्वयन स्थिति की जानकारी दे सके।

एग्जिट बैठक के दौरान, डीओसी अधिकारियों ने बताया कि मल्टीमॉडल ट्रांसर्पोट लॉजिस्टिक पर एक पोर्टल का प्रयोग एकल जानकारी स्रोत के रूप में किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के अपने उत्तर (फरवरी 2018) में कहा कि वे लेखापरीक्षा सिफारिश से सहमत है।

अध्याय -4

कंटेनरीकृत कार्गो में व्यापार को सुविधाजनक करने में आईसीडी तथा सीएफएस की प्रभावकारिता

आईसीडी तथा सीएफएस के संरक्षको को अपने संबंधित परिसरों पर प्रहस्तन किए जा रहे आयात एवं निर्यात माल की अपेक्षित अवसंरचना तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाताओं (सीसीएसपी) के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय कंटेनर कार्पोरेशन निगम (कोनकोर), केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी), पंजाब वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन (पीडब्ल्यूसी) और बॉमर एण्ड लॉरी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो में से एक है जिनकी आईसीडी तथा सीएफएस सहित कंटेनर लॉजिस्टिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इनके अलावा निजी लॉजिस्टिक कम्पनियों की महत्वपूर्ण संख्या है जिन्होंने संरक्षक के रूप में आईसीडी तथा सीएफएस की स्थापना की है।

सीमा शुल्क क्षेत्र में कार्गो का प्रबंधन विनियम (एचसीसीएआर), 2009 एक सीमाशुल्क क्षेत्र में आयातित माल/निर्यातित माल की प्राप्ति, भण्डारण, सुपुर्दगी अथवा अन्यथा प्रबंधन के ढंग का प्रावधान करता है। सीसीएसपी से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि कंटेनरों का दक्ष लदान, उतराई, स्टेकिंग, प्रहस्तन, भराई तथा उतराई उनके भंडारण, प्रेषण तथा सुपुर्दगी के लिए पर्याप्त अवसंरचना, उपकरण तथा श्रम सहित पॉवर बैक अप के साथ कस्टम इलैक्ट्रानिक्स डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई) सहित सम्बद्धता तथा खतरनाक कार्गो के प्रहस्तन के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध है। परिसर, जिसमें एक आईसीडी अथवा एक सीएफएस प्रचालित है, उठाईगीरी तथा चोरी से बचने सहित कार्गो की अभिरक्षा के संबंध में अच्छी तरह से संरक्षित एवं सुरक्षित होने चाहिए।

आईसीडी में डीओसी स्थापित करने का अर्थ माल के निर्धारण एवं निकासी, कंटेनरों की भराई तथा उतराई करने के निरीक्षण सहित कंटेनरों की जाँच से है। सीमा शुल्क स्टाफ को स्थायी आधार तथा लागत वसूली के आधार पर नियुक्त किया जाता है। सीएफएस में, सीमा शुल्क कार्य माल की भराई तथा उतराई के पर्यवेक्षण तथा जाँच तक सीमित है। माल का निर्धारण तथा निकासी मुख्य बंदरगाह/आईसीडीएस से होता है जिससे सीएफएस जुडी है।

मर्चेंट ओवरटाईम आधार पर नियुक्त सीमा शुल्क अधिकारी सीएफएस में सीमा शुल्क कार्यों का निर्वहन करते है।

क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क कमिश्नर यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह है कि संरक्षक एचसीसीएआर 2009 की शर्तों को पूरा करते है।

लेखापरीक्षा ने चयनित आईसीडी/सीएफएस तथा क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क प्राधिकरणों में उपलब्ध फाईलों तथा रिकार्डों तथा चयनित आईसीडी तथा सीएफएस पर कार्गो के प्रहस्तन के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जाँच निम्नलिखित जानने के लिए की:

- एचसीसीएआर 2009 के तहत शर्तों को पूरा करना,
- व्यापार की आवश्यकताओं पूरा करने में सक्षम हैं तथा
- कुशल एवं निर्बाध परिवहन संभार तन्त्र प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित निदर्शी मामलें देखे:

4.1 पर्याप्त अवसंरचना के बिना कार्यरत आईसीडी

एचसीसीएआर 2009 के नियम-5 के अनुसार, आयातित अथवा निर्यातित माल की अभिरक्षा के लिए तथा सीमा शुल्क क्षेत्र में ऐसे माल के प्रहस्तन के लिए सीसीएसपी सीमा शुल्क कमिश्नर की संतुष्टि तक प्रचालन तथा स्टैकिंग क्षेत्र में प्रयोग के लिए भारी उपकरण के लिए मानक पटरी सहित कंटेनरों के लदान, उतराई, स्टैकिंग, प्रहस्तन, भराई तथा उतराई, स्टोरेज, प्रेषण तथा कंटेनरों एवं कार्गो आदि की सुपुर्दगी आदि के लिए अवसंरचना, उपकरण तथा पर्याप्त श्रम को प्रावधान करेगा।

I. साउथ इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं केरल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवलपमेंट कार्पोरेशन (केआईएनएफआरए), केरल सरकार का एक सांविधिक निकाय, के बीच एक सार्वजनिक निजी सांझेदारी परियोजना के रूप में स्थापित आईसीडी कोट्टयम अक्तूबर 2009 से काम कर रहा है। परियोजना को राज्य को निर्यात अवसंरचना तथा सहायक कार्यकलाप के विकास के लिए सहायता (एएसआईडीई) निधि से ₹8.20 करोड़ से निधिबद्ध किया गया जो निर्यात को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की एक योजना है।

यह देखा गया था कि यद्यपि आईसीडी से प्रतिवर्ष 9000 टीईयू का प्रबंधन अपेक्षित था, तथापि 2012-17 तक पांच वर्षो के दौरान आईसीडी पर केवल 9159 टीईयू का प्रबंधन किया गया था जिसमे से केवल 609 टीईयू (कुल मात्रा का 6.7 प्रतिशत) निर्यात से संबंधित थे। आईसीडी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिएएक हजार से अधिक निर्यातको के प्रक्षेपण के प्रति, केवल 25 निर्यातकों ने लेखापरीक्षा के समय तक सुविधा का लाभ उठाया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईसीडी में कंटेनरों के संचालन के लिए मूल प्रहस्तन उपकरण जैसे लिफ्ट ऑफ तथा लिफ्ट ऑन के लिए रीच स्टैकर उपलब्ध नही थे। अन्तर्देशीय जलमार्ग से कोट्टायम तथा आईसीटीटी वल्लारपदम के बीच कार्गो के परिवहन के लिए ₹ 2.51 करोड की लागत से निर्मित घाट तथा जेटी को घाट से घाट तक कंटेनरों के लदान तथा उतराई के लिए क्रेन उपलब्ध न होने के कारण उपयोग नही किया जा सका।

II. आईसीडी वेरना, गोवा में लेखापरीक्षा ने देखा कि एचसीसीएआर 2009 की न्यूनतम अवसंरचना सुविधा शर्तों को पूरा नही किया गया था। न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र की शर्त का उल्लंघन किया गया क्योंकि आईसीडी के तहत अधिसूचित क्षेत्र केवल 1.2 हेक्टेयर था, जो आईसीडी के लिए आवश्यक 4 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्र से बहुत कम था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2015 से संस्थापित ईडीआई की संबंद्धता बीएसएनएल के साथ निपटाये न गये अन्य मामलों के कारण कार्य नही कर रही थी। अत: आयातक एवं निर्यातक सीमाशुल्क सदन मरगाँव, गोवा में अपने बीई तथा एसबी हस्त्यरूप से भर रहे थे। आईसीडी का प्रवेश एवं निकास के लिए एक द्वार था, यद्यपि एचसीसीएआर अपेक्षा करता है कि प्रवेश तथा निकास के लिए अलग-अलग द्वार होना चाहिए। आईसीडी ने सितम्बर 2015 में इलैक्ट्रानिक तुला सेतु संस्थापित किया था जिसे सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उपयोग में नही लाया जा रहा था।

डीओआर ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2018) कि वर्तमान में आईसीडी कोट्टायम में कंटेनरों के लदान और उतराई के लिए क्रेन

की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि बार्ज के माध्यम से कंटेनरों की आवाजाही में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। आईसीडी वर्ना में, पूर्ण क्षमता की ईडीआई कनेक्टिविटी उपलब्ध है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से कार्गों की निकासी के लिए मैनुअल अनुमति प्रदान की गई थी। कंटेनरों के आवागमन के लिये गेटों के उपयोग पर स्पष्टीकरण देते हुऐ डीओआर ने बताया कि यह कार्गों की कम संख्या के कारण किया गया था।

डीओसी की प्रतिक्रिया इन दो आईसीडीज की व्यवहार्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है।

चित्र 17

आईसीडी वेरना गोवा में एकल प्रवेश/निकास द्वार का फोटोग्राफ

4.2 निर्दिष्ट सीमांकित क्षेत्र की अनुपलब्धता

एचसीसीएआर 2009 के नियम 6 में अनुबंधित है कि यह संरक्षक की जिम्मेवारी है कि वह नीलामी के माल के प्रहस्तन के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराने के साथ-साथ आयातित माल तथा निर्यातित माल की उतराई तथा स्टोरेज के लिए अलग से क्षेत्र का सीमांकन करे। इसी प्रकार, सीबीईसी के दिनांक 23 जुलाई 2013 के अनुदेश सं. एफ.सं. 450/19/2005- सीमाशुल्क IV के अनुसार, सभी संरक्षकों को आयात एवं निर्यात परेषण दोनों के लिए आवश्यक जांच करने के लिए संयंत्र संगरोध प्राधिकारियों को सक्षम करने के लिए पश्च धूंए वाले स्थानों तथा स्टोरेज तथा धूमन के लिए अलग से तथा समर्पित स्थान उपलब्ध कराना अपेक्षित था। बोर्ड ने संबंधित सीमा शुल्क कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने के भी अनुदेश दिए थे कि निदेशों का तुरंत एवं निष्ठापूर्वक अनुपालन किया गया था।

लेखापरीक्षा में नमूना जांचित 85 आईसीडी तथा सीएफएस में से, यह देखा गया कि छह आईसीडी तथा नौ सीएफएस पर अपेक्षित सीमांकित क्षेत्र उपलब्ध नही था जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 3

निर्दिष्ट सीमांकित क्षेत्र की अनुपलब्धता

सीमांकित स्थान उपलब्ध नही	आईसीडी/सीएफएस तथा क्षेत्राधिकारी सीमाशुल्क कमिश्नरी के नाम
आयात एवं निर्यात कार्गो के भण्डारण हेतु अलग क्षेत्र	मेरठ कमिश्नरी के तहत आईसीडी मुरादाबाद; कानपुर कमिश्नरी के तहत आईसीडी पनकी; नोयडा कमिश्नरी के तहत सीएफएस सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक पार्क्स लि.दादरी; **(2 आईसीडी तथा 1 सीएफएस)**
नीलामी कार्गो के भण्डारण हेतु अलग क्षेत्र	मेरठ कमिश्नरी के तहत आईसीडी मुरादाबाद; कानपुर कमिश्नरी के तहत आईसीडी पनकी; नोयडा कमिश्नरी के तहत सीएफएस सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक पार्क्स लि. दादरी; बैंगलूरू कमिश्नरी के तहत चार आईसीडी/सीएफएस: आईसीडीव्हाईटफील्ड, सीएफएस-सीडब्ल्यूसी व्हाईटफील्ड, मेरीगोल्ड लॉजिस्टिक प्रा.लि. तथा सीएफएस-एचएएल;सीएफएस मंगलौर कमिश्नरी के तहत सीएफएस सीडब्ल्यूसी पनम्बूर; मंगलौर कमिश्नरी के तहत सीएफएस-सीडब्ल्यूसी पनम्बूर; बेलगाम कमीश्नरी के तहत आईसीडीदेसूर; **(4 आईसीडी तथा 5 सीएफएस)**
कार्गो के धूम्रीकरण और पश्च धूम्रीकरण भंडारण के लिए अलग क्षेत्र	मेरठ कमिश्नरी के अंतर्गत आईसीडी मुरादाबाद; कानपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आईसीडी पनकी; नोएडा कमिश्नरी के अंतर्गत सीएफएस सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक पार्क्स लिमि., दादरी; बंगलूरू कमिश्नरी के अंतर्गत चार आईसीडी/सीएफएस: आईसीडी वाईटफील्ड, सीएफएस सीडब्ल्यूसी-वाईटफील्ड, सीएफएस मेरीगोल्ड लॉजिस्टिक्स प्रा.लि. तथा सीएफएस-एचएएल; मंगलूरू कमिश्नरी के अंतर्गत सीएफएस-सीडब्ल्यूसी पनमबूर;

	बेलगाम कमिश्नरी के अंतर्गत आईसीडी देसुर; कोलकाता (पत्तन) कमिश्नरी के अंतर्गत सीएफएस: सीडब्ल्यूसी; कोलकाता, सेंचुरी प्लाई (जेजेपी) कोलकाता, सेंचुरी प्लाई (सोनाई) कोलकाता तथा एलसीएल लॉजिस्टिक्स, हल्दिया; शिलांग कमिश्नरी के अंतर्गत आईसीडी अमीनगांव; बोलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आईसीडी दुर्गापुर; ***(6 आईसीडी तथा 9 सीएफएस)***

कोलकाता (पत्तन) कमिश्नरी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि सभी सीएफएस को तुरंत अलग फ्यूमीगेशन/पोस्ट फ्यूमीगेशन साईट उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गए है। सीजीएसटी कमिश्नरी, बोलपुर ने बताया (दिसम्बर 2017) कि आईसीडी दुर्गापुर के अभिरक्षक को फ्यूमीगेशन के लिए क्षेत्र आबंटित/निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुऐ डीओआर ने बताया (फरवरी 2018) कि नोएडा सीमाशुल्क, आईसीडी मुरादाबाद तथा बंगलुरू सिटी कमिशनरियों में, अभिरक्षकों ने हानिकारक तथा गैर हानिकारक कार्गों के भंडारण तथा हैंडलिंग के लिये अलग क्षेत्र आबंटित/निर्धारित कर दिये हैं। सीडब्ल्यूसी पनमबुर, मगंलूरू कमिश्नरी और शिलांग कमिश्नरी को अलग निर्धारित क्षेत्र उपलब्ध कराने और एचसीसीएआर 2009 विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

4.3 खतरनाक वस्तुओं के भंडारण हेतु स्थान की अनुपलब्धता

परिपत्र सं. 04/2011-सीमाशुल्क दिनांक 10 जनवरी 2011 तथा परिपत्र सं. 40/2016 दिनांक 26 अगस्त 2016 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आयातित वस्तुऐं या निर्यातित वस्तुऐं जो खतरनाक प्रकृति की है, का भंडारण सीसीएसपी के स्वीकृत परिसर में अन्य सामान्य कार्गो से पूर्णतया अलग स्थल पर कार्गो की खतरनाक प्रकृति के वर्गीकरण के अनुसार और अधिसूचित परिसर में भंडारण के लिए आबंटित स्थानों में समुचित रूप से निर्मित परिसर जिसमें उष्मा और अग्नि रोधी दीवारें, आरसीसी छत और फर्श हों, में किऐ जाने चाहिए। खतरनाक मलबा (प्रबंधन, प्रहस्तन, ट्रांसबाउंड्री) नियमावली, 2009 के प्रावधानों और खतरनाक रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियमावली

1989 और सरकार द्वारा निर्धारित अन्य संबंधित नियम और विनियमों का ऐसी वस्तुओं के भंडारण और प्रहस्तन में अनुपालन किया जाना चाहिए। एचसीसीएआर, 2009 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अभिरक्षकों को परिसर की सुरक्षा और सुरक्षा उपाय की शर्तों में किसी प्रकार की रियायत या छूट अनुमत नहीं की जानी है। सीबीईसी ने आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है कि परिसरों की सुरक्षा तथा अभिरक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों का सीसीएसपी की नियुक्ति के समय पर सख्ती से अनुपालन किया जाता है और उसके बाद निगरानी की जाती है। विनियम 10 के उप-विनियमन (2) के परन्तुक के अनुसार पूर्व में नियुक्त किये जा चुके अभिरक्षकों के ऐसे दायित्वों की समीक्षा करना भी अधिदेशित था।

आईसीडी और सीएफएस पर खतरनाक कार्गो के लिए समुचित भंडारण और प्रहस्तन सुविधाएं सुनिश्चित करने की सख्त शर्तों के बावजूद भी, लेखापरीक्षित 85 आईसीडी/सीएफएस में यह देखा गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान **(विवरण 10)** 13 आईसीडी और 11 सीएफएस में खतरनाक कार्गो के भंडारण और प्रहस्तन के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, खतरनाक कार्गो के भंडार और प्रहस्तन के लिए असज्जित ऐसे आईसीडी/सीएफएस में खतरनाक वस्तुओं के भंडारण के निम्नलिखित उदाहरण देखने को मिले:

(क) चेन्नई IV कमिश्नरी के अंतर्गत, सीएफएस डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड पर खतरनाक कार्गो के प्रहस्तन के लिए अलग से जगह निश्चित नहीं की गई थी। यह बताया गया (जुलाई 2017) कि उनके द्वारा किसी ऐसे कार्गो का प्रहस्तन नहीं किया गया था। तथापि, अनिकासित कार्गो (यूसीसी) फाइलों के सत्यापन से पता चला कि खतरनाक प्रकृति की वस्तुओं नामत: फॉस्फॉनों मिथाइल ग्लिसरीन 2 प्रोप्लायामाईन (ग्लाईफॉसेट-41 प्रतिशत) आयात किये गये थे और अनिकासित पड़े हुए थे।

(ख) आईसीडी, पटपड़गंज पर, जहां खतरनाक कार्गो के लिए कोई अलग स्थान निश्चित नहीं किया गया था, खतरनाक कार्गो शेड के बाहर खुले स्थान में रखा जाता है। प्रशासनिक भवन, हाउसिंग कस्टम्स तथा सीडब्ल्यूसी कार्यालय, बैंक, आदि कार्गो प्रहस्तन क्षेत्र में कार्गो शेड के निकट में स्थित है,

जो एक दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है क्योंकि कार्गो प्रहस्तन कार्यकलापों के दौरान वहां दुर्घटना हो सकती है। 2000-2012 की अवधि के दौरान फर्नेस ऑयल, रेज़िड्यू वैक्स, बेस ऑयल जैसे ज्वलनशील पदार्थों वाले 30 कंटेनरों का आयात किया गया जो इस आईसीडी में ज्यो के त्यों ही पड़े थे। इनमें केंद्रीय राजस्व नियत्रंक प्रयोगशाला (सीआरसीएल) द्वारा अत्यधिक खतरनाक पदार्थ घोषित 18 कटेंनर फर्नेस ऑयल के भी शामिल थे। आईसीडी पटपड़गंज के अभिरक्षक, सीडब्ल्यूसी ने यह बताया कि ऐसे कार्गो के लिए विशिष्ट क्षेत्र अभी विकासाधीन है लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ग) विशाखापत्तनम में सीएफएस गेटवे ईस्ट इंडिया प्रा. लि. तथा सीएफएस सीएमए सीजीएम लॉजिस्टिक पार्क प्रा. लि., दादरी नोएडा पर एक ही भंडारण क्षेत्र में खतरनाक कार्गो को सामान्य कार्गो के साथ रखा गया था तथा सीएफएस श्रवन शिपिंग सर्विस प्रा. लि., विशाखापत्तनम में खतरनाक वस्तुऐं अन्य कार्गो के साथ सीएफएस के प्रवेश द्वार के सामने भंडार की गई थी, जिसके कारण परिसर में प्रवेश करने वाले कार्गो ट्रक/ट्रेलरों के साथ टकराने का भय बना रहता है। किसी भी सीएफएस में खतरनाक कार्गो के भंडारण और प्रहस्तन के लिए अलग से सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

आईसीडी और सीएफएस में खतरनाक कार्गो के भंडारण और प्रहस्तन ऐसे स्थानों पर किया गया था, जहां पर जान और माल दोनों की सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के लिए अत्यधिक खतरा था और ऐसे कार्गो के लिए अलग भंडार और प्रहस्तन सुविधाऐं उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त चूंकि कंटेनरीकृत कार्गो में किसी भी समय वास्तविक लॉजिस्टिक गलती या बेईमान आयातकों द्वारा गलत-घोषणा के कारण खतरनाक कार्गो होने की जानकारी प्राप्त हो सकती है, सभी सीसीएसपी के पास खतरनाक कार्गो के भंडारण और प्रहस्तन के लिए सुविधाएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए, चाहे वे सामान्यरूप से खतरनाक वस्तुओं का प्रहस्तन करें या नहीं।

चित्र: 18 सामान्य कार्गो के साथ भंडार किये गये खतरनाक कार्गो के चित्र

सीएफएस गेटवे ईस्ट इंडिया प्रा. लि., विशाखापत्तनम पर एक ही भंडारण क्षेत्र में खतरनाक और सामान्य कार्गो रखे हुऐ।	**सीएफसी श्रवण शिपिंग सर्विस प्रा. लि., विशाखापत्तनम में मुख्य प्रवेश द्वार के सामने भंडार किये गये खतरनाक कार्गो।**

डीओआर ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुऐ कहा (फरवरी 2018) कि विशाखापत्तनम कमिश्नरी के अंतर्गत कॉनकॉर (सीएफएस) तथा गेटवे सीएफएस में हानिकारक वस्तुओं की हैंडलिंग के लिए अलग जगह चिन्हित की गई है और हानिकारक वस्तुओं के साथ अन्य वस्तुऐं नहीं रखी गई थी। श्रवण (सीएफएस) में हानिकारक वस्तु होने के कारण फार्मा रसायन मुख्य द्वार के समीप रखे गऐ थे।

आईसीडी पटपड़गंज के संबंध में, डीओआर ने बताया कि अभिरक्षक (सीडब्ल्यूसी) ने अपने ग्राहकों को इस पत्तन पर हानिकारक वस्तुऐं न लाने की सलाह दी क्योंकि यह पत्तन दिल्ली के केंद्र में स्थित है।

इसके अतिरिक्त डीओआर ने कहा कि एचसीसीएआर 2009 के उल्लंघन के लिए संबंधित सीएफएस को कारण बताओं नोटिस जारी करने का प्रस्ताव है।

डीओआर का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह आईसीडी और सीएफएस के अभिरक्षकों द्वारा हानिकारक वस्तुओं की हैंडलिंग के संबंध में समुचित सुरक्षा मानकों और व्यवहार में कमी के गंभीर प्रणालीगत मुद्दे को संबोधित नहीं करता।

4.4 ईडीआई कनेक्टिविटी में व्यवधान

भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) 1.5 सीमाशुल्क कार्गो के स्वचालनीकरण के लिए एक एकीकृत सूचना प्रणाली (आईएस) है, जिसका प्रबंधन तथा रखरखाव सीबीईसी के अंतर्गत महानिदेशक प्रणाली और डाटा

प्रबंधन द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से व्यापारिक समुदाय सीमाशुल्क और अन्य पणधारियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सूचना का आदान-प्रदान कर सकता है। दस्तावेजों की फाईलिंग, पणधारियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान, कार्गो आवागमन सीमाशुल्क निकासी आदि के द्वारा परेशानी मुक्त व्यापार के लिए न्यूनतम रूकावट के साथ प्रणाली का सुचारू कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।

सीमाशुल्क ईडीआई सेवा की उपलब्धता में व्यवधान इन कारणों से आ सकता है:

(क) स्थानीय कारण जैसे आईसीडी या सीएफएस में इंस्टॉल किऐ गये ईडीआई टर्मिनल और आईसीईएस के बीच अंतिम मील कनेक्टिविटी में व्यवधान, जो कि आईसीडी और सीएफएस अभिरक्षक द्वारा स्थानीय टेलिकॉम सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है; या

(ख) स्वयं सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली में कनेक्टिविटी मसले जैसे सर्वर विफलता, डब्ल्यूएएन कनेक्टीविटी मसले, भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे (आईस गेट) कारण आदि।

स्थानीय टेलिकॉम प्रदाता के साथ ब्रेकडाउन कारणों को लेकर लास्ट माईल कनेक्टिविटी को पुन: स्थापित करने के लिए अभिरक्षक जिम्मेदार है, जबकि आईसीईएस सेवा का पुन: स्थापन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीमाशुल्क की होती है, जो कि महानिदेशक (प्रणाली) के पास 'सक्षम सेवा' नामक एसआई हेल्पडेस्क में 'टिकट' प्रस्तुत करके आईसीईएस सेवा व्यवधानों की समयानुसार रिर्पोटिंग करके सुनिश्चित की जानी है।

लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा के लिए चयनित आईसीडी और सीएफएस पर खराबी की बारम्बरता तथा खराबी की सूचना की संख्या को देखकर ईडीआई कनेक्शनों की कार्यक्षमता का निर्धारण किया। 38 आईसीडी और 40 सीएफएस से रूके काम समय अभिलेखों के रखरखाव पर जानकारी प्राप्त हुई थी।

(i) लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थानीय कनेक्टिविटी विफलताओं और/या आईसीईएस काम में रूकावट के लिए लॉग बुक का रखरखाव केवल 38

आईसीडी में से केवल छ:[12] और 40 सीएफएस में से तीन[13] में किया जा रहा था जहां से जानकारी प्रदान की गई। तथापि, ऐसे सभी ब्रेकडाउन और उनकी अवधि के अभिलेख के रखरखाव के लिए किसी निर्धारित प्रक्रिया की अनुपस्थिति में इन थोड़े से रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता का सत्यापन भी नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, फील्ड लोकेशनों पर सीमाशुल्क ईडीआई कनेक्टिविटी को प्रभावित करने वाली कनेक्टिविटी की धीमी गति को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने के लिए सीबीईसी ने कोई भी बेंचमार्क/ पैरामीटर या कोई प्रणाली विकसित नहीं की है।

आईसीडीदुर्गापुर में ईडीआई कनेक्टिविटी की बार-बार खराबी

आईसीडी, दुर्गापुर में सीमाशुल्क प्राधिकारी ने बताया कि वहां ईडीआई कनेक्टिविटी में बार-बार और लगभग प्रतिदिन विफलताएं आती थी और ईडीआई हेल्पडेस्क (सक्षम सेवा) में बार-बार शिकायतें दर्ज की गई लेकिन कार्यालय में उनका कोई मैनुअल रिकॉर्ड नहीं रखा जारहा था। अधिकतर मामलों में, शिकायतें फोन पर दर्जकी गई थी और जैसे और जब भी समस्या हल हो जाती थी उसकी जानकारी भी (हेल्पडेस्क) फोन पर दे दी जाती थी। ऐसी फोन कॉल के रिकॉर्ड का रखरखाव करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त यह भीबताया गया कि शिकायतों के रिकॉर्ड का रखरखाव करने संबंधी कोई निर्देश नहीं हैं।

(ii) लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीमाशुल्क कमिश्नरी, मरमगोआ के अंतर्गत आईसीडी, वर्ना, गोआ में, कोलकाता (पत्तन) कमिश्नरी के अंतर्गत हल्दिया, पश्चिम बंगाल में स्थित चार सीएफएस में से तीन (एलसीएल लॉजिस्टिक्स प्रा. लि., ए.एल. लॉजिस्टिक्स तथा एपीजे इंफ्रालॉजिस्टिक्स) तथा मंगलुरू कमिश्नरी के अंतर्गत सीएफएस पनमबुर में कनेक्टिविटी ईडीआई की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

आईसीडी और सीएफएस परिसरों में ईडीआई कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता के कारण वहां तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों के लिए समयबद्ध एंग से कार्गो जांच रिपोर्ट, निर्यात परेषणों के लिए लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलईओ) प्रदान करने, आयात कंसाईंमेंट के लिए आउट ऑफ चार्ज (ओओसी) देने आदि फाइल

[12]आईसीडीएस: सेंट जांन, तूतीकोरिन; इरूगट्टुकोटाई, चेन्नई, होसूर, त्रिची, व्हाइटफील्ड, बेंगलरू, अमीनगांव, असम, लोनी, नोएड़ा।

[13]सीएफएस: गेटवे डिस्ट्रीपार्क, मनाली न्यू टाउन, चेन्नई, त्रिवे, चेन्नई, बामर लॉरी एंड कं, कोलकाता

करना असंभव हो रहा था जिससे आईसीडी और सीएफएस में प्रहस्तित कार्गो देर तक पड़ा रहता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जून 2017, में 18 व्यापार संघ और बड़े कॉरपोरेट घरानों ने संयुक्त रूप से सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली/आईस गेट में बारबार ब्रेकडाउन के मामले पर यह कहते हुऐ प्रधानमंत्री द्वारा त्वरित दखल देने की मांग की कि व्यापार और उद्योग जगत आयात/निर्यात तथा कंसाईनमेंट की निकासी में प्रतिदिन सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली के काम में रूकावट के कारण गंभीर कठिनाई का सामना कर रहा है; जिसके कारण निकासी के लिए नियत समय में वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप लेनदेन की लागत में अत्यंत वृद्धि हुई। इस विरोध-पत्र में इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि यद्यपि व्यापार ओर उद्योग जगत द्वारा यह मामला सीबीईसी के समक्ष नियमित रूप से उठाया जा रहा है, फिर भी काम में रूकावट के मामलों की आवृत्ति बढ़ी है।

आईसीडी/सीएफएस में काम में रूकावट समय डाटा की अनुपलब्धता के कारण विभिन्न आईसीडी और सीएफएस से प्राप्त आईसीईएस अनुपलब्धता से संबंधी शिकायतों के लिए प्रस्तुत टिकटों की संख्या पर स्थान वार डाटा और उनके समाधान समय डाटा सितम्बर 2017 में महानिदेशक (सिस्टम) से मंगाऐ गये थे, लेकिन जानकारी अभी तक प्रतीक्षित है।

डीओआर ने अपने उत्तर (फरवरी 2018) में बताया कि लेखापरीक्षा की यह आपत्ति कि कनेक्टिविटी की धीमी गति के मामलों को रिकॉर्ड करने के लिऐ कोई प्रणाली नहीं है, उस अवसंरचना के लिऐ गलत है जिसका प्रावधान महानिदेशक,(सिस्टम) द्वारा किया जा चुका है। एक विशिष्ट स्थान पर नेटवर्क कनेक्टीविटी (महानिदेशक, सिस्टम द्वारा उपलब्ध) की गुणवत्ता और उपलब्धता की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है। नियोजित और अनियोजित डाउनटाईम के साथ-साथ महानिदेशक (सिस्टम) द्वारा उपलब्ध कराई गई नेटवर्क कनेक्टिविटी ऐसी जानकारी का व्यवस्थित ढंग से रखरखाव करती है और यह महानिदेशक (सिस्टम) के पास सरलता से उपलब्ध है।

तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न आईसीडी और सीएफएस से प्राप्त आईसीईएस की अनुपलब्धता से संबंधित शिकायतों के लिए प्रस्तुत टिकटों पर

स्थान-वार डाटा और उनके समाशोधन वर्तमान तिथि तक उपलब्ध नहीं कराये गऐ है।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने आईसीडी की स्थापना करने परन्तु उनके कार्यशील न होने के मामले देखे क्योंकि आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिससे निर्मित समग्र क्षमता अप्रयुक्त रह गई।

अनेक आईसीडी और सीएफएस द्वारा एचसीसीएआर 2009 के अंतर्गत यथा आवश्यक खतरनाक कार्गो के प्रहस्तन के लिए स्थान पृथक्करण सहित विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के लिए स्थान चिन्हित नहीं किया गया जिससे जीवन और पर्यावरण पर संकट हो सकता है।

ईडीआई कनेक्टिविटी जो कि आयातों और निर्यातों की त्वरित निकासी की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, की लगातार निगरानी किये जाने की आवश्यकता है। तथापि, ईडीआई स्थानों जहां से ईडीआई सुविधा की अनुपलब्धता का पता और स्थानीय निगरानी की जा सकती है, पर सीबीईसी द्वारा ईडीआई में रूके काम समय रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त महानिदेशक (प्रणाली) किसी भी पणधारी के साथ ईडीआई में रूके काम समय की सीमा पर कोई जानकारी साझा नहीं करते और इस संबंध में महानिदेशक (प्रणाली) के प्रदर्शन में कोई भी पारदर्शिता नहीं है।

सिफारिशें

1. ***खतरनाक वस्तुओं के प्रहस्तन सहित विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के लिए स्थानों का पृथक्करण कार्मिकों की सुरक्षा और पर्यावरण संकट की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सीबीईसी इन आवश्यकताओं के उल्लंघन में लिप्त सीसीपीएस के लिए एचसीसीएआर के अंतर्गत दंडात्मक खण्ड प्रस्तुत करने पर विचार करें।***

   डीओआर ने अपने उत्तर (फरवरी 2018) में बताया कि सीमाशुल्क क्षेत्र में कार्गों की हैंडलिंग के विनियमों में शास्ति प्रावधान पहले से विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्राधिकारी मुख्य आयुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले आईसीडी और सीएफएस के सीमाशुल्क

क्षेत्र में कार्गों हैंडलिंग के विनियमों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार प्रदर्शन को मॉनीटर करने को कहा जाएगा।

2. ***सभी ईडीआई स्थानों पर रूके काम समय की जानकारी सभी प्रयोगकर्ताओं और पणधारियों को आसानी से उपलब्ध की जानी चाहिए क्योंकि सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली कार्गो की निकासी के लिए महत्वपूर्ण है। सीबीईसी सभी ईडीआई स्थानों के लिए रूके काम समय डाटाबेस प्रणाली बनाने और यह जानकारी सीसीपीएस के प्रदर्शन उपायों के भाग के रूप में सार्वजनिक करने को आवश्यक बनाने पर विचार कर सकता है।***

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर (फरवरी 2018) में बताया कि विशिष्ट स्थान पर नेटवर्क कनेक्टिविटी (डीजी (सिस्टम) द्वारा उपलब्ध कराई गई) की गुणवत्ता और उपलब्धता की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, डीजी (सिस्टम) द्वारा दी गई नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ-साथ नियोजित एवं अनियोजित डाउनटाइम के लिए ऐसी सूचना का प्रणालीगत रूप से रख रखाव किया जा रहा है और यह डीजी (सिस्टम) के पास सरलता से उपलब्ध है। तथापि, इसकी सूचना प्रतीक्षित हैं।

अध्याय 5

आईसीडी और सीएफएस के परिचालन के लिए नियामक संरचना

आईसीडी और सीएफएस के लिए नियामक तंत्र कानूनों अर्थात सीमाशुल्क अधिनियम 1962; सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975; सीमाशुल्क नियमपुस्तक तथा विनियम जैसे; गुड्स इंपोर्टेड कंडिशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट रेग्युलेशन, 1995; हैंडलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरिया रेगुलेशन, 2009; खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा सीमा-पार कार्यकलाप) नियमावली 2016 तथा समय-समय पर सीबीईसी से जारी निदेशों, परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं से व्युत्पन्न है।

नियामक तंत्र आईसीडी तथा सीएफएस से गुजरने वाले कार्गो की मॉनीटरिंग के लिए, सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए प्रावधान, पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान और आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता के लिए मुख्य शर्तों का निर्धारण करता है।

लेखापरीक्षा ने चयनित आईसीडी और सीएफएस पर लेनदेनों की नमूना जांच और संबंधित रिकॉर्डों की जांच के द्वारा नियामक तंत्र के अनुपालन के स्तर और सीमा की जांच की। प्रक्रिया में, लेखापरीक्षा ने यह भी निर्धारण किया कि क्या ये नियम पर्याप्त थे और सरकारी राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए उनका प्रभावी अनुपालन किया जा रहा था।

5.1 कार्गो की मॉनीटरिंग

आयात-निर्यात कार्गो के संबंध में आईसीडी और सीएफएस से गेटवे पोर्ट तक तथा विपरीत क्रम में कंटेनरों की गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रणाली की जांच करने के लिए, लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या मॉनीटरिंग मानवीय रूप से की गई थी या आईसीईएस के ट्रांसशिपमेंट मॉड्यूल के माध्यम से की गई जिसमें सीमा शुल्क, पत्तन प्राधिकारियों, आईसीडी और शिपिंग एजेंसी के बीच कंटेनरीकृत कार्गो की ट्रांसशिपमेंट के संदेशों का इलेक्ट्रॉनिकली आदान-प्रदान शामिल है।

मॉनीटरिंग की मानवीय प्रणाली में, यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि आवधिक मिलान किया गया था, लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या आयात

कार्गो के संबंध में आंरभिक पत्तन पर आईसीडी और सीएफएस द्वारा जारी लैडिंग प्रमाणपत्र सीमाशुल्क को प्रस्तुत किये गये है और निर्यात कार्गो के संबंध में गेटवे पत्तन से ईजीएम की प्रति के साथ शिपिंग बिल की पारगमन प्रति आईसीडी और सीएफएस द्वारा प्राप्त की गई थी।

लॉग स्टैडिंग कंटेनर जो अभिरक्षकों के भंडारण में जगह पर कब्जा करके रखते है, के लिए शामिल कारणों और कार्गो की प्रकृति की पहचान करने के नज़रिये से चयनित आईसीडी और सीएफएस पर लंबित अदावाकृत/अनिकासी कार्गो का विश्लेषण किया और राजस्व और पर्यावरण पर उसके प्रभाव की जांच भी की। लेनदेन स्तर पर, लेखापरीक्षा ने यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की कि विनिर्दिष्ट आईसीडी के माध्यम से कुछ वस्तुओं पर आयात और निर्यात प्रतिबंध/निषेधों का पालन निष्ठापूर्वक किया गया था।

5.1.1 निर्यात कार्गो की गतिविधि की उचित मॉनीटरिंग की कमी

आईसीडी या सीएफएस से किसी अन्य गेटवे पोर्ट तक निर्यात कंटेनरों की ट्रांसशिपमेंट के लिए आईसीईएस में एक एक्सपोर्ट ट्रांसशिपमेंट मॉड्यूल (ईटीएम) कार्यान्वित किया गया है। कैरियर/अभिरक्षक द्वारा भेजा गया ट्रांसशिपमेंट बॉन्ड अब आईसीईसी आवेदन में पंजीकृत किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। एक ट्रांसशिपर को एक्सपोर्ट ट्रांसशिपमेंट परमिट (ईटीपी) आवेदन आईसीईएस में प्रस्तुत करना है जो संबंधित आईसीडी या सीएफएस के प्रिवेंटिव अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और एक ईटीपी अनुमोदन परमिट जारी किया जाएगा, जिसे भेजे जा रहे कंटेनर के साथ लगाया जाना चाहिए। जैसे ही ईटीपी परमिट जारी हो जाए, बॉन्ड डेबिट किया जाएगा और एक्सपोंट जनरल मैनिफैस्ट (ईजीएम) की सफलतापूर्वक फाईलिंग के पश्चात समुचित रूप से पुन: क्रेडिट किया जाएगा।

लेखापरीक्षा को प्रदान की गई जानकारी से यह पाया गया कि नोयडा, कानपुर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बोलपुर तथा कोलकाता पोर्ट कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले दो आईसीडी तथा सात सीएफएस में ईटीएम परिचालित नहीं किया गया था तथा नोयडा, मेरठ एवं शिलांग, उ.पू.रे कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले अन्य 4 आईसीडीज में इटीएम के परिचालन की स्थिति ज्ञात नहीं है **(विवरण 11)**।

सीजीएसटी कमिश्नरी, बोलपुर (दिसंबर 2017) ने बताया कि आईसीडी दुर्गापुर में आयातों या निर्यातों के लिए ईडीआई प्रणाली में संदेश विनिमय की सुविधा उपलब्ध नहीं है और डाटा का विनिमय हस्त्य रूप से किया जा रहा है।

चेन्नै कमिश्नरी में पब्लिक नोटिस सं.158/2016 दिनांक 13 जुलाई 2016 द्वारा चेन्नै पत्तन से जुड़े सभी आईसीडी और सीएफएस में जहां ईटीएम प्रस्तावित किए गए थे, आईसीडी और सीएसएफ से अन्य पत्तनों जैसे इन्नौर और कट्टुपल्ली पत्तनों पर कन्टेनरों के वाहनांतरण के लिए सीएफएस पर पदस्थापित सीमाशुल्क अधिकारियों को आईसीईएस की आवश्यक भूमिकाएं न सौपें जाने के कारण इटीएम का प्रचालीकरण नहीं किया गया है। इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि आईसीईएस में भूमिकाएं अभिरक्षकों द्वारा मांगे जाने पर दी जाएंगी।

आईसीडी और सीएफएस पर ईटीएम के गैर प्रचालीकरण के कारण आईसीडी और सीएफएस से अन्य पत्तनों/ आईसीडी/ सीएफएस पर वाहनांतरित निर्यात कार्गो के वितरण की मॉनीटरिंग केवल बोर्ड के परिपत्र सं.57/98 दिनांक 4 अगस्त 1998 के अनुसार शिपिंग बिलों की हस्तांतरित प्रति द्वारा की जाती है।

उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, आईसीडी/ सीएफएस से निर्यातित माल के लिए शिपिंग बिलों की हस्तांतरित प्रति जो कि गेटवे पत्तन पर कार्गो के आगमन का प्रमाण है, को 90 दिनों के भीतर आईसीडी या सीएफएस पर प्राप्त किया जाना है।

नौ[14] कमिश्नरी के तहत आने वाले तेरह आईसीडी और बारह सीएफएस में, अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए शिपिंग बिलों की हस्तांतरण प्रति ऐसे माल के निर्यात की तिथि से 90 दिन बीत जाने के बाद भी प्राप्त नहीं की गई थी **(विवरण 12)**। बोलपुर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क कमिश्नरी के आईसीडी दुर्गापुर पर 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा मिलान नहीं किया गया था। आईसीडी मुलुंड

[14]मुंबई सीमाशुल्क क्षेत्र I, शिलांग एनईआर, कोलकाता पोर्ट, लुधियाना, अहमदाबाद, कानपुर, जोधपुर, जामनगर, मुंद्रा

के संबंध में, विभाग ने बताया कि हस्तांतरण प्रतियों के सामयिक मिलान के लिए निर्देश दिए गए हैं।

निर्यात कार्गो के आवागमन की मॉनीटरिंग के लिए वैकल्पिक तंत्र होते हुए निर्यात वाहनांतरण मॉडयूल के गैर-प्रचालनीकरण और शिपिंग बिलों की हस्तांतरण प्रतियों के गैर मिलान ने मॉनीटरिंग को अपर्याप्त कर दिया है।

राजस्व विभाग ने बताया (फरवरी 2018) कि चेन्नै में ईटीएम प्रचालन में है। मुंबई I कमिश्नरी में, आईसीडी मुंलुंद में हस्तांतरणीय प्रतियां काफी अनुनय के बाद नियमित रूप से प्राप्त हो रही है जबकि पिछली अवधि हेतु हस्तांतरणीय प्रतियों की प्राप्ति के संबंधित मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

शिलांग कमिश्नरी के संबंध में ईडीआई अमीनगांव में प्रचालित नहीं थी।

राजस्व विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि की कि आईसीडी/सीएफएस से गेटवे पोर्ट तक कंटेनर संचालन की मॉनिटरिंग न केवल दस्तावेजों के भौतिक संचलन पर ही बहुत अधिक आधारित है, जो स्वयं कई जोखिमों से घिरा है, और जहाँ ईटीएम मॉडयूल को ईडीआई प्रणाली में कार्यशील किया गया है, वहाँ इस प्रणाली के माध्यम से शायद ही कोई मॉनिटरिंग की जा रही है।

5.1.2 आयात कार्गो के आवागमन के लिए मॉनीटरिंग की कमी

सीबीईसी परिपत्र सं.46/2005-सीमाशुल्क दिनांक 24 नवम्बर 2005 के अनुसार, एक पत्तन से एक इन्लैंड पत्तन या आईसीडी या सीएफएस तक कन्टेनराइज्ड कार्गो का वाहनांतरण जहां भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) प्रचालित है, को स्वचालित किया गया है और इसमें सीमाशुल्क, पत्तन प्राधिकरणों, आईसीडी और शिपिंग एजेंटों के बीच संदेशों का इलेक्ट्रॉनिक विनिमय शामिल होगा। गन्तव्य आईसीडी या सीएफएस पर परिवाहक द्वारा आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कंटेनर आवक रिपोर्ट का गेटवे पोर्ट से प्राप्त पोतांतरण सूचना के साथ मिलान किया जाएगा जिसके आधार पर इन्लैंड पोर्ट/आईसीडी/सीएफएस द्वारा 'उतराई प्रमाणपत्र' सूचना तैयार की जाएगी जिसे आईजीएम लाइनों को बंद करने हेतु गेटवे पोर्ट को भेजा जाएगा।

कोलकाता कमिश्नरी के अन्तर्गत आने वाले सभी 5 सीएफएस में और अन्य छ:[15] कमिश्नरियों के अंतर्गत आने वाले 7 आईसीडी और 6 सीएफएस में आयात कार्गो की मॉनिटरिंग हस्त्य रूप से की गई थी तथा कार्गो के पोतांतरण के लिए सूचना का कोई इलेक्ट्रोनिक विनिमय नहीं किया जा रहा था **(विवरण 13)**।

इसके अलावा, उन कमिश्नरियों, जहां आयात पोतांतरण मॉड्यूल (आईटीएम) कार्यान्वित किया गया था, में भी कंटेनरों की प्राप्ति को दर्शाने वाला 'उतराई प्रमाणपत्र' आईसीडी के संरक्षक द्वारा गेटवे पोर्ट को हस्त्यरूप से जारी किया जा रहा है तथा बाण्ड को भी हस्त्यरूप से पुन: क्रेडिट किया गया है। लेखापरीक्षा ने बताया कि 'उतराई प्रमाणपत्र' तथा 'बॉण्ड राशि के स्वचालित' पुन: क्रेडिट' को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुतीकरण हेतु आईसीईएस में उचित प्रावधान शामिल करने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार, गेटवे पोर्ट से सीएफएसज़ तक कंटेनरों का संचलन भी स्वचालित रहा है और आईसीईएस अनुप्रयोग के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा हैं परन्तु मॉड्यूल का कंटेनरों के वास्तविक गन्तव्य को सुनिश्चित करने में प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया जा सका। चेन्नई समुद्र सीमाशुल्क कमिश्नरी में, मॉडयूल में चार कंटेनरों के गन्तव्य स्थान को गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स सीएफएस दर्शाया गया तथा तदनुरूपी बीईज में भी दर्शाया गया कि उस सीएफएस से निकासी दी गई थी। परन्तु पूछताछ करने पर संरक्षक ने बताया कि कोई कंटेनर प्राप्त नहीं हुए और उनके सीएफएस से कोई आउट ऑफ चार्ज (ओओसी) जारी नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा विसंगति के बारे में बताए जाने के बाद ही चेन्नई सीमाशुल्क कमिश्नरी के कंटेनर संचालन सरलीकरण सैल (सीएमएफसी), जो इन कटेनरों के संचालन को मॉनिटर करता है, ने मामले की जांच की तथा बताया कि वास्तव में एक कंटेनर को सेज स्थान पर भेजा गया था तथा शेष तीन कंटेनरों को डायरेक्ट पोर्ट सुपुर्दगी (डीपीडी) के अंतर्गत पोर्ट से सीधे ले जाया गया था।

[15]अहमदाबाद, हैदराबाद, शिलांग उ.पू.क्षे, बोलपुर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जोधपुर, मुंद्रा, जामनगर

कंटेनरों के संचालन में स्वचालन के बावजूद कंटेनरों की इसके वास्तविक गन्तव्य स्थान के संदर्भ में ट्रैकिंग को विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

स्वचालन में कमियों के बारे में बताए जाने पर विभाग ने सूचना (अक्टूबर 2017) दी कि आईसीईएस में उतराई प्रमाणपत्र सूचना डालते हुए बॉण्ड के पुन: क्रेडिट को स्वचालित करने हेतु डीजी (सिस्टम), नई दिल्ली को लिखा गया है तथा कंटेनरों की स्थिति की पहचान करने के लिए आईसीईएस में अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता भी स्वीकार की गई है (नवम्बर 2017)।

राजस्व विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते समय बताया (फरवरी 2018) कि वर्तमान समय में जेएनपीटी तथा आईसीडी तुगलकाबाद के बीच स्वचालित पोतांतरण मॉडयूल कार्यान्वित किया गया है और विस्तृत प्रक्रिया की संगणना डीजी, प्रणाली द्वारा की जा रही है और इसे सभी स्वचालित सीमा शुल्क स्थानों पर परिपत्रित किया जाएगा।

इसके अलावा, राजस्व विभाग ने स्वचालन में बताई गई कमियों पर प्रतिक्रिया में बताया कि आईसीईएस सॉफ्टवेयर में प्रावधान उपलब्ध है जिसमें संरक्षक इलेक्ट्रोनिक रूप में आवक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते है और बॉण्ड रि-क्रेडिट का स्वचालन भी कर सकते है। चूंकि समस्याओं की सूचना दी गई है तथापि इसमें परिशोधन किया जा रहा है। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है।

5.2 अनिकासित कार्गो का लंबन

एचसीसीएआर 2009 के विनियम 6 (एम) के अनुसार दावा न किए गए, अनिकासित या परित्यक्त पड़े माल का निपटान 90 दिनों की अवधि, जिसे सीमा शुल्क कमिश्नर द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर बढ़ाया जा सकता है, के अंदर निर्दिष्ट तरीके से संरक्षक द्वारा किया जाए। संरक्षक सीमा शुल्क विभाग को निपटान हेतु विचार किए जाने के लिए पूर्ण ब्योरे जैसे उतराई बिल, माल का विवरण, भार, प्रेषिती/प्रेषक का नाम आदि सहित वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करेगा।

85 चयनित आईसीडी तथा सीएफएस के संरक्षकों द्वारा प्रस्तुत अनिकासित कार्गो के ब्यौरों से यह देखा गया कि 117052.22 एम^2 भंडारण स्थान लेने

वाले 7877 कंटेनर 31 मार्च 2017 तक **(विवरण 14)** निपटान हेतु लंबित थे, जिसमें से 50390.26 एम^2 भडारण स्थान लेने वाले 3391 कंटेनर 3 वर्ष से अधिक समय से निपटान हेतु लंबित थे। कंटेनरों की लंबित स्थिति तथा लंबित कार्गो के काल वार विश्लेषण के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए है:

चित्र 19

काल वार विश्लेषण

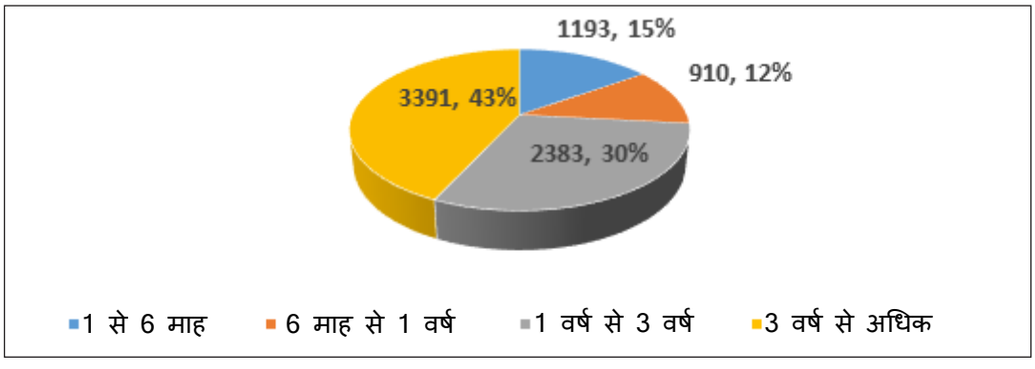

1 वर्ष से अधिक समय से लंबित 5774 कंटेनरों में से 4547 कंटेनर (79 प्रतिशत) निम्नलिखित पांच कमिश्नरियों में लंबित थे।

चित्र 20: लंबन-शीर्ष पांच कमिश्नरियां

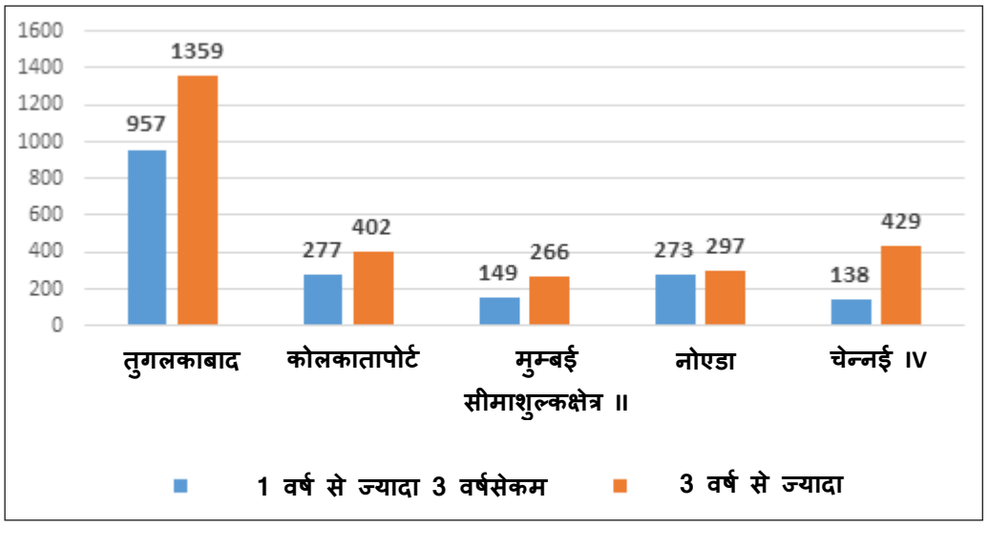

लंबित कंटेनरों की स्थिति की संवीक्षा से पता चला कि 3535[16] कंटेनर (45 प्रतिशत) विभिन्न चरणों पर विलंब के कारण 1 वर्ष से अधिक समय से अनिकासित पड़े है **(परिशिष्ट III)**।

तालिका 4

अनिकासित कार्गो के कारण

	लंबित कंटेनर	
लंबन की स्थिति	**3 वर्ष से अधिक**	**1 से 3 वर्षों के बीच**
आगम पत्र भरने के बाद लंबित निकासी	351	273
यूसीसी सैक्शन	304	288
गोदाम निपटान	223	215
नष्ट किए गए	151	65
जब्त एवं रोका गया माल	1080	272
अन्य	-	313
कुल	**2109**	**1426**

एक वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों से अधिक समय से लंबित अनिकासित कार्गो मामलों के विश्लेषण से पता चला कि निकासी में असामान्य विलंब निम्न के कारण था (i) सीमा शुल्क विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना (ii) विभिन्न भागीदार सरकारी एजेंसियों (पीजीए) जैसे संयंत्र संगरोधन (पीक्यू), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी), जन स्वास्थ्य कार्यालय (पीएचओ), भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानदंड प्राधिकरण (एफएसएसएआई) आदि द्वारा निकासी प्रमाणपत्र जारी करना (iii) कार्गो नष्ट करने हेतु आदेशों को कार्यान्वित करना (iv) उन मामलों में कार्गो का पुन: निर्यात करना जहां ऐसे पुन: निर्यात आदेश जारी किए गए थे।

दस[17] कमिश्नरियों के अंतर्गत आने वाले चार आईसीडी तथा छ: सीएफएस में अनिकासित माल के निपटान हेतु कार्रवाई शुरू करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1 से 12 वर्षों के बीच अवधि तक लंबित पड़े खराब होने वाले माल जैसे खाद्य वस्तुए, फल, दवाईयां, सुपारी, दाल आदि के 262 कंटेनरों को मानवीय खपत हेतु अनुपयुक्त माना गया था **(विवरण 15)**।

[16]आईसीडी तुगलकाबाद के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे क्योंकि लम्बन का ब्रेकअप प्रस्तुत नहीं किया गया था।

[17] कांडला, चेन्नई V, चेन्नई IV, कोचीन, तुगलकाबाद, विशाखापत्तनम, नागपुर 1, बैंगलुरू, तुतीकोरिन, पटपडगंज

इसके अलावा, चेन्नई सीमाशुल्क कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले सात सीएफएस में टिम्बर/टीक के लट्ठों के 86 कटेनरों की निकासी 2 से 10 वर्षों तक की अवधि से लंबित थी। क्षेत्रीय पीक्यू अधिकारियों द्वारा माल को नष्ट करने का आदेश दिया गया था किंतु यह कार्य किया नहीं गया क्योंकि कमिश्नरी ने माल नष्ट करने के कारण होने वाली राजस्व हानि से बचने तथा लकड़ी के लट्ठों को जलाने के कारण पर्यावरण पर प्रभाव से बचने के लिए भी नई दिल्ली में पीक्यू मुख्यालय से मंजूरी मांगी थी।

जोधपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले आईसीडी कोनकोर, कनकपुरा में 27 जिंदा बम तथा 19.4 एमटीएस युद्ध सामग्री स्क्रैप 2008 से बिना निपटान के पड़े थे जो गंभीर चिंता का कारण है। इसी तरह जोधपुर कमिश्ननरी के अंतर्गत आने वाले आईसीडी, उदयपुर तथा आईसीडी, भगत की कोठी में 195 कि.ग्रा. खाली कारतूस शैल तथा 102.8 एमटीएस युद्ध सामग्री स्क्रैप 2004 से बिना निपटान के पड़े थे।

चित्र: 21

आईसीडी भगत की कोठी जोधपुर में अनिकासित युद्ध सामग्री के फोटोग्राफ

हालांकि सीबीईसी ने दावा न किए गए तथा अनिकासित कार्गो के शीघ्र निपटान हेतु स्पष्ट प्रक्रियाएं[18] निर्धारित की है, फिर भी यह तथ्य कि दावा न किए गए तथा अनिकासित माल के 7877 से अधिक कंटेनरों का निपटान नहीं किया गया था, बोर्ड के अनुदेशों के खराब अनुपालन को दर्शाते है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि अनिकासित पड़े 7877 कंटेनरों में से 469 में खतरनाक सामग्री तथा नगरपालिका कचरा भरा है जो पर्यावरण तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है (पैरा 5.3 देखें)।

[18]परिपत्र 50/2005 दिनांक 1.12.2005, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 48 के अंतर्गत अनिकासित/दावा न किए गए कार्गो के निपटान की प्रक्रिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 23 का सहारा लेने वाले कुछ आयातकों ने नियमित रूप से कंटेनरों को छोडा था। 31 मार्च 2017 तक चयनित आईसीडीज़/सीएफएसज में 838 कंटेनरों को आगम पत्र भरने के बाद छोड़ा गया था जोकि अनिकासित पड़ा रहा (पैरा 5.4 देखे)।

राजस्व विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते समय बताया (फरवरी 2018) कि लंबे समय से लंबित कार्गों की कालबाधित रूप से निकासी करने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

5.2.1 संरक्षक द्वारा प्रस्तुत अनिकासित कार्गो (यूसीसी) रिपोर्ट की जांच हेतु स्वतंत्र तंत्र की कमी

वर्तमान में अनिकासित/दावा न किए गए माल की लंबित सूची संरक्षक द्वारा उनके स्वयं के विशेष रूप से तैयार किए गए सॉफटवेयर का उपयोग करते हुए तैयार की जाती है तथा विभाग को प्रस्तुत की जाती है। तथापि, संरक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई सूची में कई विसंगतियां देखी गई थी जिनका किसी स्वतन्त्र प्रति सत्यापन तंत्र के अभाव के कारण विभाग पता नहीं लगा सका था। नमूना जांच किए गए सीएफएसज़ में पता चले कुछ निदर्शी मामलों के ब्योरे नीचे दिए गए है:

सीएफएस, मै. मेरीगोल्ड लॉजिस्टिक्स (पी) लि. (बैंगलोर) में जुलाई 2015 तथा जनवरी 2016 के बीच आयातित दावा न किए गए कार्गो के सात कंटेनरों की आईसीडी द्वारा कमिश्नर, सीमाशुल्क को प्रस्तुत की गई मासिक तकनीकी रिपोर्टों (एमटीआरज) में सूचना नहीं दी गई थी।

कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी में विशेष निपटान सैल (एसडीसी) केवल यूसीसी कार्गो के रिकार्ड/डाटा का रख-रखाव करता है जिसके लिए विभिन्न सीएफएस संरक्षकों द्वारा समय-समय पर निपटान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जाता है तथा यह विभिन्न सीएफएसज में यूसीसी के कुल लंबन पर डाटा का रख रखाव नहीं करता है।

कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी ने (दिसंबर 2017) उत्तर दिया कि एसडीसी द्वारा डाटा प्राप्त एवं संकलित किया जा रहा है जैसे ही यह संरक्षकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और इस डाटा की सत्यता की जांच के लिए कोई तंत्र नहीं है।

पटपड़गंज कमिश्नरी में 2012-13 से 2016-17 के दौरान माल का निपटान 'शून्य' था जबकि इस अवधि के दौरान संरक्षक (सीडब्ल्यूसी) द्वारा प्रस्तुत अनिकासित कार्गो रिपोर्ट में 423 कार्गो को निपटान के रूप में दर्शाया गया था।

मुम्बई सीमाशुल्क जोन । कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले आईसीडी, मुलुंद में 17 कंटेनरों, जो आईसीडी में प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध थे, को उनके द्वारा अनुरक्षित मालसूची में नहीं दर्शाया गया था।

चेन्नई V सीमाशुल्क कमिश्नरी के तहत आने वाले आईसीडी इरनगटटूकोटई में माल, जो आवक तिथि से 180 दिनों से अधिक समय से अनिकासित पड़ा था, को संबंधित अवधि के दौरान आईसीडी की यूसीसी सूची में नहीं दर्शाया गया था जिसकी पुष्टि इस तथ्य से हुई कि अनिकासित/दावा न किए गए कार्गो की रिपोर्ट का कोई मासिक विवरण आईसीडी द्वारा कमिश्नरी को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था।

सीडब्ल्यूसी, विरूगुमबक्कम, चेन्नई VI सीमाशुल्क कमिश्नरी के अंतर्गत एक सीएफएस, में एक वर्ष से अधिक समय से अनिकासित पड़े माल के 472 लोट में से केवल 101 लोट के ब्योरे संरक्षक द्वारा अगस्त 2017 तक यूसीसी सैक्शन को प्रस्तुत किए थे।

चेन्नई V सीमाशुल्क कमिश्नरी के सैन्को सीएफएस में जून 2009 में आयातित दो कंटेनरों, जो लगभग 8 वर्षों से बिना खुले तथा बिना जांच के पड़े थे, की उनके मासिक विवरण में संरक्षक द्वारा सूचना नहीं दी गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि प्रतिबधों के कारण कंटेनरों की जांच नहीं की गई थी क्योंकि ये खतरनाक थे और शीघ्र निपटान हेतु अन्य सीएफएसज में बिना खुले कार्गो के सभी ऐसे मामलों की पहचान करने के लिए कदम उठाए गए है।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2018) कि बैंगलुरू कमिश्नरी के संबंध में अनिकासित कार्गों के ब्यौरें अब मासिक रिपोर्ट में शामिल किए गए है और सात कंटेनरों में पड़े अनिकासित कार्गो का अब निपटान कर दिया गया है। शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था।

5.3 खतरनाक कचरे की डंपिंग

प्रक्रिया हस्तपुस्तिका, संस्करण।, 2009-14 के पैरा 2.32.1 के अनुसार धातु कचरे, स्क्रैप का किसी रूप में आयात इस शर्त पर होगा कि इसमें खतरनाक, विषाक्त कचरा, रेडियोएक्टिव संदूषित कचरा/रेडियोएक्टिव सामग्री वाला स्क्रैप, किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद, सुरंग बम, शैल, जिंदा या उपयोग किए गए कारतूस या उपयोग की गई या अन्यथा किसी रूप में कोई अन्य विस्फोटक सामग्री नहीं होगी। पुराने तथा खराब रैग्स तथा पीईटी बोतलों/कचरे के आयात को आईटीसी (एचएस) की अनुसूची । के अंतर्गत निर्धारित आयात नीति के अनुसार विनियमित किया जाता है।

खतरनाक कचरा (प्रबंधन, व्यवस्था एवं ट्रांस बाऊंड्री संचालन) नियमावली, 2008 के अनुसार पूर्व लदान निरीक्षण प्रमाण-पत्र (पीएसआईसी) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओइएफ) से अनुमति तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी के बिना धातु स्क्रैप तथा उपयोग किए गए टायरों जैसे खतरनाक माल के आयात को आयातक द्वारा भारत में इसके पहुँचने की तिथि से 90 दिनों के अंदर माल के पुन: निर्यात करना अपेक्षित है और इसका कार्यान्वयन संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

संरक्षकों द्वारा 31 मार्च 2017 तक प्रस्तुत अनिकासित कार्गो (यूसीसी) के ब्योरों से पता चला कि धातु स्क्रैप, नगरपालिका कचरा, उपयोग किए गए टायरों जैसे खतरनाक कचरे के 469 कंटेनर एक से सत्रह वर्षों की अवधि तक अनिकासित पड़े रहे थे **(विवरण 16)**। इसमें आईसीडीज कनकपुरा, भगत की कोठी और उदयपुर में जिंदा बम, युद्ध सामग्री स्क्रैप (ऊपर पैरा 5.2 में पहले ही इंगित है), मुम्बई सीमाशुल्क जोन-II के अंतर्गत सीएफएस नवकर कार्पोरेशन में उपयोग किए गए टायरों, धातु स्क्रैप तथा खतरनाक रसायनों के 92 कंटेनर, आईसीडी तुगलकाबाद में खतरनाक कार्गो के 15 कंटेनर और अन्य के साथ आईसीडी मुरादाबाद में मिश्रित कचरे के 50 कंटेनर शामिल थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने उन मामलों सहित आयातकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी जहां पुन: निर्यात आदेश जारी किए गए थे।

भारत में खतरनाक कचरे के आयात की कार्य प्रणाली की जांच से पता चला कि ऐसे आयात आंशिक रूप से सीमाशुल्क अधिनियम के तहत निम्नलिखित नियमों तथा प्रक्रियाओं में शिथिलता तथा आंशिक रूप से सीमाशुल्क अधिनियम में कमी के कारण हुए थे। कुछ निदर्शी मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) अनिवार्य दस्तावेजों के बिना खतरनाक कार्गो का आयात

मुंबई सीमा शुल्क जोन ।। तथा नागपुर । कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले क्रमश: पांच[19] सीएफएसज तथा एक[20] आईसीडी में धातु कचरे तथा स्क्रैप, उपयोग किए गए टायरों के स्क्रैप के 197 कंटेनर 79 आयातकों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों (पीएसआईसी, बिक्री ठेका, पीसीबी से प्रमाणपत्र, एमओईएफ से मंजूरी) के बिना अप्रैल 2007 तथा मार्च 2017 के बीच आयात किए गए थे जो बिना दावे के पड़े थे। इसमें मै. मुबई फैबरिक्स प्रा.लि. के 20 कंटेनर शामिल है जो नियमित रूप से इस माल का आयात और इसकी निकासी कर रहा था।

इसके अतिरिक्त, सीडब्ल्यूसी लोजिस्टिक्स पार्क सीएफएस, मुम्बई के अंतर्गत चार आयातकों वाले पांच मामलों के संबंध में विभाग द्वारा पारित अधिनिर्णयन आदेशों में अनियमित आयातों के लिए बोर्ड परिपत्र सं. 56/2004, दिनांक 18 अक्टूबर 2004 में यथा निर्धारित अनिवार्य दस्तावेजों के बिना ऐसे कार्गो के लदान के लिए शिपिंग लाइनों पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी।

चित्र: 22

आईसीडी, अजनी, नागपुर में बिना दावे के पड़ा धातु स्क्रैप

[19]स्पीडी मल्टीमोड्स लि., सीडब्ल्यूसी लॉजिस्टिक्स पार्क, यूनाइटेड लीनियर एजेंसी, कॉन्टिनेंटल वेयरहाउसिंग, नवकर कॉरपोरेशन लि.

[20]अजनी आईसीडी

(ii) खुले समुद्र बिक्री के माध्यम से नगरपालिका कचरे का आयात

मुंबई सीमा शुल्क जोन । कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले आईसीडी मुलुंद में 'पूराने कटे-फटे रैग्स तथा रग्स' के 11 कंटेनरों का आयात मैसर्स स्पार्कग्रीन एनर्जी (अहमदनगर) प्रा.लि. द्वारा ₹ 2.53 लाख के अल्प मूल्य पर मै. नेटक्रेडल इंडिया प्रा. लि. से खुला समुद्र बिक्री (एचएसएस) पर किया गया था (सितम्बर 2016) और कार्गो को छोड़ दिया था। अधिक रूचिकर यह है कि मै. नेटक्रेडल इंडिया प्रा.लि. कम्प्यूटर संबंधी कार्यकलाप (वेबसाइट आदि का रख-रखाव) का कारोबार करता था और मै. स्पार्कग्रीन एनर्जी विद्युत परियोजना के कारोबार में था, अत: यह स्पष्ट है कि वे आयातित माल के अंतिम प्रयोक्ता नहीं थे।

चित्र: 23

आईसीडी मुलुंद में मै. स्पार्कग्रीन एनर्जी के छोड़े गए कंटेनर का फोटोग्राफ

(iii) गलत-घोषित कार्गो द्वारा नगरपालिका कचरे का आयात

तूतीकोरिन कमिश्नरी में, पांच आयातकों[21] द्वारा मिश्रित प्लास्टिक कचरा, रद्दी कागज तथा कागज स्क्रैप के रूप में माल को गलत-घोषित कर 20 कंटेनर नगरपालिका कचरे का आयात किया गया था।

उपलब्ध ब्यौरे से यह पता चला कि 20 कंटेनरों में से 10 को सउदी अरब तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया गया था। सभी मामलों में,

[21]मै. हार्बर पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज (पी) लि. मै. वेल स्टील, मै. ग्लोबल इंफ्रा इंडिया (पी) लि., मै. वेदगिरि पेपर एण्ड बोर्ड (पी) लि. मै. जी.एस.एन इंटरप्राइजेस

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी), तूतीकोरिन ने कार्गो की जांच की थी तथा प्रेषक को पुन: निर्यात की सिफारिश की थी। टीएनपीसीबी आदेशों के आधार पर, सीमा शुल्क विभाग ने आयातकों पर शास्ति लगाई थी तथा संरक्षक द्वारा मूल देश को कंटेनरों के पुन: निर्यात का आदेश दिया था। ये आदेश काफी पहले 2005 में और अभी 2015 में जारी कर दिए गए थे किंतु कार्गो के पुन: निर्यात हेतु आयातक द्वारा या संरक्षक द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। अत: नगरपालिका कचरे के 20 कंटेनरों का दो से ग्यारह वर्षों की अवधि तक तूतीकोरिन आईसीडी में पड़े रहना जारी है।

नोएडा कमीश्नरी के सीएमए-सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड, दादरी में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक आयातकर्ता, मैसर्स आनंद ट्रिपलेक्स बोर्ड लि. ने विषय वस्तु को 'रद्दी कागज' के रूप में घोषित करके 19 जून 2009 से 27 जून 2009 के बीच 12 कंटेनरो का आयात किया परन्तु उसमें अत्यधिक दूषित नगरपालिका अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट आदि शामिल पाए गए थे। सभी कंटेनर साउथ हेम्पटन, यू.के. से आयात किये गये थे। यह देखा गया कि सभी कंटेनर 8 वर्षों की अवधि के बीच गैर निस्तारित पड़े हुए हैं।

इस प्रकार के माल को उत्पादक देश को पुन: निर्यात के लिए प्रक्रिया निर्धारण में विफलता और इस प्रकार की डंपिंग के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की दवाबदेही निर्धारित करने में विफल होने के कारण नगरपालिका और खतरनाक अपशिष्ट की बड़े पैमाने पर डंपिग हुई।

डीओआर ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2018) कि आईसीडी तुगलकाबाद, मुंबई I, मुबंई II, हैदराबाद तथा तुतीकोरिन कमिश्नरियों ने जुर्माना तथा शास्ति की उगाही से चूककर्ता आयातकर्ताओ के विरूध कार्रवाई शुरू की तथा कार्गो को फिर से निर्यात करने के आदेश दिए। मुंबई II कमिश्नरी ने आगे बताया कि अनिकासित खतरनाक कचरे का निपटान एजेसियों के साथ समन्वय मे समस्या के कारण समय लेने वाली एक प्रक्रिया है जो सुरक्षित निपटान के लिए ऐसे माल के लिए बोली लगा सकते है।

तथ्य यह है कि नगरपालिका अपशिष्ट की डंपिंग देश में एक बढता खतरा है अनिकासित खतरनाक कचरे का निपटान जिसे पृथक मामलों में कार्योत्तर कार्रवाई से नहीं निपटा जा सकता है। कठोर दंड के साथ कानूनों की मजबूती

तथा संबंधित एजेन्सियों के बीच समन्वय स्थापित करके नगरपालिका कचरे की डंपिग को प्रभावी रूप से रोकने की आवश्यकता है।

जैसा कि अगले पैरा में बताया गया है कि सीमाशुल्क अधिनियम मे कुछ खण्ड जो ऐसे आयातो को प्रोत्साहित कर सकते है, की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

5.4 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 23 के तहत आयातकों को अनुचित लाभ।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, आयातित माल का मालिक, , धारा 47 के तहत घरेलू खपत हेतु माल की निकासी के आदेश एवं धारा 60 के तहत एक गोदाम में माल को जमा करने की अनुमति के एक आदेश से पहले किसी भी समय माल अपना अधिकार छोड़ सकता है और इसके बाद वह उस पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते कि इस प्रकार के किसी भी आयातित माल पर के मालिक को इस प्रकार के माल के अपने अधिकार को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके संबंध में यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत अपराध होना माना गया है। तथापि, प्रावधान जिसके तहत माल को छोड़ा जा सकता है, उन शर्तो को निर्दिष्ट नहीं करते।

31 मार्च 2017 को, चयनित आईसीडी/सीएफएस में, आगम पत्र भरने के बाद 838 कंटेनर छोडे गए थे, जो निकासी के लिए शेष थे। अनिकासित कार्गो सूची की संवीक्षा से पता चला कि कुछ आयातकों ने नियमित रूप से कार्गो को परित्यक्त किया जबकि समान कार्गो का आयात करना जारी रखा और निकासी की। चैन्नई सीमाशुल्क कमिश्नरी में देखे गए इस प्रकार के मामले नीचे दर्शाये गए है:

(क) मैसर्स लेटविंड श्री राम मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड (2015-16 और 2016-17) ने ₹25.8 करोड़ मूल्य के 25 बीईज में 'पवन चक्की के कल-पुर्जो' का आयात किया और माल का परित्याग किया जो कि अनिकासित पड़े हुए थे जबकि समान अवधि के दौरान उसी प्रकार के आयात आयातक द्वारा निकाले गए थे।

(ख) अन्य आयातक मैसर्स काईजन कोल्ड फार्मड स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने (2013-14 और 2014-15) ₹ 6.6 करोड़ मूल्य पर 89 बीईज मे 'इस्पात कॉइल' आयात किया परन्तु परित्यक्त माल अनिकासित पड़े हुए थे जबकि उसी समय पर उसी आयातक द्वारा समान कार्गो आयात किया गया था और निकासी की गई थी।

(ग) इसी प्रकार, मेसर्स फॉलकन टायरस लि. ने ₹ 3.2 करोड़ मूल्य के आठ बीईज में 'सिंथेटिक बुटाइल रबड़' (2013-14 और 2014-15) आयात किया और छोड़ दिया जो अनिकासित पड़े हुए थे यद्यपि आयातक ने समान कार्गो का आयात और निकासी को जारी रखा था।

(घ) मैसर्स इटंरनेशनल फ्लेवरस एण्ड फ्रैगनेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2012-13 और 2016-17) ने 26 बीईज के माध्यम से ₹ 2.60 करोड़ के मूल्य पर 'फ्लेवरिंग एजेंटो' का आयात किया था। 31 मार्च 2017 तक माल अनिकासित पड़े हुए थे, जबकि उसी समय पर समान आयात आयातक द्वारा निकासित किए गए थे।

लेखापरीक्षा में कोई अभिलिखित कारण नहीं पाए गए थे जिसने इस प्रकार के उच्च मूल्य वाले माल को जानबूझकर परित्यक्त करने के लिए आयातकों को प्रेरित किया हो। विशेष रूप से कार्गो के नियमित परित्यक्त करने के कारणों की समीक्षा करने तथा कार्गो को छोड़ने में किसी भी दुर्भावनापूर्ण संभावना का पता लगाने के लिए विभाग को बताया गया था विशेष रूप से जब इसमें परेषक के लिए विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा प्रेषण शामिल था।

डीओआर ने अपने उत्तर में (फरवरी 2018) बताया कि सीबीसी कार्गो के लगातार परित्यक्त में अवैध इरादे से निपटने के लिए मुद्दे की जांच करेगा।

5.5 पर्यावरणीय विनियमों के अनिवार्य अनुपालन का अभाव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2265 (एफ) दिनांक 24 सितम्बर 2008 के अनुसार, खतरनाक माल के प्रहस्तन, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन आदि मे लगे सुविधा के प्रत्येक अधिभोगी के लिए (अभिरक्षक) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन करना और आईसीडी के प्रारंभ होने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के अन्तर्गत

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा। उप नियम (2) के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिया गया निर्बाधन के साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट मानक परिचालक प्रक्रियाओं अथवा दिशा-निर्देशो के अनुपालन और खतरनाक माल के भण्डारण, परिवहन, नष्ट करने आदि के लिए सुविधाओं की पर्याप्तता को दर्शाते हुए बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति होगी।

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट नियम 2008) के प्रॉवधानों (नियम 5) और जल अधिनियम (प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम) 1974 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो खतरनाक माल के भण्डारण, संग्रहण, निर्यात और आयात में लगा हुआ है, उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार प्राप्त की गई एनओसी का समय-समय पर नवीकरण किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में नमूना जांचित 85 में से 29 आईसीडी/सीएफएस द्वारा प्रस्तुत सूचना से, 12 आईसीडी और 11 सीएफएस ने सूचित किया कि राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) से सरंक्षको द्वारा मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी यद्यपि खतरनाक कार्गो का प्रहस्तन किया गया **(विवरण 17)**। इसके अतिरिक्त एक आईसीडी और छः सीएफएस ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से आवश्यक एनओसी के नवीकरण के बिना विभिन्न अवधियों के लिए खतरनाक माल का प्रहस्तन और भण्डारण किया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 5

खतरनाक कार्गो का अनाधिकृत प्रहस्तन

क्रम सं.	सीएफएस, आइसीडी और सीमा-शुल्क कमिश्नरी का नाम	खतरनाक माल के प्रहस्तन के लिए अनुमोदन तिथि	प्रहस्तन की अवधि	खतरनाक कार्गो के प्रकार
1	स्पीडी मल्टीमोड्स लि., न्हावा शेवा-IV	5 दिसम्बर 2016	अक्टूबर 2011 से सितम्बर. 2016	डायोक्साबाइसीक्लो ऑक्टेन एथाईल एसीटेट, शीतल गैस, डाइक्लोफेनस सोडियम
2	सीडब्ल्यूसी लोजिस्टिक्स पार्क, न्हावा शेवा-III	3 सितम्बर 2014	जनवरी 2012 से अगस्त 2014	अमीनो 4 क्लोरोबेंजीन ट्राइफ्लोराइड, एम्पटी क्लोरीन सिलेंडर, जिंक एेश
3	आईसीटी एण्ड आईपीएल (पूर्व में यूनाइटेड लाइनर एजेन्सी), न्हावा शेवा-III	1 दिसम्बर 2016	मार्च 2011 से नवम्बर 2016	सोडियम साइनाइड, ऐक्रेलिक एसिड, टेरापैथलॉय, शीतल गैस
4	कॉन्टीनेंटल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, न्हावा शेवा -I	19 दिसम्बर 2016	मार्च 2011 से नवम्बर 2016	छर्रे, पेंट, कच्ची ऊन, 2,2, डाईथियोडिबेन्जोइक एसिड
5	पंजाब स्टेट एण्ड कंटेनर वेयरहाऊस कार्पोरेशन, न्हावा शेवा -III	13 अक्टूबर 2014	मार्च2011 और अक्टूबर 2014	छर्रे, पेंट, अलकालायट बेंजीन, ग्रीज
6	नवकार कार्पोरेशन लि., न्हावा शेवा-V	3 सितम्बर 2014	मार्च 2011 से अगस्त 2014	फेरस सल्फेट पाउडर, पटाखे
7.	आईसीडी, अजनी, नागपुरकमिश्नरी	पीसीबी प्रमाणपत्र बिना माल प्रहस्तित	जुलाई 2016 से मार्च 2017	मैटल स्क्रैप, खतरनाक अपशिष्ट

स्रोतः स्थानीय सीमा शुल्क कमीश्नरी द्वारा प्रस्तुत डाटा

न्हावा शेवा बंदरगाह से जुडे उपरोक्त उल्लेखित छः सीएफएस ने उपयुक्त प्राधिकरण से उचित अनुमोदन प्राप्त करने से पहले ही खतरनाक कार्गो का अनाधिकृत निपटान किया था और इसके कारण अन्य कार्गो और मानव जीवन की सुरक्षा को जोखिम में डाला गया था।

कोलकाता (पोर्ट) कमीश्नरी ने बताया (दिसंबर 2017) कि सीएफएस सीडब्ल्यूसी, कोलकाता ने मंजूरी के लिए पीसीबी को आवेदन किया तथा अन्य लेखापरीक्षित सीएफएसज ने सूचित किया कि उन्हे अपने परिसर के लिए पीसीबी की निकासी की आवश्यकता नही है क्योंकि वे विनिर्माण/ प्रंसस्करण/ रिसाईक्लिंग यूनिटे नही है। हालांकि जेन सेट के लिए उनके पास पीसीबी

मंजूरी है। सीएफएस एलसीएल लॉजिस्टिक, हल्दिया ने सूचित किया कि वे अपने जेनसेट के लिए पीसीबी मंजूरी के लिए आवेदन कर रहे है। विभाग ने बताया कि सीएफएस के लिए पर्यावरण जोखिम आकलन के मानदंडों को लागू करने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण को सशक्त करने के लिए एचसीसीएआर 2009 में कोई स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध नही है।

आगे, सीजीएसटी कमीश्नरी, बोलपुर ने बताया (दिसंबर 2017) कि राज्य एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ से मंजूरी की आवश्यकता नही है क्योकिं आईसीडी, दुर्गापुर में कोई प्रदूषण उत्पन्न करने वाली मशीन नही है।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि आईसीडी पूर्वानुमान नही कर सकता कि भविष्य में आईसीडी खतरनाक माल को नही संभालेगा। यदि आवश्यकता होगी तो मंत्रालय एचसीसीएआर 2009 में तदानुसार संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

डीओआर ने अपने उत्तर (फरवरी 2018) में बताया कि सीबीईसी लेखापरीक्षा की आपत्ति के विषय में सभी संरक्षकों के मुख्य आयुक्त को सूचित करने पर विचार कर रही है तथा उनसे सभी संरक्षकों को उचित अनुदेश जारी करने को कहा गया है।

5.6 निषिद्ध और प्रतिबंधित माल का आयात और निर्यात

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(33) मे यथा परिभाषित ''निषेध माल'' का अर्थ है ''ऐसा माल जिसका आयात एवं निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम के तहत एवं उस समय पर लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी प्रतिबंध के अध्यधीन है''। इस प्रकार, किसी भी अन्य कानून के तहत प्रतिबंध को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत लागू किया जा सकता है। विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 और 5 के तहत, केन्द्र सरकार ऐसे माल के निर्यात और आयात को प्रतिबंधित करने, निषेध करने एवं नियमित करने के लिए प्रावधान बना सकती है, जो डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग, द्वारा निर्धारित एफटीपी मे परिलक्षित है। कुछ माल आयात और निर्यात के लिए पूर्णतया निषेध किये गए हैं जबकि कुछ माल एक लाइसेन्स के तहत और/अथवा कुछ प्रतिबंधों के साथ आयात एवं निर्यात किये जा सकते है।

कुछ उत्पादों द्वारा अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानको (आईक्यूएस) का अनुपालन आवश्यक हैं और इस उद्देश्य के लिए भारत में इन उत्पादों के निर्यातकों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) में अपने आप को पंजीकृत कराना आवश्यक है।

सीमा शुल्क की जवाबदेही है कि वह एफटीपी और अन्य संबद्ध अधिनियमों के तहत माल के आयात और निर्यात पर लगाये गये निषेधों और प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करें। कुछ विशिष्ट माल के आयात और निर्यात अन्य नियमों जैसा कि पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, आयुध अधिनियम, आदि के तहत निषेध/प्रतिबंधित किये जा सकते है और इन पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के दंडनीय प्रॉवधान लागू होंगे जिससे उपरोक्त अधिनियम की धारा 111 (डी)-आयात के लिए और निर्यात के लिए-113 (डी) के तहत ऐसे माल जब्ती योग्य होगें। इस प्रकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के दंडनीय प्रॉवधानो के उद्देश्य से इन संबद्ध विधानों के प्रॉवधानो को समझना सुसंगत है।

प्रतिबंधित मदों का आयात तथा निर्यातः चेन्नै IVकमीश्नरी के अन्तर्गत आने वाले आईसीडी कणकोर, टोन्डियापेट में, ₹ 0.89 करोड़ मूल्य के मदों वाले 43 परेषण, जिनका निर्यात प्रतिबंधित था, संबंधित निर्यात/आयात की अवधि के दौरान माल पर प्रतिबंध लागू होने के बावजूद निर्यात किये गए पाए गए थे **(विवरण 18)**।

निषिद्ध माल का आयात तथा निर्यातः चार कमीश्नरी के तहत आने वाली चार[22] आईसीडी में, निषिद्ध माल यानि स्टील सीट, स्टील मेल्टिंग स्क्रैप, ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आदि के 49 कंसाईनमेंट आयात के लिए निकाले गए थे तथा निषिद्ध माल जैसे एरी कोकून निर्यात के लिए अनुमत किये गए थे, तीन कंसाईनमेंट के संदर्भ में कार्गो की कीमत ₹ 9.03 करोड़ थी। शेष कंसाईनमेंट की कीमत लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराई गई थी। हालांकि उन वस्तुओं के संदर्भ में क्रमशः एमओईएफ से अनिवार्य निकासी या आईटीसी (एचएस) आयात और निर्यात नीति की अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 में निर्दिष्ट शर्तो की पूर्ति के लिए दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गए थे **(विवरण 19)**। कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया हैः

[22]चैन्नई V, मुरमुगांव, अहमदाबाद, शीलॉंग एनईआर

(i) 31 दिसम्बर 2016 तक यथा संशोधित, दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 की धारा 43ए के अनुसार, विनिर्दिष्ट बदंरगाहों और आईसीडी के माध्यम को छोड़कर कोई भी दवाएं भारत में आयात नहीं की जांएगी। दिनांक 19 मार्च 2007 की सार्वजनिक सूचना में, अहमदाबाद सीमा-शुल्क कमिश्नर ने आईसीडी के माध्यम से दवाएं और औषधीय माल का आयात प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए थे।

आईसीडी खोडियार, गांधीनगर में, सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 30 के तहत आने वाली दवाएं और औषधीय उत्पादों के 14 परेषण 2012-13 से 2016-17 के दौरान आयात किए गए थे और निकासी की गई थी। इन आयातों पर कमीश्नर द्वारा लगाये गए प्रतिबंध लागू नहीं किये गये थे और विभाग ने आईसीडी के माध्यम से इस माल की निकासी की अनुमति दी थी।

(ii) अध्याय-2 (विदेशी व्यापार नीति 2009-14) के पैरा 2.32 के अनुसार, धातु अपशिष्ट, स्क्रैप का किसी भी रूप में आयात, इस शर्त के अध्यधीन होगा कि इसमें खतरनाक, विषैला अपशिष्ट, रेडियोधर्मी दूषित अपशिष्ट/स्क्रैप जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री, किसी भी प्रकार के शस्त्र, गोलाबारूद, सुरगें, गोले, जीवित एवं उपयोग किये जा चुके कारतूस एवं किसी भी रूप में किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री या तो उपयोग की गई या अन्यथा शामिल नहीं होंगे और स्क्रैप का आयात केवल निर्दिष्ट नामांकित बदंरगाहो के माध्यम से किया जायेगा। आईसीडी वेरना को इस प्रकार के आयात के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया था। गैर मिश्र धातु इस्पात मैलटिंग स्क्रैप के 19 कंटेनर (506.79 मिट्रिक टन) मर्मगोवा स्टील लि. द्वारा आईसीडी वेरना के माध्यम से आयात किए गए थे जिनकी आईसीडी के माध्यम से निकासी की गई थी यद्यपि आईसीडी वेरना स्क्रैप प्रहस्तन के लिए निर्दिष्ट बंदरगाहों की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

डीओआर ने अपने उत्तर (फरवरी 2018) ने बताया कि नोएडा सीमा शुल्क में प्रतिबंधित वस्तुओं की मंजूरी केवल एमओईएण्डएफ द्वारा जारी आयात लाइसेंस की प्रस्तुति पर ही दी गई है। तुगलकाबाद कमीश्नरी में, जुर्माना एवं शास्ति के अलावा जब्ती प्रस्ताव के लिए कारण बताओ ज्ञापन जारी किया गया था।इसके अलावा आईसीडी, खोडियार, अहमदाबाद में आयातित वस्तु फार्मयुस्टिकल दवा थी जिसे इस तथ्य को देखते हुए मंजूरी दे दी गई थी कि इस पर समाप्ति तिथि है और दूषित हो सकता है यदि इसे नियत अवधि के अंदर मंजूरी नहीं दी गई। आईसीडी वर्ना, गोवा में गैर-मिश्र धातु इस्पात पिघलने वाले स्क्रैप (506.79 मीट्रिक टन) का एक परेषण हार्बर में मार्मागोआ पोर्ट के माध्यम से आयात किया गया था लेकिन पूर्व अनुमति के साथ आईसीडी वर्ना में संग्रहीत किया गया था।

डीओआर का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि नोयडा आयुक्त के तहत आयात के मामले में उपरोक्त आयातित लाईसेंस को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया था। अहमदाबाद द्वारा प्रतिबंधित सूची में होने के बावजूद प्रतिबंधित दवाओं की निकासी के लिए इन तथ्यों की तुलना में अधिक विश्वसनीय औचित्य की आवश्यकता है कि दवाओं की समाप्ति तिथि आ रही थी। आईसीडी वर्ना में धातु स्क्रैप का भंडारण गैरकानूनी था क्योंकि आईसीडी मेटल स्कार्प को संभालने के लिए अधिकृत बंदरगाहों की सूची में नहीं है।

5.7 सरकारी राजस्व का संरक्षण

5.7.1 विदेशी मुद्रा की वसूली न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर फिरती नियमावली, 1995 के उप-नियम 16ए(1) के साथ पठित, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75(1), के प्रॉवधानों के अनुसार, जहां फिरती की राशि एक निर्यातक को भुगतान की गई है परन्तु इस प्रकार निर्यात माल के संबंध में बिक्री मुनाफा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) 1999 के तहत अनुमत समय के अन्दर वसूल नहीं किया गया है, वहां इस फिरती राशि को वसूल किया जाना है। उपनियम 16ए(2) यह निर्धारित करता है कि यदि निर्यातक (एफइएमए) 1999 के तहत अनुमत अवधि अथवा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विस्तारित अवधि के अन्दर निर्यात मुनाफे की उगाही के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में

विफल रहता है, तो सहायक/उप कमीशनर सीमाशुल्क निर्यातक को निर्यात मुनाफे की उगाही के साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस जारी करेगा, ऐसा नहीं करने पर दावेदार को भुगतान की गई फिरती राशि की वसूली के लिए एक आदेश पारित किया जाएगा।

(क) सात[23] कमिशनरियों के तहत नौ आईसीडी में, विभाग ने निर्यातों के 35092 परेषणो में ₹534.9 करोड़ के शुल्क फिरती की वसूली के लिए कोई कार्रवाही प्रारंभ नहीं की थी जहां ₹ 3838.46 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा वसूली के लिए शेष रह गई। **विवरण 20** में ब्यौरें प्रस्तुत किये गये हैं।

चार[24] कमिशनरी के तहत नौ आईसीडी में से चार आईसीडी में, 31 दिसम्बर 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बकाया विवरण (आरबीआई-एक्सओएस) से इसकी पुष्टि की गई थी कि ₹ 3692.43 करोड़ राशि के निर्यात मुनाफे, 31 मार्च 2016 से पहले दायर 34013 एसबीज में उगाही नहीं किये गये थे जिसमें ₹ 208 करोड़ की शुल्क फिरती शामिल थी। लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था कि विभाग द्वारा सम्मिलित शुल्क फिरती की वसूली के लिए कोई कार्रवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।

तूतीकारीन कमीश्नरी ने बताया (अक्टूबर 2017) कि 2012 से अब तक लम्बित बैंक वसूली प्रामणपत्र (बीआरसीज) के लिए निर्यातकों को 125 कारण बताओ ज्ञापन (एससीएनज) जारी किये गए थे तथा लम्बन को कम करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है।

हालाँकि, वसूली के कोई ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये गए है तथा उत्तर प्रतीक्षित है।

(ख) आईसीडी मुलुंड में, विभाग ने 54 मामलों में मांग की पुष्टि की थी और आदेश दिया था कि ₹13.95 करोड़ के शुल्क फिरती का प्रतिदाय किया जाना आवश्यक था क्योंकि 2 से 8 वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद भी निर्यात मुनाफे की उगाही नहीं की गई है। इन मूल-आदेशों (ओआईओ) के संबंध में सम्बद्ध दलों द्वारा कोई भी अपील दायर नहीं किये जाने के कारण, सीमा-शुल्क अधिनिमय, 1962 के अनुसार विभाग को वसूली कार्रवाई प्रारंभ

[23]तूतीकोरिन, चेन्नईIV, चेन्नई V, बेंगलुरु शहर, जोधपुर, हैदराबाद, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र I
[24]तूतीकोरिन, चेन्नई IV, चेन्नई V, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र I

करनी चाहिए। ₹ 13.95 करोड़ के शुल्क फिरती की वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने में विलम्ब के विषय में विभाग को बताया गया था।

उत्तर में, विभाग ने बताया कि 46 मामलों में ₹ 8.50 करोड़ की फिरती राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की पहल चल रही है और ₹ 4.97 करोड़ की फिरती वाले 7 मामलों में कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि निर्यातकों ने अपील की हुई है। ₹ 0.48 करोड़ की फिरती वाले एक मामलें में आरोप हटा दिये गये थे।

तथापि, विभाग सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142 की शर्तो में फिरती राशि की वसूली करने में विफल रहा था जो निवारक नोटिस जारी करने एवं संपत्ति की जब्ती द्वारा वसूली करने का प्रावधान करता है।

डीओआर ने अपने उत्तर में (फरवरी 2018) बताया कि बेगंलुरू कमिश्नरी में मै. ई-लेंड अपैरल लि. (जिसेपहले मुद्रा लाईफस्टाइल लि. के रूप में जाना जाता था) ने ई-बीआरसी प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, निर्यात आय की गैर-वसूली के लिए दो अन्य निर्यातकों जिनके नाम मै. इंडसर ग्लोबल लि. और मै. यूबी ग्लोबल लि. है को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

तुतिकोरीन, चैन्ने-IV, जोधपुर, हैदराबाद और मुंम्बई जोन 1 में जहां निर्यात आय की वसूली नहीं हुई है वहां मामलों में फिरती की वसूली के लिए कमिश्नरी कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

निर्यातकों द्वारा प्राप्त किये गए शुल्क लाभों के स्थान पर विदेशी मुद्रा वसूली प्राप्ति की निगरानी की विफलता ₹ 534.9 करोड़ की संपूर्ण राजस्व माफी पर प्रश्न लगाती है।

5.8 आन्तरिक नियंत्रण और आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण सहित आन्तरिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रबंधन साधन है और कारोबारी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एक इकाई के प्रबंधन द्वारा अपनाई गई सभी पद्धतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है। लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तंत्र धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के साथ दुरूपयोग को

रोकने और उसे पहचानने के लिए प्रणलियां, और डाटा प्रबंधन प्रणाली, आन्तरिक रिपोर्टिंग और लेखांकन जैसे मानदण्डों की जाँच करती है। इसके लिए लेखापरीक्षा आन्तरिक अभिलेखों, फाइलों, बैठक के कार्यवृत्त, निरीक्षण रिपोर्टों और लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए निरीक्षण रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई पर विश्वास करती है।

5.8.1 अभिरक्षकों द्वारा बॉण्ड, बैंक गारंटी और बीमा के क्रियान्वयन में कमी

एचसीसीएआर, 2009 के पैरा 5(3) के अनुसार, अभिरक्षक को निम्न क्रियान्वित करना है:

I. आयातित माल पर शामिल शुल्क की औसत राशि के बराबर तथा 30 दिनों की अवधि के दौरान सीमा शुल्क क्षेत्र में भण्डार किए जाने हेतु सम्भावित निर्यात माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर एक बॉण्ड;

II. इस प्रकार के शुल्क के दस प्रतिशत के बराबर एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करना (बीजी) अथवा नकदी जमा करना;

III. अनुमानित क्षमता के आधार पर 30 दिनों की अवधि के लिए सीमा शुल्क क्षेत्र में भण्डार किए जाने हेतु संभावित माल के औसत मूल्य के बराबर राशि के लिए बीमा।

इसके अतिरिक्त, परिपत्र सं. 42/2016 दिनांक 31 अगस्त 2016 के अनुसार, अभिरक्षक द्वारा लिए जाने वाले बॉण्ड और बीमा की गणना के उद्देश्य के लिए भंडारण अवधि 30 दिनों से 10 दिनों तक कम कर दी गई है।

नमूना जांच के लिए चयनित 44 आईसीडी में से सात[25] कमिश्नरियों के अन्तर्गत आने वाले 7 आईसीडी में अभिरक्षकों द्वारा ₹ 703.62 करोड़, ₹ 1.75 करोड़ और ₹ 398.97 करोड़ राशि के क्रमश: भण्डार बॉण्ड, बीजी तथा बीमा के कम क्रियान्वयन देखे गए थे **(विवरण 21)**।

इसी प्रकार, नमूना जांच के लिए चयनित 41 सीएफएस में से पांच[26] कमिश्नरियों के तहत आने वाले पंद्रह सीएफएस में अभिरक्षकों द्वारा भंडारित

[25]कानपूर, नोएडा, बोलपूर के.उ.शु, पटपड़गंज, तुगलकाबाद, तूतीकोरिन, मुंबई के सीमाशुल्क क्षेत्र -1, पुणे
[26]नोएडा, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई चतुर्थ, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र II,

बॉण्ड, बीजी और बीमा के क्रमश: ₹ 450.38 करोड़, ₹ 39.06 करोड़ और ₹ 8530.40 करोड़ की राशि के कम निष्पादन देखे गए थे **(विवरण 22)**।

मुम्बई सीमा शुल्क क्षेत्र 1 कमिश्नरी के तहत आने वाले आईसीडी, मुंलुड के अभिरक्षक मैसर्स कॉनकोर ने अपने संचालन (1995) से और यहां तक कि एचसीसीएआर, 2009 के लागू होने के बाद भी किसी भी भंडारण बॉण्ड का क्रियान्वयन नहीं किया था। ₹ 44.51 करोड़ की बॉण्ड राशि का निष्पादन न करने के कारण आईसीडी के संरक्षण में भंडारित माल के संबंध में विभाग द्वारा सीमा शुल्क राजस्व सुरक्षित नहीं किया गया था।

तुगलकाबाद कमिश्नरी के तहत आने वाले आईसीडी तुगलकाबाद में, अभिरक्षक ने केवल 01 फरवरी 2017 को 17 मार्च 2014 से 16 मार्च 2019 की अवधि के लिए ₹ 1051 करोड़ का एक बॉण्ड निष्पादित किया था जो यह दर्शाता है कि आईसीडी किसी भी भंडारण बॉण्ड के बिना लगभग 3 वर्षो से कार्य कर रहा है।

पटपड़गंज कमिश्नरी के तहत आने वाले आईसीडी पटपड़गंज में, अभिरक्षक (कंटेनर वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन) ने 21 मार्च 2016 को पूर्व भंडारण बॉण्ड के व्यपगत होने के 15 महीनों के बाद 12 जून 2017 को केवल ₹ 100 करोड़ के अभिरक्षक सह वाहक बॉण्ड का नवीकरण करवाया था।

यद्यपि शिलांग एनईआर कमिश्नरी के तहत आईसीडी अमीनगॉव आईसीडी 01 जून 1986 से परिचालित हुआ परन्तु अभिरक्षक (कॉनकोर) ने 23 जून 2017 को केवल ₹ 8 करोड़ का बॉण्ड निष्पादित किया था।

मुम्बई सीमाशुल्क क्षेत्र II कमिश्नरी के तहत मैसर्स स्पीडी ट्रांस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचना सं. 16/2005 दिनांक 30 दिसम्बर 2005 के द्वारा सह सरंक्षक के रूप में अधिसूचित किया गया था परन्तु विभाग ने 2010 से 2016 तक लाइसेन्स के नवीकरण के समय भी अर्थात् एचसीसीएआर, 2009 के लागू होने के बाद भी अभिरक्षक द्वारा बीजी निष्पादित कराने पर जोर नहीं दिया था।

मुम्बई सीमाशुल्क क्षेत्र II कमिश्नरी के तहत आने वाले मेसर्स सीडब्ल्यूसी लोजिस्टक पार्क, सीएफएस के संबंध में, भंडारित माल के संबंध में 15 मई

2015 से 30 दिसम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान कोई भी बीमा कवरेज नहीं किया गया था।

कोलकाता (बंदरगाह) कमिश्नरी के तहत एक सीएफएस मैसर्स बॉमर लारी एण्ड क. लि. को पी.एन. 104/94 दिनांक 01 नवम्बर 1994 के द्वारा अभिरक्षक नियुक्त किया गया था और एचसीसीएआर 2009 के लागू होने के बाद भी, अभिरक्षक ने विनियमन 5(3) के अनुसार निष्पादित किये जाने वाले आवश्यक किसी बॉण्ड को जमा नहीं किया था।

कोलकता बंदरगाह ने बताया (दिसंबर 2017) कि सीएफएस को वर्ष 2016-17 के लिए आयात कीमत, निर्यात कीमत और आयात ड्युटी पर डाटा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और उक्त डाटा के आधार पर, सीएफएस को संशोधित बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

डीओआर ने अपनी प्रतिक्रिया में (फरवरी 2018) बताया कि अभिरक्षकों से लेखापरीक्षा आपतियों का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है।

5.8.2 सीमाशुल्क कर्मचारी तैनाती और लागत वसूली प्रभार

एचसीसीएआर 2009 के विनियम 5(2) के अनुसार, सरंक्षक ऐसे सीमाशुल्क क्षेत्रों पर कमिश्नर द्वारा नियुक्त सीमाशुल्क अधिकारियों की नियुक्ति की लागत करने के लिए वचनबद्ध होगा और लागत वूसली के आधार पर निर्धारित दरों पर निर्धारित ढंग से भुगतान करेगा, जब तक इनको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय किसी आदेश के द्वारा विशिष्ट छूट प्राप्त नहीं होती।

सीबीईसी नियमपुस्तक के अध्याय 27 के पैरा 4 के अनुसार, आईसीडी/ सीएफएस पर सीमाशुल्क निकासी के उद्देश्य से बोर्ड के प्रशासनिक विंग द्वारा मंजूरी आदेश जारी करके लागत वसूली के आधार पर सीमाशुल्क कर्मचारियों की तैनाती की जाती है। अभिरक्षक को आईसीडी अथवा सीएफएस पर वास्तव में तैनात अधिकारियों के कुल वेतन के185 प्रतिशत की दर पर भुगतान करना आवश्यक है जो प्रत्येक तिमाही के लिए अग्रिम भुगतान किया जाना है।

आईसीडी/सीएफएस के लागत वसूली पदों, जो गत दो वर्षों के लिए निम्नलिखित निष्पादन बैंचमार्क के साथ दो लगातार वर्षों से प्रचालन में रहे हैं, के नियमन के लिए विचार किया जायेगा।

(i) आईसीडी द्वारा संभाले गए कन्टेनरों की सं.-7200 टीईयू प्रति वर्ष

(ii) सीएफएस द्वारा संभाले गए कन्टेनरों की सं.- 1200 टीईयू प्रति वर्ष

(iii) आईसीडी/सीएफएस द्वारा प्रसंस्करित बी/ई की सं.-आईसीडी के लिए 7200 प्रति वर्ष और सीएफएस के लिए 1200

(iv) स्टाफिंग प्रतिमानों के अनुसार केवल निर्यात से संबंधित इन आईसीडी/सीएफएस के लिए (i) से (iii) तक बेंचमार्क 50 प्रतिशत तक घटाये जायेंगे।

तथापि, लागत वसूली प्रभारों की छूट पिछली अवधि के लिए किसी दावे के बिना भावी प्रभाव वाली होगी।

नमूने के तौर पर चयनित 44 आईसीडी में से 12[27]कमिश्नरियों के तहत आने वाले 15 आईसीडी में लागत वसूली प्रभार लम्बित थे जिनकी ग्यारह आईसीडी में वसूली योग्य राशि ₹20.11करोड़ थी और शेष 4 आईसीडी में वसूलने योग्य सीआरसी की राशि का पता नहीं लगाया जा सका **(विवरण 23)**।

उसी प्रकार, कमिश्नरी रिकार्डों और नमूना जांच के लिए चयनित 41 सीएफएस में, लेखापरीक्षा ने देखा कि दस[28] कमिश्नरियों के अन्तर्गत आने वाली 23 सीएफएस में सीआरसी बकाया थी, जिसकी 11 सीएफएस में वसूली योग्य राशि ₹ 18.24 करोड़ थी और बाकी 12 सीएफएस में वसूली योग्य राशि को निर्धारित नहीं किया जा सका **(विवरण 24)**।

अपने उत्तर में डीओआर ने (फरवरी 2018) बताया कि आईसीडी तुलगकाबाद और आईसीडी पडपडगंज को छोड़कर जो लागत वसूली आधार पर परिचालन नहीं कर रही थी, बकाया की वसूली के लिए अथवा मामलों को नियमित करने के लिए कार्रवाही प्रारंभ की गई थी जहां अभिरंक्षको ने छूट माँगी थी।

---

[27]नागपुर I, जोधपुर, बेलगांव के.उ.सी.शु, लुधियाना, त्रिची सीशु और के.उ.शु, चैन्नई IV, मोरमुगॉव, बूटीबोरी, अहमदाबाद, तुगलकाबाद, पटपड़गंज, नोएडा

[28]मुंदरा, जामनगर, अहमदाबाद मैंगलुरू, कोलकता, बैंगलुरू सीटी, कोची, हैदराबाद, नौएड़ा, कंड़ला

5.8.3 सीमाशुल्क अधिकारियों के पदस्थापन में असंगति

कोलकाता सीमाशुल्क कमिश्नरी में सैन्चुरी प्लाई जेजेपी, सीएफएस को 24 फरवरी 2017 तक सीआरसी से छूट दी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएफएस ने 2016-17 में 47,748 टीईयू और 16,265 दस्तावेजों का निपटान किया था, तदनुसार 13 सीमाशुल्क अधिकारियों को सीएफएस में तैनात करने की आवश्यकता है। तथापि, 18 अधिकारियों को वहां तैनात किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सीएफएस में अधिकारियों की अधिक तैनाती हुई। सीएफएस मैसर्स बामर लॉरी एंड क. जिसने 44,614 टीईयू, और 17,014 दस्तावेज का निपटान किया था, में सीमाशुल्क अधिकारियों की संख्या केवल दस थी।

इस संबंध में, व्यय प्रबंधन विंग, महानिदेशक एचआरडी सीबीईसी ने अपने पत्र दिनांक 3 नवम्बर 2015 में अन्य बातों के साथ, निर्देश दिए कि तैनाती प्रतिमानों से अधिक परिनियोजित स्टाफ को कार्य में बाधा उत्पन्न किए बिना हटाया जायेगा। इसलिए, निर्धारित तैनाती प्रतिमानों से अधिक अधिकारियों की तैनाती और जिसके लिए लागत वसूली प्रभारों की भी उगाही नहीं की जा रही, अनुचित हैं और डीजी (एचआरडी) प्रतिमानों के विरूद्ध है।

आईसीडी, कलिंगनगर में सीमाशुल्क कार्य को संभालने के लिए किसी सीमाशुल्क स्टाफ का आवंटन नहीं किया गया था। जयपुर सड़क सीमा शुल्क डिवीजन का स्टॉफ मरचेंट ओवरटाइम (एमओटी) आधार पर आईसीडी में सीमा शुल्क कार्य को संभालने के लिए तैनात किया गया था। जब आईसीडी में स्टाफ की गैर-तैनाती के कारण क्षेत्राधिकारी सहायक आयुक्त के ध्यान (अगस्त 2017) में लाए गए तब यह उत्तर दिया गया (अगस्त 2017) कि मामला सीमा शुल्क (निवारक), भुवनेश्वर कमिश्नरी को भेज दिया गया था।

आईसीडी सनथ नगर में, मूल्यांकक/अधीक्षक के 4 पद, टीए के 3 पद और हवलदार के 7 पद संस्वीकृत पदों में से रिक्त पड़े थे। समानरूप से आईसीडी थिम्मापुर पर 2016-17 के दौरान टीए के 2 पद, 2 एलडीसी और 4 सिपाही के पद रिक्त थे। दाखिल किए गए बीई और एसबी की अधिक संख्या पर विचार करते हुए, विशेषकर आईसीडी सनथनगर में, स्टाफ की कमी का व्यापार सुविधा और निर्धारणों की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

डीओआर ने अपने उत्तर में (फरवरी 2018) बताया कि कोलकता में क्षेत्राधिकारी कमिश्नर ने कार्य की मात्रा के कारण अधिक स्टाफ के विनियोजन को जारी रखना न्यायसंगत है, जबकि बताया आईसीडी कंलिंग नगर और आईसीडी संथनगर में स्टाफ की कमी रिक्तियों के कारण बतायी गई थी।

डीओआर की प्रतिक्रिया लेखापरीक्षा द्वारा बताऐ गये श्रमबल के असमान बटवारें के मामले को पुष्ट करती है। स्वीकृत पदों की संख्या को रेशनलाईज करने के लिए स्टाफ विनियोजन नीति की समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है जो अखिल भारतीय आधार पर कार्य भार को उचित ठहराए।

5.8.4 कार्गो की चोरी और उठाईगीरी

अभिरक्षक अपनी अभिरक्षा में आयातित और निर्यात माल की सुरक्षा एवं रक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और सीमा शुल्क क्षेत्र में उसके प्रवेश के बाद माल की उठाईगिरी पर शुल्क के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा जैसाकि एचसीसीएआर, 2009 के विनियम 6 में निर्दिष्ट है।

चार[29] कमिश्नरियों के तहत आने वाले 2आईसीडी और 2 सीएफएस में कार्गो की चोरी एवं लापता मामले देखे गए **(विवरण 25)** जो कि अभिरक्षक की ओर से परिसरों में सुरक्षा की गंभीर कमियों और राजकोष के राजस्व की हानि को दर्शाता है। कुछ दृष्टांत नीचे दर्शाए गए हैं:

चेन्नई V सीमा शुल्क कमिश्नरी के तहत सेनको ट्रांस लिमिटेड, सीएफएस चेन्नई में मैसर्स विग्नेश ट्रेडर्स द्वारा 76430 किग्रा धातु स्क्रैप का आयात (नवम्बर 2012) किया गया था किंतु आयातक द्वारा निकासी नहीं की गई थी। विभाग ने मामले पर फैसला सुनाया (जनवरी 2015) और माल को पूरी तरह जब्त करने के आदेश दिए। कार्गो की बाद में अप्रैल 2016 में ई-नीलामी की गई। किंतु उच्चतम बोलीदाता ने कार्गो के अधिग्रहण से मना कर दिया क्योंकि 34070 किग्रा धातु स्क्रैप कम पाया गया। तथापि, विभाग द्वारा कार्गो की कमी के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं शेष मात्रा अभी तक निकासी बिना पड़ी है।

[29]मुम्बई सीमा शुल्क क्षेत्र I, मुम्बई सीमा शुल्क जोन II, चेन्नई V और जोधपुर

सीएफएस की ओर से लापरवाही के कारण मैसर्स स्पीडी मल्टीमोड्स लि. सीएफएस, मुम्बई अपनी अभिरक्षा में भण्डारित छः कन्टेनरों में से 36.29 एमटी 'रेड सेन्डर्स' की व्यस्थित चोरी/उठाई गीरी का पता लगाने में असफल रहें। एसआईआईबी (X) द्वारा माल को जब्त किया गया था और सीमा शुल्क की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सीएफएस में रखा गया। उक्त मामला नवम्बर/दिसम्बर 2014 के महीने में देखा गया था। 28 अक्तूबर 2016 को सीएफएस से कुल ₹12.29 करोड़ की वसूली की गई थी। मैसर्स पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन लि. में भी 'रेड सेन्डर्स' की चोरी/उठाईगिरी का समान मामला देखा गया था।

डीओआर ने अपने उत्तर में (फरवरी 2018) मुंबई । और ॥ कमिश्नरियों के संबंध में बताया कि संरक्षक उचित प्रक्रिया का पालन करने और विसंगति को दूर करने के लिए सचेत किया गया है और मामले में की गई कार्यवाही की सूचना कमिश्नरी को देने के लिए कहा गया है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि प्रतीत होता है कि डीओआर द्वारा लेखापरीक्षा में सूचित किये गये चोरी के मामलों में तहकीकात संबंधी कार्रवाई करने के बजाय केवल निर्देश पारित कर के बड़ी सरलता से चोरी और उठाईगिरि के मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है जो ऐसी चोरियों को संभव बनाने वाली प्रणालीगत कमियों का पता लगाने में सहायता कर सकता था।

5.8.5 आगम पत्रों और लदान बिलों का हस्त्य रूप से भरा जाना

एचसीसीएआर, 2009 के विनियम 5 के अनुसार सीसीएसपी द्वारा पूरी की जाने वाली एक शर्त यह है कि अभिरक्षक कस्टम ऑटोमेटिड प्रणाली के साथ सुरक्षित कनेक्टिविटी और सीमाशुल्क समुदाय के साझेदारों के बीच सूचना के विनिमय के लिए अभिरक्षक को हार्डवेयर, नेटवर्किंग और उपस्कर का प्रावधान करेगा।

सीमा शुल्क अधिनिमय 1962 की धारा 46 और 50 के अनुसार आयात दस्तावेजों और निर्यात दस्तावेजों को इलैक्ट्रॉनिकल ढंग से दर्ज करना (ईडीआई प्रणाली द्वारा) अनिवार्य है। दुरूपयोग से बचने के लिए, सीबीईसी ने 4 मई 2011 को निर्देश जारी किए कि आयात/निर्यात माल का मैनुअल प्रसंस्करण एवं निपटान केवल असाधारण मामलों में ही अनुमत होगा और

मैनुअल दस्तावेजों का डाटा अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना चाहिए और निर्धारित समय अवधि में सभी स्थानों द्वारा संचारित किया जाना चाहिए।

सात[30]कमिश्नरियों के तहत आने वाले आठआईसीडी और छः सीएफएस में 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान 11535 मैनुअल आगमपत्र (बीई) एवं लदान बिल (एसबी) दर्ज किये गए जो कि बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के सिद्धांतों के विरूद्ध हैं **(विवरण 26)**।

सीडब्ल्यूसी पनमबूर सीएफएस में, जिसका प्रचालन 1997 में शुरू हुआ, आईसीईएस कनैक्टीविटी की अनुपस्थिति के कारण सभी बीई को हस्तरूप से भरा गया जबकि आईसीडी वेरना जिसका प्रचालन 2001 में प्रारंभ हुआ था में नेटवर्किंग संबंधित तकनीकी मामलों और बीएसएनएल लीज लाइन के कारण आईसीईएस प्रणाली के गैर-परिचालन के कारण मैनुअल फाईलिंग को अनुमत किया गया था।

डीओआर ने अपने उत्तर में (फरवरी 2018) सूचित किया कि आईसीडी तुलगलकाबाद में ज्यादातर लदान की सेज में दर्ज दस्ती शिपिंग बिलों सहित मैनुअल निकासी प्रक्रिया के माध्यम से निकासी की जाती है। चुंकि उक्त शिपिंग बिलों को सेज पर दस्ती दर्ज किया गया है उनकी आईसीईएस के माध्यम से निकासी नहीं की जा सकती क्योंकि ईडीआई तंत्र के माध्यम से दस्ती शिपिंग बिलों की निकासी के लिए आईसीईएस में कोई विकल्प नहीं है। हैदराबाद कमिश्नरी में कमिश्नर से उचित अनुमति के पश्चात ही दस्ती फाईलिंग को अनुमत किया जा रहा है वो भी केवल तब जब ईडीआई शिपिंग बिल दर्ज करना व्यवहार्य नहीं हो।

5.8.6 निर्धारण एवं जांच के लिए स्थानीय जोखिमों का निर्धारण करने के लिए आईसीडी पर स्थानीय जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित न करना।

सीबीईसी परिपत्र सं. 23/2007 सी.शु दिनांक 28 जून 2007 के पैरा 5.1 से 5.3 में प्रावधान है कि एक स्थानीय जोखिम प्रबंधन (एलआरएम) समिति का गठन प्रत्येक सीमाशुल्क गृह में किया जायेगा और कम से कम सीमा शुल्क कमिश्नर के पद के अधिकारी द्वारा चलाया जायेगा। जोखिम सूचकों का पता

[30] मैंगलुरू, बैंगलुरू, हैदराबाद, तुगलकाबाद, शिलांग उपूरे, बोलपुर सीई, लुधियाना

लगाने के उद्देश्य से मुख्य मदों के आयात में प्रवृतियों की समीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए समिति की प्रत्येक माह में एक बार बैठक होगी।

(i) निकासी से पूर्व माल का निर्धारण एवं जांच और पीसीए दोनों के लिए स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेपों पर निर्णय लेना।

(ii) पहले से मौजूद व्यवधानों के परिणामों की समीक्षा करना एवं उनके बने रहने, संशोधन या रोकने आदि पर निर्णय लेना।

(iii) आरएमएस के निष्पादन की समीक्षा और आरएमएस परिणाम के आधार पर की गई कार्रवाई के परिणामों का मूल्यांकन करना।

(iv) सीमा शुल्क कमिश्नर के अनुमोदन से, आरएमडी द्वारा यथा निर्धारित, आरएमडी को आवधिक रिपोर्ट भेजना।

'आईसीईएस 1.5 पर सीएजी की निष्पादन रिपोर्ट' (2014 की रिपोर्ट स.11) पर पीएसी (16वीं लोक सभा) की 23वी रिपोर्ट (2015-16) के पैरा 38 और 39 में एलआरएम समितियों के कार्यचालन के संबंध में पीएसी को दिए गए उत्तर में सीबीईसी ने बाद में लोक लेखा समिति (पीएसी) को यह आश्वासन भी दिया था कि सभी 89 ईडीआई स्थानों पर एलआरएम समितियों का गठन किया गया है जहां आरएमएस प्रचालन में था।

38 कार्यरत आईसीडी में से, 12 आईसीडी[31] में एलआरएम समिति का गठन नहीं हुआ था एवं अन्य 14 आईसीडी[32] में हालांकि एलआरएम समिति का गठन हुआ था और बैठकें हुई थी; परन्तु वह बोर्ड के परिपत्र के अनुसार मासिक आधार पर नहीं थी। शेष 12 आईसीडी ने एलआरएम समिति के गठन के बारे में सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। केवल आईसीडी, पीतमपुर (एमपी) में यह देखा गया कि एलआरएम समितियों की बैठक प्रत्येक माह की गई थी। **(विवरण 27)**

[31]आईसीडी, सनथनगर, कलिंगनगर, थिममपुर, थंब, मरीपालीम, दुर्गापुर, अमीनगांव, मुलुंड, अजनी, वेरना, तूतीकोरिन, इरुंगट्टुकोटाई, तेलगांव

[32]आईसीडी व्हाइटफील्ड, दादरी, लोनी, पनकी, पितांबूर, पड़पड़गंज, मंदीदीप, कोट्टायम, जीआरएफएल, पीएसडब्ल्यूसी, धंधारी कलां, केनच, दूरगापूर, मारीपल्लम

डीओआर अपने उत्तर में (फरवरी 2018) बताया कि सीबीईसी परिपत्र स. 23/2007 सी.शु. के अनुसार ही एलआरएम मासिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

5.8.7 सीमाशुल्क निकासी सुगमता समिति का गठन न करना

बोर्ड परिपत्र सं. 44/2016 सीमाशुल्क दिनांक 22 सितम्बर 2016 के अनुसार, सीमाशुल्क निकासी सुगमता समिति (सीसीएफसी) आईसीडी पर क्षेत्राधिकार वाली कमिश्नरी में संस्थापित की जानी थी। सीसीएफसी का नेतृत्व अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के लिए कमिश्नर सीमाशुल्क या प्रधान कमिश्नर सीमाशुल्क के द्वारा किया जायेगा। इसकी सदस्यता में विभिन्न विभागों/ एजेंसियों/ पणधारकों के सबसे वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी पदाधिकारी शामिल होंगे जिनकी अनुमति निर्यातित/ आयातित माल की निकासी में आवश्यक होती है। सीसीएफसी का एक अधिदेश आयातित एवं निर्यात माल की निकासी प्रक्रिया के संबंध में व्यापार एवं उद्योग के सदस्यों की शिकायतों का समाधान करना है।

विभाग द्वारा दी गई सूचना से केवल चार[33] कमिश्नरियों ने बताया कि इनलैंड कन्टेनर डिपो की सुविधा का लाभ उठा रहें आयातकों/ निर्यातकों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों का ध्यान रखने के लिए सीसीएफएसी का गठन किया गया और चार[34] कमिश्नरियों ने समिति का गठन नहीं किया। तथापि 27 कमिश्नरियों के संबंध में सूचना नहीं दी गई थी। **(विवरण 28)**

डीओआर ने अपने उत्तर में (फरवरी 2018) आईसीडी, पड़पड़गंज, नोएडा, नागपुर, मुम्बई । और हैदराबाद कमिश्नरी के संबंध में बताया कि 2016/2017 से संबंधित कमिश्नरियों में सीसीएफसी को गठित किया गया है और बैठकों का नियमित आयोजन किया जा रहा है।

5.8.8 सीसीएसपी की नियुक्ति के अनुमोदन का नवीनीकरण न करना

एचसीसीएआर, 2009 के विनियम 13 के अनुसार, विनियम 10 के तहत नियुक्ति की वैधता के व्यपगत होने से पूर्व सीसीएसपी द्वारा किये गए

[33]तुगलाकाबाद, इंदौर, शिलांग एनईआर, कोलकाता

[34]नोएडा, मेरठ, कानपुर, भोपाल

आवेदन पर सीमाशुल्क आयुक्त विनियम 10 के तहत दिये गए मूल अनुमोदन या ऐसे अनुमोदन के अंतिम नवीनीकरण, जैसा भी मामला हो, के समाप्त होने की तिथि से आगे पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत कर सकता है यदि अनुमोदित सीमाशुल्क कार्गो सेवा प्रदाता का निष्पादन अधिनियम और नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं एवं उनके तहत आदेशों के किन्हीं भी प्रावधानों के तहत उसके दायित्वों के संबंध में संतोषजनक पाया जाता है।

एचसीसीएआर 2009 का विनियम 12(8) प्रावधान करता है कि यदि कोई सीसीएसपी इन विनियमों के किसी प्रावधान की अवहेलना करता है या ऐसे खण्डन में सहयोग देता है या विनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में असफल होता है जिसका इसको अनुपालन करना था, तब वह शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा जोकि 50 हजार रूपये तक बढाई जा सकती है।

31 मार्च 2017 तक तीन आइसीडी[35]और तीन सीएफएस[36]प्रचालन जारी रख रहे थे जबकि उक्त विनियम के तहत अभिरक्षक के तौर पर नियुक्ति के अनुमोदन को नवीकृत नहीं किया गया था।

पटपडगंज कमिश्नरी के तहत आईसीडी, पटपड़गंज में, अभिरक्षक के अभिरक्षा की कानूनी वैधता बीत जाने के 15 महीनों के बाद सीमाशुल्क कमिश्नर को अभिरक्षा के नवीनीकरण का आवेदन दिया गया था किंतु यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या अभिरक्षक के नवीनीकरण के लिए कोई अनुमोदन दिया गया था।

मुम्बई सीमाशुल्क कमिश्नरी जोन II में मैसर्स स्पीडी मल्टीमोड्स लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स स्पीडी ट्रांसपोर्ट लिमिटैड) को 5 वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचना सं. 16/2005 दिनांक 30 अक्तूबर 2005 द्वारा जेएनसीएच के सह-संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। 31 दिसम्बर 2010 को मूल अभिरक्षा अनुमोदन की समाप्ति के बावजूद, अभिरक्षक ने प्रचालनों को जारी

[35]आईसीडी धन्दरी कलान (लुधियाना), आईसीडी मुरादाबाद, मैसर्स सीडब्ल्यूसी - आईसीडी अभीनगॉव
[36]सीएफएस मैसर्स सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन कांडला, मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड और मेसर्स सीडब्ल्यूसी-पनमबुर, - मंगलुरु

रखा। अभिरक्षक के तौर पर नियुक्ति का नवीनीकरण 5 वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद 28 अक्तूबर 2016 को जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर, मै. सीडब्ल्यूसी पनाम्बुर ने पंद्रह वर्षों की समाप्ति के बाद अपने अभिरक्षण को पब्लिक नोटिस संख्या 40/2017 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा नवीकरण किया था।

यह अनुमोदनों का विस्तार जारी करने में विभाग की ओर से खराब निगरानी को दर्शाता है और विनियमों के अनुपालन में असफलता के लिए दंड संबंधी उपबंधों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

डीओआर ने अपने उत्तर में (फरवरी 2018) आईसीडी पडपडगंज के सबंध में बताया कि अक्टूबर 2014 से पहले आईसीडी पीपीजी आईसीडी टीकेडी के भाग के रूप में कार्य कर रही थी और अभिरक्षक ने आईसीडी टीकेडी पर 22.03.2011 को अपने बांड निष्पादित किये थे। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई होने के नाते,सीडब्ल्यूसी ने कार्गो हेंडलिंग विनियमन नियमों के अन्तर्गत सभी शर्तों को पूर्ण किया है। अन्तराल अवधि के लिए चूक को नियमित किया गया था। भविष्य में देखभाल की जाएगी कि बांड की उचित निगरानी की गई है। मुंबई I जोन के संबंध में कमिश्नर अन्तिम नवीनीकरण की समाप्ति से पहले आईसीडी मुलंद के लिए सीसीएसपी के रूप में कोनकॉर का नियमित नवीनीकरण कर रहा हैं।

5.8.9 पश्च निकासी लेखापरीक्षा (पीसीए) विंग के निष्पादन में कमी

बोर्ड परिपत्र सं. 15/2012 दिनांक 13 जून 2012 के अनुसार स्वनिर्धारण के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन और व्यापार में इसके लाभों को सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने निर्णय लिया कि आरएमएस के तहत वर्तमान सुगमता स्तर को महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाना चाहिए। तदनुसार, जोखिम नियमों और जोखिम पैरामीटरों को विवेकपूर्ण करने के द्वारा आईसीडी के मामले में 60 प्रतिशत तक सुगमता स्तर को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। उसी समय उच्चतर सुगमता के परिणामस्वरूप पश्च निकासी लेखापरीक्षा (पीसीए) पर आगम पत्रों की अधिक संवीक्षा की आवश्यकता हो गई है।

38 कार्यरत आईसीडी में से, 25 आईसीडी में से पीसीए विंग का गठन किया गया है और पांच आईसीडीज[37] में मार्च 2017 तक पीसीए विंग का गठन नहीं किया गया था। आठ आईसीडी[38] में पीसीए विंग के गठन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था **(विवरण 29)**। तीन आईसीडी/सीएफएस[39] में, 2012-13 से 2014-15 के दौरान 15351 बीईज को पीसीए के लिए चुना गया था जिनमें से 11072 की लेखापरीक्षा की गई थी और शेष 4279 बीईज समय बाधित हो गए जैसा कि **विवरण 30** में विवरण दिया गया है।

बोर्ड द्वारा निर्धारित उच्च सुगमता स्तरों को देखते हुए, पीसीए बहुत महत्व रखता है और विभाग द्वारा दिखाई गई कोई भी ढिलाई बोर्ड द्वारा निर्धारित पद्धति की विफलता का कारण होगा।

अपने उत्तर में डीओआर ने (फरवरी 2018) में बताया कि सुविधा स्तर में वृद्धि के साथ, सीबीईसी ने लेखापरीक्षा के अधिक महत्व की आवश्यकता को पहचाना और तदनुसार तीन लेखापरीक्षा कमिश्नरियों को दिल्ली, मुंबई और चैन्ने में इस तरह के कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

5.8.10 आंतरिक लेखापरीक्षा का न किया जाना

44 आईसीडी में से 6 आईसीडी में आंतरिक लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकारी कमिश्नरी द्वारा की गई थी और 15 आईसीडी में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। शेष 23 आईसीडी ने की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण प्रस्तुत नहीं किए।

41 लेखापरीक्षित सीएफएस में से, केवल तीन सीएफएस में ही क्षेत्राधिकारी कमिश्नरी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी और दस सीएफएस में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। शेष 28 सीएफएस ने आंतरिक लेखापरीक्षा करने के बारे में सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। **(विवरण 31)**

---

[37]बल्लभगढ़, मारिरापलम, गूंटूर, अमीनगॉव, वेरना

[38]टोंडीरपेट, होसुर, जीआरएफएल (लुधियाना), पीएसडब्ल्यूसी (लुधियाना), धंधारी कलां, केनच, पटपड़गंज, कलिंगनगर,

[39]आईसीडी अजनी, स्टार ट्रैक टर्मिनल, अल्बाट्रॉस अंतर्देशीय पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

डीओआर ने अपने उत्तर (फरवरी 2018) में बताया कि सरलता स्तरों में वृद्धि के साथ सीबीईसी ने लेखापरीक्षा के अधिक महत्व की आवश्यकता को पहचाना और तदनुसार में तीन लेखापरीक्षा कमिश्नरी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई ऐसे कार्यो को कुशलतापूर्वक करने के लिए अधिसूचित की गई हैं।

निष्कर्ष

सीमाशुल्क की ईडीआई प्रणाली द्वारा कन्टेनरों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा केवल एक बेहद आवश्यक व्यापार सुगमता उपाय ही नहीं है बल्कि यह पत्तनों और आईसीडी और सीएफएस के बीच कन्टेनरों के आवागमन की निगरानी के लिए सीमाशुल्क विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण नियामक तंत्र भी है। तथापि लेखापरीक्षा ने आयात वाहनांतरण मॉडयूल में कमियां और निर्यात वाहनांतरण मॉड्यूल के अप्रचालन के दृष्टांत देखे जिसने ऑनलाइन ट्रैकिंग आरम्भ करने का प्रयोजन विफल कर दिया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने 7877 कन्टेनरों का एक बड़ा लम्बन देखा जो एक से दस वर्षों तक की अवधियों से लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जाँच किये गए आईसीडी और सीएफएस में निकासी के बिना पड़े थे। निकासी न किए गए कार्गो के विश्लेषण से मामलों की अधिकता का पता चला जिसने आयातों और निर्यातों के लिए कन्टेनरीकृत कार्गो के प्रबंधन को त्रस्त कर दिया। सीमाशुल्क अधिकारियों और अन्य सरकारी एजेंसियों जैसे प्लांट करन्टाइन, प्रदूषण नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा आदि से एनओसी प्राप्त करने में विलम्ब कन्टेनरों की नीलामी/निपटान समस्या का केवल एक सिरा है। लेखापरीक्षा ने पाया कि खतरनाक सामग्री के साथ डम्प किए जा रहे कन्टेनरों के असंख्य दृष्टांतों के कारण समस्या बहुत अधिक बढ़ गई। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच से पता चला कि न केवल खतरनाक सामग्री जैसे कि धातु स्क्रैप, म्यूटीलेटिड रबर एवं युद्ध सामग्री पर्यावरणीय विनियमों और सीमाशुल्क पद्धतियों के उल्लंघन में आईसीडी के माध्यम से आयात की गई बल्कि आईसीडी विदेश से म्यूनिसिपल अपशिष्ट की डम्पिंग के लिए एक स्थिर स्थान हो गए हैं। लेखापरीक्षा की संवीक्षा से पता चला कि ऐसे कार्गो के बहुत से आयातक नियमित आयातक हैं।

विनियमों में कमियों के कारण खतरनाक सामग्रियों और म्यूनिसिपल अपशिष्ट की डम्पिंग को सुलझाने के लिए सरकार की प्रतिक्रिया बहुत अधिक बाधित है। लेखापरीक्षा ने देखा कि कुछ आयातकों द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 23(2) का नियमित रूप से उपयोग कन्टेनरों को छोडने के लिए किया

गया था। सीमाशुल्क द्वारा ऐसे आयातकों द्वारा भविष्य में समान माल के आयात से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसी समय सीमाशुल्क प्राधिकरण पर निकासी न किए गए कन्टेनरों को मढ़ दिया गया। जब तक सख्त अपरिहार्य कारण न हों, तब तक सीमाशुल्क अधिनियम या किसी अन्य विनियमों में आयातकों को कार्गो को छोड़ने से रोकने के लिए कुछ नहीं है।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि जहाँ खतरनाक सामग्री के पुनर्निर्यात के लिए विनियम प्रभावी नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप पुनर्निर्यात के आदेशों के अनुसरण में विलम्ब के लिए आयातकों पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं की जाती, वहीं म्यूनिसिपल अपशिष्ट की डम्पिंग से निपटने के लिए ऐसे कोई विनियम लेखापरीक्षा द्वारा नहीं देखे गए। परिणामस्वरूप म्यूनिसिपल अपशिष्ट वाले कन्टेनर जलाये जाने की प्रतीक्षा में अरक्षित ही पड़े रहे जो कि अपने आप में एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है।

विनियामक संरचना के उल्लंघन के अन्य दृष्टांतो के साथ बहुत से आइसीडी और सीएफएस को केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक मंजूरी के बिना ही खतरनाक कार्गो का संचालन करते हुए देखा गया। लेखापरीक्षा ने एक कमजोर अनुरक्षण प्रणाली दर्शाने वाले वर्जित एवं बाधित मदों के आयात एवं निर्यात के मामले देखे।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र जोकि अनुसरण किए जा रहे ठोस नियामक पद्धतियों में प्रदर्शित होता है, का अभाव पाया गया क्योंकि बॉड, बैंक गारंटी एवं बीमा में कमी के दृष्टांत देखे गए थे। ईडीआई प्रणाली के कार्यान्वयन के बावजूद, लेखापरीक्षा ने देखा कि आगम पत्र और लदान पत्र की दस्ती फाइलिंग आठ आईसीडी और दो सीएफएस में प्रचलित थी। बहुत से आईसीडी पर जोखिम प्रबंधन समीतियों की अनुपस्थिति और सीमाशुल्क निकासी सुगमता समीतियों का गठन न होना कमजोर विनियामक और सुगमता तंत्रों के अन्य सूचक थे। पश्च निकासी लेखापरीक्षा कार्य लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांचित 5 आईसीडी में संस्थापित नहीं किए गए थे। यह सब एक साथ मिलकर लेखापरीक्षा को इस निष्कर्ष पर पहुंचाते है कि आईसीडी और सीएफएस में समग्र अनुपालन परिवेश कमजोर था।

सिफारिशें

1. ***कन्टेनर आवागमन की निगरानी को मजबूत बनाने के लिए बोर्ड आईसीईएस में लैंडिंग प्रमाणपत्र मैसेज डालने द्वारा बांड के रीक्रेडिट को स्वचालित करने के लिए आईसीईएस में उचित संशोधन लाने पर***

विचार करें। बोर्ड अभिरक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय अनिकासित कार्गो/कन्टेनरों की स्वतंत्र निगरानी के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र का विकास करने पर भी विचार करें।

डीओआर ने बताया (फरवरी 2018) कि आईसीईएस सॉफ्टवेयर में प्रावधान उपलब्ध है जिसका उपयोगअभिरक्षक इलेक्ट्रॉनिक रूप से आगमन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और बांड के रीक्रेडिट को स्वचालित करने के लिए भी कर सकते है। तथापि, समस्याओं को उनके परिचालनों के साथ सूचित किया गया है, उनका सुधार किया जा रहा है। अनिकासित कार्गो/कन्टेनरों की स्वतंत्र निगरानी के लिए अभिरक्षक रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाए एक रिपोटिंग तंत्र के विकास के संबंध में सिफारिशों पर सीबीईसी विषय की जांच करेगा और रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र में सुधार करने के लिए कदम उठायेगा।

2. ***सीमापार व्यापार के माध्यम से भारत में खतरनाक अपशिष्ट की बडे पैमाने पर डपिंग को रोकने के लिए चूककर्ता आयातकों तथा शिपिंग लाइनों के विरूद्ध खतरनाक सामग्री (प्रबन्धन, प्रहस्तन एवं ट्रांस बाउंड्री आवागमन) नियमावली अथवा किसी अन्य स्थानीय कानून के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही, यदि आवश्यक हो, सहित कठोर दाण्डिक कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम/ सीमाशुल्क विनियमावली में प्रावधान किया जाए।***

   सीबीइसी इस संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को तत्संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

   डीओआर ने बताया (फरवरी 2018) कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में आयातकों पर दंड लगाने के प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, अपराध को बढ़ावा देने के मामले में शिपिंग लाइनें भी दंड कार्रवाई के लिए जवाबदेह हैं। आयातकों द्वारा अनुबंधित समय में अपनी लागत पर खतरनाक कार्गो के पुनर्निर्यात के संबंध में सुझावों के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय के साथ परामर्श करना आवश्यक है। चूंकि सीबीईसी सीमाशुल्क क्षेत्र में कार्गों का प्रबंधन विनियमों की समीक्षा करने का इच्छुक है, ऐसे मामलों में वाहक को दण्ड देने सम्बंधी उपरोक्त सिफारिश पर भी विचार किया जाएगा।

3. ***खतरनाक अपशिष्ट के पुनर्निर्यात की प्रक्रियाओं में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए बोर्ड पर्यावरण एवं जहाजरानी मंत्रालय जैसे***

अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ सलाह करके इन प्रक्रियाओं को निर्धारित करें।

डीओआर ने बताया (फरवरी 2018) कि मंत्रालय ने आपत्ति पर सहमति दी है कि गलत ढंग से आयातित खतरनाक अपशिष्ट संबंधित आयातक द्वारा पुनर्निर्यात किया जाना चाहिए। मंत्रालय नोडल मंत्रालय से परामर्श के बाद आवश्यक कदम उठायेगा।

4. ***नियमित रूप से कार्गो को स्वेच्छा से छोड़ने के लिए धारा 23 के प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाने वाले आयातकों के जोखिम का समाधान करने के लिए, बोर्ड प्रावधान की समीक्षा करें ताकि कार्गों का परित्याग केवल दुर्लभतम मामले में ही अनुमत किया जा सके।***

डीओआर ने बताया (फरवरी 2018) कि मंत्रालय सिफारिश की जांच करने के लिए अभिप्रेत है और यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम में उपयुक्त संशोधन लाया जाएगा।

नई दिल्ली **(शेफाली एस अंदलीब)**
दिनांक: 09 जुलाई 2018 **प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**
दिनांक: 10 जुलाई 2018 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

शब्दावली

शब्दावली

एएफएस	एयर फ्रेट स्टेशन
एएसआईडीई	निर्यात हेतु बुनियादी ढांचे और सहयोगी गतिविधियों के विकास के लिए राज्य को सहायता
बीई	आगम बिल
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरों
सीएजी	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीबीईसी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीबीआईसी	केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
सीसीएफसी	सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति
सीसीएसपी	सीमाशुल्क कार्गो सेवा प्रदाता
सीएफएस	कंटेनर फ्रेट स्टेशन
सीएमएफसी	कंटेनर मूवमेंट सुविधा सेल
सीआरसी	लागत वसूली प्रभार
सीआरसीएल	केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला
सीडब्ल्यूसी	सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशक
डीओसी	वाणिज्यिक विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीपीडी	डायरेक्ट पोर्ट डिलिवरी
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज
ईजीएम	निर्यात सामान्य मालसूची
ईटीएम	निर्यात ट्रांस्पिमेंट मॉड्यूल
ईटीपी	निर्यात ट्रांस्पिमेंट परमिट
एफईएमए (फ़ेमा)	विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम
एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
एफ़टीपी	विदेश व्यापार नीति
एफवाई	वित्तीय वर्ष
एचसीसीएआर	सीमाशुल्क क्षेत्र में कार्गो का प्रबन्धन विनियम
एचडीसी	हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
एचएसएस	उच्च सागर बिक्री
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीईजीएटीई	भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य/इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज गेटवे
आईसीईएस	भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली
आईसीटीटी	अंतराष्ट्रीय कंटेनर ट्रासशिपमेंट टर्मिनल
आईएमसी	अंतर-मंत्रालयी समिति
आईक्यूएस	भारतीय गुणवत्ता मानक
आईएस	सूचना प्रणाली

आईटीसी	भारतीय व्यापार स्पष्टीकरण
आईटीएम	आयात ट्रांस्पिमेंट मॉड्यूल
जेएण्डके	जम्मू-कश्मीर
जेएनसीएच	जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस
केआईएनएफआरए (किनफरा)	केरल औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम
एलसीएल	कंटेनर भार से कम
एलईओ	निर्यात आदेश दें
एलओआई	आशय पत्र
एलआरएम	स्थानीय जोखिम प्रबंधन
एमओसीआई	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
एमओईएफ	पर्यावरण और वन मंत्रालय
एमओआर	रेल मंत्रालय
एमओएस	शिपिंग मंत्रालय
एमओटी	व्यापारी ओवरटाइम
एमपी	मध्यप्रदेश
एनईआर	उत्तरपूर्व क्षेत्र
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
ओआईओ	मूल आदेश
ओओसी	आऊट ऑफ चार्ज
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीसीए	पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट
पीसीबी	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पीजीए	भाग लेनेवाली सरकारी एजेंसियां
पीएचओ	पोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी
पीक्यू	संयंत्र क्वारंटाइन
पीएसआईसी	पूर्व पोतान्तरण निरीक्षण प्रमाण पत्र
पीडब्ल्यूसी	पंजाब वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन
क्यूपीआर	त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीआई_एक्सओएस	भारतीय रिजर्व बैंक विदेश विनिमय बकाया विवरण
आरएमडी	जोखिम प्रबंधन प्रभाग
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
एसईजेड(सेज)	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एस.बी.	शिपिंग बिल
एसडीसी	विशेष निपटान सेल
एसआईआईबी	विशेष खुफिया और जांच शाखा
टीईयू	बीस फुट समतुल्य इकाई
टीएनपीसीबी	तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
यूसीसी	अनिकासित कार्गो

परिशिष्ट

परिशिष्ट ।

अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन का राज्यवार विवरण

(संदर्भ अध्याय 1, पैरा 1.3.1, पैरा 1.4)

राज्य	आईसीडी की सं.	सीएफएस की सं.
आंध्र प्रदेश	9	5
असम	1	0
चंडीगढ़	1	0
छत्तीसगढ़	2	0
दिल्ली	2	0
गोवा	1	0
गुजरात	13	23
हरियाणा	8	3
झारखण्ड	2	0
कर्नाटक	3	7
केरल	3	10
मध्य प्रदेश	7	11
महाराष्ट्र	25	40
पुदुचेरी	1	2
पंजाब	6	5
राजस्थान	9	2
तमिलनाडु	14	48
तेलंगाना	0	2
उत्तर प्रदेश	20	9
पश्चिम बंगाल	1	10
कुल	129	168

स्रोत: DGFT.nic.in और लोकसभा में दि. 28 नवम्बर, 2016 को उतरांकित प्रश्न सं. 1843 (एच) का उत्तर

परिशिष्ट ।ए

37 संपरीक्षित आईसीडी की सूची जिनके लिए टीईयू संचालित किये गए डाटा उपलब्ध है। (संदर्भ अध्याय 1, पैरा 1.3.4)

क्रम सं.	आईसीडी का नाम
1	आईसीडी अमीनगांव, शिलॉग/ उ.पू.रे.
2	आईसीडी दुर्गापुर, सीएक्स बोलपुर पश्चिम बंगाल
3	साणंद (आईएनएसएयू 6)
4	आईसीडी (आईएनएसबीआई 6), खोडियार
5	दशरथ (आईएनबीआरसी 6)
6	आईसीडी टम्ब, आईएनएसऐजे 6
7	आईसीडी कॉनकोर, काथुवास (आईएनसीएमएल 6)
8	आईसीडी कॉनकोर सीमा शुल्क बीजीकेटी, जोधपुर (आईएनबीजीके- 6)
9	आईसीडी कॉनकोर, कनकपुरा, जयपुर
10	आईसीडी टीडीपी, जोधपुर
11	कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर), व्हाइटफील्ड
12	जीआरएफएल (आईएनएसजीएफ 6)
13	आईसीडी कनेच (आईएनएसएनआई 6)
14	सेन्ट जॉन (आईएनटीयूटी 6)
15	आईसीडी इरूंगटटुकोटाई
16	आईसीडी कोट्टायम, एर्नाकुलम
17	आईसीडी मथिलाकम (आईएनटीसीआर 6)कैलिकट
18	आईसीडी होसूर
19	तुगलकाबाद
20	पटपड़गंज
21	बल्लभगढ़
22	सोनीपत
23	आईसीडी मंडीदीप (आईएनएमडीडी 6)
24	आईसीडी पिथमपुर (आईएनआईएनडी 6)
25	आईसीडी कलिंगनगर (आईएनएसकेडी 6)
26	आईसीडी थिमामपुर (आईएनटीएमएक्स 6)महाबूबनगर, जिला
27	सनतनगर आईसीडी
28	आईसीडी मैरापलीम, गंटूर (आईएनजीएनआर 6)
29	आईसीडी पंकी (आईएनपीएनके 6)
30	आईसीडी लोनी (आईएनएलओएन 6)
31	आईसीडी मुरादाबाद आईएनएमबीडी 6)
32	आईसीडी मुलंद, मुंबई (आईएनएमयूएल 6)
33	आईसीडी तलेगांव, पुणे (आईएनटीएलजी 6)
34	आईसीडी अजनी, नागपुर (आईएनएनजीपी 6)
35	आईसीडी वर्ना, गोवा (आईएनएमडीजी 6)
36	आईसीडी पीएसडब्ल्यूसी (आईएनडीडीएल 6)
37	आईसीडी कॉनकोर,दादरी (आईएनडीईआर 6)

परिशिष्ट। बी

40 लेखापरीक्षित सीएफसी की सूची जिनके लिए प्रबंधित टीईयू संचालित डाटा उपलब्ध है।

(संदर्भ अध्याय 1, पैरा 1.4.3)

क्रम सं.	सीएफएस का नाम
1	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड/कोलकाता
2	सेंचुरी प्लाईबोर्ड (आई) लिमिटेड-जेजेपी
3	सेंचुरी प्लाईबोर्ड (आई) लिमिटेड -सोनाई
4	एलसीएल लॉजिस्टिक्स (आई) प्रा.लि./ हल्दिया
5	सीडब्ल्यूसी-सीएफएस, कोलकता
6	सौराष्ट्र फ्रेट प्राइवेट एलटीडी / आईएनएससीएफ
7	मैसर्ससबर्ड मरीन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड (सीएफएस)
8	सीडब्ल्यूसी सीएफएस- (आईएनएडीए 6) अदालज
9	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी), पानमपुर
10	मैरीगोल्ड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, होस्कोट
11	एचएएल कार्गो कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु
12	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी), बैंगलुरु
13	सीएफएस-ओडब्ल्यूपीएल (आईएनडीडीएल6)
14	सीएफएस-केसीएम (आईएनएलडीएच 6)
15	ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड चेन्नई सीएफएस -आईएनएमएए1एजीएल1
16	त्रिवे कंटेनर फ्रेट स्टेशन, चैन्नई IV
17	बामर कंटेनर फ्रेट स्टेशन, चैन्नई IV
18	सीडब्ल्यूसी मडवारम
19	गेटवे डिस्ट्रिकपार्कलिमिटेड
20	सेन्को सीएफएस
21	सीएफएस कोचीन पोर्ट (आईएनसीओके 1), कोचीन
22	एमआईवी सीएफएस (आईएनसीओके 1), कोचीन
23	फाल्कन सीएफएस (आईएनसीओके 1), कोचीन
24	श्रवण शिपिंग सर्विसेज प्रा.लि, सीएफएस, विशाखापत्तनम
25	सीडब्ल्यूसी, सीएफएस, कुटकपल्ली
26	गेटवे ईस्ट इंडिया (पी) लिमिटेड, विशाखापत्तनम
27	बाटको, सीएफएस, मुथांगी
28	कानकोर, सीएफएस, विशाखापत्तनम
29	अल्बेट्रोस इनलैंड पोर्ट प्रा. लि. (आईएनएपीएल 6)

30	स्टार ट्रैक टर्मिनल (आईएनएसटीटी 6)
31	सीएफएस-ऑलकारो लाजिस्टिक पार्क लिमिटेड (आईएनडीईआर6)
32	सीएमए सीजीएम लॉजिस्टिक पार्क प्रा. लिमिटेड (आईएनसीपीएल 6)
33	कॉन्टिनेंटल वेयरहाउसिंग (न्हावा शेवा) लिमिटेड
34	सीडब्ल्यूसी लाजिस्टिक पार्क (हिंद टर्मिनल)
35	यूनाइटेड लिनियर एजेन्सीज ऑफ इण्डिया (पी) लि.
36	नवकर कॉर्पोरेशन
37	पंजाब स्टेट कंटेनर एण्ड वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन
38	स्पीडी मल्टीमोड्स लिमिटेड
39	सीएफएस: एलसीएल लॉजिस्ट्रिक्स (आई) प्रा. लिमिटेड, पिपवाव
40	सीएफएस: सीडब्ल्यूसी लिमिटेड, कांडला

परिशिष्ट II

(संदर्भ अध्याय 2, पैरा 2.2.2)

क्रम सं.	कमिश्नरी	आईसीडी का नाम	आईसीडी से जुड़े सीएफएस	पत्तन से जुड़े सीएफएस
1	**कांडला**			सीएफएस सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, कांडला
2	जामनगर			सीएफएस लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पीपावव
3	मुंद्रा			सीएफएस सीबर्ड मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंद्रा
				सीएफएस सौराष्ट्र फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड, सौराष्ट्र एन्क्लेव, मुंद्रा
4	अहमदाबाद	आईसीडी दशरथ वडोदरा	सीएफएस चन्नी वडोदरा	
		आईसीडी खोड़ीयार गांधीनगर	सीएफएस एडलज गांधीनगर	
		आईसीडी साणंद		
		आईसीडी टंब (नवकर टर्मिनल लिमिटेड)		
5	जोधपुर	आईसीडी कॉकोर जोधपुर		
		आईसीडी कॉनकोर, कनकपुरा, जयपुर		
		आईसीडी कॉनकोर, खतुवास, अलवर		
		आईसीडी थार ड्राई पोर्ट, जोधपुर		
		आईसीडी उदयपुर		
6	मंगलुरू			सीएफएस सीडब्ल्यूसी पनमबूर
7	बेलगाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क	आईसीडी देसुर, बेलगाम		
8	बेंगलुरु सिटी	आईसीडी व्हाइटफील्ड	सीएफएस सीडब्ल्यूसी व्हाइटफील्ड	
			सीएफएस एचएएल कार्गो कॉम्प्लेक्स	
			सीएफएस मैरिगोल्ड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	

क्रम सं.	कमिश्नरी	आईसीडी का नाम	आईसीडी से जुड़े सीएफएस	पत्तन से जुड़े सीएफएस
9	लुधियाना	आईसीडी धन्धरी कलान	सीएफएस केसीएम	
		आईसीडी जीआरएफएल		
		आईसीडी कनेच		
		आईसीडी पीएसडब्ल्यूसी	सीएफएस ओडब्ल्यूपीएल	
10	चेन्नई IV	आईसीडी कॉनकोर, टोंडियारपेट		सीएफएस बाल्मर एंड लॉरी, मनाली
				सीएफएस गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स, मनाली
				सीएफएस त्रिवे, चेन्नई
11	चेन्नई V	आईसीडी इरुंगट्टुकोटाई		सीएफएस ऑल कार्गो, तिरूवोट्टियूर
				सीएफएस सानको ट्रांस, चेन्नई
12	चेन्नई VI			सीएफएस सीडब्ल्यूसी माधवराम
13	कोची	आईसीडी कोट्टायम		सीएफएस कोचीन पोर्ट
				सीएफएस फाल्कन इंफ्रास्ट्रक्चर
				सीएफएस एमआईवी लॉजिस्टिक्स
14	त्रिची कस्टम्स और सीएक्स	आईसीडी होसूर		
15	कालीकट सेंट्रल एक्साइज	आईसीडी मथिलाकम्		
16	तूतीकोरिन	आईसीडी सेंट जॉन आईसीडी		
17	पटपड़गंज	आईसीडी पटपड़गंज		
		आईसीडी सोनीपत (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान शुरू)		
		आईसीडी बल्लभगढ़		
18	तुगलकाबाद	आईसीडी तुगलकाबाद		
19	इंदौर और भोपाल	आईसीडी मंडीदीप		
		आईसीडी पिथमपुर		
		आईसीडी पावरखेड़ा		
20	विशाखापत्तनम			सीएफएस कोंकॉर, विशाखापत्तनम
				सीएफएस गेटवे ईस्ट इंडिया, विशाखापत्तनम
				सीएफएस श्रीवन शिपिंग, विशाखापत्तनम

क्रम सं.	कमिश्नरी	आईसीडी का नाम	आईसीडी से जुड़े सीएफएस	पत्तन से जुड़े सीएफएस
21	हैदराबाद	आईसीडी सनथनगर, हैदराबाद	सीएफएस बाल्को, मुथंगी, हैदराबाद	
			सीएफएस सीडब्लूसी कुकतपल्ली, हैदराबाद	
		आईसीडी थीमापुर गॉव महबूब नगर		
22	भुवनेश्वर-1	आईसीडी कलिंगनगर, जाजपुर		
23	विजयवाड़ा	आईसीडी मैरापल्लीम, गुंटूर		
24	कोलकाता पोर्ट			सीएफएस बामर लॉरी, कोलकाता
				सीएफएस सेंचुरी प्लीई (जे जे पी), कोलकाता
				सीएफएस सेंचुरी प्लाई (सोनई), कोलकाता
				सीएफएस सीडब्ल्यूसी, कोलकाता
				सीएफएस एलसीएल लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, हल्दिया
25	शिलांग, एनईआर	आईसीडी अमीनगॉव		
26	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बोलपुर	आईसीडी दुर्गापुर		
27	नोएडा	आईसीडी दादरी	सीएफएस अल्बास्टोस इन्लैण्ड पोर्ट	
			सीएफएस ऑलकार्गो लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड	
			सीएफएस सीएमए सीजीएम लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड	
			सीएफएस स्टार ट्रैक टर्मिनल	
		आईसीडी लोनी		
28	इलाहाबाद	आईसीडी भदोही		
29	मेरठ	आईसीडी मुरादाबाद		
30	कानपुर	आईसीडी पंकी कानपुर		

क्रम सं.	कमिश्नरी	आईसीडी का नाम	आईसीडी से जुड़े सीएफएस	पत्तन से जुड़े सीएफएस
31	मुंबई सीमा शुल्क जोन ।।			सीएफएस कॉन्टिनेंटल वेयरहाउसिंग (न्हावा शेवा) लिमिटेड
				सीएफएस सीडब्ल्यूसी लॉजिस्टिक्स पार्क (हिंद टर्मिनल)
				सीएफएस नवकर कॉर्पोरेशन
				सीएफएस पंजाब स्टेट कंटेनर एण्ड वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
				सीएफएस स्पीडी मल्टीमॉड लिमिटेड
				सीएफएस यूनाईटेड लिनियर एजेंसिज ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
32	नागपुर-1	आईसीडी अजनी, नागपुर		
		आईसीडी बुटीबोरी, नागपुर		
33	मुंबई सीमा शुल्क जोन ।	आईसीडी मुलुंड, मुंबई		
34	पुणे	आईसीडी तलेगाँव, पुणे		
35	मडगाओ, गोवा	आईसीडी वर्ना		
	कुल	**44**	**13**	**28**

परिशिष्ट III

अनिकासित कार्गो के लंबन की स्थिति का संक्षिप्त विवरण

(संदर्भ अध्याय 5, पैरा 5.2)

आईसीडी/सीएफएस का अभिरक्षक कमिश्नरी को प्रतिमाह गैर-निकासी/दावारहित कार्गो के लंबन की स्थिति का विवरण प्रदान करता है। ऐसे कार्गो के मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए विभाग द्वारा लंबन की स्थिति के फार्मेट को निर्धारित किया गया है, जैसे;

आगम बिल फाइल करने के बाद निकासी का लंबन- अनिकासित कार्गो के लंबित मामले जहां आगम बिल फाइल कर दिए गए हैं।

यूसीसी अनुभाग में लंबित –

(i) मूल्यांकन समूह, विशेष आसूचना और जांच शाखा (एसआईआईबी), पत्तन आसूचना यूनिट (डीआईयू), डीआरआई आदि से एनओसी के अभाव में लंबित।

(ii) प्लांट क्वांरटाइन (पीक्यू), एनीमल क्वारंटाइन (एक्यू), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएस एआई), ड्रग कंट्रोलर आदि जैसे विभिन्न प्राधिकरणों से मंजूरी के अभाव में लंबित।

वेयरहाउस निपटान इकाई के पास लंबित- मामले के निस्तारण पर विभाग द्वारा निपटान हेतु लंबित पकड़े गए एवं जब्त माल।

नष्ट करने हेतु लंबित- एक्यू,पीक्यू, एफएसएसआई, एडीसी आदि जैसी विभिन्न प्रमाणन एजेंसियों से अनिवार्य सीमाशुल्क मंजूरी प्राप्त न कर पाने के कारण कार्गो को नष्ट करने के लिए निर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों वाले मामले।

विभिन्न आसूचना इकाइयों के पास लंबित- डीआरआई, एसआईआईबी, डीआईयू, आरआई आदि जैसे सीमाशुल्क विभाग के आसूचना विंग की विभिन्न इकाइयों द्वारा जब्त किए गए कार्गो और निस्तारण हेतु लंबित मामले।

अन्य में न्यायालय में लंबित मामले, धारा 48 के जारी किए गए/ न किए गए नोटिस, धारा 49 के अंतर्गत लंबित मामले (अस्थायी वेयरहाउसिंग) और अन्य कारणों से लंबित मामले शामिल हैं।

विवरणियां

विवरण - 1
अकार्यशील पाए गए परन्तु डीओसी डाटा में कार्यशील दर्शाए गए आईसीडीज/सीएफएसज की सूची
(संदर्भ पैरा 3.2)

क्र. सं.	आईसीडी/सीएफएस का नाम/स्थान	आईसीडी/ सीएफएस	स्थान	क्षेत्रीय सीमाशुल्क आयुक्त	निजी/ सार्वजनिक	स्थिति/ कार्यशील/ अकार्यशील/ कार्यान्वयन अधीन/ अपरिचालन/ बन्द	परिचालनों के आरम्भ हेतु सीमाशुल्क पीएन/अधिसूचना की संख्या एवं तिथि	परिचालनों/ समापन को बन्द करने की तिथि/माह	क्या सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना को रद्द किया गया।	अधिसूचना रद्द करने की संख्या तथा तिथि	समापन/ असक्रियता हेतु कारण	क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय	डीओसी डाटा के अनुसार स्थिति	डीओआर अधिसूचना 12/97 सीमा शुल्क
1	आईसीडी, पवर्खेडा, होशंगाबाद	आईसीडी	पवर्खेडा, होशंगाबाद	भोपाल	निजी	अकार्यशील		उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	दिल्ली	कार्यशील	अधिसूचित
2	आईसीडी-कृभको, हजीरा, सरत	आईसीडी	हजीरा, सूरत	अहमदाबाद	निजी	अकार्यशील	05/2011 दिनांक 05.12.2011	अक्टूबर-2016	विमुक्त	उ.न.	व्यवसाय का अभाव	अहमदाबाद	कार्यशील	अधिसूचित
3	आईसीडी डेसूर, बेलगांव, कर्नाटक	आईसीडी	डेसूर, बेलगांव	बेलगांव आयुक्तालय, कर्नाटक	सार्वजनिक	अप्रैल 2014 से अकार्यशील	01/2004 दि. 16.8.2004	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बेंगलुरू	कार्यात्मक स्थल भी महाराष्ट्र गलत दिया गया है (जबकि वास्तव में यह	अधिसूचित
4	आईसीडी, मेथीलगम, तीरूसूर	आईसीडी	तीरूसूर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कालीकट	निजी	अकार्यशील	अधिसूचना सं.1/2012 सी.शु. (एनटी) दिनांक 7-3-2012	15-08-2015	नहीं		कार्गो की कम मात्रा तथा गेटवे पोर्ट की कन्नेक्टिविटो से संबंधित मामलें	चेन्नई	कार्यशील	अधिसूचित
5	आईसीडी भदोही	आईसीडी	जिला संत रविदास नगर	कस्टम सीई एवं एसटी, इलाहाबाद	सार्वजनिक	अकार्यशील	79/2004- सी.शु. (एनटी) दिनांक 21.06.2004	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	लखनऊ	कार्यशील	अधिसूचना
6	सीएफएस विक्रम इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कारवार	सीएफएस	कारवार	मंगलुरु आयुक्तालय	निजी	अकार्यशील	05/2006(एनटी) दिनांक 22.03.2006	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बेंगलुरू	कार्यशील	सीएफएस, अधिसूचना आवश्यक नहीं है
7	हसन में विक्रम लाजिस्टिक एण्ड मारीटईन सर्विसेज (पी) लिमिटेड	सीएफएस	हसन	मैसूर आयुक्तालय	निजी	अकार्यशील	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बेंगलुरू	कार्यशील	सीएफएस, अधिसूचना आवश्यक नहीं है
8	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, करावर	सीएफएस	कारवार	मंगलुरु आयक्तालय	सार्वजनिक	अकार्यशील	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बेंगलुरू	कार्यशील	
9	जीपीआईएल	आईसीडी	गांव सोउन्ती अमलोह रोड, मंडीगोबिन्दगढ़	लुधियाना	निजी	अकार्यशील	अधिसूचना सं.11/2008 दिनांक 07.10.2008	–	–	–	–	चंडीगढ़	कार्यशील	
10	पीएसडब्ल्यूसी	आईसीडी	भंटिडा मंसा रोड, भंटिडा	लुधियाना	सार्वजनिक	अकार्यशील	अधिसूचना सं. 02/1998 दिनांक 05.01.1998	–	–	–	–	चंडीगढ़	कार्यशील	
11	सी टेक सर्विसेज लिमिटेड	सीएफएस	थम्मनम, एर्नाकुलम	कोचीन सीमा शुल्क	निजी	अकार्यशील	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	कार्यशील	सीएफएस, अधिसूचना आवश्यक नहीं है
12	कॉनकॉर	सीएफएस	वेलिंगटन द्वीप, कोच्चि	कोचीन सीमा शुल्क	सार्वजनिक	अकार्यशील	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	कार्यशील	सीएफएस, अधिसूचना आवश्यक नहीं है

क्र. सं.	आईसीडी/सीएफएस का नाम/स्थान	आईसीडी/ सीएफएस	स्थान	क्षेत्रीय सीमाशुल्क आयुक्त	निजी/ सार्वजनिक	स्थिति/ कार्यशील/ अकार्यशील/ कार्यान्वयन अधीन/ अपरिचालन/ बन्द	परिचालनों के आरम्भ हेतु सीमाशुल्क पीएन/अधिसूचना की संख्या एवं तिथि	परिचालनों/ समापन को बन्द करने की तिथि/माह	क्या सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना को रद्द किया गया।	अधिसूचना रद्द करने की संख्या तथा तिथि	समापन/ असक्रियता हेतु कारण	क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय	डीओसी डाटा के अनुसार स्थिति	डीओआर अधिसूचना 12/97 सीमा शुल्क
13	पेस सीएफएस लि.	सीएफएस	एरूर, अलापुझा लिमिटेड	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कालीकट	निजी	अकार्यशील	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	कार्यशील	सीएफएस, अधिसूचना आवश्यक नहीं है
14	आईसीडी भिलवाडा	आईसीडी	भिलवाडा	सीमाशुल्क आयुक्त, जोधपुर, मुख्यालय जयपुर	सार्वजनिक	अकार्यशील	सार्वजनिक ज्ञापन संख्या 21/1999 दिनांक 01/12/1999	दिसम्बर 11	नहीं	ओआईओ सं. 06/2012 कमिश्न दिनांक 06/11/2012	एचसीसीएआर, 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन तथा लागत वसूली का भुगतान न होना	अहमदाबाद	कार्यशील	
15	आईसीडी भिवाड़ी	आईसीडी	आईसीडी भिवाड़ी	सीमाशुल्क आयुक्त, जोधपुर, मुख्यालय जयपुर	सार्वजनिक	अकार्यशील	सार्वजनिक ज्ञापन संख्या 21/1999 दिनांक 27/01/1999	जनवरी 12	नहीं	ओआईओ सं. 02/2012 कमिश्न दिनांक 28/02/2013	एचसीसीएआर, 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन तथा लागत वसूली का भुगतान न होना	अहमदाबाद	कार्यशील	

विवरण -2

बंद आईसीडीएस /सीएफएस की सूची लेकिन जिन्हें डीओसी डाटा में कार्यशील दिखाया गया था

(संदर्भ पैरा 3.2)

क्रम सं.	आईसीडी /सीएफएस का नाम/ जगह	आईसीडी /सीएफएस	जगह/ स्थान	क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क आयुक्त	निजी/ सार्वजनिक	स्थिति (कार्यशील / गैर-कार्यशील / कार्यान्वयन के अंतर्गत /गैर-परिचालन/ बन्द)	संचालन शुरू करने के लिए सीमा शुल्क पीएन / अधिसूचना की संख्या व तिथि	संचालन की समाप्ति का दिनांक / महीना / समापन	क्या सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना रद्द की गई ई	अधिसूचना रद्द करने की संख्या और तिथि	बंद करने/ निष्क्रियता का कारण	क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय	डीओसी डेटा के अनुसार स्थिति	डोर नॉट नं .12 / 97 सीयूएस
1	सीडब्ल्यूसी सीएफएस, हल्दिया	**सीएफएस**	कोलकाता	कोलकाता पोर्ट	सार्वजनिक	बंद है	संख्या 27/2000 दिनांक 20.04.2000 दि	अप्रैल 2008	हाँ	59/2016 दिनांक 11.07.2016	उपलब्ध नहीं है	कोलकाता	क्रियाशील	अधिसूचित सीएफएस, डीओआर अधिसूचना आवश्यक नहीं है
2	आईसीडी सूरजपुर	आईसीडी	ग्रेटर नोएडा	सीमा शुल्क नोएडा	सार्वजनिक	बन्द है	32/2003 सीयूएस (एनटी) दिनांक 07/05/2003	01.07.2008	हाँ	05/2012-सीयूएस दिनांक 13.04.2012	व्यवसाय शुरू नहीं हुआ	लखनऊ	क्रियाशील	नहीं छोड़ा गया
3	आईसीडी वाराणसी	आईसीडी	वाराणसी	सीमा शुल्क सीई और एसटी, इलाहाबाद	सार्वजनिक	बन्द है	लागू नहीं है	नहीं दिया गया	नहीं दिया गया	नहीं दिया गया	नहीं दिया गया	लखनऊ	सीएफ़एस के रूप में क्रियाशील	नहीं छोड़ा गया
4	आईसीडी उदयपुर	आईसीडी	उदयपुर	सीमा शुल्क कमिश्नर, जोधपुर, मुख्यालय जयपुर	सार्वजनिक	बन्द है	सार्वजनिक सूचना सं. 21/1999 दिनांक 01/12/2001	अक्टूबर 2010	हाँ	सार्वजनिक सूचना सं 05/2007 दिनांक 30/05/2007	संरक्षक अर्थात सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा दिनांक 31.10.2006 से संचालन बन्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।	अहमदाबाद	सीएफ़एस के रूप में क्रियाशील	नहीं छोड़ा गया

विवरण - 3

आईसीडी की सूची जिन्हें डीओसी डाटा में अभी भी सीएफएस के रूप में दिखाया गया है

(संदर्भ पैरा 3.2)

क्रम सं.	आईसीडी का नाम	आईसीडी / सीएफएस (क्षेत्राधिकारी सीमाशुल्क प्राधिकरण के अनुसार)	जगह/स्थान	क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क आयुक्त	निजी/ सार्वजनिक	स्थिति (कार्यशील / गैर-कार्यशील / कार्यान्वयन के अंतर्गत /गैर-परिचालन/ बन्द)	क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय	डीओसी डेटा के अनुसार स्थिति (आईसीडी/ सीएफएस)
1	मैसर्स डायनेमिक लॉजिस्टिक्स, दिघी	आईसीडी	दिघी पुणे, महाराष्ट्र	सीमा शुल्क पुणे	निजी	क्रियाशील	मुम्बई	डीओसी आंकड़ों के मुताबिक सभी को सीएफएस के रूप में दिखाया गया है
2	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नासिक	आईसीडी	नाशिक, महाराष्ट्र	नासिक आयुक्तालय	सार्वजनिक	क्रियाशील	मुम्बई	
3	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, वलुज	आईसीडी	वालूज, महाराष्ट्र	आयुक्तालय औरंगाबाद	सार्वजनिक	क्रियाशील	मुम्बई	
4	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, औरंगाबाद	आईसीडी	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	आयुक्तालय औरंगाबाद	सार्वजनिक	क्रियाशील	मुम्बई	
5	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, औद्योगिक एस्टेट वेर्ना	आईसीडी	वेर्ना, गोवा	मडगाओ, गोवा	सार्वजनिक	क्रियाशील	मुम्बई	
6	कोट्टायम पोर्ट एंड कंटेनर टर्मिनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	आईसीडी	नट्टाकम, कोट्टायम, केरल 686013	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, एरनाकुलम	निजी	क्रियाशील	चेन्नई	
7	जीपीआईएल	आईसीडी	गॉव सौंती, अमलो रोड़ मंडी गोबिंदगढ़	लुधियाना	सार्वजनिक	अक्रियाशील	चंडीगढ	
8	पीएसडब्ल्यूसी	आईसीडी	भटिंडा, मंसा रोड भटिंडा	लुधियाना	सार्वजनिक	अक्रियाशील	चंडीगढ	

विवरण 4

2012-2017 से संस्थापित क्षमता के उपयोग (टीईयू में) के लिए संक्षिप्त डाटा

(संदर्भ पैरा 3.3)

क्र. सं.	नाम	कमिश्नरी	प्रकार	5 वर्षों में वार्षिक प्रबंधन क्षमता (टीईयू में)	5 वर्षों में प्रबंधित वास्तविक (टीईयू में)	% क्षमता उपयोग
1	**सौराष्ट्र फ्रेट प्राइवेट लि. / आईएनएससीएफ**	मुंद्रा	सीएफएस	270000	343490	127
2	**मै. सीबर्ड मरीन सर्विसेज प्रा. लि. (सीएफएस)**	मुंद्रा	सीएफएस	420000	241299	57
3	**सीडब्ल्यूसी सीएफएस-(आईएनएडीए 6) अदालज**	अहमदाबाद	सीएफएस	1800	2679	149
4	**मै. एलसीएल लोजिस्टिक (I) प्रा. लि. पिपावव (सीएफएस)**	जामनगर	सीएफएस	182232	95948	53
5	**बामर लॉवरी एंड कंपनी लिमिटेड / कोलकाता**	कोलकाता, सागर	सीएफएस	270000	216642	80
6	**सेंचुरी प्लाईबोर्ड (I) लिमिटेड - जेजेपी ****	कोलकाता, सागर	सीएफएस	500000	187818	38
7	**सेंचुरी प्लाईबोर्ड (I) लिमिटेड -सोनाई**	कोलकाता, सागर	सीएफएस	240000	161618	67
8	**एलसीएल लॉजिस्टिक (I) प्रा. लि./हल्दिया**	कोलकाता, सागर	सीएफएस	260000	40294	15
9	**सीडब्ल्यूसी-सीएफएस, कोलकाता**	कोलकाता, सागर	सीएफएस	268800	279868	104
10	**आईसीडी, अमीगॉव शिलांग / एनईआर**	शिलांग	आईसीडी	25000	12144	49
11	**आईसीडी, दुर्गापुर के.सी.शु. बोलपुर डब्ल्यूबी**	बोलपुर, के.सी.शु.	आईसीडी	120000	57042	48
12	**आईसीडी कंकोर, कथुवास (आईएनसीएमएल6)**	जोधपुर	आईसीडी	45000	5713	13
13	**आईसीडी कंकोर सीमा शुल्क बीजीकेटी, जोधपुर (आईएनबीजीके -**	जोधपुर	आईसीडी	150000	109089	73
14	**आईसीडी कंकोर कंकपुरा, जयपुर**	जोधपुर	आईसीडी	240000	206425	86
15	**आईसीडी, टीडीपी, जोधपुर**	जोधपुर	आईसीडी	250000	75397	30
16	**आईसीडी-कानच (आईएनएसएनआई 6)**	लुधियाना	आईसीडी	156000	72116	46
17	**सीएफएस-ओडब्ल्यूपीएल (आईएनडीडीएल6)**	लुधियाना	सीएफएस	450000	190774	42
18	**सीएफएस-केसीएम (आईएनएलडीएच 6)**	लुधियाना	सीएफएस	90000	39638	44
19	**गेटवे डिस्ट्रीकपार्क लिमिटेड**	चेन्नई- IV	सीएफएस	972000	404244	42
20	**आईसीडी कोट्टायम, अर्नकुलम**	एर्नाकुलम	आईसीडी	36000	9159	25
21	**सीएफएस कोचीन पोर्ट (आईएनसीओके 1), कोचीन**	कोचीन	सीएफएस	79500	51805	65
22	**एमआईवी सीएफएस (आईएनसीओके 1), कोचीन**	कोचीन	सीएफएस	100000	81476	81
23	**फाल्कन सीएफएस (आईएनसीओके 1), कोचीन**	कोचीन	सीएफएस	300000	133040	44
24	**आईसीडी मथीलाकम (आईएनटीसीआर 6), कैलिकट**	कलिकट, के.सी.शु.	आईसीडी	36000	312	1
25	**आईसीडी होसूर**	त्रिची-1	आईसीडी	11520	943	8
26	**तुगलकाबाद**	तुगलकाबाद	आईसीडी	2242000	1996062	89

क्र. सं.	नाम	कमिश्नरी	प्रकार	5 वर्षों में वार्षिक प्रबंधन क्षमता (टीईयू में)	5 वर्षों में प्रबंधित वास्तविक (टीईयू में)	% क्षमता उपयोग
27	**पटपड़गंज**	पटपड़गंज	आईसीडी	300000	206356	69
28	**बल्लभगढ़**	पटपड़गंज	आईसीडी	600000	176328	29
29	**सोनीपत**	पटपड़गंज	आईसीडी	156000	79111	51
30	**कलिंगानगर आईसीडी (आईएनएसकेडी 6)**	भुवनेश्वर-1	आईसीडी	1800	2260	126
31	**श्रवण शिपिंग सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, सीएफएस, वीएसकेपी**	विशाखापत्तनम	सीएफएस	300000	220068	73
32	**थिम्मापुर आईसीडी (आईएनटीएमएक्स 6), महाबूबनगर,**	हैदराबाद	आईसीडी	18000	20469	114
33	**गेटवे ईस्ट इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, वीएसकेपी**	विशाखापत्तनम	सीएफएस	480000	277152	58
34	**बाटको, सीएफएस, मुथांगी**	हैदराबाद	सीएफएस	39000	32121	82
35	**मारिपलेम आईसीडी (आईएनजीएनआर 6), गुंटूर**	विजयवाड़ा	आईसीडी	50000	69033	138
36	**अल्बेट्रोस इनलैंड पोर्ट प्रा. लि. (आईएनएपीएल6)**	नोएडा	सीएफएस	450000	336282	75
37	**स्टार ट्रैक टर्मिनल (आईएनएसटीटी 6)**	नोएडा	सीएफएस	500000	254787	51
38	**सीएफएस-ऑलकार्गो लाजिस्टिक पार्क लिमिटेड (आईएनडीईआर6)**	नोएडा	सीएफएस	266168	134280	50
39	**सीएमए सीजीएम लॉजिस्टिक पार्क प्रा। लिमिटेड (आईएनसीपीएल 6)**	नोएडा	सीएफएस	396562	289907	73
40	**आईसीडी पंकी (आईएनपीएनके 6)**	कानपुर, सीएक्स	आईसीडी	108500	104056	96
41	**आईसीडी मोरादाबाद (आईएनएमबीडी 6)**	मेरठ	आईसीडी	540000	243673	45
42	**आईसीडी मुलुंड, मुंबई (आईएनएमयूएल6)**	एनसीएच, मुंबई	आईसीडी	296420	128194	43
43	**आईसीडी तलेगांव, पुणे (आईएनटीएलजी 6)**	पुणे	आईसीडी	360000	114219	32
44	**आईसीडी अजनी, नागपुर (आईएनएनजीपी 6)**	नागपुर-I	आईसीडी	489000	442875	91
45	**आईसीडी वर्ना, गोवा (आईएनएमडीजी 6)**	एनसीएच, गोवा	आईसीडी	10000	2036	20
46	**कॉन्टिनेंटल वेयरहाउसिंग (न्हावा शेवा) लिमिटेड**	मुंबई सीमा शुल्क, जोन -II, जेएनसीएच	सीएफएस	900000	519220	58
47	**सीडब्ल्यूसी लॉजिस्टीक पार्क (हिंद टर्मिनल)**	मुंबई सीमा शुल्क, जोन -II, जेएनसीएच	सीएफएस	1800000	799420	44
48	**युनाइटेड लीनियर एजेंसिज ऑफ इंडिया (प्रा.) लिमिटेड**	मुंबई सीमा शुल्क, जोन -II, जेएनसीएच	सीएफएस	500000	368183	74
49	**नवकर निगम**	मुंबई सीमा शुल्क, जोन -II, जेएनसीएच	सीएफएस	625000	648408	104
50	**पंजाब स्टेट कंटेनर एण्ड वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन**	मुंबई सीमा शुल्क, जोन -II, जेएनसीएच	सीएफएस	480000	342642	71
51	**आईसीडी लोनी (आईएनएलओएन 6)**	नोएडा	आईसीडी	288000	446790	155

विवरण-5

2016-17 के दौरान कोलकाता में सीएफएस की मौजूदा प्रबन्धन क्षमता

(संदर्भ पैरा 3.3 (ii))

क्र सं.	सीएफएस का नाम	वार्षिक क्षमता टीईयू)	प्रबन्धित कार्गो (टीईयू)
1	बामर लॉरी एण्ड कं. लि.	54000	44614
2	सेंचुरी प्लाईबोर्ड (आई) लि., जेजेपी	100000	47748
3	सेंचुरी प्लाईबोर्ड (आई) लि., सोनई	48000	32449
4	कॉनकॉर	18000*	4,062
5	सीडब्ल्यूसी	53760	72320
कुल:		**2,73,760**	**2,01,193**

*@1500 TEUs/month: Ref:http://www.thehindubusinessline.com/economy/logistics/kolkata-port- launches-first-container-freight-station-built-by-concor/article1579384.ece. कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी द्वारा डेटा प्रदान नहीं किया गया ।

विवरण-6

सीबीईसी से टिप्पणी की विलंब से प्राप्ति के कारण आशय पत्र (एलओआई) जारी करने में देरी

(संदर्भ पैरा 3.4)

क्र.सं.	फाइल नं.	डिवलपर का नाम/आवेदक का नाम	स्थान	आईसीडी/ सीएफएस	आवेदन प्राप्त करने की तिथि	टिप्पणी पूछने की तारीख	एलओआई की तिथि	सीबीईसी दवारा टिप्पणी		राज्यमंत्री दवारा टिप्पणी		6 सप्ताह की अवधि की कटौती के बाद एलओआई जारी करने में देरी की अवधि
								टिप्पणी प्राप्त करने की तिथि	टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल	टिप्पणी प्राप्त करने की तिथि	टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल	
1	16/33/2015-इंफ्रा-i	मेसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि.	ए. पी	सीएफएस	16.09.2015	20.10.2015	28.01.2016	04.01.2016	2 माह एवं 14 दिन	03.12.2015	1माह एवं 13 दिन	3 माह
2.	16/31/2015-इंफ्रा-I	मेसर्स कॉनकॉर,	रायपुर	आईसीडी	24.09.2015	09.10.2015	04.08.2016	20.07.2016	9 माह एवं 10 दिन	29.10.2015	12 माह एवं 22 दिन	8 माह
3	16/26/2014-इंफ्रा-I	मेसर्स ऋषि कंटेनर प्रा. लि.	गुजरात	सीएफएस	10.10.2014	18.11.2014	14.09.2015	18.06.2015	7 महीने	20.01.2015	2 माह एवं 2 दिन	9.5 माह
4	16/19/2014-इंफ्रा-I	मेसर्स सीबर्ड मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,	हजीरा	सीएफएस	12.07.2014	08.10.2014	16.06.2015	18.05.2015	7 माह एवं 10 दिन	20.01.2015	3 माह एवं 12 दिन	8 माह
5	16/07/2016-इंफ्रा-I	मेसर्स हिंद टर्मिनल्स प्रा. लि.	हजीरा	सीएफएस	08.04.2016	22.04.2016	15.11.2016	25.10.2016	6 माह एवं 3 दिन	19.08.2016	3 माह एवं 27 दिन	5.5 माह
6	16/20/2015-इंफ्रा-i	मेसर्स विशाखा सीएफएस लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.	विशाखापत्तनम	सीएफएस	06.07.2015	19.08.2015	24.10.2016	04.10.2016	13 माह एवं 15 दिन	03.12.2015	3 माह एवं 14 दिन	14 माह
7	16/15/2016-इंफ्रा-I	मै. शिपिंग एजेंसिज प्रा. लि.	ए. पी	आईसीडी	08.06.2016	22.07.2016	30.03.2017	06.02.2017	6 माह एवं 15 दिन	25.08.2016	1 माह एवं3 दिन	8 माह
8	16/09/2012-इंफ्रा-I	मेसर्स साईकल मल्टीमाडल एवं रेल ट्रान्सपोर्ट प्रा.	चेन्नई	आईसीडी	23.04.2012	26.06.2012	07.12.2012	18.10.2012	3 माह एवं 22 दिन	26.11.2012	5 माह	5.5 माह
9	16/08/2012-इंफ्रा-I	मेसर्स गलोकल प्रा. लि., बुटीबोरी, नागपुर	नागपुर		19.04.2012	11.05.2012	14.01.2013	17.01.2013	8 माह एवं 6 दिन	26.11.2012	2 माह एवं 5 दिन	7 माह
10	16/07/2015-इंफ्रा-I	मेसर्स प्रॉप्ट टर्मिनल्स प्रा. लि., तूतीकोरिन	तूतीकोरिन		25.03.2015	30.03.2015	14.09.2015	13.05.2015	1 माह एवं 13 दिन	10.06.2015	2 माह एवं 10 दिन	4 महीने
11	16/02/2016-इंफ्रा-I	मेसर्स कर्न इन्टरप्राइजेस प्रा. लि., मदूरै में आईसीडी	मदूरै	आईसीडी	31.12.2015	08.02.2016	04.08.2016	04.07.2016	4 माह एवं 26 दिन	26.04.2016	2 माह एवं 18 दिन	5 महीने
12	16/08/2016-इंफ्रा-I	मेसर्स ट्रांसवर्ल्ड टर्मिनल्स प्रा. लि.	कोलकाता	सीएफएस	08.04.2016	18.04.2016	24.10.2016	05.10.2016	5 माह एवं 20 दिन	28.06.2016	2 माह एवं 15 दिन	4.5 माह
13	16/21/2015-इंफ्रा-I	मेसर्स कॉनकॉर	वल्लारपदम	सीएफएस	15.07.2015	29.07.2015	29.12.2015	11.09.2015	1 माह एवं 13 दिन	01.09.2015	1 माह एवं 2 दिन	4 माह
14	16/29/2014-इंफ्रा-i	मेसर्स कॉनकॉर	झारसुहुरा	आईसीडी	19.11.2014	15.12.2014	21.09.2015	07.09.2015	6 माह एवं 22 दिन	20.01.2015	1 माह एवं 5 दिन	8 माह
15	16/16/2016-इंफ्रा-I	मेसर्स ए. एल. एस. तूतीकोरिन टर्मिनल्स प्रा. लि.	तूतीकोरिन	सीएफएस	20.06.2016	24.06.2016	13.02.2017	06.10.2016	3 माह एवं 12 दिन	19.08.2016	1 माह एवं 26 दिन	6 माह
16	16/37/2015-इंफ्रा-I	मेसर्स अपोलो वर्ल्ड कनेक्ट लिमिटेड	चेन्नई	सीएफएस	23.11.2015	21.12.2015	30.03.2017	05.10.2016	9 माह एवं 14 दिन	16.08.2016	7 माह एवं 25 दिन	14 माह
17	16/18/2010-इंफ्रा-I	कृभको इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	यू. पी		24.05.2010	10.06.2010	14.06.2013	31.05.2013	35 माह एवं 20 दिन	13.03.2012	19माह एवं 2 दिन	35 माह
18	16/35/2011-इंफ्रा-I	एनडीआर संरचना	एंनोर		09.11.2011	21.11.2011	26.09.2014	13.2.2013	5 माह एवं 24 दिन	13.03.2012	3 माह एवं 22 दिन	33 माह
19	16/24/2013-इंफ्रा-I	नवा शेवा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड			26.06.2013	11.07.2013	09.04.2015	16.05.2014	10 माह एवं 5 दिन	7.11.2014	15 माह एवं 26 दिन	19 महीने
20	16/30/2013-इणरा-I	महाद्वीपीय भण्डारण निगम	पानीपत		26.08.2013	20.09.2013	05.09.2014	01.09.2014	11 माह एवं 10 दिन	26.2.2014	5 माह एवं 6 दिन	10 महीने
21	16/28/2013-इंफ्रा-I	मेसर्स सासथा वेयरहाउसिंग लि.		सीएफएस	1.8.2013	27.03.2014	10.06.2015	18.05.2015	13 माह एवं 21 दिन	21.01.2015	9 माह एवं 24 दिन	20 महीने
22	16/22/2014-इंफ्रा-I	मेसर्स कृष्णपटनम बे एरिया	कृष्णपटनम बे एरिया, एपी	सीएफएस	27.9.2014	21.10.2014	14.09.2015	09.03.2015	4 माह एवं 18 दिन	21.01.2015	3 माह	9.5 माह
23	16/36/2013-इंफ्रा-I	मेसर्स सीडकल कॉनकॉर	उत्तराखंड		13.11.2013	25.11.2013	06.03.2014	26.02.2014	3 माह एवं 1 दिन	26.2.2014	3 माह एवं 1 दिन	2 माह
24	16/16/2012-इंफ्रा-i	मेसर्स केशर मल्टीमाडल लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.	एम. पी	आईसीडी	05.09.2012	20.09.2012	09.12.2012	28.09.2012	8 दिन	26.08.2013	11 माह एवं 6 दिन	2 माह
25	16/25/2015-इंफ्रा-I	मेसर्स हिंद टर्मिनल्स प्रा. लि.	गुजरात	सीएफएस	22.10.2014	18.11.2014	14.09.2015	18.06.2015	7 महीने	20.01.2015	2 माह एवं 2 दिन	8.5 माह
26	16/21/2013-इंफ्रा-I	मेसर्स इनोवेटिव बी2बी लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.	लुधियाना	आईसीडी	31.05.2013	02.08.2013	16.06.2014	29.10.2013	2 माह एवं 27 दिन	26.05.2013	24 दिन	10.5 माह

क्र.सं.	फाइल नं.	डिवलपर का नाम/आवेदक का नाम	स्थान	आईसीडी/सीएफएस	आवेदन प्राप्त करने की तिथि	टिप्पणी पूछने की तारीख	एलओआई की तिथि	सीबीईसी दवारा टिप्पणी		राज्यमंत्री दवारा टिप्पणी		6 सप्ताह की अवधि की कटौती के बाद एलओआई जारी करने में देरी की अवधि
								टिप्पणी प्राप्त करने की तिथि	टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल	टिप्पणी प्राप्त करने की तिथि	टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल	
27	16/35/2013-इंफ्रा-I	मेसर्स कॉनकॉर	काठूवास एवं मानधन	आईसीडी	18.10.2013	29.10.2013	06.03.2014	26.02.2014	3 माह एवं 27 दिन	26.02.2014	3 माह एवं 27 दिन	3 माह
28	16/31/2011-इंफ्रा-I	मेसर्स जेडब्ल्यूआर लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.	रायगढ़, महाराष्ट्र	सीएफएस	06.09.2011	21.12.2011	12.07.2012	20.01.2012	1 माह	20.01.2012	29 दिन	8 माह
29	16/10/2012-इंफ्रा-I	मै. वैष्णो कंटेनर टर्मिनल	तारापुर, महाराष्ट्र	आईसीडी	30.05.2012	07.09.2012	07.12.2012	17.10.2012	1 माह एवं 10 दिन	26.11.2012	2 माह एवं 19 दिन	4 माह
30	16/14/2012-इंफ्रा-I	मेसर्स ईएफसी लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.	रायगढ़, महाराष्ट्र	सीएफएस	17.07.2012	14.08.2012	17.04.2013	17.10.2012	2 माह एवं 3 दिन	22.03.2013	7 माह एवं 8 दिन	7.5 माह
31	16/23/2012-इंफ्रा-i	मेसर्स वीपीएल इंटिग्रिल सीएफएस (पी) लिमिटेड	गंगवरम	सीएफएस	29.09.2012	12.10.2012	14.06.2014	28.02.2013	4 माह एवं 10 दिन	26.11.2012	1 माह एवं 15 दिन	7 माह
32	16/11/2012-इंफ्रा-I	मेसर्स अर्शिया नार्दन डोमेस्टिक लि. डिसटिपार्क	खुर्जा, यू. पी	आईसीडी	07.06.2012	06.07.2012	20.03.2013	21.08.2012	5 माह एवं 15 दिन	08.07.2013	12 माह	7.5 माह
33	16/23/2016-इंफ्रा-I	मेसर्स फारच्यून पोर्ट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड.	काकीनाडा, एपी	सीएफएस	06.09.2016	28.09.2016	17.05.2017	03.05.2017	7 माह एवं 5 दिन	28.3.2017	6 माह	6.5 माह
34	16/07/2013-इंफ्रा-i	मेसर्स एसटीपी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड.	, टीरवोटीयर , चेन्नै	सीएफएस	18.01.2013	08.04.2013	05.09.2013	08.07.2013	3माह	-	-	6 माह
35	16/01/2012-इंफ्रा-I	मेसर्स फेयरडील फ्रेट सॉल्यूशंस लिमिटेड/	गांधीधाम, कच्छ, गुजरात	सीएफएस	16.01.2012	7.05.2012	15.04.2013	12.02.2013	10 माह एवं 2 दिन	22.03.2013	9माह एवं 4 दिन	13.5 माह

विवरण 7

आईसीडीएस/सीएफएस जिसका अनुमोदन 31.03.2017 (विलंब के आयु विश्लेषण के साथ) तक विलंबित है

(संदर्भ पैरा 3.4)

क्रम सं.	प्रस्ताव का प्रकार (आईसीडी/सीएफएस)	आईसीडी/सीएफएस के स्थान/स्थिति	राज्य	निजी/सार्वजनिक	एजेंसी का नाम	प्रस्ताव प्राप्ति की दिनांक	6 सप्ताह से अधिक विलंब की अवधि (सप्ताह में)	विलंब के कारण
1	आईसीडी	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	सार्वजनिक	मै. कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (कॉनकॉर)	**30-12-2016**	**6 सप्ताह**	सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
2	आईसीडी	नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	निजी	मैसर्स सीमापुरी फामर्स एग्रीपार्क प्रा. लि.	**02-03-2017**	---	सीबीईसी एवं जहाजरानी मंत्रालय से टिप्पणियां अपेक्षित है
3	सीएफएस	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	निजी	मैसर्स विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लि.	**16-03-2017**	---	जहाजरानी/ रेलवे एवं सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
4	सीएफएस	खोपता गांव, उडा़न, महाराष्ट्र. (जेएनपीटी क्षेत्र)	महाराष्ट्र	निजी	मैसर्स नहवा शेवा सीएफएस एण्ड एग्री पार्क प्रा. लि.	**17-09-2014**	**125 सप्ताह**	सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
5	सीएफएस	दिघोडे गांव, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	निजी	मैसर्स एसकेआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	**18-08-2015**	**77 सप्ताह**	सीबीईसी एवं जहाजरानी मंत्रालय से टिप्पणियां अपेक्षित है
6	सीएफएस	गांव कालमबसुर, रायगढ़, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	निजी	मैसर्स इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	**04-12-2016**	**41 सप्ताह**	सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है

क्रम सं.	प्रस्ताव का प्रकार (आईसीडी/सीएफएस)	आईसीडी/सीएफएस के स्थान/स्थिति	राज्य	निजी/सार्वजनिक	एजेंसी का नाम	प्रस्ताव प्राप्ति की दिनांक	6 सप्ताह से अधिक विलंब की अवधि (सप्ताह में)	विलंब के कारण
7	सीएफएस	उड़ान तालुका, रायगड जि. मुंबई	महाराष्ट्र	निजी	मेसर्स एम. एस. ए. ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.	**01-04-2017**	**6 सप्ताह**	जहाजरानी मंत्रालय एवं सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
8	आईसीडी	अनेकल, बैंगलोर, कर्नाटक	कर्नाटक	निजी	मैसर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ।	**15-05-2015**	**90 सप्ताह**	सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
9	आईसीडी	हुबली, बेंगलुरु	महाराष्ट्र	निजी	मैसर्स सत्वा सीएफएस एवं लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.	**23-03-2017**	**---**	सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
10	आईसीडी	फतेहपुर गांव, शंकरपल्ली मंडल, आरआर जिला, तेलंगाना	तेलंगाना	निजी	मैसर्स एसवी मल्टी लॉजीटेक प्राइवेट लिमिटेड	**09-09-2015**	**74 सप्ताह**	सीबीईसी ने दिनांक - 08-03-2017 के का. ज्ञा. के अनुसार परियोजना की सिफारिश नहीं की। आईएमसी अगली बैठक में निर्णय लेगी।
11	सीएफएस	जि. दक्षिण 24 परगना, वाटगुगे, सोनापुर रोड, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	निजी	मैसर्स आलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	**29-07-2016**	**26 सप्ताह**	26-07-2017 को सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त ।
12	सीएफएस	राजस्व सर्वेक्षण सं. 2/1, गांव-भोरारा, ताल-मुंद्रा कच्छ, गुजरात	गुजरात	निजी	मैसर्स आरगस कंटेनर फ्रेट स्टेशन प्रा. लि.	**28-06-2016**	**30 सप्ताह**	सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
13	सीएफएस	गांव-मोटा कपाया, तालुका मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात	गुजरात	निजी	मैसर्स गनात्रा टर्मिनल्स प्रा. लि.	**01-10-2017**	**5 सप्ताह**	सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है

क्रम सं.	प्रस्ताव का प्रकार (आईसीडी/सीएफएस)	आईसीडी/सीएफएस के स्थान/स्थिति	राज्य	निजी/सार्वजनिक	एजेंसी का नाम	प्रस्ताव प्राप्ति की दिनांक	6 सप्ताह से अधिक विलंब की अवधि (सप्ताह में)	विलंब के कारण
14	आईसीडी	वर्नामा, गुजरात	गुजरात	सार्वजनिक	मै. कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (कॉनकॉर)	**12-07-2016**	**9 सप्ताह**	रेलवे मंत्रालय एवं सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
15	आईसीडी	राजकोट, गुजरात	गुजरात	निजी	मैसर्स अला एग्रोपावर प्रा. लि.	**02-03-2017**	---	सीबीईसी एवं जहाजरानी मंत्रालय से टिप्पणियां अपेक्षित है
16	आईसीडी	किला रायपुर, पंजाब	पंजाब	निजी	मै. अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	**05-05-2016**	**37 सप्ताह**	सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
17	आईसीडी	अहमदगढ़, लुधियाना, पंजाब	पंजाब	सार्वजनिक	मैसर्स पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर	**28-11-2016**	**10 सप्ताह**	सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
18	आईसीडी	किला रायपुर, डेहलोन जिला लुधियाना, पंजाब	पंजाब	निजी	मैसर्स हिंद टर्मिनल्स प्रा. लि.	**10-10-2016**	**13 सप्ताह**	सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
19	सीएफएस	नं .5, अरियालुर गांव, माधवरम तालुका, चेंनई	तमिलनाडू	निजी	मैसर्स सबारी वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	**28-08-2016**	**24 सप्ताह**	सीबीईसी एवं जहाजरानी मंत्रालय से टिप्पणियां अपेक्षित है
20	सीएफएस	विचूर, चेंनई, तमिलनाडु	तमिलनाडू	निजी	मैसर्स ट्रांसवर्ल्ड टर्मिनल्स प्रा. लि.	**28-12-2016**	**10 सप्ताह**	सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
21	सीएफएस	चेन्नई	तमिलनाडू	निजी	मैसर्स वेयमार्क, कंटेनर फ्रेट स्टेशन	**23-11-2016**	**11 सप्ताह**	सीबीईसी से टिप्पणियां अपेक्षित है
22	आईसीडी	कलिंग नगर, जाजपुर,	ओडिशा	निजी	मै. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड	**10-07-2016**	**18 सप्ताह**	सीबीईसी रेलवे एवं जहाजरानी मंत्रालय से टिप्पणियां अपेक्षित है

विवरण -8

आईसीडीएस/सीएफएस जिसकी स्थापना /कार्यप्रणाली 31.03.2017 तक विलंबित है (विलंब के अवधि वार विश्लेषण सहित)

(संदर्भ पैरा 3.4)

क्रम सं.	प्रकार (आईसीडी/ सीएफएस)	आईसीडी/सीएफएस के स्थान/स्थिति	राज्य	क्या निजी/सार्वजनिक	एजेंसी का नाम	एलओएल/अनुमोदन की तिथि	2 वर्ष से अधिक विलंब की अवधि. (वर्ष एवं महिनों में)	विलंब के कारण
1	आईसीडी	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	निजी	मैसर्स ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	09-02-2008	7 वर्ष-10 माह	(न्यायिक मामला-आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित)
2	सीएफएस	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	निजी	श्रवण शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम	02-02-2012	3 वर्ष- 5 माह	संरक्षक कोड, एसएसओ आईडी और वीपीएन आईडी सीमा शुल्क के साथ लंबित हैं
3	सीएफएस	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	सार्वजनिक	कॉनकॉर, विशाखापत्तनम	02-12-2015	--------	रिपोर्ट कार्यात्मक (* *)
4	सीएफएस	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	निजी	इनोवटिव कंटेनर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	13-04-15	0 वर्ष- 5 माह	मुद्रीकरण के कारण निर्माण कार्य में देरी हो गई.
5	सीएफएस	कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	निजी	मैसर्स कृष्णापट्नम बे एरिया सीएफएस प्रा. लि.	14-09-15	--------	रिपोर्ट कार्यात्मक (* *)
6	सीएफएस	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	निजी	मैसर्स एसआईसीएएल मल्टीमॉडल एवं रेल ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि. सीएफएस प्रा. लि.	13-10-15	2 वर्षो में	--------
7	सीएफएस	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	निजी	मैसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल्स प्रा. लिमिटेड	28-01-16	2 वर्षो में	--------
8	सीएफएस	नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	निजी	मैसर्स गेटवे डिस्टीपार्क लिमिटेड	08-04-2016	2 वर्षो में	--------
9	सीएफएस	भव्यवर्म कासीम कोटा मंडल, विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	निजी	मैसर्स विशाखा सीएफएस एवं लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. लिमिटेड	24-10-16	2 वर्षो में	--------

क्रम सं.	प्रकार (आईसीडी/ सीएफएस)	आईसीडी/सीएफएस के स्थान/स्थिति	राज्य	क्या निजी/सार्वजनिक	एजेंसी का नाम	एलओएल/अनुमोदन की तिथि	2 वर्ष से अधिक विलंब की अवधि. (वर्ष एवं महिनों में)	विलंब के कारण
10	आईसीडी	सूरारेडडी, पालेम, ओंगोल, प्रकाशम जिला	आंध्र प्रदेश	निजी	मैसर्स एएस शिपिंग एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड, चेंनई	30-03-17	2 वर्षो में	--------
11	आईसीडी	बिहटा, पटना	बिहार	निजी	प्रिस्तरिन मगध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., पटना, बिहार	17-12-13	1 वर्ष- 7 माह	सीमा शुल्क अधिसूचना अपेक्षित है
12	आईसीडी	नया रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	सार्वजनिक	मैसर्स कॉनकॉर	08-04-2016	2 वर्षो में	--------
13	एएफएस	कापसहेड़ा, नई दिल्ली	दिल्ली	निजी	मैसर्स कन्टिनेन्टल कैरिअर्स प्रा. लि.	08-08-2016	2 वर्षो में	--------
14	आईसीडी	अहमदाबाद, गुजरात	गुजरात	निजी	मैसर्स कन्टिनेन्टल वेयर हाउस कार्पोरेशन (नहावा शेवा)	29-04-15	0 वर्ष- 3 माह	सीमा शुल्क अधिसूचना अपेक्षित है
15	सीएफएस	सूरत, गुजरात	गुजरात	निजी	मैसर्स सीबर्ड मरीन सर्विसेज प्रा. लि.	05-10-2015	--------	रिपोर्ट कार्यात्मक (* *)
16	सीएफएस	गांव मोटा कपाया, ताल: मुंद्रा-कच्छ, गुजरात	गुजरात	निजी	मेसर्स ऋषि कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि.	14-09-15	2 वर्षो में	--------
17	सीएफएस	हजीरा, गुजरात	गुजरात	निजी	मेसर्स हजीरा कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि.	14-09-15	2 वर्षो में	--------
18	सीएफएस	ग्राम जारपरा, मुंद्रा तालुका, कच्छ, गुजरात	गुजरात	निजी	मैसर्स लैंडमार्क सीएफएस प्राइवेट लिमिटेड ।	17-12-15	--------	रिपोर्ट कार्यात्मक (* *)
19	आईसीडी	जिला अहमदाबाद में वीरमगाम	गुजरात	निजी	मैसर्स गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड	17-11-16	2 वर्षो में	--------
20	सीएफएस	हजीरा, गुजरात	गुजरात	निजी	मैसर्स हिंद टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड	15-11-16	2 वर्षो में	--------
21	आईसीडी	रेवाड़ी	हरियाणा	निजी	संजीविक टर्मिनल्स प्रा. लि.	01-05-2009	--------	रिपोर्ट कार्यात्मक (* *)

क्रम सं.	प्रकार (आईसीडी/ सीएफएस)	आईसीडी/सीएफएस के स्थान/स्थिति	राज्य	क्या निजी/सार्वजनिक	एजेंसी का नाम	एलओएल/अनुमोदन की तिथि	2 वर्ष से अधिक विलंब की अवधि. (वर्ष एवं महिनों में)	विलंब के कारण
22	आईसीडी	गांव जनौली और भगोला, पलवल, जिला फरीदाबाद	हरियाणा	निजी	हिंद टर्मिनल प्रा. लि.	11-12-2012	--------	रिपोर्ट कार्यात्मक (* *)
23	आईसीडी	समालखा, पानीपत	हरियाणा	निजी	कन्टिनेन्टल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन	09-05-2014	0 वर्ष- 10 माह	सीमा शुल्क अधिसूचना अपेक्षित है ।
24	आईसीडी	रंगरेथ	जम्मू व कश्मीर	सार्वजनिक	मैसर्स जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि.	22-11-05	9 वर्ष- 8 माह	सीमाशुल्क की अधिसूचना एवं सीमा शुल्क कर्मचारियों की तैनाती प्रतीक्षित हैं
25	आईसीडी	गांव कचराकन्हाल्ली बैंगलोर	कर्नाटक	निजी	एसआईसीएएल मल्टीमॉडल एवं रेल ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड ।	11-12-2012	2 वर्ष- 8 माह	आंशिक भूमि रूपांतरण राज्य सरकार से प्रतीक्षित है ।
26	आईसीडी	बैंगलुरु	कर्नाटक	निजी	मैसर्स पारलेचा इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपर्स	20-03-13	2 वर्ष- 4 माह	सीमा शुल्क अधिसूचना, स्टाफ तैनाती और ईडीआई कनेक्टिविटी लंबित हैं ।
27	सीएफएस	कालमसेरी कोच्चि	केरल	निजी	मैसर्स पेरियार केमिकल्स लिमिटेड	14-06-13	2 वर्ष- 1 माह	
28	एएफएस	देवनहाली, बंगलौर ग्रामीण	कर्नाटक	निजी	मैसर्स पर्ल पोर्ट एवं वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	14-09-15	2 वर्षो में	--------
29	सीएफएस	वल्लरपदम, कोच्चि, केरल	केरल	सार्वजनिक	मैसर्स कॉनकॉर	29-12-15	--------	रिपोर्ट कार्यात्मक (* *)
30	आईसीडी	नागपुर	महाराष्ट्र	निजी	मैसर्स डिस्ट्रिब्बयूशन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	14-01-11	--------	रिपोर्ट कार्यात्मक (* *)
31	आईसीडी	बुटीबोरी नागपूर	महाराष्ट्र	निजी	मैसर्स ग्लोकल आईसीडी प्रा. लि.	14-01-13	--------	रिपोर्ट कार्यात्मक (* *)
32	सीएफएस	रायगढ़, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	निजी	नहावा शेवा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	04-09-2015	--------	रिपोर्ट कार्यात्मक (* *)
33	सीएफएस	रायगढ़, मुंबई	महाराष्ट्र	निजी	मैसर्स सास्था वेयर हाउसिंग लि.	05-10-2015	0 वर्ष- 2 माह	भारी वर्षा के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई

क्रम सं.	प्रकार (आईसीडी/ सीएफएस)	आईसीडी/सीएफएस के स्थान/स्थिति	राज्य	क्या निजी/सार्वजनिक	एजेंसी का नाम	एलओएल/अनुमोदन की तिथि	2 वर्ष से अधिक विलंब की अवधि. (वर्ष एवं महिनों में)	विलंब के कारण
34	सीएफएस	दिघोडे, उडान, रायगड, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	निजी	मैसर्स सर्वेश्वर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	21-12-15	2 वर्षो में	--------
35	आईसीडी	मिहान क्षेत्र जिल्हा नागपूर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	सार्वजनिक	मैसर्स कॉनकॉर	08-01-2016	3 वर्ष के अन्दर	--------
36	आईसीडी	ग्राम भाम्बोली खेड तालुका, जिला पुणे	महाराष्ट्र	निजी	मैसर्स एपीएम टर्मिनल्स लिमिटेड	17-11-16	4 वर्ष के अन्दर	--------
37	आईसीडी	झारसुगुड़ा, ओडिशा	ओडिशा	सार्वजनिक	मैसर्स कॉनकॉर	21-09-15	5 वर्ष के अन्दर	--------
38	आईसीडी	लुधियाना	पंजाब	निजी	प्राचीन मेगा लॉजिस्टिक पार्क प्रा. लि.	19-07-13	2 वर्ष- 0 माह	रिपोर्ट कार्यात्मक (* *)
39	आईसीडी	हिन्दौन, राजस्थान	राजस्थान	निजी	कुभको इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	11-12-2012	2 वर्ष- 8 माह	सीमा शुल्क अधिसूचना का अपेक्षित है ।
40	सीएफएस	गांव अनुपम्पटटू चेन्नै	तमिलनाडू	निजी	एसआईसीएएल माल्टीमॉडल एवं रेल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	12-07-2012	2 वर्ष- 7 माह	राज्य सरकार से मंजूरी अपेक्षित है ।
41	सीएफएस	चैंनई बंदरगाह	तमिलनाडू	निजी	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	17-12-13 10/3/2015	0 वर्ष- 4 माह	सीमा शुल्क अधिसूचनाओं और सीमा शुल्क कर्मचारियों की तैनाती लंबित है
42	सीएफएस	एंनोर	तमिलनाडू	निजी	एनडीआर इंफ्रास्ट्रक्चर एंनोर पोर्ट	26-09-14	--------	रिपोर्ट कार्यात्मक (* *)
43	सीएफएस	अय्यनाडिपो, तूतीकोरिन	तमिलनाडू	निजी	मैसर्स प्रॉप्ट टर्मिनल (प्रा.) लिमिटेड	14-09-15	2 वर्ष के अन्दर	--------
44	आईसीडी	मदुरै, तमिलनाडु	तमिलनाडू	निजी	मैसर्स केर्न इंटरप्राइजेज प्रा. लि.	08-04-2016	3 वर्ष के अन्दर	--------
45	सीएफएस	पोनेरी तालुका, तिरुवल्लूर, तमिलनाडू	तमिलनाडू	निजी	मैसर्स सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.	24-10-16	4 वर्ष के अन्दर	--------
46	सीएफएस	तूतूकुड़ी तूतीकोरिन	तमिलनाडू	निजी	मैसर्स ए. एल. एस तूतीकोरिन टर्मिनल प्रा. लि.	13-02-17	2 वर्ष के अन्दर	--------

क्रम सं.	प्रकार (आईसीडी/ सीएफएस)	आईसीडी/सीएफएस के स्थान/स्थिति	राज्य	क्या निजी/सार्वजनिक	एजेंसी का नाम	एलओएल/अनुमोदन की तिथि	2 वर्ष से अधिक विलंब की अवधि. (वर्ष एवं महिनों में)	विलंब के कारण
47	सीएफएस	गांव कटटूपल्ली पोनेरी तालुक, तिरूवल्लुर, चेन्नै	तमिलनाडू	निजी	मैसर्स अपोलो वर्ल्ड कनेक्ट प्रा. लिमिटेड	30-03-17	2 वर्ष के अन्दर	--------
48	सीएफएस	हैदराबाद	तेलंगाना	निजी	तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रोमोशन कॉर्पोरेशन	27-04-09	6 वर्ष- 3 माह	सीमा शुल्क अधिसूचना का अपेक्षित है ।
49	सीएफएस	लोनी (गाजियाबाद)	उत्तर प्रदेश	निजी	वर्ल्डस विंडो इन्फ्रार्स्टक्चर एण्ड लाजिस्टिक प्रा.लि.	20-08-09	5 वर्ष- 11 माह	सीआरबी पर सीमा शुल्क कर्मचारियों की पोस्टिंग प्रतीक्षित है।
50	आईसीडी	मोदी नगर	उत्तर प्रदेश	सार्वजनिक	कृभको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ।	14-06-13	2 वर्ष- 1 माह	सीमा शुल्क अधिसूचना प्रतीक्षित है।
51	सीएफएस	खिदिरपुर, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	निजी	मैसर्स ट्रांस वर्ल्ड टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड ।	24-10-16	2 वर्ष के भीतर ।	--------

(* *): डेवलपर ने बताया है कि उनकी परियोजना कार्यात्मक हो गई है । डेवलपर को आवश्यक दस्तावेज अर्थात सीमा शुल्क सूचना आदेश, उनकी परियोजना में सीमाशुल्क कर्मचारियों की तैनाती, ईडीआई कनेक्टिविटी आदेश, प्रारंभ आदेश इत्यादि प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि परियोजना की स्थिति को कार्यान्वयन अधीन (यूआई) से कार्यशील (एफ) मे अद्यतित किया जा सके। डेवेलपर से दस्तावेज प्रतीक्षित हैं, जिनकी प्राप्ति पर स्थिति अद्यतित की जाएगी।

विवरण-9

मामलों की सूची जहां सीमा से अधिक विस्तारण संस्वीकृत किया गया है।

(संदर्भ पैरा 3.4)

क्र. सं.	प्रकार (आईसीडी /सी एफएस)	आईसीडी/ सीएफएस का स्थान/ लोकेशन	निजी/ सार्वजनिक	एजेंसी का नाम	एलओआई/ संस्वीकरण तिथि	माह जब तक अवसंरचना निर्मित हो जानी चाहिए।	अंतिम संस्वीकृत विस्तारण तथा वैधता अवधि	टिप्पणियां
1.	सीएफएस	विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश	निजी	श्रवण शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, विजाग	02-02-12	फरवरी 2014	आईएमसी ने 30.06.2017 तक वैध 8वां विस्तारण संस्वीकृत किया।	डीओसी ने बताया (अगस्त 2017) कि सीमाशुल्क द्वारा सीएफएस अभिरक्षक कोड, एसएसओआईडी तथा वीपीएन आईडी आंबटित न किए जाने के कारण सीएफएस अक्रियाशील रहा।
2.	आईसीडी	बिहता, पटना बिहार	निजी	प्रीस्टिन मगध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, पटना	17-12-13	दिसंबर, 2015	आईएमसी ने 30.06.2017 तक वैध 5वां विस्तारण संस्वीकृत किया।	डीओसी ने बताया (अगस्त 2017) कि सीमाशुल्क अधिसूचना के जारी न हो पाने के कारण आईसीडी अक्रियाशील रहा।
3.	आईसीडी	समालखा, पानीपत, हरियाणा	निजी	कॉन्टिनेंटल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन,	05-09-14	सितंबर 2016	आईएमसी ने 03.03.2017 तक वैध 3रां विस्तारण संस्वीकृत किया।	डीओसी ने बताया (अगस्त 2017) कि सीमाशुल्क अधिसूचना के जारी न हो पाने के कारण आईसीडी अक्रियाशील रहा।

क्र. सं.	प्रकार (आईसीडी /सी एफएस)	आईसीडी/ सीएफएस का स्थान/ लोकेशन	निजी/ सार्वजनिक	एजेंसी का नाम	एलओआई/ संस्वीकरण तिथि	माह जब तक अवसंरचना निर्मित हो जानी चाहिए।	अंतिम संस्वीकृत विस्तारण तथा वैधता अवधि	टिप्पणियां
4.	आईसीडी	रंगरेथ, जम्मू और कश्मीर	सार्वजनिक	जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि.	22-11-05	नवंबर, 2007	आईएमसी ने 24.03.2017 तक वैध 9वां विस्तारण संस्वीकृत किया।	डीओसी ने बताया (अगस्त 2017) कि और सीमाशुल्क स्टाफ की तैनाती न होने तथा सीमाशुल्क अधिसूचना जारी न होने के कारण आईसीडी अक्रियाशील रहा।
5.	आईसीडी	बैंगलोर कर्नाटक	निजी	पार्लेचा इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स	20-03-13	मार्च, 2015	आईएमसी ने 30.06.2017 तक वैध 6ठां विस्तारण संस्वीकृत किया।	डीओसी ने बताया (अगस्त 2017) कि सीमाशुल्क अधिसूचना के जारी न होने, सीमाशुल्क की तैनाती न होने और ईडीआई कनेक्टिविटी लंबित होने के कारण आईसीडी अक्रियाशील रहा।
6.	आईसीडी	हिंदुआँ, राजस्थान	निजी	क्रिभको इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	12-11-12	नवंबर 2014	आईएमसी ने 30.06.2017 तक वैध 9वां विस्तारण संस्वीकृत किया।	डीओसी ने बताया (अगस्त 2017) कि सीमाशुल्क अधिसूचना के जारी न हो पाने के कारण आईसीडी अक्रियाशील रहा।
7.	सीएफएस	हैदराबाद तेलंगाना	निजी	तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रोमोशन कॉर्पोरेशन	27-04-09	अप्रैल, 2011	आईएमसी ने 31.08.2017 तक वैध 5वां विस्तारण संस्वीकृत किया।	डीओसी ने बताया (अगस्त 2017) कि सीमाशुल्क अधिसूचना के जारी न हो पाने के कारण आईसीडी अक्रियाशील रहा।
8.	सीएफएस	लोनी, गाजियाबाद यूपी	निजी	वर्ल्ड विंडो इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	20-08-09	अगस्त 2011	आईएमसी ने 19.2.2013 तक वैध विस्तारण संस्वीकृत किया।	डीओसी ने बताया (अगस्त 2017) कि सुविधा में सीआरबी पर सीमाशुल्क स्टाफ की तैनाती प्रतीक्षित है।
9.	आईसीडी	मोदी नगर	सार्वजनिक	क्रिभको इंफ्रास्ट्रक्चर	14-06-13	जून, 2015	30.06.2017 तक	डीओसी ने बताया (अगस्त 2017) कि सीमाशुल्क अधिसूचना

क्र. सं.	प्रकार (आईसीडी /सी एफएस)	आईसीडी/ सीएफएस का स्थान/ लोकेशन	निजी/ सार्वजनिक	एजेंसी का नाम	एलओआई/ संस्वीकरण तिथि	माह जब तक अवसंरचना निर्मित हो जानी चाहिए।	अंतिम संस्वीकृत विस्तारण तथा वैधता अवधि	टिप्पणियां
		यूपी		लिमिटेड।			वैध 8वां विस्तारण संस्वीकृत किया।	के जारी न हो पाने के कारण आईसीडी अक्रियाशील रहा।
10.	आईसीडी	कचराकानहल्ली गांव, बंगलौर	निजी	सिकल मल्टीमॉडल एंड रेल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	12.11.2012	नवंबर 2014	30.06.2017 तक वैध 6ठां विस्तारण संस्वीकृत किया।	डीओसी ने बताया (अगस्त 2017) कि कर्नाटक सरकार की ओर से आंशिक भू-परिवर्तन लंबित हाने के कारण आईसीडी अक्रियाशील रहा।
11.	सीएफएस	अनुपाम्पट्टू ग्राम, चेन्नई	निजी	सिकल मल्टीमॉडल एंड रेल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	07.12.2012	दिसंबर, 2014	30.06.2017 तक वैध 6ठां विस्तारण संस्वीकृत किया।	डीओसी ने बताया (अगस्त 2017) कि तमिलनाडू सरकार की ओर से मंजूरी प्रतीक्षित थी।
12.	सीएफएस	कलानसेसरी, कोच्चि, केरल	निजी	मैसर्स पेरियार केमिकल लिमिटेड	14.06.2013	जून, 2015	आईएमसी ने 13.06.2016 तक वैध 3रां विस्तारण संस्वीकृत किया।	डीओसी द्वारा परिचालन हेतु विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया। तथापि, 30.06.2017 को डीओसी के डाटा के अनुसार, परियोजना का स्टेटस 'अंडर इंप्लिमेंटेशन' दर्शाया गया था।

विवरण - 10

हानिकारक कार्गों के भंडारण और प्रबन्धन के लिए सुविधाओं की अनुपलब्धता

(संदर्भ पैरा 4.3)

क्र. सं.	आईसीडी/सीएफएस का नाम	आईसीडी/ सीएफएस	हानिकारक कार्गों के प्रबन्धन के लिए सुविधाऐं उपलब्ध
1	आईसीडी, व्हाइटफील्ड, बैंगलूरु सिटी कमिश्नरी	आईसीडी	नहीं
2	आईसीडी, देसुर, बेलगाम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, बेलगाम	आईसीडी	नहीं
3	आईसीडी: जीआरएफएल	आईसीडी	नहीं
4	आईसीडी: पीएसडब्ल्यूसी	आईसीडी	नहीं
5	आईसीडी: धंधरी कलान	आईसीडी	नहीं
6	आईसीडी: कैंच	आईसीडी	नहीं
7	आईसीडी पटपड़गंज	आईसीडी	नहीं
8	आईसीडी कॉनकॉर जोधपूर (आईएनबीजीके 6)	आईसीडी	नहीं
9	कलिंगनगर, जाजपूर, ओडिशा	आईसीडी	नहीं
10	आईसीडी दुर्गापूर	आईसीडी	नहीं
11	आईसीडी मुरादाबाद	आईसीडी	नहीं
12	आईसीडी पंकी कानपूर	आईसीडी	नहीं
13	आईसीडी अमीन गाँव	आईसीडी	नहीं
14	गेटवे डिस्ट्रिपार्क, मनाली न्यू टाउन - चेन्नई IV कॉम	सीएफएस	नहीं
15	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) व्हाईटफील्ड,	सीएफएस	नहीं
16	मैसर्स मेरीगोल्ड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	सीएफएस	नहीं
17	एचएएल कार्गो कॉम्प्लेक्स	सीएफएस	नहीं
18	सीडब्ल्यूसी, पनमबूर	सीएफएस	नहीं
19	सीएफएस: केसीएम लुधियाना	सीएफएस	नहीं
20	सीएफएस: ओडब्ल्यूपीएल	सीएफएस	नहीं
21	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर), विशाखापत्तनम	सीएफएस	नहीं
22	गेटवे ईस्ट इंडिया, विशाखापत्तनम	सीएफएस	नहीं
23	श्रवण शिपिंग, विशाखापत्तनम	सीएफएस	नहीं
24	स्पीडी मल्टीमोड्स लिमिटेड	सीएफएस	नहीं

विवरण 11

ईटीएम का अपरिचालन

(संदर्भ पैरा 5.1.1)

क्र. सं.	कमिश्नरी	आईसीडी/ सीएफएस का अपरिचालन	स्थिति
1	नोएडा	सीएफएस ऑलकार्गो लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड	अपरिचालन
2	नोएडा	सीएफएस सीएमए सीजीएम लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड	अपरिचालन
3	कानपुर	आईसीडी पंकी कानपुर	अपरिचालन
4	नोएडा	आईसीडी दादरी	ज्ञात नहीं
5	नोएडा	आईसीडी लोनी	ज्ञात नहीं
6	मेरठ	आईसीडी मुरादाबाद	ज्ञात नहीं
7	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस बालमेर लॉरी, कोलकाता	अपरिचालन
8	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस सेंचुरी प्ली (जे जे पी), कोलकाता	अपरिचालन
9	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस सेंचुरी प्लाई (सोनई), कोलकाता	अपरिचालन
10	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस सीडब्ल्यूसी, कोलकाता	अपरिचालन
11	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस एलसीएल लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, हल्दिया	अपरिचालन
12	शिलांग, एनईआर	आईसीडी अमिनगांव	ज्ञात नहीं
13	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बोलपुर	आईसीडी दुर्गापुर	अपरिचालन

विवरण 12

शिपिंग बिलों की अंतरण प्रतियों की अप्राप्ति

(संदर्भ पैरा 5.1.1)

क्र. सं.	कमिश्नरी	आईसीडी/सीएफएस
1	अहमदाबाद	आईसीडी दशरथ वडोदरा
2	अहमदाबाद	आईसीडी खोड़ीयार गांधीनगर
3	अहमदाबाद	आईसीडी साणंद
4	अहमदाबाद	आईसीडी टम्ब (नवकर टर्मिनल लिमिटेड)
5	अहमदाबाद	सीएफएस एडलज गांधीनगर
6	जामनगर	सीएफएस सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, कांडला
7	जामनगर	सीएफएस एलसीएल लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पीपवा
8	जामनगर	सीएफएस सौराष्ट्र फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड, सौराष्ट्र एन्क्लेव, मुंद्रा
9	जोधपुर	आईसीडी कॉनकॉर, जोधपुर
10	जोधपुर	आईसीडी कॉनकोर, कनकपुरा, जयपुर
11	जोधपुर	आईईसीडी कानकॉर, काठूवास, अलवर
12	जोधपुर	आईसीडीसी धार ड्राई पोर्ट, जोधपुर
13	कानपुर	आईसीडी पनकी
14	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस बाल्मर लॉरी, कोलकाता
15	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस सेंचुरी प्लाई (जे जे पी), कोलकाता
16	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस सेंचुरी प्लाई (सोनई), कोलकाता
17	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस सीडब्ल्यूसी, कोलकाता
18	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस एलसीएल लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, हल्दिया
19	लुधियाना	आईसीडी जीआरएफएल
20	लुधियाना	सीएफएस ओडब्ल्यूपीएल
21	लुधियाना	आईसीडी कॉच
22	मुंबई कस्टम्स ज़ोन 1	आईसीडी मुलुंड
23	मुंद्रा	सीएफएस चन्नी वडोदरा
24	मुंद्रा	सीएफएस सीबर्ड मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंद्रा
25	शिलांग एनईआर	आईसीडी अमीनगांव

विवरण 13

इलेक्ट्रॉनिक संदेश विनिमय के माध्यम से कार्गो के ट्रांसशिपमेंट की निगरानी न होना

(संदर्भ पैरा 5.1.2)

क्र.सं.	कमिश्नरी का नाम	आईसीडी/सीएफएस
1	अहमदाबाद	आईसीडी दशरथ वडोदरा
2	अहमदाबाद	आईसीडी खोड़ीयार गांधीनगर
3	अहमदाबाद	आईसीडी साणंद
4	अहमदाबाद	आईसीडी टम्ब (नवकर टर्मिनल लिमिटेड)
5	अहमदाबाद	सीएफएस एडलज गांधीनगर
6	बोलपुर सी। एक्स	आईसीडी, दुर्गापुर
7	हैदराबाद	आईसीडी, थिममपुर
8	जामनगर	सीएफएस सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, कांडला
9	जामनगर	सीएफएस एलसीएल लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पीपवा
10	जामनगर	सीएफएस सौराष्ट्र फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड, सौराष्ट्र एन्क्लेव, मुंद्रा
11	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस बाल्मेर लॉरी, कोलकाता
12	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस सेंचुरी प्लाई (जे जे पी), कोलकाता
13	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस सेंचुरी प्लाई (सोनई), कोलकाता
14	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस सीडब्ल्यूसी, कोलकाता
15	कोलकाता पोर्ट	सीएफएस एलसीएल लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, हल्दिया
16	मुन्द्रा	सीएफएस चन्नी वडोदरा
17	मुन्द्रा	सीएफएस सीबर्ड मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंद्रा
18	शिलॉग एनईआर	आईसीडी अमिनगांव

विवरण 14

अनिकासित कंटेनरों का कमिश्नरी वार लंबन

(संदर्भ पैरा 5.2)

क्र.सं.	कमिश्नरी	30 दिनों से अधिक 180 दिनों से कम	एक वर्ष में 6 माह से अधिक	एक वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक	कुल	स्थान वर्ग मीटर में
1	तुगलकाबाद			957	1359	2316	34415.76
2	कोलकाता पोर्ट	350	226	277	402	1255	18649.3
3	मुंबई सीमा शुल्क जोन II	299	198	149	266	912	13552.32
4	नोएडा	69	57	273	297	696	10342.56
5	चेन्नई IV	51	18	138	429	636	9450.96
6	चेन्नई V	66	20	92	175	353	5245.58
7	अहमदाबाद	61	37	126	45	269	3997.34
8	जामनगर	4	1	6	1	12	178.32
9	लुधियाना	29	23	68	64	184	2734.24
10	विशाखापत्तनम	44	61	53	12	170	2526.2
11	इंदौर और भोपाल	47	97	4	13	161	2392.46
12	मुंद्रा	58	40	130	81	359	5334.74
13	बेंगलुरु सिटी	56	11	35	13	115	1708.9
14	हैदराबाद	13	8	33	47	101	1500.86

क्र.सं.	कमिश्नरी	30 दिनों से अधिक 180 दिनों से कम	एक वर्ष में 6 माह से अधिक	एक वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक	कुल	स्थान वर्ग मीटर में
15	कोच्चि	30	42	16	0	88	1307.68
16	अहमदाबाद	61	37	126	45	269	3997.34
17	नागपुर-1			10	46	56	832.16
18	मेरठ	6	0	0	50	56	832.16
19	तूतीकोरिन	9	14	3	28	54	802.44
20	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बोलपुर	0	0	3	18	21	312.06
21	भुवनेश्वर-1		3			3	44.58
22	जोधपुर	0	0	0	1	1	14.86
	कुल	**1193**	**910**	**2383**	**3391**	**7877**	**117052.82**

विवरण 15

शीघ्र नष्ट होने वाले कार्गो के निपटान में विलम्ब

संदर्भ पैरा 5.2

क्र.सं.	कमिश्नरी का नाम	आईसीडी/सीएफएस का नाम	लंबित कंटेनरों की	लंबित लोटो की सं.	कार्गो की प्रकृति	कार्गो का विवरण	लंबन अवधि (वर्षों में)
1	बैंगलोर	आईसीडी, कॉनकॉर	41	-	नष्ट होने वाला	मकई ग्लुटन भोजन, हल्दि की गॉठे, सिरका इन्जाइम, सूखा अदरक जूस एंव पराग खाद्य पदार्थ आदि	1 से 10
2	विशाखापत्तनम	सीएफएस, शारवेन शिपिंग	18	3	नष्ट होने वाला	पीला मटर और कच्चा काजू	2
3	विशाखापत्तनम	सीएफएस, गेटवे ईस्ट इंडिया लि	23	6	नष्ट होने वाला	कच्चा काजू	1
4	नागपुर 1	आईसीडी, अजनी	0	146 (मीट्रिक टन)	नष्ट होने वाला	फ़ीड जौ	5 से 6
5	नागपुर 1	आईसीडी, अजनी	0	107 (मीट्रिक टन)	नष्ट होने वाला	स्वीपिंग (चावल और कासिया तोरा)	5 से 6
6	नागपुर 1	आईसीडी, अजनी	0	5 बैग	नष्ट होने वाला	साबूत तूर (स्वीपिंग)	5 से 6
7	नागपुर 1	आईसीडी, अजनी	0	66 (मीट्रिक टन)	नष्ट होने वाला	चावल	5 से 6
8	तुगलकाबाद	आईसीडी तुगलकबाद	164	-	नष्ट होने वाला	काजू, खाद्य सामग्री, चावल, शीतल पेय	9 माह से 12 वर्ष
9	पटपड़गंज	आईसीडी पटपड़गंज	0	304 पैकेज	नष्ट होने वाला	मेट्रोमेडाज़ोल गोलियाँ	8
10	पटपड़गंज	आईसीडी पटपड़गंज	0	2 पैकेज	नष्ट होने वाला	चाय	2
11	पटपड़गंज	आईसीडी पटपड़गंज	0	1 पैकेज	नष्ट होने वाला	दूध से बनी खाद्य सामग्री	5
12	अहमदाबाद	सीएफएस कांडला	0	8 (मीट्रिक टन)	नष्ट होने वाला	तम्बाकू उत्पाद	9
13	चेन्नई V		0	61	नष्ट होने वाला	खाद्य वस्तु, फल, शहद, प्रीमिक्स, दाल आदि	1 से 9
14	चेन्नई V	त्रिवे सीएफएस	0	18	नष्ट होने वाला	खाद्य वस्तु, शहद, तेल, मिर्ची आदि	2 से 8

क्र.सं.	कमिश्नरी का नाम	आईसीडी/सीएफएस का नाम	लंबित कंटेनरों की	लंबित लोटो की सं.	कार्गो की प्रकृति	कार्गो का विवरण	लंबन अवधि (वर्षों में)
15	तूतीकोरिन		5	0	नष्ट होने वाला	सुपारी	4 से 6
16	कोचीन	फाल्कन सीएफएस	10	-	नष्ट होने वाला	स्प्लिट सुपारी	7
17	कोचीन	एम वी लॉजिस्टिक्स सीएफएस	1	-	नष्ट होने वाला	सेब	1
कुल			262	88			

विवरण 16

अनिकासित कार्गो (खतरनाक कचरा)

(संदर्भ पैरा 5.3)

क्र.	कमिश्नरी	आईसीडी/सीएफएस का नाम	माल का विवरण	कंटेनरों की संख्या	लंबन अवधि (वर्षों में)
1	मुंबई सीमाशुल्क, जोन - II,	सीएफएस, स्पीडी मल्टीमोड्स लिमिटेड	फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, ग्रीस, डायक्सबाइसाइक्लो ओक्टेन, इथाइल एस्टेट, रेफ्रिजरेंट गैस, डायक्लोफ़ेनक सोडियम, मेटल स्क्रैप तथा पुराने टायर	38	1 से 11
2	मुंबई सीमाशुल्क, जोन - II,	सीएफएस, सीडब्ल्यूसी लॉजिस्टिक्स पार्क	बोरोनोपोल, अमोनिया सॉल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिक्विड क्लोरीन के खाली सिलेन्डर, जिंक एश, थिनर, मेटल स्क्रैप तथा पुराने टायर	14	3 से 9
3	मुंबई सीमाशुल्क, जोन - II,	सीएफएस, यूनाइटेड लीनियर एजेंसी (आईसीटी और आईपीएल)	सोडियम साइनाइड, ऐक्रेलिक एसिड, पैलेट, एरल्डाइट, टेरेपथलोय, रेफ्रिजरेंट गैस, हेप्थाल्डेहाइड, मैटल स्क्रैप तथा पुराने टायर	21	2 से 10
4	मुंबई सीमाशुल्क, जोन - II,	सीएफएस, कॉन्टिनेंटल वेयरहाउसिंग	पैलेट तथा पेंट, मेटल स्क्रैप तथा पुराने टायर	22	1 से 7
5	मुंबई सीमाशुल्क, जोन- II	सीएफएस, पंजाब स्टेट कंटेनर एंड वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन	पैलेट तथा पेंट, बैंजीन के व्युत्पादित, ग्रीस	14	1 से 8

क्र.	कमिश्नरी	आईसीडी/सीएफएस का नाम	माल का विवरण	कंटेनरों की संख्या	लंबन अवधि (वर्षों में)
6	मुंबई सीमाशुल्क, जोन- II	सीएफएस, नवकर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लाल फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड, हैवी अल्कालाइट बैंजीन, बैटरी, बेस ऑयल, मैटल स्क्रैप तथा पुराने टायर	92	1 से 11
7	नागपुर-1	आईसीडी अजनी	कोयला टार पिच, मैंगनीज़, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, रद्दी कागज, टीक के कुंद, स्क्रैप तथा मॉलीडेनम कम्पाउंड	56	1 से 8
8	जोधपुर	आईसीडी, कॉनकोर, कनकपुरा	27 जिंदा बम तथा 19.4 एमटीएस युद्ध सामग्री स्क्रैप	0	3 से 9
9	जोधपुर	आईसीडी, उदयपुर	195 कि.ग्राम खाली कारतूस शैल	0	13
10	जोधपुर	आईसीडी, भगत की कोठी	102.8 एमटीएस युद्ध सामग्री स्क्रैप	0	13
11	तूतीकोरिन	विभिन्न सीएफएस	नगरपालिका का कचरा	20	2 से 8
12	तूतीकोरिन	विभिन्न सीएफएस	पुराने टायर	94	1 से 6
13	चेन्नई V	सैनको सीएफएस	स्क्रैप के 8 लोट	0	4 से 9
14	चेन्नई IV	आईसीडी कॉनकोर, टोंडीरपेट	स्क्रैप के 2 लोट	0	6 से 9
15	चेन्नई IV	बालमेर और लॉरी, सीएफएस	स्क्रैप के 20 लोट	0	1 से 13
16	चेन्नई IV	त्रिवे सीएफएस	स्क्रैप के 5 लोट	0	3 से 9
17	चेन्नई IV	गेटवे डिस्ट्रिपर्क सीएफएस	स्क्रैप का 1 लोट	0	5
18	चेन्नई V	ऑल कार्गो सीएफएस	स्क्रैप के 2 लोट	0	4 से 6
19	चेन्नई IV	आईसीडी कॉनकोर	पुराने टायरों के 3 लोट	0	4 से 12
20	चेन्नई IV	बालमेर और लॉरी, सीएफएस	पुराने टायरों के 4 लोट	0	1 से 10

क्र.	कमिश्नरी	आईसीडी/सीएफएस का नाम	माल का विवरण	कंटेनरों की संख्या	लंबन अवधि (वर्षों में)
21	चेन्नई IV	गेटवे डिस्ट्रिपर्क सीएफएस	खराब तेल तथा पाउडर के 2 लोट	0	6 से 16
22	चेन्नई IV	बालमेर और लॉरी, सीएफएस	स्कल तथा रद्दी कागज के 3 लोट	0	2 से 4
23	चेन्नई V	सैनको सीएफएस	खराब तेल का 1 लोट	0	5
24	चेन्नई IV	त्रिवे सीएफएस	फैब्रिक कचरे का 1 लोट	0	3
25	तूतीकोरिन	सेंट जोहन आईसीडी	रद्दी कागज के 10 लोट	0	1 से 5
26	कोचीन		पुराने टायरों का 1 लोट1	0	5
27	हैदराबाद	आईसीडी, थिममपुर	रद्दी कागज	3	3
28	विशाखापत्तनम	सीएफएस, सरावन शिपिंग	205.10 एमटी पेट बोतल तथा कागज स्क्रैप	0	4
29	तुगलकाबाद	आईसीडी तुगलकबाद	खतरनाक कार्गो	15	1 से 8
30	पटपड़गंज	आईसीडी पटपरगंज	फर्नेस ऑयल	18	5 से 17
31	मेरठ	आईसीडी मुरादाबाद	मिश्रित कचरा	50	6 से 11
32	सीमा शुल्क नोयडा	सीएमए-सीजीएम	नगरपालिका तथा घरेलू कचरा	12	7
कुल				**469**	

विवरण 17
राज्य/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी
(संदर्भ पैरा 5.5)

क्र. सं.	कमिश्नरी	आईसीडी/सीएफएस का नाम	आईसीडी/ सीएफएस	क्या पीसीबी से मंजूरी ली गई थी	क्या पर्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया था	टिप्पणियां
1	बोलपुर के.उ.शु.	दुर्गापुर	आईसीडी	नहीं	नहीं	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि राज्य और केंद्रीय बोर्ड तथा राज्य और केंद्रीय प्रदुषण बोर्ड से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आईसीडी में प्रदूषण वाली कोई मशीन नहीं है।
2	शिलांग एनईआर	अमीनगांव	आईसीडी	नहीं	नहीं	
3	कोलकाता	सीडब्ल्यूसी, कोलकाता	सीएफएस	नहीं	नहीं	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2017) कि पीसीबी से मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे विनिर्माण/ प्रसंस्करण/ पुनचक्रीय इकाईया नहीं है।
4	कोलकाता	सेंचुरी प्लाई (जे जे पी), कोलकाता	सीएफएस	नहीं	नहीं	
5	कोलकाता	बालमेर लॉरी, कोलकाता	सीएफएस	नहीं	नहीं	
6	कोलकाता	सेंचुरी प्लाई (सोनई), कोलकाता	सीएफएस	नहीं	नहीं	
7	कोलकाता	एलसीएल लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्रा. लि., हल्दिया	सीएफएस	नहीं	नहीं	विभाग ने बताया कि (दिसम्बर 2017) सीएफएस के लिए पर्यावरणीय जोखिम निर्धारण को मानकों को लागू करने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण को मजबूत करने के लिए एचसीसीएआर 2009 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
8	इंदौर	कॉन्कोर, पिथंबुर	आईसीडी	नहीं	नहीं	
9	इंदौर	कॉनकॉर, मंडीदीप	आईसीडी	नहीं	नहीं	
10	तुगलकाबाद,	तुगलकाबाद,	आईसीडी	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नहीं	
11	पटपड़गंज	पटपड़गंज	आईसीडी	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नहीं	
12	पटपड़गंज	बल्लभगढ़	आईसीडी	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नहीं	
13	पटपड़गंज	सोनीपत	आईसीडी	नहीं	नहीं	पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई। मामले को राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (ईआईए) प्राधिकरण हरियाणा द्वारा पर्यावरणीय मापदंडों का उल्लंघन माना गया और मामले को इआईए अधिसूचना, दिनांक 14 मार्च 2017 की उप धारा-13 (2) के तहत उल्लंघन के मामले के रूप में मंजूरी हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेज दिया गया।
14	अहमदाबाद	खोड़ीयार	आईसीडी	नहीं	नहीं	खतरनाक कचरे के भंडारण से डील करने के लिए राज्य/ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी
15	अहमदाबाद	दशरथ	आईसीडी	नहीं	नहीं	खतरनाक कचरे के भंडारण से डील करने के लिए राज्य/ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी
16	अहमदाबाद	अदालत	सीएफएस	नहीं	नहीं	खतरनाक कचरे के भंडारण से डील करने के लिए राज्य/ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी
17	जामनगर	सीडब्ल्यूसी कांडला	सीएफएस	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नहीं	

क्र. सं.	कमिश्नरी	आईसीडी/सीएफएस का नाम	आईसीडी/ सीएफएस	क्या पीसीबी से मंजूरी ली गई थी	क्या पर्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन किया गया था	टिप्पणियां
18	जामनगर	एलसीएल लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्रा. लि., पिपावाव	सीएफएस	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नहीं	
19	बैंगलोर सिटी	कॉनकोर	आईसीडी	नहीं	नहीं	खतरनाक कचरे के भंडारण से डील करने के लिए राज्य/ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी
20	बैंगलोर सिटी	सीडब्ल्यूसी, व्हाईटफील्ड	सीएफएस	नहीं	नहीं	खतरनाक कचरे के भंडारण से डील करने के लिए राज्य/ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी
21	नोएडा	ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.	सीएफएस	नहीं	नहीं	
22	कानपुर	पांकी, कानपुर	आईसीडी	नहीं	नहीं	2016-17 से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ
23	नोएडा	स्टार ट्रैक टर्मिनल, दादरी	सीएफएस	नहीं	नहीं	2016-17 से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ
24	नोएडा	लोनी	आईसीडी	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नहीं	
25	मेरठ	मुरादाबाद	आईसीडी	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नहीं	
26	लुधियाना	जीआरएफएल	आईसीडी	नहीं	नहीं	
27	लुधियाना	ओडब्ल्यूपीएल	सीएफएस	नहीं	नहीं	
28	लुधियाना	केसीएम	आईसीडी	नहीं	नहीं	
29	लुधियाना	धाधरीकला	सीएफएस	नहीं	नहीं	

विवरण 18

निषिद्ध माल का आयात और निर्यात

(संदर्भ पैरा 5.6)

क्रम. सं.	कमिश्नरी	नाम	निर्यातित निषिद्ध/ प्रतिबंधित माल का विवरण	निर्यात की अवधि	परेषण/ कंटेनरो की सं.	एफओबी मूल्य (करोड़ में)	प्रकार	प्राधिकरण
1	चैन्नई IV	आईसीडी, कॉनकॉर, टोंडीरपेट	गेहूं का आटा	मई 2012 से जनवरी 2013	36	0.62	निर्यातो के लिए निषिद्ध	डीजीएफटी अधिसूचना 31, 4.02.2013 से प्रभावी के द्वारा केवल प्रतिबंध से छूट दी गई (जब प्रतिबंध लागू था, उससे पूर्व)
2	चैन्नई IV	आईसीडी, कॉनकॉर, टोंडीरपेट	खाद्य तेल	मई 2012 से दिसंबर 2012	7	0.27	निर्यातो के लिए निषिद्ध	खाद्य तेल: अधिसूचना सं. 77 दिनांक: 28.9.2011 अधिसूचना सं. 9 दिनांक 1.8.2012 और अधिसूचना 24 दिनांक 19.10.2012
					43	0.89		

विवरण 19

प्रतिबंधित वस्तुओ का आयात और निर्यात

(संदर्भ पैरा 5.6)

क्र. सं.	कमिश्नरी	नाम	निर्यात किये गये निषिद्ध/प्रतिबंधित माल का विवरण	आयात की अवधि	परेषणों/कन्टेनरों की संख्या	कर लगाने योग्य	सम्मिलित शुल्क	प्रतिबंध की प्रकृति	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1	चैंनई V	आईसीडी, इरूनगुट्टुकुट्टा	मैसर्स बीएसएच हाउसहोल्ड एप्लाइअसिस प्रा.लि. द्वारा आयातित स्टील शीट्स	अगस्त-14	1 परेषणों	0.49	विवरण प्रस्तुत नहीं	डीजीएफटी अधिसूचना सं. 44 (आरई-2000) 1997-2002 दिनांक 24.11.2000। आईटीसी (एचएस) की अधिसूचि के परिशिष्ट V के अनुसार, आयात और निर्यात वस्तुओ का वर्गीकरण, अनिवार्य भारतीय गुणवता मानकों के अनुपालन के अधीन होगा और निर्यातक/निर्माता को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास अपने आप को पंजीकृत कराना होगा।	अनिवार्य बीआईएस प्रमाणपत्र के बिना माल की मंजूरी दी गई। यद्यपि बाद में किए गए इस्पात चादरों के आयात, बीआईएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण फिर से निर्यात करने का आदेश दिया गया था। अनिवार्य बीाईएस प्रमाणपत्र के बिना समान आयातो को क्रम में मंजूरी नहीं मिली थी।
2	मोरमुगॉव	आईसीडी वेरना, गोवा	मर्मागोवा स्टील लि. द्वारा निर्यातित (506.79 मीट्रीक टन) नॉन-ऍलाय स्टील मैलटींग स्क्रैप	2012-13	19 कंटेनरों	ब्यौरे प्रस्तुत नहीं	ब्यौरे प्रस्तुत नहीं	अध्याय-2 (विदेशी व्यापार नीति 2009-14) के पैरा 2.32 किसी भी रूप मे धातु अपशिष्ट, स्क्रैप का आयात इस शर्त के अधीन होगा कि खतरनाक, विषैला अपशिष्ट, रेडियोधर्मी सामग्री युक्त रेडियोधर्मी संदूषित अपशिष्ट स्क्रैप, किसी भी प्रकार के शस्त्र, गोलाबारूद, सुरंगें शेल, जीवित अथवा उपयोग किए गए कारतूस अथवा अन्य किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री किसी भी रूप में या तो उपयोग की गई अथवा अन्यथा और स्क्रैप का आयात केवल विनिर्दिष्ट	विभाग ने आईसीडी वेरना के माध्यम से परेषण को मंजूरी दी थी जो स्क्रैप प्रबंधन के लिए निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित नहीं था।

क्र. सं.	कमिश्नरी	नाम	निर्यात किये गये निषिद्ध/प्रतिबंधित माल का विवरण	आयात की अवधि	परेषणों/कन्टेनरों की संख्या	कर लगाने योग्य	सम्मिलित शुल्क	प्रतिबंध की प्रकृति	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
3	अहमदाबाद	आईसीडी खोड़ियार गांधीनगर	दवा और फार्मा उत्पादो सहित अध्याय 30 के तहत सभी माल	2012-13 से 2016-17	14 परेषणों	7.83	ब्यौरे प्रस्तुत नहीं	दवा और फार्मा माल के तहत आयात की गुणवत्ता पर उचित मॉनीटरिंग करने के लिए सीमा शुल्क अहमदाबाद के कमिश्नर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 19/3/2007 यह निर्देशित करते हुए जारी की गई थी कि दवा और फार्मा माल आईसीडी के माध्यम से आयात नहीं किये जा सकते।	सीटीएच 30 (दवा और फार्मा उत्पाद को मिलाकर) के तहत विभाग ने सार्वजनिक सूचना के उल्लंधन के तहत वस्तु वर्गीकरण की अनुमति दी।
4	शिलांग, एनईआर	आईसीडी, अमीनगांव	एरी कोकूनस (10 एमटी)	जनवरी-14	1 परेषणों	0.71		डीजीएफटी अधिसूचना सं. 03 (आरई-2003)/2002'2007 दिनांक 31.03.2003, रेशम के कीड़ो के कोकून एक प्रतिबंधित वस्तु हैं जिसके निर्यात के लिए डीजीएफटी के द्वारा दिये गए लाइसेन्स के तहत ही केवल निर्यात की अनुमति है।	अनिवार्य निर्यात लाइसेन्स के बिना निर्यातो को अनुमति दी गई थी। तथापि, रूपये 71,554/-की फिरती की संस्वीकृति दी गई थी।
				कुल	**49 परेषणों**	**9.03**			

विवरण 20
शुल्क फिरती की वसूली नहीं होना
(संदर्भ पैरा 5.7.1)

क्र.सं.	कमिश्नरी	आईसीडी का नाम	आईसीडी या सीएफएस	एसबीज/ निर्यातो की सं.	निर्यातो की अवधि	लंबित वसूली (करोड़ में राशि)	31-3-17 तक विलम्ब (महीने)	फिरती संस्वीकृत/ भुगतान किया हुआ (करोड़ में	टिप्पणियॉ
1	तूतीकोरिन	सेंट जॉन आईसीडी, तूतीकोरिन (निजी) तूतीकोरिन सीमा शुल्क कमिश्नरी	आईसीडी	31007		2935.24		194.43	आरबीआई एक्सओएस डेटा से प्रमाणित किया गया था। अध्याय 53 से 63 के तहत आने वाले कपड़ा और कपड़ा संबंधी वस्तुओं पर फिरती शुल्क का किया गया भुगतान 90 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। शिपिंग बिल दिनांक 31.3.2016 से पहले के थे।
2	चेन्नई V	आईसीडी, इरूनगुट्टुटाई (निजी) चेन्नई V सीमा शुल्क कमिश्नरी	आईसीडी	710		163.42		3.05	आरबीआई एक्सओएस डेटा से प्रमाणित किया गया था। अध्याय 53 से 63 के तहत आने वाले कपड़ा और कपड़ा संबंधी वस्तुओं पर फिरती शुल्क का किया गया भुगतान 90 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। शिपिंग बिल दिनांक 31.3.2016 से पहले के थे।
3	चैनई IV	आईसीडी, कॉनकॉर, टोडियारपेट चेन्नई IV सीमा शुल्क कमिश्नरी	आईसीडी	2296		593.77		10.62	आरबीआई एक्सओएस डेटा से प्रमाणित किया गया था। अध्याय 53 से 63 के तहत आने वाले कपड़ा और कपड़ा संबंधी वस्तुओं पर फिरती शुल्क का किया गया भुगतान 90 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। शिपिंग बिल दिनांक 31.3.2016 से पहले के थे।
4	बेंगलुरू शहर	आईसीडी, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरू सिटी कमिश्नरी	आईसीडी	111	अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2015	13.28	उपलब्ध नहीं	0.63	लेखापरीक्षा पूछताछ को दिये उत्तर में विभाग ने बताया कि एससीएन जारी किया गया है।
5	जोधपुर	आईसीडी, कॉनकॉर, कनकपुरा, जयपुर (आईएनकेकेयू 6)	आईसीडी	957	मार्च 2012 से दिसंबर 2015	132.75	15	5.12	उपरोक्त मामलों में विभाग को बीआरसीज प्राप्त नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक निर्यातकों को अनुचित लाभ हुआ। उसी कमिश्नरी के तहत 2 आईसीडीज के संबंध में आपत्ति है।
6	जोधपुर	आईसीडी, थार ड्राई पोर्ट, जोधपुर (आईएनटीएचए 6)	आईसीडी						
7	हैदराबाद	सनतनगर, हैदराबाद	आईसीडी					312.59	निर्यात मुनाफे मॉनीटर नहीं किये गये थे और निर्यातको ने बीआरसीज जमा नहीं कराये थे।
8	हैदराबाद	थीमामपुर गांव मैहबूबनगर	आईसीडी					8.32	निर्यात मुनाफे मॉनीटर नहीं किये गये थे और निर्यातको ने बीआरसीज जमा नहीं कराये थे।
9	मुंबई सीमा जोन-I	आईसीडी मुलुंड, मुंबई (आईएनएमयूएल 6)	आईसीडी	11	अप्रैल 2012 से दिसंबर 2014			0.14	एक्सओएस विवरण से प्रमाणित किया गया था। विभाग के उत्तर पर, 149 मामलों में से, 138 मामलों के संबंध में उत्तरों को स्वीकार किया गया था, और 11 मामलों के संबंध में विभाग ने रूपये 14.05 लाख के लिए एससीएन जारी किये थे।
		कुल		**35092**		**3838.46**		**534.9**	

विवरण 21

भण्डारण बॉण्ड, बीजी और बीमा (आईसीडी) का अल्प निष्पादन

(संदर्भ पैरा 5.8.1)

क्र.सं.	कमिश्नरी	आईसीडी का नाम	आईसीडी/ सीएफएस	बॉण्ड में कमी करोड़ में	बीजी मे कमी करोड़ मे	बीमा की कमी करोड़ में	अवधि जिसमे कमी का पता चला
1	कानपुर	मेसर्स कानपुर लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा. लि., पांकी	आईसीडी	37	0.99	120.53	2016-17
2	नोएडा	कॉनकॉर, दादरी	आईसीडी			180.64	2016-17
3	बोलपुर के.उ.शु.	आईसीडी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	आईसीडी			97.8	2016-17
4	पटपड़गंज	आईसीडी बल्लभगढ़ (एसीटीएल)	आईसीडी	19			2016-17
5	तुगलकाबाद	आईसीडी, तुगलकाबाद	आईसीडी	596			2014-15 से 2016-17
6	मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र 1	कॉनकॉर, मुलुंड	आईसीडी	45			प्रारंभ करने की तिथि (1995) से बॉण्ड निष्पादित नहीं हुआ
7	पुणे	केएसएच, डिस्ट्रिकपार्क, तेलंगाव	आईसीडी	8	0.76		2012-13 से 2016-17
				703.62	**1.75**	**398.97**	

विवरण 22

भण्डारण बॉण्ड, बीजी और बीमा (आईसीडी) का अल्प निष्पादन

(संदर्भ पैरा 5.8.1)

क्र. सं.	कमिश्नरी	सीएफएस का नाम	आईसीडी अथवा सीएफएस	बॉण्ड मे कमी (करोड़ में)	बीजी की कमी (करोड़ में)	बीमा की कमी (करोड़ में)	अवधि जिसमें कमी का पता चला (बाण्ड)	अवधि जिसमें बीमा की कमी का पता चला
1	नोएडा	मैसर्स स्टार ट्रैक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, दादरी, नोएडा	सीएफएस	45.90	4.6	निल	2014-15 के आधार पर	
2	नोएडा	मैसर्स ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड, दादरी, नोएडा	सीएफएस	57.43	5.74	117.51	2013-14 के आधार पर	2016-17
3	नोएडा	सीएमए सीजीएम लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड, दादरी, नोएडा	सीएफएस			202.66		2016-17
4	कोलकाता	बॉलमेर लॉरी एवं कं, कोलकाता	सीएफएस	55.49		590.38	2014-15	2016-17
5	कोलकाता	सेंचुरी प्लाई । -जेजेपी, कोलकाता	सीएफएस	18.64	1.96	557.61	2013-14	2016-17
6	कोलकाता	सेंचुरी प्लाई । -सोनई, कोलकाता	सीएफएस	19.14	2.62	619.26	2013-14	2016-17
7	कोलकाता	एलसीएल लॉजिस्टिक, हल्दिया	सीएफएस	17.61	1.02		2014-15	
8	कोलकाता	सीडब्ल्यूसी, कोलकाता	सीएफएस	56.10			2016-17	
9	चैन्नई IV	त्रीवे सीएफएस	सीएफएस	0		564		2015-16
10	कोची	कोचीन बंदरगाह	सीएफएस	0			2016-17	2016-17

क्र. सं.	कमिश्नरी	सीएफएस का नाम	आईसीडी अथवा सीएफएस	बॉण्ड मे कमी (करोड़ में)	बीजी की कमी (करोड़ में)	बीमा की कमी (करोड़ में)	अवधि जिसमें कमी का पता चला (बाण्ड)	अवधि जिसमें बीमा की कमी का पता चला
11	कोची	एमआईवी लॉजिस्टिक्स सीएफएस	सीएफएस	4.77	0.28	21.11	2016-17	2016-17
12	मुंबई सीमा शुल्क जोन II	स्पीडी मल्टीमॉड्स	सीएफएस	13.00	11.75	1164	2016-17	2016-17
13	मुंबई सीमा शुल्क जोन II	सीडब्ल्यूसी लॉजिस्टिक पार्क	सीएफएस	45.02		1945.55	2015-16	2015-16
14	मुंबई सीमा शुल्क जोन II	यूनाइटेड लाइनर एजेंसिज ऑफ इंडिया	सीएफएस	44.75	4.48	2328.3	2015-16	2015-16
15	मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र II	नावाकार कॉर्पोरेशन.लिमिटेड	सीएफएस	72.53	6.61	420.02	2016-17	2016-17
				450.38	**39.06**	**8530.40**		

विवरण 23

लागत वसूली शुल्क की वसूली नहीं होना (आईसीडी)

(संदर्भ पैरा 5.8.2)

क्र. सं.	कमिश्नरी	आईसीडी/ सीएफएस का नाम	आईसीडी अथवा सीएफएस	राशि (करोड़ में)	भुगतान अवधि में अग्रीम नहीं
1	नागपूर-I	अजनी, नागपूर	आईसीडी	0.07	एनए
2	जोधपुर	थार ड्राई पोर्ट, जोधपुर	आईसीडी	7.06	जनवरी 2006 से दिसंबर 2016
3	जोधपुर	कॉनकॉर काठूवास, अलवर	आईसीडी	0.003	जनवरी 2017 से जून 2017
4	बेलगांम सेंट्रल एक्साइज	देसूर, बेलगांव,	आईसीडी	0.12	मई 2005 से सितंबर 2007
5	लुधियाना	पीएसडब्ल्यूसी	आईसीडी		2016-17
6	त्रिची सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	होसुर	आईसीडी	1.27	अप्रैल 2014 से जून 2017
7	चेन्नई IV	कॉनकॉर,	आईसीडी	0.1	अप्रैल 2015 से मार्च 2016
8	मार्मागॉव	वेरना, गोवा	आईसीडी	0.09	मार्च 2017 तक
9	बूटीबोरी	नागपूर-1	आईसीडी	0.52	
10	अहमदाबाद	सानंद	आईसीडी	2.25	2012-13से 2014-15
11	अहमदाबाद	दशरथ वड़ोदरा	आईसीडी		एनए
12	तुगलकाबाद	तुगलकाबाद	आईसीडी		एनए
13	पटपड़गंज	पटपड़गंज	आईसीडी		एनए
14	नोएडा	दादरी	आईसीडी	3.32	01.02.2011 से 31.03.2015
15	नोएडा	लोनी	आईसीडी	5.31	अप्रैल 2012 से मार्च 2017
			कुल	**20.11**	

विवरण 24

लागत वसूली शुल्क (सीएफएस) की गैर वसूली

(संदर्भ पैरा 5.8.2)

क्र.सं.	कमिश्नरी दर	आईसीडी/सीएफएस का नाम	आईसीडी/ सीएफएस	राशि (करोड़ रु. में)	अवधि जिसमें अग्रिम नहीं दिया गया था
1	अहमदाबाद	सीएफएस, चन्नी वडोदरा	सीएफएस	0.59	जनवरी 2016 मार्च 2017 तक
2	कांदला	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, काण्डला	सीएफएस	0.56	2012-13 से 2016-17 तक
3	अहमदाबाद	अदालाज गांधीनगर	सीएफएस	एनए	2012-13 से 2016-17 तक
4	मंगलुरु	सीडब्ल्यूसी, पानमबुर	सीएफएस		जुलाई 2007 से आज तक
5	कोलकाता	एपीजे इंफ्रा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	सीएफएस	3.92	
6	कोलकाता	रॉलसन पेट्रोकेमिकल प्रा. लि.	सीएफएस	3.57	
7	कोलकाता	एलसीएल लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्रा. लि., हल्दिया	सीएफएस	1.63	
8	मुंद्रा	सौराष्ट्र फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड, सौराष्ट्र एंक्लेव, मुंद्रा	सीएफएस	एनए	एनए
9	मुंद्रा	सीबर्ड मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंद्रा	सीएफएस	एनए	एनए
10	जामनगर	एलसीएल लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पिपवा	सीएफएस	एनए	एनए
11	बेंगलुरू सिटी	एचएएल कार्गो काम्पलैक्स	सीएफएस	0.53	16 अप्रैल से सितंबर 2017 तक

क्र.सं.	कमिश्नरी दर	आईसीडी/सीएफएस का नाम	आईसीडी/ सीएफएस	राशि (करोड़ रु. में)	अवधि जिसमें अग्रिम नहीं दिया गया था
12	बेंगलुरू सिटी	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) व्हाइटफील्ड,	सीएफएस		16.3.2013 से सितम्बर 2017 तक
13	कोची	कोचीन पोर्ट	सीएफएस	1.77	31-3-2017 तक उपार्जित
14	कोची	एमआईवी लॉजिस्टिक्स	सीएफएस	1.14	31-3-2017 तक उपार्जित
15	हैदराबाद	कुकटपल्ली	सीएफएस	एन ए	2007-08 से 2016-17 तक
16	कोलकाता	सेंचुरी प्लाई (सोनई),कोलकता	सीएफएस	एन ए	अक्तुबर-13 से मार्च 17
17	नोएडा	एल्बेसटॉस इन्लैण्ड पोर्ट	सीएफएस	एन ए	फ़रवरी 2011 से मार्च 2015 तक
18	नोएडा	स्टार ट्रैक टर्मिनल्स	सीएफएस	एन ए	01.02.2011 से 31.03.2015 तक
19	नोएडा	सीएमए सीजीएम लॉजिस्टिक पार्क (पी) लिमिटेड	सीएफएस	एन ए	अप्रैल 2013 के बाद से
20	नोएडा	ऑलकार्गो लॉजिस्टिक पार्क (पी) लिमिटेड	सीएफएस	एन ए	2015-16 और 2016-17 तक
21	कोलकाता	सेंचुरी प्लाई (जेजेपी),कोलकता	सीएफएस	2.22	25.02.2017 से 31.12.2017
22	कोलकाता	कॉनकार	सीएफएस	1.04	25.02.2017 से 31.12.2018
23	कोलकाता	ए.एल. लोजिस्टिक प्रा. लि.	सीएफएस	0.91	1.04.2017 से 31.12.2019
कुल				**18.24**	

विवरण 25
कार्गो की चोरी और उठाईगिरी
(संदर्भ पैरा 5.8.4)

क्र. सं.	कमिश्नरी	आईसीडी/ सीएफएस का नाम	आईसीडी/ सीएफएस	हो चुकी घटना	घटना की प्रकृति	घटना का विवरण	निष्कर्ष/लेखापरीक्षा आपत्ति
1	जोधपुर	कॉनकॉर, जयपुर	आईसीडी	2013-14	चोरी	500 कि गा लेड इन्गोर की चोरी अभिरक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई	रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या शुल्क की उगाही हुई है या नहीं।
2	चेन्नई V	सैंको ट्रांस लिमिटेड, चेन्नई	सीएफएस	नवम्बर-12	चोरी	34070 किग्रा मेटल स्क्रैप गायब	ई-नीलामी के बावजूद सीएफएस में शेष माल पड़ा था और जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई क्योंकि उक्त माल के कब्जे के दौरान बोलीदाता ने माल की कमी देखी।
3	मुंबई सीमा शुल्क जोन II	स्पीडी मल्टीमोड्स लिमिटेड,	सीएफएस	दिसम्बर-14	चोरी	छह कन्टेनरों से 36.29 एम टी 'रेड सैन्डर' की प्रणालीगत चोरी / उठाईगिरी	28 अक्तुबर 2016 को सीएफएस से ` 12.29 करोड़ की वसूली की गई थी।
4	मुंबई सीमा शुल्क जोन II	स्पीडी मल्टीमोड्स लिमिटेड,	सीएफएस	फरवरी-17	लापता	जांच के दौरान रू 41.97 लाख के मूल्य की तीन वाशिंग मशीन लापता थीं।	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए रिकॉर्ड्र के अनुसार, पुलिस को शिकायत या एससीएन या सीसीएसपी से उत्तर के कोई प्रमाण नहीं पाए गए।
5	मुंबई सीमा शुल्क जोन II	मेसर्स स्पीडी मल्टीमोड्स लिमिटेड,	सीएफएस		चोरी	जब्त किए गए जिंक अलॉय टर्निंग्स के तीन कन्टेनर कीचड के साथ मिल गए और विघटित ढांचे के कारण धुल गए चूंकि कन्टेनर लगभग 10 वर्षों से पड़ा था।	निपटान के उद्देश्य से मूल्यांकन के समय पर माल नहीं पाया गया। उक्त सीएफएस ने न तो मूल्यांकन के लिए उपरोक्त उल्लेखित कार्गो प्रस्तुत किया न ही इस संबंध में कोई सूचना प्रदान की गई। इसके परिणाम सरकारी राजस्व की हानि हुई।
6	मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र I	मुलुंड	आईसीडी	मार्च-17	लापता	ईटीएमएस के तहत लोड किये दर्शाये गया एक 40 फुट कन्टेनर खाली था (कन्टेनर सं. एमएसकेयू 0556166) मैसर्स राज इन्टरनेशनल प्रा. लि ने मीर्स्क शिपिंग लाइन द्वारा कंट्री बलबाओ पनामा से टीक वुड राउंड लॉग आयात किए थे और रू 3.25 लाख निर्धारित मूल्य पर रू 0.30 लाख के आयात शुल्क का भी भुगतान किया।	कन्टेनर खाली है जानने के बावजूद गैर निपटान किए गए माल की धारा 48 के तहत 7 जुलाई 2011 पर आयातक (मैसर्स राज इन्टरनेशनल) को अभिरक्षक ने नोटिस जारी किया था।
7	जोधपुर	आईसीडी कॉनकॉर	आईसीडी	दिसम्बर-14	कमी	सील तोड़ने के कारण चोरी	5780 किग्रा पुन: पिघलाए गए लेड की कमी देखी गई।

विवरण 26

आगम बिलों और शिपिंग बिलों हस्तस्य रूप से दर्ज करना

(संदर्भ पैरा 5.8.5)

क्र. सं.	कमिश्नरी	आईसीडी/ सीएफएस का नाम	आईसीडी/ सीएफएस	हस्त रूप से फाइल की गई बाईज़/ एसबीज़ की संख्या	बीईज़/ एसबीज़	ऐसी मैनुअल फाइलिंग के कारण	फाइल किए गए कुल बीईज़/ एसबीज़
1	मैंगलुरु	सीडब्ल्यूसी, पानमबूर	सीएफएस	1359	बीईज	प्रचालन 1997 में प्रारंभ हुआ था। आईसीईएस कनॉक्टिविटी की अनुपस्थिति के कारण हस्त रूप से फाइल किया गया।	1410
2	बेंगलुरू	व्हाइटफील्ड	आईसीडी	2479	बीईज एण्ड एसबीज	प्रस्तुत नहीं किया गया	478704
3	लुधियाना	जीआरएफएल	आईसीडी	346	बीईज एण्ड एसबीज	प्रस्तुत नहीं किया गया	346
4	लुधियाना	पीएसडब्ल्यूसी	आईसीडी	83	बीईज एण्ड एसबीज	प्रस्तुत नहीं किया गया	83
5	लुधियाना	कनेच	आईसीडी	1	बीईज	जनवरी 2015 में परिचालन शुरू	1
6	लुधियाना	ओडब्ल्यूपीएल	सीएफएस	6	बीईज	प्रस्तुत नहीं किया गया	6

क्र. सं.	कमिश्नरी	आईसीडी/ सीएफएस का नाम	आईसीडी/ सीएफएस	हस्त रूप से फाइल की गई बाईज़/ एसबीज़ की संख्या	बीईज़/ एसबीज़	ऐसी मैनुअल फाइलिंग के कारण	फाइल किए गए कुल बीईज़/ एसबीज़
7	हैदराबाद	सनतनगर	आईसीडी	501	बीईज/एएसबीज	कमिश्नर से मैनुअल फाइलिंग का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था जो कि ऐसे अनुमोदनों के लिए प्राधिकरण है।	
8	शिलांग उपरे	अभीनगॉव	आईसीडी	2528	बीईज/एएसबीज	प्रणाली में समस्या के कारण	5494
9	बोलपुर पश्चिम	दुर्गापुर	आईसीडी	1345	बीईज/एएसबीज	2012-13 से 2014-15 के दौरान	8199
10	नोएडा	अलबाट्रोस इनलैंड पोर्ट	सीएफएस	599	बीईज/एएसबीज	प्रस्तुत नहीं किया गया	255192
11	नोएडा	स्टार ट्रेक टर्मिनल	सीएफएस	93	बीईज/एएसबीज	प्रस्तुत नहीं किया गया	290044
12	नोएडा	सीएमए सीजीएम लोजिस्टिक पार्क प्रा. लि.,	सीएफएस	2180	बीईज/एएसबीज	प्रस्तुत नहीं किया गया	195281
13	नोएडा	आलकागो लोजिस्टिक पार्क प्रा. लि. दादरी	सीएफएस	11	बीईज/एएसबीज	मेनुअल फाईलिंग के लिए कमिश्नर द्वारा अनुमत	204527
14	कानपुर	पनकी	आईसीडी	4	बीईज/एएसबीज		45784
				11535			

विवरण 27
एलआरएम का गठन
(संदर्भ पैरा 5.8.6)

क्र.सं.	कमिश्नरी का नाम	आईसीडी का नाम	क्या एलआरएम का गठन किया गया था	बैठक नियमित रूप से की गई थीं
1	लुधियाना	आईसीडी, जीआरएफएल	हाँ	नहीं
2	लुधियाना	आईसीडी, पीएसडब्ल्यूसी	हाँ	नहीं
3	लुधियाना	आईसीडी, धंधारी कलान	हाँ	नहीं
4	लुधियाना	आईसीडी, कनेच	हाँ	नहीं
5	हैदराबाद	आईसीडी, सनतनगर	नहीं	-
6	भूवनेशवर	आईसीडी, कलिंगानगर	नहीं	-
7	हैदराबाद	आईसीडी, थीमामपुर	नहीं	-
8	विजयवाढ़ा	आईसीडी, मरीपालम	हाँ	नहीं
9	बेंगलुरू	आईसीडी, व्हाइटफील्ड	हाँ	नहीं
10	बेलगाम	आईसीडी, डीसोर	कार्यशील नहीं	-
11	नोएडा	आईसीडी, दादरी	हाँ	नहीं
12	कानपुर	आईसीडी, पांकी	हाँ	नहीं
13	नोएडा	आईसीडी, लोनी	हाँ	नहीं
14	अलाहाबाद	आईसीडी, भदोही	कार्यशील नहीं	-
15	मेरठ	आईसीडी, मुरादाबाद	प्रस्तुत नहीं	-
16	अहमदाबाद	आईसीडी, टुंब	नहीं	-
17	अहमदाबाद	आईसीडी, खोड़ियार	प्रस्तुत नहीं	-
18	अहमदाबाद	आईसीडी, दशरथ	नहीं	-
19	अहमदाबाद	आईसीडी, साणंद	प्रस्तुत नहीं	-
20	जोधपुर	आईसीडी, काटूवास	प्रस्तुत नहीं	-
21	जोधपुर	आईसीडी, कॉनकॉर, बीजीकेटी,	प्रस्तुत नहीं	-
22	जोधपुर	आईसीडी, कॉनकॉर, कनकपुर	प्रस्तुत नहीं	-
23	जोधपुर	आईसीडी, थार ड्राई पोर्ट, जोधपुर	प्रस्तुत नहीं	-
24	अहमदाबाद	आईसीडी, उदयपुर	प्रस्तुत नहीं	-
25	तुगलकाबाद(आयात)	आईसीडी, तुगलकाबाद	प्रस्तुत नहीं	-

क्र.सं.	कमिश्नरी का नाम	आईसीडी का नाम	क्या एलआरएम का गठन किया गया था	बैठक नियमित रूप से की गई थीं
26	पटपड़गंज	आईसीडी, पटपड़गंज	हाँ	नहीं
27	पटपड़गंज	आईसीडी, भल्लभगढ़	प्रस्तुत नहीं	-
28	पटपड़गंज	आईसीडी, सोनीपत	प्रस्तुत नहीं	-
29	इंदौर और भोपाल	आईसीडी, मंडीदीप	हाँ	नहीं
30	इंदौर और भोपाल	आईसीडी, पॉवरखेड़ा	कार्यशील नहीं	-
31	इंदौर और भोपाल	आईसीडी, पीथमपुर	हाँ	हाँ
32	शिलांग	आईसीडी, अमीनगॉव	नहीं	-
33	बोलपुर	आईसीडी, दुर्गापुर	हॉ	-
34	मुमाई	आईसीडी, मुलुंड,	नहीं	-
35	पुणे	आईसीडी, तेलंगाव	नहीं	नहीं
36	नागपुर	आईसीडी, अजनी	नहीं	-
37	नागपुर	आईसीडी, बूटीबोरी	प्रस्तुत नहीं	-
38	गोवा	आईसीडी, वेरना	नहीं	-
39	तूतीकोरिन	सेंट जॉन आईसीडी, तूतीकोरिन	नहीं	-
40	चेंनई V	आईसीडी, ईरानगट्टुगोटी	नहीं	-
41	चेन्नई IV	आईसीडी, कॉनकॉर टोन्डीरपेट	प्रस्तुत नहीं	-
42	त्रिची	आईसीडी, होसुर	प्रस्तुत नहीं	-
43	एर्नाकुलम	आईसीडी, कोट्टायम	हाँ	नहीं
44	कालीकट	आईसीडी, मट्टीलाकाम	प्रस्तुत नहीं	-

विवरण 28

सीमाशुल्क निकासी सुगमता समिति का गठन

(संदर्भ पैरा 5.8.7)

क्र.सं.	कमिश्नरी	सीसीएफसी का गठन किया गया है
1	तूतीकोरिन	प्रस्तुत नहीं
2	चैंनई V	प्रस्तुत नहीं
3	चेन्नई IV	प्रस्तुत नहीं
4	त्रिची सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क	प्रस्तुत नहीं
5	कोची	प्रस्तुत नहीं
6	कालीकट सेंट्रल उत्पाद शुल्क	प्रस्तुत नहीं
7	बैंगलुरू शहर	प्रस्तुत नहीं
8	बेलगांव सैंट्रल उत्पाद शुल्क	प्रस्तुत नहीं
9	लुधियाना	प्रस्तुत नहीं
10	तुगलकाबाद	हाँ
11	पटपड़गंज	प्रस्तुत नहीं
12	इंदौर	हाँ
13	भोपाल	नहीं
14	अहमदाबाद	प्रस्तुत नहीं
15	जोधपुर	प्रस्तुत नहीं
16	हैदराबाद	प्रस्तुत नहीं
17	विजयवाड़ा	प्रस्तुत नहीं
18	भुवनेश्वर-1	प्रस्तुत नहीं
19	बोलपुर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क	प्रस्तुत नहीं
20	शिलांग, एनईआर	हाँ
21	कोलकाता	हाँ
22	नोएडा	नहीं
23	मेरठ	नहीं
24	कानपुर	नहीं
25	इलाहाबाद	प्रस्तुत नहीं
26	मुंबई कस्टम्स, जोन - I	प्रस्तुत नहीं
27	पुणे	प्रस्तुत नहीं
28	नागपुर-1	प्रस्तुत नहीं
29	मार्गान, गोवा	प्रस्तुत नहीं
30	चेन्नई VI	प्रस्तुत नहीं
31	जामनगर	प्रस्तुत नहीं
32	मैंगलुरू	प्रस्तुत नहीं
33	मुंबई कस्टम ज़ोन 2	प्रस्तुत नहीं
34	मुंद्रा	प्रस्तुत नहीं
35	विशाखापत्तनम	प्रस्तुत नहीं

विवरण 29
पीसीए विंग का गठन
(संदर्भ पैरा 5.8.9)

क्र. सं.	कमीश्नरी	आईसीडी का नाम	क्या पीसीए का गठन किया गया
1	तूतीकोरिन	सैंट जॉन आईसीडी	हां
2	चेन्नई V	आईसीडी, इरुंगट्टुकोटाई	हां
3	चेन्नई IV	आईसीडी, कॉनकोर, टोंडीरपेट	प्रस्तुत नहीं किया गया
4	त्रिची कस्टम्स और सैंट्रल एक्साइज	आईसीडी, होसुर	प्रस्तुत नहीं किया गया
5	कोच्चि	आईसीडी, कोट्टायम	हां
6	बैंगलुरु सिटी	आईसीडी, व्हाईटफील्ड	हां
7	पटपड़गंज	आईसीडी बल्लभगढ़	नहीं
8	पटपड़गंज	आईसीडी सोनीपत (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान शुरू किया गया)	हां
9	पटपड़गंज	आईसीडी पटपरगंज	प्रस्तुत नहीं किया गया
10	इंदौर और भोपाल	आईसीडी मंडी द्वीप	हां
11	इंदौर	आईसीडी पिथमपुर	हां
12	अहमदाबाद	आईसीडी खोड़ीयार गांधीनगर	हां
13	अहमदाबाद	आईसीडी साणंद	प्रस्तुत नहीं किया गया
14	अहमदाबाद	आईसीडी दशरथ वडोदरा	हां
15	अहमदाबाद	आईसीडी टुम्ब (नवकर टर्मिनल लिमिटेड)	हां
16	जोधपुर	आईसीडी कोंकोर जोधपुर	हां
17	जोधपुर	आईसीडी, कॉनकोर, कनकपुरा, जयपुर (इनकेकेयू 6)	हां
18	जोधपुर	आईसीडी थार ड्राय पोर्ट, जोधपुर (आईएनएनटीएच 6)	हां
19	जोधपुर	आईसीडी, कॉनकोर, काठूवास, अलवर (इंकएमएल 6)	हां
20	भुवनेश्वर-1	कलिंगनगर, जाजपुर	नहीं
21	विजयवाड़ा	माररिपाल, गुंटूर	नहीं
22	हैदराबाद	सनथनगर, हैदराबाद	हां
23	हैदराबाद	थिममपुर गांव महबूबनगर	हां
24	शिलांग, एनईआर	आईसीडी, अमिगोन	नहीं
25	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बोलपुर	आईसीडी दुर्गापुर	हां
26	नोएडा	आईसीडी दादरी	हां
27	नोएडा	आईसीडी लोनी	हां
28	मेरठ	आईसीडी मोरादाबाद	हां
29	कानपुर	आईसीडी पंकी कानपुर	हां
30	मुंबई कस्टम्स, जोन -I	आईसीडी मुलुंड, मुंबई (आईएनएमयूएल 6)	हां
31	पुणे	आईसीडी टीलेगांव, पुणे (आईएनटीएलजी	हां
32	नागपुर-1	आईसीडी अजनी, नागपुर (आईएनजीपी 6)	हां
33	मार्गान, गोवा	आईसीडी वर्ना, गोवा (आईएनएमडीजी 6)	नहीं
34	लुधियाना	आईसीडी: जीआरएफएल	प्रस्तुत नहीं किया गया
35	लुधियाना	आईसीडी: पीएसडब्ल्यूसी	प्रस्तुत नहीं किया गया
36	लुधियाना	आईसीडी: धंधरी कलान	प्रस्तुत नहीं किया गया
37	लुधियाना	आईसीडी: कैंच	प्रस्तुत नहीं किया गया
38	तुगलकाबाद	आईसीडी: तुगलकाबाद	हां

विवरण 30

पीसीए द्वारा चयनित / लेखापरीक्षित बीईज़

(संदर्भ पैरा 5.8.9)

क्र.सं.	कमीश्नरी	आईसीडी/ सीएफएस का नाम	अवधि	पीसीए के लिए चुने गए बीई की संख्या	पीसीए द्वारा लेखापरीक्षित बीई की संख्या	समय बाधित बीई की सं.
1	नागपुर-I	आईसीडी अजनी	2012-13 to 2014-15	3433	2696	737
2	नोएडा	सीएफएस स्टार ट्रैक टर्मिनल	2012-13 to 2014-15	4386	2300	2086
3	नोएडा	सीएफएस अल्बाट्रॉस इनलैंड पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	2012-13 to 2014-15	7532	6076	1456
			कुल	**15351**	**11072**	**4279**

विवरण-31

आंतरिक लेखापरीक्षा का आयोजन न करना

(संदर्भ पैरा 5.8.10)

क्र. सं.	कमिश्नरी	आईसीडी/सीएफएस का नाम	आईसीडी	क्या आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन किया गया	अवधि जिसके लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी
1	अहमदाबाद	आईसीडी, टुंब	आईसीडी	नहीं किया	-
2	अहमदाबाद	आईसीडी खोड़ीयार,	आईसीडी	नहीं किया	-
3	अहमदाबाद	आईसीडी दशरथ	आईसीडी	नहीं किया	-
4	अहमदाबाद	आईसीडी साणंद	आईसीडी	नहीं किया	-
5	भुवनेश्वर-I	कलिंगनगर	आईसीडी	नहीं किया	लागू नहीं
6	बोलपुर	दुर्गापुर	आईसीडी	नहीं किया	लागू नहीं
7	चेन्नई (IV)	आईसीडी, कॉनकोर टॉन्डियारपेट	आईसीडी	नहीं किया	लागू नहीं
8	चेन्नई (IV)	बालमेर और लॉरी	सीएफएस	नहीं किया	लागू नहीं
9	चेन्नई (IV)	त्रिवे, सीएफएस	सीएफएस	नहीं किया	लागू नहीं
10	चेन्नई (वी)	आईसीडी, इरुंगट्टुकोटाई	आईसीडी	संचालित	प्रस्तुत
11	चेन्नई (V)	सभी कारगी सीएफएस, तिरुवोत्य्यूर	सीएफएस	नहीं किया	लागू नहीं
12	चेन्नई IV	गेटवे डिस्ट्रिपर्क मनाली	सीएफएस	संचालित	प्रस्तुत
13	चेन्नई V	सानको ट्रांस	सीएफएस	संचालित	प्रस्तुत
14	चेन्नई, VI	सीडब्ल्यूसी, माधवन	सीएफएस	संचालित	प्रस्तुत
15	एर्नाकुलम	आईसीडी, कोट्टायम	आईसीडी	संचालित	प्रस्तुत
16	हैदराबाद	थीम्मापुर	आईसीडी	नहीं किया	लागू नहीं
17	इंदौर	आईसीडी, मंडीदीप	आईसीडी	संचालित	2012-13 से 2016-17
18	कोच्चि	कोचीन बंदरगाह	सीएफएस	नहीं किया	लागू नहीं
19	कोच्चि	एमआईवी लॉजिस्टिक	सीएफएस	नहीं किया	लागू नहीं
20	कोच्चि	फाल्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर	सीएफएस	नहीं किया	लागू नहीं

क्र. सं.	कमिश्नरी	आईसीडी/सीएफएस का नाम	आईसीडी	क्या आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन किया गया	अवधि जिसके लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी
21	कोलकाता बंदरगाह	सेंचुरी प्लाई (जे जे पी), कोलकाता	सीएफएस	नहीं किया	लागू नहीं
22	कोलकाता बंदरगाह	बालमेर लॉरी	सीएफएस	नहीं किया	लागू नहीं
23	कोलकाता बंदरगाह	सेंचुरी प्लाई (सोनाई)	सीएफएस	नहीं किया	लागू नहीं
24	कोलकाता बंदरगाह	एलसीएल लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड हल्दिया	सीएफएस	नहीं किया	लागू नहीं
25	मार्गान, गोवा	वेरना	आईसीडी	नहीं किया	लागू नहीं
26	मुंबई	आईसीडी, मुलुंड,	आईसीडी	नहीं किया	जून-16
27	नागपुर-।	अजनी	आईसीडी	नहीं किया	लागू नहीं
28	पटपड़गंज	आईसीडी, सोनीपत	आईसीडी	संचालित	2016-17
29	पुणे	आईसीडी, तालेगांव	आईसीडी	नहीं किया	-
30	शिलांग	अमीनगांव	आईसीडी	संचालित	2014-15 से 2016-17
31	त्रिची	आईसीडी, होसुर	आईसीडी	नहीं किया	लागू नहीं
32	तूतीकोरिन	सेंट जोहन आईसीडी	आईसीडी	नहीं किया	लागू नहीं
33	विजयवाड़ा	मैरीपालेम	आईसीडी	संचालित	2012-13
34	हैदराबाद	आईसीडी, सनथनगर	आईसीडी	नहीं किया	लागू नहीं

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in